लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(आठवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 4 मार्च, 1982/13 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 31, नीचे से पंक्ति 6 में नाम से पहले प्रश्न संख्या "153" के स्थान पर "1853" पढ़िये।

पृष्ठ 124, पंक्ति 10 में प्रश्न संख्या "1875" के स्थान पर "1975" पढ़िये।

पृष्ठ 190, नीचे से पंक्ति 5 में नाम से पहले प्रश्न संख्या "246" के स्थान पर "2046" पढ़िये।

पृष्ठ 196, पंक्ति 6 में नाम से पहले प्रश्न संख्या "205" के स्थान पर "2053" पढ़िये।

पृष्ठ 198, नीचे से पंक्ति 2 में "206" के स्थान पर "2056" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 25, आठवां सत्र, 1982/1903 (शक)

अंक 11, गुरुवार, 4 मार्च, 1982/13 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		वृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		—21
*तारांकित प्रश्न संख्या 166, 167, 168, 170 और 172 से 174		
प्रश्नों के लिखित उत्तर		21—219
तारांकित प्रश्न संख्या 169, 171 और 175 से 186		
अतारांकित प्रश्न संख्या 1851 से 1870, 1872 से 1884 और 1886 से 2082		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		219—223
राज्य सभा से संदेश		223—226
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		226—233
ढाका में भारतीय उच्चायुक्त और बंगलादेश के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच हुई घटना का समाचार		
	श्री धर्मदास शास्त्री	226
	श्री पी० वी० नरसिंह राव	226
	श्री अजय विश्वास	228
	श्री बी० वी० देसाई	231
	श्री अशोक गहलोत	232
	श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	233
नियम 377 के अधीन मामले		234—240
(एक) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि में ओला-वृष्टि और बिना मौसम की भारी वर्षा के कारण खड़ी फसल को हुई क्षति		
	श्री मनीराम बागड़ी	234
(दो) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र-कार्य विभाग) के कर्मचारियों की समस्यायें		
	श्री अजित कुमार साहा	234
(तीन) दिल्ली में पटरी-दुकानदार		
	श्री कमलनाथ	234
(चार) पारादीप बंदरगाह पर लौह अयस्क के इकट्ठा हो गये भण्डार को उठाने के लिये तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता		
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	235
(पांच) समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
	श्री महावीर प्रसाद	235

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छः) भारतीय क्रिकेट टीम के ब्रिटेन के प्रस्तावित दौरे पर सरकार द्वारा पुनः विचार	
श्री एडुआर्डो फैलीरी	236
(सात) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विशेषकर कार्डियोलोजी विभाग के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक जांच समिति को नियुक्ति	
श्री रामविलास पासवान	237
(आठ) पारेषण लाइनों समेत पनबिजली परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से छूट देना	
श्री के० ए० राजन	238
(नौ) कर्नाटक के लिये त्रिभाषा फार्मूले सम्बन्धी प्रो० गोकक समिति का प्रतिवेदन	
श्री टी० आर० शमन्ना	239
चीनी उपकर विधेयक तथा	
चीनी विकास निधि विधेयक, विचार करने का प्रस्ताव	240—298
श्री सुधीर गिरि	241
प्रो० एन० जी० रंगा	242
प्रो० अजित कुमार मेहता	245
श्रीमती कृष्णा साही	247
श्री एस० मुरुगैयन	249
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	251
श्री दयाराम शाक्य	253
श्री मूलचन्द डागा	255
श्री टी० आर० शमन्ना	259
श्री जमीलुर्रहमान	262
श्री भोगेन्द्र झा	264
श्री हरीश रावत	267
श्री जयपाल सिंह कश्यप	270
श्री चित्त बसु	272
राव वीरेन्द्र सिंह	275
खंड 2 से 6 तथा 1 (चीनी उपकर विधेयक) संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
राव वीरेन्द्र सिंह	287
श्री रामावतार शास्त्री	289
खंड 2 से 9 और 1 (चीनी विकास निधि विधेयक) संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
राव वीरेन्द्र सिंह	297
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	298—302
श्री पी० ए० संगमा	298
प्रो० रूपचन्द पाल	299

लोक-सभा

गुरुवार, 4 मार्च, 1982/13 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रौढ़ शिक्षा पर विचार गोष्ठी

*166 †श्री मोहन लाल पटेल :
श्री नवीन रवाणी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद ने प्रौढ़ शिक्षा पर हाल ही में एक विचारगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचारगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए दिए गए सुझाव क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। जर्मन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रतिष्ठान, बोन; अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद; टोरोन्टो और सेवा मन्दिर; उदयपुर, ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत इन तीनों अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक निकायों ने उदयपुर में 4 जनवरी से 11 जनवरी, 1982 तक "साक्षरता के लिए अभियान" सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया।

(ख) बर्मा, बंगलादेश, बोत्स्वाना, क्यूबा, इथोपिया, जर्मन संघीय गणराज्य, भारत, ईराक, केन्या, नाइजीरिया, निकारागुआ, सोमालिया, सीरिया, लीओन, सूडान, तंजानिया, थाईलैन्ड, वियतनाम और जाम्बिया।

(ग) भारत सरकार को सेमिनार के आयोजकों से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन लाल पटेल : अशिक्षितों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है । 1951 में 10 वर्ष से ऊपर वाले अशिक्षितों की संख्या 20.65 करोड़ थी । 1961 में यह 21.53 करोड़ तक पहुँच गई । 1971 में यह 24.56 करोड़ हो गयी, जबकि 1981 में यह 30 करोड़ से भी अधिक हो गई । इस तरह, यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है । स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी ही अशिक्षित रह जाती है, तो अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या बढ़ती जाती है ।

हमारे कार्यक्रम के अनुसार, हर वर्ष केवल 10 लाख लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । नीति निर्देशक सिद्धान्तों में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या सरकार ने देश में सभी प्रौढ़ों को शिक्षा देने का कोई ठोस कार्यक्रम अथवा योजना बनाई है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में पूछा है । प्रौढ़ शिक्षा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग है, जिसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 128 करोड़ रुपए—60 करोड़ केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत तथा 68 करोड़ रुपए राज्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं । सरकार का कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले अशिक्षित प्रौढ़ों की निरक्षरता का उन्मूलन करने का है ।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के सम्बन्ध में, सरकार का कार्यक्रम शुरू से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक के लिए प्राथमिक शिक्षा सबके लिये अनिवार्य करने का है ।

श्री मोहन लाल पटेल : क्या मंत्रालयों को शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ों के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में तथा अनुदानों के उपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? तथापि यदि ऐसा है तो ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उन्होंने कितना अनुदान लिया है ?

श्रीमती शीला कौल : यदि माननीय सदस्य किसी केन्द्र विशेष का उल्लेख करें तो मैं पूरी तरह से यह सूचना दे पाऊंगी । केन्द्रों की संख्या लगभग एक लाख से भी ज्यादा है तथा बहुत से केन्द्रों में प्रौढ़ व्यक्ति बीच में शिक्षा प्राप्त करना बन्द कर देते हैं । अतः, उन केन्द्रों की संख्या बताना आसान नहीं है जहां प्रौढ़ व्यक्तियों ने बीच में शिक्षा प्राप्त करना बन्द कर दिया है ।

श्री नवीन रवाणी : मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अत्यधिक निर्धनता ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य बाधा हैं । इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रौढ़ शिक्षा योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल करने पर विचार करेगी; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

यह सच है कि विश्व के 70 प्रतिशत अशिक्षित लोग 11 विकासशील देशों के ही हैं । हमारा देश भी उनमें से एक है । यदि वह सच है, तो हमारे मंत्री महोदय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा गोष्ठी में क्या सुझाव दिया गया था ? अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद किस तरह से और किस सीमा तक प्रौढ़ शिक्षा योजना लागू करने में हमारी सहायता करती है ? पिछले पांच वर्षों में इस योजना पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितने सरकारी धन का उपयोग किया गया है ? क्या गुजरात में

धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है अथवा नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : गुजरात में 111 केन्द्र काम कर रहे हैं। पहले सामान्य किस्म की शिकायतें मिली थीं और कुछ छानबीन की गई थी। उसके बाद कुछ समय के लिए प्रौढ़ शिक्षा का यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। अब इसे फिर से आरम्भ किया गया है। स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम के बारे में काम कर सकती हैं बशर्ते कि उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया गया हो।

श्री नवीन रवाणी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से गुजरात में कितने धन का उपयोग किया गया है ? क्या धन के उपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, क्या सरकार ने मामले की जांच पड़ताल की है अथवा नहीं ? मंत्री महोदया द्वारा प्रौढ़ शिक्षा गोष्ठी को क्या सुझाव दिया गया था ?

श्रीमती शीला कौल : उदयपुर में आयोजित गोष्ठी में मैंने अतिथि के रूप में भाग लिया था। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से भारत सरकार की प्रौढ़ शिक्षा में रुचि है और कैसे यह कार्यक्रम ठीक तरह से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जाना चाहिए। जब सरकार कोई कार्यक्रम चला रही है तो हम चाहते हैं कि स्वयंसेवी संस्था में भी इसमें हिस्सा लें। मैंने यह सुझाव दिया था।

आरम्भ से अब तक कितना धन खर्च किया गया है, मुझे इसकी सूचना देते हुए खुशी होगी बशर्ते कि मुझे पहले से इसके लिए नोटिस दिया जाए।

श्री नवीन रवाणी : व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती शीला कौल : ये केन्द्र केवल गुजरात में ही नहीं पूरे भारत में चल रहे हैं; इसकी सूचना देने के लिए मुझे पहले विशेष नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

श्री दयाराम शाक्य : क्या सरकार को पता है कि अनिवार्य शिक्षा योजना के उपरांत भी देश में निरंतर निरक्षरता बढ़ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि इस योजना का क्रियान्वयन भली प्रकार नहीं हो रहा है। सरकार देश के सभी व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। सरकार यह जानते हुए भी कि धन का दुरुपयोग हो रहा है, प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च कर रही है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति अपनाएगी जिससे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल सके और प्रौढ़ शिक्षा योजना भी भली प्रकार से लागू हो और धन का दुरुपयोग न हो ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या की है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के रास्ते खोजें। केवल तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह बहुत गम्भीर समस्या है। यही कारण है कि हम इसे पूरा नहीं कर सकते।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, उनसे पता चलता है कि प्रौढ़ शिक्षा के होते हुए भी अशिक्षितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपने बताया है कि हर साल हजारों स्कूल खोले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रौढ़ शिक्षा पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और अशिक्षितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमें प्राइमरी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों को शुरू से ही अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल सके। मजदूर आदि पिछड़े लोगों के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो लेक्चर दे दिया।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं बता रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : बताने की नहीं पूछने की बात है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार बच्चों को प्राइमरी स्तर से अनिवार्य शिक्षा देने की योजना को सुचारु रूप से लागू करने पर विचार करेगी, ताकि देश में अशिक्षा कम हो सके।

श्रीमती शीला कौल : जवाब दूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : *क्या सभी माननीय सदस्य अपने पूरक प्रश्नों को कम लम्बे करके मेरी सहायता करेंगे ? यह बहुत अधिक है।* आप देखिए, लम्बे पूरक प्रश्नों में सारा समय बीत जाता है।

श्री माधवराव सिंधिया : उस दिन कृषि पर दो प्रश्न थे जिनमें प्रत्येक प्रश्न पर 20 मिनट लगे।

श्री कमल नाथ : आप हमें नियम 377 के अधीन तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दीजिए तब हम कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जनता की सामान्य भलाई के लिए करनी ही पड़ती हैं। लेकिन हमें प्रश्न काल के साथ भी न्याय करना है। आपने भी अधिक समय लिया था। मुझे सब कुछ याद है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जनता की सामान्य भलाई की बात नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अध्यक्ष के रूप में ऐसा नहीं कर सकते।

लापता रक्षा कार्मिकों के फोटोओं का आदान प्रदान

*167. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लापता रक्षा कार्मिकों के फोटोओं का भारत और पाकिस्तान के बीच आदान प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) श्री आगाशाही के नेतृत्व में हाल ही में जो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर आया था उससे यह अनौपचारिक समझौता हुआ था कि दोनों पक्ष गुमशुदा रक्षा कार्मिकों के फोटो और नये साक्ष्य एक-दूसरे को देंगे, ताकि उनका पता लगाने के लिए एक बार फिर कोशिश की जा सके ।

(ख) सरकार आवश्यक सामग्री इकट्ठी कर रही है ।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 11 वर्ष के बाद भी रक्षा कार्मिकों को 'लापता' घोषित किया जा रहा है । लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि कुछ समझौता किया गया है । मन्त्री महोदय ने बताया है कि श्री आगाशाही की हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान एक अनौपचारिक समझौता हुआ था । मैं नहीं समझता कि 'अनौपचारिक समझौते' से क्या तात्पर्य है । 'औपचारिक' और 'अनौपचारिक' समझौते में क्या अन्तर है ? क्योंकि, यदि वह 'औपचारिक' था, जहां तक मुझे मालूम है···

अध्यक्ष महोदय : क्या यह 'विचाराधीन' और सक्रिय रूप से विचाराधीन की भांति नहीं है ?

श्री कमल नाथ : यदि वह 'अनौपचारिक' था, जैसा कि मुझे पता चला है, तो श्री आगाशाही अब विदेश मन्त्री नहीं रहे । तब फिर, अनौपचारिक रूप में जो औपचारिकता थी वह समाप्त हो गयी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : समझौते व्यक्तियों के बीच नहीं हुआ करते, वह सरकारों के बीच होते हैं ।

श्री कमल नाथ : मन्त्री महोदय द्वारा कराची में 'जंग' समाचारपत्र को दिए गये साक्षात्कार से पता चलता है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कौन से मन्त्री महोदय ?

श्री कमल नाथ : सम्बन्धित मन्त्री महोदय । उन्होंने बताया था कि 'लापता' रक्षा कार्मिकों की अधिक जानकारी प्राप्त करने तथा उनके फोटोग्राफ लेने के लिए उनके सम्बन्धियों से संपर्क स्थापित किया जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि :

क्या किन्हीं सम्बन्धियों से संपर्क स्थापित किया गया है तथा पाकिस्तानी प्राधिकारियों को और अधिक सूचना भेजने के लिए रक्षा कर्मिकों के फोटो और उनके बारे में अन्य जानकारी मिलने में कोई सफलता मिली है ?

श्री पी० वी नरसिंह राव : महोदय, मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्रालय यह काम कर रहा है। मुझे अब तक एकत्रित किए गए फोटो की ठीक संख्या की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए यथाशीघ्र यह कार्य कर रहे हैं।

श्री कमलनाथ : महोदय, मैंने इस वर्ष फरवरी में जो अतारांकित प्रश्न, प्रश्न संख्या 789, पूछा था, उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 300 भारतीय बन्द हैं जिनमें से 40 रक्षा कार्मिक माने गए हैं। अत: यदि 40 व्यक्तियों के रक्षा कार्मिक होने का पता लगा लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें 'लापता' घोषित करने का कोई प्रश्न होना चाहिए। इसी तरह, उन पाकिस्तानियों के बारे में भी उत्तर दिया गया था, जो यहां जेलों में हैं। कम से कम इन 49 भारतीयों की पहचान कर ली गई थी। अत: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों के बारे में, जिनकी पहचान की जा चुकी है, जिनकी संख्या 49 है, क्या उन्हें देश में वापिस लाने का कोई प्रयास किया गया है और यदि हां, तो उन लोगों का देश में कब तक वापिस लाए जाने का अनुमान है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यहां पर कुछ गलतफहमी है। जिन 300 भारतीयों का हवालात में होने का अनुमान है, उनमें से 40 रक्षा कार्मिक हैं।

श्री कमल नाथ : मुझे खेद है। यह गलत छपा था। यह 49 नहीं 40 है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब उन्हें लापता इसलिए समझा जाता है कि यह निश्चित नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी। यह अनुमान मात्र है जिस पर निष्कर्ष निकाला गया है और हमारे पास कुछ प्रमाण हैं जो कि हमने पाकिस्तान सरकार को यह दिखाने के लिए दिए हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हत्या कर दी गई है।

अत: उन्हें जीवित ही माना जाना चाहिए। इस तरह से हमने उन्हें अभ्यावेदन दिया है और उन्होंने हमारा अभ्यावेदन ले लिया है। इससे पहले, उन्होंने कहा था कि उन्होंने छानबीन की है, लेकिन इन कार्मिकों का पता लगाने में सफल नहीं हुए। ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है, और पहले भी कई बार यह मामला उठाया गया है। नवीनतम स्थिति यही है, जैसी कि मैंने अभी बताई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह मामला देश में कई बार समय-समय पर संसद में उठाया गया है। बाहर के समाचार पत्रों में तथा मैं समझता हूं, लापता व्यक्तियों के संबंधियों द्वारा भी उठाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं, जब सरकार कहती है कि 40 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है तो मैं समझता हूं कि उनकी पहचान हमारी सरकार द्वारा ही की गई है।

पाकिस्तान सरकार ने उनकी पहचान रक्षा कार्मिकों के रूप में बिलकुल नहीं की है। मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि श्री आगाशाही के साथ हाल में हुई वार्त्ता के बाद क्या वह यह महसूस करते हैं कि इस प्रश्न के प्रति पाकिस्तान सरकार का रुख कुछ बदला हुआ है क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने इस बात से साफ इन्कार कर दिया था कि कहीं भी उनकी हिरासत में अभी तक कोई रक्षा कार्मिक है।

अब उन्होंने कहा है कि एक समझौता किया गया है और उनका पता लगाने के लिए उन्हें पुनः खोजने का प्रयत्न किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब पाकिस्तान सरकार का यह विचार नहीं है कि वे वहां नहीं हैं अथवा वे जीवित नहीं हैं। चर्चा के दौरान, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे संकेत मिले हैं जिससे हम अच्छे परिणामों की आशा कर सकें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस तरह का कोई अन्तर करना बहुत ही कठिन है। वे हमें बताते रहे हैं कि उन्होंने पूरी खोज की है और वे इन कार्मिकों को नहीं ढूंढ पाये। उन्होंने हाल की यात्रा में भी यही बात कही। लेकिन जब हमने उन पर दबाव डाला कि उन्हें लगातार खोज करते रहने चाहिए, तो उन्होंने मान लिया तथा हमारी चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके साथ उपलब्ध फोटोग्राफ तथा अन्य साक्ष्य, यदि कोई है, वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से यह सब हुआ। मैं नहीं कह सकता कि कोई परिवर्तन हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह तथ्य कि पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर खोज करने की जो बात स्वीकार की है, वह महत्वपूर्ण है और हमें इसे ऐसा ही मानना चाहिए।

"हार्मफुल ड्रग्स" (हानिकारक औषधियां) शीर्षक समाचार

*168. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रैस के अंक में "हार्मफुल ड्रग्स" (हानिकारक औषधियों) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन जर्नल आफ मेडिकल साइंसेस के हाल के अंक में प्रकाशित औषध सलाहकार समिति की सिफारिशें वास्तव में पिछले सितम्बर में सरकार को भेज दी गई थीं;

(ग) क्या इन सुझावों के भेजे जाने के लगभग पांच महीने बाद भी इन्हें क्रियान्वित किया जाना शेष है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि तीसरे विश्व के देशों में लोगों की औषधि सम्बन्धी आवश्यकता को 200 औषधियों से पूरा किया जा सकता है और वस्तुतः हाथी समिति ने इस संख्या को घटाकर 116 कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या 15,000 से अधिक औषध फार्मूलेशन्स भारत में बेची तथा सुझाई जाती हैं और यदि हां, तो उसके कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) औषध परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें 17 नवम्बर, 1981 को मिली थीं।

(ग) औषध परामर्शदात्री समिति की ये सिफारिशें औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के पास उनके विचारार्थ भेजी गयी थीं। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की अन्तिम सिफारिशें 1 मार्च, 1982 को मिली हैं।

(घ) अनिवार्य औषधियों के चयन सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने अपनी 1979 की रिपोर्ट में ऐसी लगभग 237 मूल औषधियों और इन औषधियों की लगभग 303 एकल घटक वाली दवाइयों को छांटा है जो अधिकांश जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अत्यन्त आवश्यक समझी जाती है। तथापि, उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनिवार्य औषधियों की जो सूची उन्होंने सुझायी है उसे एक अस्थायी चयन माना जाये। ये वे औषधियां हैं जिनकी बुनियादी तौर पर आय जरूरी होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई अन्य औषधियां उपयोगी नहीं हैं। आगे यह भी लिखा हुआ है कि इस सूची को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि सम्बन्धी आवश्यकताओं में केवल प्राथमिकता बतलाता है। सूची से किसी औषधि को अलग करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

हाथी समिति ने भी 116 अनिवार्य औषधियों की एक सूची सुझायी थी। ये वे औषधियां हैं जो नगर और देहात दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवसाय में अनिवार्यत: प्रयुक्त होती हैं। तथापि जनता की पूरी स्वास्थ्य परिचर्या की चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सूची पर्याप्त नहीं होगी और इसमें सभी लक्षणों की दवाइयां भी नहीं हैं।

(ङ) यह सच है कि दवाइयों के मामले में अनेक किस्म के ब्राण्ड, पैक और अनेक प्रकार की मात्राएं होने के कारण उनमें बहुलता भी बहुत है। बाजार में एक ही दवा विभिन्न निर्माताओं द्वारा विभिन्न ब्राण्ड नामों से बेची जा रही है, उदाहरण के लिए सल्फा औषधियों वाली 25 दवाइयों के लगभग 500 औषधीय रूप हैं। इसी प्रकार एस्पीरिन गोलियां 60 फर्मों द्वारा, डायजाफाम गोलियां 75 फर्मों द्वारा, एनलजिन 125 फर्मों द्वारा और पैरासिटामोल गोलियां 130 फर्मों द्वारा बाजार में बेची जा रही हैं।

सरकार इस बहुलता को कम करने की आवश्यकता के प्रति सजग है। जहां तक नयी औषधियों के निर्माण का प्रश्न है, इन पर नियंत्रण का काम इनके प्रचलन की अनुमति देने के समय ही कर लिया जाता है। मौजूदा दवाइयों की इस समस्या को चिकित्सीय औचित्यहीन दवाइयां हटाकर तथा प्रमुख दवाइयों के अनुरूप पैकों और मात्रा आदि वाले मामलों में मूल्य प्रक्रिया (प्राइसिंग मेकेनिज्म) द्वारा हल किया जा रहा है।

श्री हरिनाथ मिश्र : वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि औषध परामर्शवादी समिति की सिफारिशें 17 नवम्बर, 1981 को मिली थीं तथा ये सिफारिशें औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के पास उनके विचारार्थ भेजी गई थीं, जिनकी अन्तिम सिफारिशें 1 मार्च, 1982 को मिली हैं। अब, जैसा कि हम सब जानते हैं, औषध परामर्शदात्री समिति में संघ सरकार तथा विभिन्न

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि औषध परामर्श-दात्री समिति की एक सिफारिश यह थी कि निश्चित खुराक की 15 औषधियों को निकालकर शीघ्र उनकी छंटनी कर दी जाए क्योंकि वे मानव जाति के लिए हानिकारक तो हैं ही, उनका कोई चिकित्सीय औचित्य भी नहीं है। 7 अन्य श्रेणियों को विनिर्दिष्ट समय में हटाने के लिए पहचान कर ली गई है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब जबकि बोर्ड की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं, सरकार औषध परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने में और कितना समय लेगी ?

श्री बी० शंकरानंद : जैसा कि मेरे बहुत विस्तृत और स्पष्ट उत्तर में बताया गया है तथा स्वयं माननीय सदस्य द्वारा स्वीकार किया गया है कि सरकार 1 मार्च, 1982 को ही रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आज 4 मार्च, 1982 है। अभी बहुत ही थोड़े दिन हुए हैं तथा सरकार को इस मामले पर अभी विचार करना है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि निर्णय लेने में देर नहीं की जाएगी।

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक मेरे प्रश्न के (ख) भाग का सम्बन्ध है, रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि अनिवार्य औषधियों के चयन सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति ने अपनी 1979 की रिपोर्ट में 237 मूल औषधियों और 303 एकल घटक वाली औषधियों को छांटा है। हाथी समिति ने, सरकार इससे सहमत होगी, 116 अनिवार्य औषधियों का सुझाव दिया था जो कि नगर और देहात दोनों क्षेत्रों में प्रयुक्त की जा रही हैं। भाग (ङ) में मैंने यह कहा है कि हमारे देश में 15000 फार्मूलेशन्स स्वतंत्रतापूर्वक मरीजों को सुझाई और बेची जाती हैं। इसका खण्डन नहीं किया गया है।

मैं केवल एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ माह पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 हानिकारक औषधियों की पहचान की, जो कि विकसित देशों में प्रतिबन्ध होने पर भी, तीसरे विश्व के देशों में भेजी जा रही थीं और उनमें से 12 औषधियों का प्रयोग भारत में किया जा रहा था। मैं केवल इतना कहूंगा कि इनमें से अधिकतर औषधियां विदेशों से, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से आयात की जाती हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अभी तक विद्यमान प्रतिषिद्ध औषधियों को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री बी० शंकरानंद : विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं किसी भी ऐसी औषधि की पहचान नहीं करता जो किसी देश में प्रतिषिद्ध हैं। दूसरी ओर, सदस्य देश विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताते हैं कि सम्बन्धित देशों में कौन-कौन सी औषधियों पर प्रतिबन्ध हैं, यह सूचना आगे सभी सदस्यों देशों को दी जाती है। यह सच नहीं है कि किसी विशेष औषधि पर सभी देशों में प्रतिबंध है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक विकसित देश में प्रतिषिद्ध कोई औषधि दूसरे विकसित देश में खुले आम बेची तथा प्रयुक्त की जाती है।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्यों ?

श्री बी० शंकरानंद : यदि माननीय सदस्य मेरी बात को सुनें और ठीक तरह से समझ सकें, तो सम्भवतः वह मुझसे सहमत होंगे। मैंने केवल यह कहा है कि कोई विशेष औषधि जो किसी विकसित देश में प्रतिषिद्ध है···

डा० कृपासिंधु भोई : उदाहरण के लिए, कौन-सा ?

श्री बी० शंकरानंद : ···अन्य विकसित देश में आवश्यक रूप से प्रतिषिद्ध नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप यह क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री बी० शंकरानंद : विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 18 औषधियों में से, जो कि कुछ देशों द्वारा हटा ली गई हैं, हमने भी भारतीय बाजार में से औषधियों को हटाने के लिए कार्यवाही की है। अन्य 6 औषधियों के मामले में देश में उनका निर्माण करने की भी अनुमति नहीं दी गई है जबकि बाकी 5 औषधियों के मामले में, जिनका नाम है—(1) हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्टिंग ड्रग्स, (2) नाइट्रोफ्यूरन कम्पाउन्डस (3) फिनाफोरमिन (4) ऑक्सीक्यूनोलाइन्स डेरीवेखिस और (5) हायर डोज लाइनेसट्रेनोल प्रोडक्टस, यह निर्णय लिया गया था कि उनके लेबल पर चेतावनी देकर ही उन्हें बेचने की अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : आपने 18 औषधियों के बारे में पूछा है।

हमने 7 औषधियों की स्वीकृति अनुमोदन नहीं दी है।

हमने इस देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां केवल 5 औषधियां बेचने की अनुमति दी है। हमें यह तकनीकी सुझाव दिया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति।

श्री बी० शंकरानंद : लेबल पर चेतावनी दी जाती है। ये दवाइयां कुछ देशों में प्रतिषिद्ध हैं। मैं आपको विस्तार में नहीं बता सकता लेकिन हमने इन औषधियों के बारे में चेतावनी दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ आधार होना चाहिए। क्या ये तकनीकी सुझाव के आधार पर प्रतिबंधित की गई हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : लेबल पर दी गई चेतावनी को पढ़ने के बाद उपभोक्ता से क्या करने की आशा की जाती है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस प्रकार प्रश्नकाल के प्रति न्याय कर सकते हैं।

श्री बी० शंकरानंद : 18 औषधियों में से 7 औषधियां वापिस ले ली गई हैं।

हमने इस देश में 6 औषधियों के निर्माण के लिए भी अनुमति नहीं दी है।

हमने 5 औषधियों के बारे में सोच विचार कर निर्णय लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मान लो लेबल पर लिखा है कि वे औषधियां खराब हैं। इसका अर्थ क्या है ? तो फिर इन्हें बेचने की अनुमति आप क्यों देते हैं ?

उस बारे में कोई तकनीकी राय होनी चाहिए ?

श्री संतोष मोहन देव : उस पर आधे घंटे की चर्चा क्यों न की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर आधे घन्टे की चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : मैं आपके निर्णय का पालन करता हूं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि माननीय सदस्य इसके बारे में जानना चाहते हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप बीमार होने पर इन औषधियों का सेवन करने के लिए तैयार हैं ?

श्री नीरेन घोष : हर औषधि का परीक्षण भारतीय करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उनका वितरण बराबर-बराबर करेंगे।

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य इस बात को समझें कि···

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम इसे बाद में लेंगे।

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य इस बात को समझें कि कुछ औषधियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। शायद हर माननीय सदस्य या कोई और व्यक्ति जो किसी औषधि का सेवन करता है, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव को अनुभव करता है। अतः चेतावनी इन औषधियों के सेवन से होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में है। चेतावनी यही है।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए शंकरानंद जी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब माननीय सदस्य अप्रत्यक्ष प्रभावों की बात करते हैं तो क्या इन प्रभावों में मृत्यु भी शामिल है। मैं जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके कई अर्थ हैं। हम इसे बाद में लेंगे।

श्री बी० शंकरानंद : वह अन्तिम प्रभाव है।

गिरिडीह रांची लाइन

*170. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा में बार-बार आश्वासन दिये गये थे कि गिरिडीह और रांची के बीच बरास्ता, कोडरमा और हजारीबाग टाउन, एक बड़ी रेल लाइन बिछाने की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है;

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या गिरिडीह और राँची के बीच बरास्ता, कोडरमा और हजारीबाग टाउन उपर्युक्त रेल लाइन (223 किलोमीटर) बिछाने के लिए वर्ष 1982-83 के बजट में धनराशि की व्यवस्था की जाएगी और इस सम्बन्ध में अनिश्चितता दूर करने के लिए इस लाइन का निर्माण कार्य पहले किये गये निर्णय के अनुसार आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

11-12-1980 को प्रश्न स० 364 के सम्बन्ध में श्री कमल मिश्र मधुकर द्वारा किए गये पूरक प्रश्नों के उत्तर के दौरान, तत्कालीन रेल मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है । उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

तत्कालीन रेल मंत्री का आशय यह था कि पूर्व रेलवे द्वारा टोह अध्ययन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय में अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हुई थी । परियोजना का कोई विस्तृत यातायात सर्वेक्षण या वित्तीय मूल्यांकन नहीं किया गया था । अतः यह आवश्यक समझा गया था कि हजारीबाग टाउन और काडरमा के रास्ते रांची और गिरिडीह के बीच लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जाए ताकि योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण पर अन्तिम निवेश का निर्णय लेने से पूर्व, नयी लाइन की लागत और यातायात सम्भावनाओं का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सके ।

सर्वेक्षण किया जा रहा है । उस कठिन भू-भाग को देखते हुये जिससे प्रस्तावित लाइन गुजरेगी, 1983 की समाप्ति से पूर्व सर्वेक्षण पुरा करना संभव नहीं होगा ।

इस परियोजना को छठी योजना में शामिल करने का निर्णय तभी किया जाएगा जब विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा और योजना आयोग द्वारा इसका अनुमोदन दे दिया जाएगा, यदि वित्तीय दृष्टि से इसे अर्थक्षम पाया जाए ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जो स्टेटमैंट आज है, जो भूतपूर्व रेल मंत्री थे···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उस दिन मामला यह था कि एश्योरेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है, पहला सवाल यह था । आज मंत्री पूरी तरह, मेरे ख्याल में, तैयारी करके आये हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष जी जो आप हमारी तरफ से कह रहे हैं, वह पहले यही बतायें कि उन्होंने यह कहा था कि नहीं कि यह छठी पंचवर्षीय योजना में इन्क्लूड होने जा रहा है। यह एश्योरेंस उनका है या नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस क्वैश्चन के बारे में जैसे समाधान देना मैं शुरू करूंगा···

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : 7-8 यदि एक साथ उठेंगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सुन्दर सूट पहन कर आये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मेरे विचार में जो कपड़े इन्होंने पहने हैं, वह रेलवे की नयी वर्दी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यह उन्हें अच्छी लगती है।

श्री मल्लिकार्जुन : वास्तविक स्थिति यह है कि 1978-80 में एक टोह सर्वेक्षण किया गया था और 1980 के अन्त में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उस आधार पर तत्कालीन मंत्री ने प्रारम्भिक इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का आदेश दिया और 1983 के अन्त में इस सर्वेक्षण को पूरा होने पर रिपोर्ट की जांच योजना आयोग की स्वीकृति होने पर की जायेगी। यदि योजना व्यवहार्य हो तो इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना योजना योजना आयोग का काम है—(व्यवधान) कोई अश्वासन नहीं दिया गया। टोह सर्वेक्षण का अर्थ एक मोटा सर्वेक्षण है और उसके आधार पर लाभ हानि तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक प्रारम्भिक इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण करना पड़ता है और उसके बाद परियोजना का उचित ढंग से अध्ययन करना पड़ता है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री जी ने जो अभी कहा है वह भी रेम्युनरेटिव होगा या नहीं होगा, यह विचार करने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। मैं पांडे जी का स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं। यह 16 मार्च, 1981 का पृष्ठ 527 पर :

"श्री केदार पांडे : रांची टाउन से हजारी बाग टाउन हुआ है। हजारी बाग रोड को लोगों हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें रेम्युनरेटिव हो जाता है। इसलिए रांची टाउन से हजारी बाग, हजारी बाग से कोडरमा और कोडरमा से गिरिडीह यह ठीक है। इसमें हमने हजारीबाग रोड को छोड़ दिया है।"

ये ऐसा बोलते हैं कि रेम्युनरेटिव हो जाता है लेकिन इनका इन्जीनियरिंग सर्वे और इस बार का जो बजट है इसमें देखा जाए तो स्पष्ट हो जायेगा कि यह कितना कंफ्यूजिंग और गुमराह करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, इस रूट को फिर एक बार चेंज कर दिया है। फिर लिखते हैं रांची से हजारीबाग टाउन से, हजारी बाग रोड से। इस बार हजारी बाग रोड से कर दिया है जबकि

उस बार कोडरमा था। गिरिडीह तक एक नयी बड़ी लाइन का प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण, 227 किलो मीटर। इसमें 13 लाख 99 हजार रुपए का प्रावधान रखा है।

आखिर पहले सर्वे हो गया था लेकिन ये फिर प्रारम्भिक ही लिखते हैं। तो यह रुपया कहां जायेगा और कहां खर्च हो रहा है? या तो यह बोगस है या आफिसर्स गड़बड़ी करते हैं—यह समझ में नहीं आता है।

श्री मल्लिकार्जुन : बोगस नहीं है और न गड़बड़ है। यह पिछड़े हुए स्थान हैं और सरकार का विचार है कि पिछड़े हुए स्थानों की उन्नति होनी चाहिए। इसमें 1978 में रेकनाईजेन्स का जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट आए तो प्रिलिमिनरी इन्जीनियरिंग कम ट्रेफिक सर्वे के वास्ते 1981-82 के बजट में इन्क्लूड करें और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब समाप्त होगी तब एलाउन्समेंट निश्चय करेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट तो जब आए तब विचार करें लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई है कि यह रेम्युनरेटिव नहीं है और यह बात फिर नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह बैकवर्ड एरिया है और इन्होंने बताया है कि छठी योजना में इन्क्लूड होने जा रहा है। (व्यवधान) इसके बाद यह इन्क्लूड होना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : यह बात स्पष्ट भी हुई है और अस्पष्ट भी। माननीय सदस्य पेशेन्स रखें तो और स्पष्ट हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप गाड़ी के आगे और पीछे, दोनों तरफ इंजन लगा दीजिए।

चेचक का टीका लगाने को अनिवार्य बनाना

* 172. **श्री नरसिंह मकवाना :**
श्री मगन भाई बरोट :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चेचक का टीका अनिवार्य रूप से लगाना खतम किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान सारे देश में कुल कितने चेचक के रोगी पाए गए;

(ग) केन्द्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल के इस बारे में क्या सुझाव हैं; और

(घ) चेचक के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने क्या सुझाव दिया है और भारत सरकार ने उस सुझाव को कब स्वीकार किया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारत में चेचक के आखिरी मामले की सूचना 21 मई, 1975 को मिली थी। चेचक उन्मूलन के प्रमाणन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग अप्रेल, 1977 में भारत आया था और उसने यह निष्कर्ष दिया

था कि इस देश से चेचक का उन्मूलन हो चुका है। विश्व में अन्तिम स्थानीय रूप का चेचक का मामला 26 अक्तूबर, 1977 को सोभालिया में बतलाया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई, 1980 में इस स्थिति की पुनरीक्षा की और यह निर्णय दिया कि विश्व से चेचक उन्मूलन का काम पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने मार्च, 1980 में यह सिफारिश की थी कि चूंकि भारत से और विश्व से भी चेचक का उन्मूलन हो चुका है, इसलिए चेचक का प्राथमिक टीका बन्द कर दिया जाए। चेचक उन्मूलन के प्रभाव संबंधी विश्व आयोग ने भी 1979 में यह शिफारिश की थी। इन तथ्यों को देखते हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मई, 1981 में यह सलाह दी गयी कि स्कूल में भर्ती होने के समय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चेचक के टीके के प्रमाण पत्र के लिए जोर देने की जरूरत नहीं है।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा गठित एक विशेष अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि चेचक का प्राथमिक टीका बन्द कर दिया जाए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस अध्ययन दल के पास टीका बन्द करने के क्या आधार थे और उस अध्ययन दल में कितने मेम्बर हैं, उसने कितने दिनों तक काम किया, कितनी मीटिंग हुईं ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : कौन सी गाड़ी में बैठा दिया है, सीधी लाइन दीजिए।

श्री नरसिंह मकवाना : यह जानना चाहता हूं कि चेचक का प्राथमिक टीका बन्द करने की सिफारिश का क्या आधार है ?

श्री बी० शंकरानन्द : प्रश्न इतना स्पष्ट है कि अनुपूरक प्रश्न आवश्यक नहीं है क्योंकि चेचक का विश्व भर से उन्मूलन कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा में 1980 में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसके आधार पर हमने टीके लगाने के काम को बंद करने की सिफारिश की है। मैं नहीं जानता कि अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछा जाये।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राथमिक टीका बन्द करने से जो स्टाफ या कर्मचारीगण खाली हो जायेंगे उनका क्या किया जाएगा ? क्या इस संबंध में राज्यों को और संस्थाओं को कोई निर्देश दिए गए हैं ?

श्री बी० शंकरानंद : इस प्रश्न के बारे में मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है। वह कुछ ऐसी बात पूछ रहे हैं जिसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि कोई सदस्य चाहेंगे कि मैं इसका उत्तर दूं। मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बरोट।

श्री मगनभाई बरोट : यह ब्यान स्वागत योग्य है कि विश्व सर्वेक्षण के अनुसार चेचक हमारे देश सहित सारे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश में, एक विशेष प्रणाली के अनुसार हम स्कूल भेजने से पहले बच्चे को टीका लगाते हैं। हमें स्कूलों में रजिस्ट्रेशन के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। यह रजिस्ट्रेशन एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम बच्चे की जन्म तिथि तथा अन्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। निःसंदेह, यह बच्चे की आयु जानने का एक विश्वसनीय साध्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश की स्वास्थ्य समस्या तथा जन्म के अनुपात की ओर ध्यान दे रही है। क्या दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म की रजिस्ट्रेशन के अभाव में कोई अन्य व्यवस्था की गई है ?

श्री बी० शंकरानंद : यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीके लगाने से बच्चे की जन्म तिथि सुनिश्चित हो जाती थी। लेकिन इसके बन्द होने के बाद, जन्म के इंदराज के काम को क्षति पहुंची है। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जन्मतिथि दर्ज करने के कुछ और तरीके भी हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जायेगा।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : गांव-गांव में बहुत दिनों से यह एडवर्टिजमेंट चलता रहा है—

चेचक का रोगी जो बतायेगा
एक हजार रुपया पायेगा।

इस एडवर्टिजमेंट के द्वारा आपने जागृति करने की कोशिश की है। मैं जानना चाहती हूं कि इसके अन्तर्गत कितने करोड़ रुपया इनाम दिया गया ? यदि अब चेचक का रोगी नहीं आता है तो क्या आपने इस विभाग को डिसकन्सीन्यू कर दिया है ?

श्री बी० शंकरानंद : मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि पिछली बार भारत में 21 मई, 1975 को चेचक हमारे ध्यान में आया था। इसके अलावा इस आशय के विज्ञापन के बावजूद भी कोई व्यक्ति इनाम लेने नहीं आया कि चेचक की सूचना देने वाले को एक हजार रुपये इनाम दिया जायेगा। इससे पता चलता है कि हमारे देश में चेचक को कोई भी घटना नहीं हुई है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, भले ही चेचक की बीमारी अभी खत्म हो गई हो, लेकिन निश्चित रूप से चली गई है ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से कालाजाव के सम्बन्ध में हुआ था, लेकिन जब दोबारा उसका प्रकोप हुआ तो मेरी अपनी कांस्टीचूएन्सी मे दो हजार से अधिक लोग मरे थे, मैं यह वैशाली डिस्ट्रिक्ट की बात कह रहा हूं। मैं 1977 से इस मामले को उठाता आ रहा हूं। क्या सरकार हमेशा इस पर ध्यान देती रहेगी कि हिन्दुस्तान का परिपेक्ष्य दूसरे देशों से अलग है, यहां जो गरीबी और मुखमरी व्याप्त है, वह खत्म नहीं होगी, इस लिए आज या कल भयंकर रूप ले सकती है। चेचक का रोगी कौन है, बताओ या असली कांग्रेसी कौन है—यह बताओ, नकली कौन है—यह बताओ, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। क्या आप अपने चेचक विभाग को बन्द करने जा रहे हैं या यह अभी कायम रहेगा, यह देखने के लिए कि चेचक का कहीं प्रकोप तो होने वाला नहीं है या वह किसी न किसी रूप में विद्यमान तो नहीं है ?

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य द्वारा भविष्य की चिंता करना ठीक ही है लेकिन

मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हमने हर प्रकार की सावधानी बरती है और किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए हमने स्टाक रख रखा है।

महानगरों के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*173. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों के बीच महत्वपूर्ण रेल लाइनों के विद्युतीकरण की योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिव्यय का ब्यौरा क्या है और चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्या लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 450 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और इस योजना अवधि में लगभग 2800 मार्ग किलोमीटर रेल लाइनों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा है।

श्री बी० वी० देसाई : यह बहुत ही अच्छा है कि भारत सरकार ने बहुत कारणों से रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य को शुरू किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो रेल इंजन कोयले से चलता है, कोयले के अभाव में यात्रा के मध्य में ही रुक जाता है ऐसा मेरे साथ दो बार हुआ। एक बार ऐसा उस समय हुआ जब मैं गुन्टुकल से बंगलौर की यात्रा कर रहा था। मैं सुबह सुबह जब उठा तो मुझे ज्ञात हुआ कि गाड़ी रुकी हुई है। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि कोयला समाप्त हो जाने के कारण गाड़ी आगे नहीं चल सकती। माननीय मंत्री यदि चाहें तो इसका सत्यापन करवा सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी महानगरों अर्थात चारों नगरों को विद्युतीकरण से जोड़ा जायेगा। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि रास्ते में पड़ने वाली तथा अन्य प्रकार से कितने राज्यों की राजधानियों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण योजना का प्रथम आधार सबसे पहले सभी महानगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को जोड़ना है तथा इसके पश्चात कलकत्ता-बम्बई तथा दिल्ली-मद्रास। यह एक विकर्ण पद्धति है।

विद्युतीकरण का एक बड़े भाग का कार्य 1985 के अन्त में शुरू होगा। यदि भोपाल की तरह कोई राजधानी शहर बीच में आ जाता है...

एक माननीय सदस्य : हैदराबाद भी। (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : हैदराबाद को शामिल करना कुछ कारणों की वजह से बहुत कठिन है। 1982-83 में काजीपेरा, सिकन्दराबाद तथा सन्तनगर के सम्बन्ध में कार्यक्रम सम्मिलित किया

गया है उसको 7वीं योजना में शुरू किया जायेगा। कुछ अन्य व्यवहारिक कारण भी हैं। मुख्य ट्रंक मार्ग पर यातायात की बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है। दिल्ली से बम्बई तक का ट्रंक मार्ग 1985 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

श्री बी० वी० देसाई : क्या मंत्री महोदय विद्युत, भाप तथा डीजल से चलायी जाने वाली लाइनों का अलग अलग प्रतिशत बनाने की कृपा करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : फिलहाल 5,000 किलोमीटर पटरी का विद्युतीकरण किया जा चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2800 किलोमीटर का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है। जिसके लिए 450 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है (व्यवधान) मैं आपको बता रहा था कि फिलहाल कुल 60,000 किलोमीटर रेल की पटरियों में से 5,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 2800 किलोमीटर का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण किया जा रहा है जिसके लिए 450 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। अब यह सम्भव है कि मूल्य वृद्धि के कारण 450 करोड़ रु० में 2800 किलोमीटर पूरा भी हो सकता है और इससे कुछ कम भी रह सकता है। इसके बाद 7वीं योजना में 1000 किलोमीटर को प्रतिवर्ष पूरा करने का कार्यक्रम है। अतः सातवीं योजना के अन्त में 5000 किलोमीटर का और विद्युतीकरण हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त जहां तक भाप तथा डीजल पटरियों का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मेरे पास इनकी कुल संख्या के बारे में उत्तर तैयार नहीं है

प्रो० एन० जी० रंगा : कोयला समाप्त होने के बारे मे उनका क्या कहना है ? उन्होंने इसके बारे में पूछा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री : पिछले साल रेल बजट पेश करते समय पांडे जी ने बतलाया था कि मेन लाइन जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है, आसनसोल से मुगलसराय तक उसका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी स्थिति अभी क्या है और उसके विद्युतीकरण का कार्यक्रम कब तक पूरा होने की संभावना है।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, हावड़ा से दिल्ली तक का विद्युतीकरण हो चुका है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह ग्रान्ड कोर्ड लाइन का आपने बताया। मेन लाइन जो पटना होते हुए कलकत्ता जाती है, वही मेन लाइन है और उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। यह तो ग्रांड कोर्ड लाइन है गया वाली, जो हो चुकी है।

श्री मल्लिकार्जुन : आसनसोल और मुगलसराय के बीच में जो विद्युतीकरण की आप बात कर रहे हैं, वह इस वक्त इन्क्लूडेड नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : देखिये, ऐसा मत कीजिए। यह आश्वासन है आपका कि वह होगी और अभी आप बोल रहे हैं कि इन्क्यूडेड नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : आश्वासन होगा, कैसे होगा, कब होगा···

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : पिछले साल के कार्यक्रम में यह शामिल है। यूं ही आप नहीं निकल जाएंगे। पिछले साल आपका जो कार्यक्रम है, उसको आप देखिए।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं अपने साथी के उत्तर में यह और जोड़ना चाहूंगा। जहां तक मुख्य ट्रंक मार्गों का सम्बन्ध है, हावड़ा से दिल्ली तक के मार्ग, जो गया होकर आता है, का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जा चुका है। जहां तक सीतारामपुरी-पटना-मुगलसराय का सम्बन्ध है इसको छठी योजना की अवधि में ही बाद में शुरू किया जायेगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : त्रिवेन्द्रम कोयला क्षेत्रों से दूर है। क्या आप मद्रास-कोचीन मार्ग के विद्युतीकरण पर विशेष रूप से विचार करेंगे क्योंकि केरल में विद्युत की अधिकता है? क्या आप 1985 तक इस मार्ग को विद्युतीकरण करने के लिए विचार करेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन : नहीं, महोदय, 1985 तक इस मार्ग—मद्रास-कोचीन मार्ग—के विद्युतीकरण पर विचार करना सम्भव नहीं है।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योगों के लिए विकास विंग

*174. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** :

श्री बापू साहिब परुलेकर :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योगों के लिए अलग से एक विकास विंग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और 1981-82 में अब तक कितने भारतीय ध्वज पोत मरम्मत के लिए विदेश भेजे गए;

(घ) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक पोत की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गयी;

(ङ) क्या सरकार का विचार पोतमरम्मत के लिए कलकत्ता बंदगाह पर दो और घाट बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब और इस बारे में ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। इस प्रस्ताव का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में और 1981-82 में अब तक जितने भारतीय जहाजों को विदेश में ड्राई-डाक में लाकर मरम्मत की गयी उनकी संख्या इस प्रकार है—

	संख्या
1978-79	73
1979-80	102
1980-81	75
अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक	36

(घ) हर एक जहाज के बारे में अलग-अलग सूचना नहीं रखी जाती है। लेकिन, भारतीय जहाजों की मरम्तत पर खर्च का जो भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया उसका ब्योरा इस प्रकार है —

1978-79	19·73 करोड़ रुपए
1979-80	23·55 करोड़ रुपए
1980-81	38·64 करोड़ रुपए
अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक	46·10 करोड़ रुपए

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं होता।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित प्रस्ताव को सरकार द्वारा सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि 284 जहाजों की विदेशों में ड्राई-डाक में ले जाकर मरम्मत की गयी तथा इस पर कुल 128.2 करोड़ रु० खर्च किये गये, क्या सरकार अपने जहाजों की मरम्मत के लिए एक पृथक विंग की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस शीघ्र करती है यदि हां, तो जैसा प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किया गया है इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेने की तथा इसको लागू करने की कब तक सम्भावना है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, हमारे पत्तनों में जहाजों की मरम्मत करने की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए हमारे जहाज मरम्मत के लिए विदेशी शिपयार्ड्स में भेजे जा रहे हैं और हम जहाजों की मरम्मत के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। इसीलिए भारत

सरकार ने वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने का निश्चय किया है। मैसर्स इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड को मैसर्स ब्लोहम् एवं बोस ए० जी० पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से जहाजों की मरम्मत करने की सुविधाओं के लिए 15 वर्षीय संभावी योजना बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। सलाहकारों की टिपोर्ट का मसौदा हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा इस रिपोर्ट पर सलाहकारों के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव है तथा इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद हम अन्तिम निर्णय लेंगे। तब हम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : मेरे प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में आपने कहा "जी नहीं।" मैं जानना चाहूगा कि क्या यह सत्य है कि नौवहन महानिदेशक या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने कलकत्ता पत्तन में इन जहाजों की मरम्मत तथा ड्राई-डाक के लिए दो लंगरशाह स्थापित करके सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया है और क्या सरकार ने इस विशेष प्रस्ताव की सम्भवता पर विचार किया है। क्या यह सत्य नहीं है कि जितना सरकार इन जहाजों की मरम्मत पर खर्च कर चुकी है उसकी 25% राशि से ही ऐसा किया जा सकता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : छठी योजना में कलकत्ता में घाटों को जहाज मरम्मत के लिए रखने का प्रस्ताव था। परन्तु मध्यावधि योजना पुनरीक्षा बैठक में इस पर विचार किया गया तथा इस विचार को छोड़ दिया गया। अतः फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना में जितनी राशि का प्रावधान किया गया है उसको हम यदि सम्भव हो तो कलकत्ता में या किसी दूसरे स्थान पर सुविधाओं के विकास के लिए खर्च करना चाहते हैं।

श्री एन० एम० लारेंस : क्या मन्त्री वृद्धि कार्यक्रम में कोचीन शिपयार्ड को भी सम्मिलित करने के लिए विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कोचीन शिपयार्ड में पर्याप्त सुविधायें हैं। सदस्य उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और उनको ज्ञात है कि कोचीन शिपयार्ड में प्रतिवर्ष 10 लाख टन जहाजों की मरम्मत करने की सुविधायें हैं तथा कोचीन शिपयार्ड की ड्राई डाक में एक ही बार 1 लाख डी० डब्ल्यू० डी० क्षमता तक के जहाजों को लिया जा सकता है। वहां पहले ही पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी हम सुविधाओं में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा जापान से एक सलाहकार की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं सलाहकार का नाम नहीं जानता। परन्तु यदि वर्तमान सुविधाओं को सुधारना सम्भव होगा तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकार की 2000 ई० तक सबके लिये स्वास्थ्य योजना

*169. **श्री मिच महाटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य" (हैल्थ फार आल बाई 2000 ए० डी०) योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) लक्ष्य है सन 2000 ईस्वी तक स्वास्थ्य सबके लिये की स्थिति तक पहुंचना । जनसंख्या को स्थिर रखने के उद्देश्य के साथ साथ देश में स्वास्थ्य परिचर्या को तंत्र का पुनर्निर्माण किया जायेगा और उसे इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि वह इन नीति उद्देश्यों के अनुकूल बन जाये । सन 2000 ईस्वी तक के इन 20 वर्षों में कार्यनीति इस प्रकार अपनाई जानी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अन्तर्गत लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने, उन्हें निवार्य रोगों के खतरे से बचाया जा सके और इस काम में लोगों को पूरी तरह शरीक करके और उनके संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग करके उपचारी सेवायें दूर दूर तक पहुँचाई जा सकें । इसके कुछ पहलू इस प्रकार हैं :

(i) अस्पतालों पर आधारित उपचारी और सुपर-स्पेशलिटीस की सेवाओं को अपेक्षा लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया जायेगा । निवारक, स्वास्थ्य सम्वर्धक तथा उपचारी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर आधारित ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति तैयार की जायेगी जिसका आधार गांव होंगे ।

(ii) ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या का बुनियादी ढांचा जिसमें 30,000 आबादी के लिये एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,000 आबादी के लिये एक-एक उपकेन्द्र होंगे । इन मान-दण्डों को पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में छूट दी जायेगी । गांव अथवा एक हजार आबादी के बुनियादी यूनिट के लिए एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइड की व्यवस्था होगी जिसका चयन लोगों द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई होगी ।

(iii) एक लाख आबादी के लिये 30 पलंगों वाला एक अस्पताल खोलकर ब्लाक स्तर के जन स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी स्पेशलिटीस में इलाज करने को सुविधायें प्रदान की जाएंगी । जन स्वास्थ्य केन्द्र से जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल को रोगी भेजने की एक पद्धति शुरू की जायेगी ।

(iv) विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा, जलपूर्ति और स्वच्छता, संचारी रोग नियंत्रण, परिवार नियोजन जच्चा बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या, पोषण और स्कूल स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित तालमेल बिठाया जायगा ।

(v) इस कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी चिकित्सा तथा पूरा चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के अनुकूल बनाया जायेगा ।

हुई प्रगति

1-4-80 की स्थिति के अनुसार कार्यरत (अनुमानित)	1980-85 के लक्ष्य (अतिरिक्त)	1980-81 में बढ़ाए गये	1981-82 में जो बढ़ाए जाने की आशा
1. उपकेन्द्र	50,000	40,000	2162 8513
2. सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (पुराने औषधालय जिनका दर्जा बढ़ाया गया।)	1,000	1,000	329 306
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5,400	600	61 142
4. दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जिन्हें अब जन स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाना है)	340	174	61 36

इसके अलावा 1-4-1980 तक 1.4 लाख स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके बाद, 45,533 अतिरिक्त स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रस्ताव है कि उन राज्यों में, जिन्होंने इस योजना को अपनाया है, 1-4-1984 तक लगभग 1000 ग्रामीण आबादी के लिये एक एक स्वास्थ्य गाइड की व्यवस्था की जाए।

3.64 लाख से अधिक दाइयें पहले ही प्रशिक्षित की जा चुकी हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हर गांव से कम से कम एक दाई को प्रशिक्षण देने का विचार है।

प्रथम डिग्री स्तर पर संगणक विज्ञान

*171. **श्री तारिक अनवर :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोग्राम स्तर पर जन शक्ति का विकास करने हेतु प्रथम डिग्री स्तर पर सम्बन्धित विज्ञान और सामाजिक विषयों के साथ संगणक विज्ञान को एक विषय के रूप में लागू करने की योजना बनाई है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : इलैक्ट्रानिक आयोग द्वारा नियुक्त संगणक जन-शक्ति विकास पैनल की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि छठी योजना के दौरान, विभिन्न स्तरों पर संगणक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम, चरणों में आरम्भ किए जाएं। कार्यक्रम-कर्त्ताओं के

प्रशिक्षण के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि संगणक विज्ञान को सम्बन्धित विषयों के साथ, बी० एस० सी० स्तर पर पुनर्गठित पाठ्यक्रमों में आरम्भ किया जाए।

रेल विस्तार योजनायें रद्द करना

*175. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है, कार्यभार ग्रहण करने के बाद रेल विस्तार की सभी योजनाओं को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रद्द की गई विस्तार योजनाओं में वे सभी परियोजनाएं भी शामिल हैं जो उनसे पहले मन्त्री द्वारा बनाई तथा स्वीकृत की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या रद्द की जा रही रेल विस्तार योजनाओं की एक विस्तृत सूची सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) इस विस्तार कार्य पर प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) नयी लाइनों के निर्माण, वर्तमान मीटर लाइनों/छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तन या मार्गों पर दोहरी लाइन बिछाने की कोई योजना रद्द नहीं की गयी है।

संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, 1982-83 के लिए रेलों का वार्षिक योजना परिव्यय अपर्याप्त स्तर पर निर्धारित किया गया है। इससे निर्माण कार्यों के लिए धन के आवंटन मे भारी कटौतियां करना आवश्यक हो गया है, जिससे सभी निर्माण कार्यों को एक साथ चालू रखना सम्भव नहीं है। अत: निर्माण कार्यों के लिए आपसी अग्रता बनायी गयी है और कम से कम कुछ उच्च प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों जिनमें पर्याप्त मात्रा में निवेश पहले ही किया जा चुका है या जो रेल यातायात अवसंरचना की परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, को निर्धारित समय के दौरान पूरा करने के लिए धन आवंटित किया गया है। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि राष्ट्र के हित में कम से कम समय में अधिक परिसम्पत्तियों और नयी लाइनों का उपयोग किया जाये।

विशेष श्रेणी के प्रशिक्षु (अप्रेन्टिस)

*176. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विशेष श्रेणी के शिक्षु (अप्रेन्टिस)" प्रणाली चालू रखने के क्या कारण हैं;

(ख) रेलवे में कितने 'विशेष श्रेणी के प्रशिक्षु (अप्रेन्टिस)" हैं;

(ग) क्या वे बहुत सी ऐसी विशेष सुविधाओं के अधिकारी हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए इंजीनियरों को भी प्राप्त नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को चालू रखने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) स्पेशल क्लास अप्रैंट्रिसशिप योजना 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। उस समय, रेल उद्योग के लिए देश में अर्हता प्राप्त यांत्रिक इंजीनियर उपलब्ध नहीं थे। देश की स्वतन्त्रता के बाद, जब बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालिजों तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना हो गयी और कर्षण का आधुनिकीकरण तथा तकनालोजी का परिष्कृतीकरण हो गया, तो स्थिति की समीक्षा की गयी थी। तदर्थ उपाय के रूप में, 1948 में, अर्हता प्राप्त यांत्रिक इंजीनियरों की सीधी भर्ती की गयी : 1951 से, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस योजना के माध्यम से भर्ती के साथ-साथ अर्हताप्राप्त यांत्रिक इंजीनियरों की सीधी भर्ती भी की जा रही है।

(ख) 31.3.1981 को कुल 428 यांत्रिक इंजीनियर थे, जिनकी प्रारम्भिक भर्ती स्पेशल क्लास अप्रेंटिसशिप योजना के माध्यम से की गयी थी।

(ग) जी नहीं। लेकिन, वरिष्ठता के बारे में कुछ विवाद है जो न्यायाधीन है।

(घ) अब देश में पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त यांत्रिक इंजीनियर उपलब्ध हैं और स्वतन्त्रता के बाद बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी संस्थान तथा आई० आई० टी० केन्द्र स्थापित हुए हैं जो रेलवे के लिए यांत्रिक इंजीनियरों तथा इसके अन्य विभागों के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता को पूरी तरह पूर्ति कर सकते हैं। इन कारणों से तथा रेलों के आधुनिकीकरण और तकनीकी परिष्कृतीकरण के संदर्भ में भी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप योजना को समाप्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

रेल-फाटकों के निर्माण में राज्य सरकारों का योगदान

*177. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, रेल-फाटकों के निर्माण की मांग किए जाने पर राज्य सरकारों को उक्त निर्माण पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए कहता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने रेल-फाटकों का निर्माण किया जाएगा जिनका खर्च राज्य सरकार को वहन करने के लिए कहा गया है और उक्त कार्य को आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) लोक हित में इन रेल-फाटकों का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 21 अदद 1 विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार ने सम्बन्धित रेलवे प्रशासन के पास अपेक्षित रकम जमा नहीं करायी है।

(ग) जिन समपारों की पूरी लागत राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा जमा करा दी जाएगी, उनके निर्माण के काम में तेजी लाने के लिए रेलों से कह दिया जाएगा।

इस्राइल द्वारा गोलान हाईट्स को अपने क्षेत्र में मिलाया जाना

*178. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सीरिया की इस मांग का समर्थन किया था कि इस्राइल द्वारा गोलान हाईट्स को अपने क्षेत्र में मिलाये जाने की कार्यवाही को रद्द कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ इस्राइल पर पाबन्दियां लगाए; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार किस हद तक अपने प्रयास में सफल हो सकी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत ने सीरिया की इस मांग का समर्थन किया था कि इस्राइल गोलान हाईट्स को अपने राज्य में मिला लेने के निर्णय को वापस ले और साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से सीरिया के इस अनुरोध का भी समर्थन किया था कि वे इस्राइल के विरुद्ध कार्रवाई करें जिसमें इस्राइल को आर्थिक, वित्तीय और प्रौद्योगिक सहायता स्थगित करना और उससे राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध तोड़ना शामिल है।

(ख) भारत द्वारा सह-प्रायोजित संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 फरवरी, 1982 के अपने 9वें आपातकालीन विशेष अधिवेशन में 21 के विरुद्ध 86 मतों से स्वीकार किया था जबकि 34 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

अस्पतालों में इलाज

*179. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन राशि नयी पुस्तकों, शल्य चिकित्सा परिचर्या की कमी और बड़ी संख्या में नर्सों के योरोपीय और खाड़ी के देशों में चले जाने के कारण अस्पतालों में इलाज का स्तर गिर गया है; और

(ख) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णा में डिवीजन का खोला जाना

*180. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पूर्णा स्थान पर एक डिवीजन खोलने की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) डिवीजन खोलने का मानदण्ड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माननीय सदस्य से यह मांग कई बार प्राप्त हुई है । एक बार एक अन्य माननीय सदस्य से भी इसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई थी ।

(ख) रेल मन्त्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार, पूर्णा में मंडल मुख्यालय के सृजन के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं पाया गया ।

(ग) इस समय नये मंडलों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्ड हैं : प्रशासनिक और परिचालनिक आवश्यकताएं तथा कार्य-भार । रेल सुधार समिति से कहा गया है कि वह क्षेत्रीय रेलों में अतिरिक्त मंडलों की स्थापना करने के लिए मानदंड और मार्ग-दर्शक सिद्धांतों की जांच करके इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करे ।

जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य बढ़ाने हेतु राज्यों को केन्द्र सरकार के निर्देश

*181. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य बढ़ाने हेतु सभी राज्यों को निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये अनुदेशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह बताया है कि केन्द्र द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन होगी क्योंकि अस्पतालों अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हैं और सुझाव दिया है कि आवश्यक उपकरण और सुविधाओं की व्यवस्था करने की लागत केन्द्र सरकार को वहन करनी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं । राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को सूचित 1981-82 के परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां

*182. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री रेणुपद :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1982 के पैट्रियेट में "खालिस्तान इज इन कैनेडा" (कनाडा में खालिस्तान है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन तथा विदेश में उसकी गतिविधियों के बारे में भारत सरकार के विचार सुविदित हैं।

(ग) भारत सरकार ने कनाडा में इस तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन के समर्थकों की गतिविधियों के बारे में कनाडा के प्राधिकारियों को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। कनाडा के प्राधिकारियों ने हमारी चिन्ता पर ध्यान दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि वे इस आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं देंगे।

वेंद्यलिंगम आयोग पर व्यय

*183. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेंद्यलिंगम आयोग, जिसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल आफ साइंसिज के एसोसियेट प्रोफेसर के विरुद्ध आरोपों की जांच की थी, पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ख) वेंद्यलिंगम आयोग द्वारा जांच पूरी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वेंद्यलिंगम समिति पर 15,590 रुपये की राशि खर्च हुई थी।

(ख) न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वेंद्यलिंगम ने जांच से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा जांच की वास्तविकता पर किए गए अविश्वास को आपत्तिजनक रूप में लिया।

आयुर्वेद कालेज

184. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 दिसम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए बिग जोक काल्ड आयुर्वेदिक कालेज" (आयुर्वेदिक कालेज—एक तीखा मजाक) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निर्दोष छात्रों के शैक्षिक भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे भ्रामक कालेजों को बन्द करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) समाचार-पत्रों को यह खबर धन्वन्तरि आयुर्वेदिक कालेज, मुंडका, दिल्ली के बारे में है। दिल्ली के आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षा निकाय द्वारा इस संस्था को दी गई सम्बद्धता 11 फरवरी, 1982 को सक्षम अथारिटी द्वारा वापिस ले ली गई है।

(ग) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद ने 1980 में प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों को सचेत कर दिया था कि वे ऐसी नकली संस्थाओं से गुमराह न हों जो न किसी विश्वविद्यालय से और न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सांविधिक बोर्डों से सम्बद्ध हैं किन्तु भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षण देने का दावा करती हैं। वैसे ऐसे मामलों में समुचित कार्यवाही करना उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों का काम है।

रेलवे वैगन से चुराये गये कारतूस

*185. **श्री रामनाथ दुबे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1982 में मध्य रेलवे के मानिकपुर रेलवे स्टेशन अथवा इसके आस-पास के किसी स्थान पर रेलवे वैगन से सात लाख रुपये मूल्य के सेना के कारतूसों की बारह पेटियां चुराई गई थीं;

(ख) क्या उपरोक्त मामले में अब तक मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चुराया गया माल बरामद कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे सामान को चुराने वाला गिरोह इस क्षेत्र में लम्बे अर्से से सक्रिय है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30-1-82 को मध्य रेलवे के सतना-मानिकपुर खंड के इटवाडण्डेला स्टेशन के निकट एक माल

डिब्बे से लगभग 13,000 रुपये मूल्य की 11 पेटियां, जिनमें 12,760 कारतूस थे, चोरी हो गयी थीं।

(ख) जी नहीं। बहरहाल, 10 सुरक्षित कंटेनर, जिनमें से प्रत्येक में 580 कारतूस थे, और 3,145 कारतूस खुली हालत में बरामद हुए।

(ग) जी नहीं।

(घ) राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, मानिकपुर (उत्तर प्रदेश) में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला संख्या 7 दर्ज किया गया है और उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग द्वारा इसकी तफतीश का काम शुरू कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए राजकीय रेलवे पुलिस तथा जिला पुलिस की सहायता के लिए पी० ए० सी० के जवानों को भी तैनात कर दिया है।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*186. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन के उद्घाटन के बाद उसे बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समस्तीपुर में अस्थाई कार्यालय तथा कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण और लहाया सराय में विविध कार्यों के लिए टेंडर खोले गये थे और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी नहीं। धनराशि की कमी के कारण क्षेत्र में नयी लाइन का निर्माण शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, संरेक्षण के अन्तिम मार्ग-निर्धारण तथा भूमि के नक्शे तैयार करने के लिए क्षेत्र-कार्य पूरा कर लिया गया है। इस काम के पिछले अनुमानों को पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अद्यतन किया जा रहा है। 'नयी लाइनों' के निर्माण के लिए धन-राशि की स्थिति में सुधार होने के बाद क्षेत्र में काम शुरू किया जायेगा।

रेलवे स्टाफ कालेज

1851. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने रेलवे स्टाफ कालेज कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास रेलवे कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए कुछ नये स्टाफ कालेज खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कालेज कब तक खोले जायेंगे;

(घ) ऐसे कालेज किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(ङ) क्या ऐसा कोई कालेज उड़ीसा में खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बड़ोदरा में ही केवल एक रेलवे स्टाफ कालेज है जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य स्टाफ कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, क्रमशः सिविल इंजीनियरी, सिगनल एवं दूर-संचार तथा यांत्रिक विभागों के अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए तीन और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् भारतीय रेल उच्च रेलपथ प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, भारतीय रेल सिगनल इन्जीनियरी तथा दूर-संचार संस्थान, सिकन्दराबाद, भारतीय रेल यांत्रिक और बिजली इन्जीनियरी संस्थान, जमालपुर, हैं।

अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 160 प्रशिक्षण स्कूल/केन्द्र हैं।

(ख) से (च) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय बड़ोदरा स्थित स्टाफ कालेज, जहां अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, से भिन्न अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों से है। इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्तियां

1852. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की वीटो शक्तियों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव रखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 82-ए के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान

1853. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन के पिछले दो सालों के दौरान भारतीय रेल अधिनियम की धारा 82-ए के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि के मुआवजे का भुगतान किया; और

(ख) उपर्युक्त धारा में उल्लिखित मृत्यु, चोट इत्यादि जैसी विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिये गये मुआवजे की धनराशि का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालत तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले दो वित्त वर्षों (1979-80 और 1980-81) के दौरान मुआवजे के रूप में 63.26 लाख रुपये की राशि अदा की गयी थी। मृत्यु हो जाने या पूर्ण रूप से अशक्त हो जाने की हालत में देय मुआवजे की राशि 50,000 रुपये और अन्य चोटों के लिए यह राशि 10,000 रुपये से 45,000 रुपये तक के बीच होती है, जो चोट की किस्म पर निर्भर करती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पद्धति पर पटना में एक आयुर्विज्ञान संस्थान खोलना

1854. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पद्धति पर पटना में एक आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा यथास्वीकृत राज्य सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पटना में एक क्षेत्रीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए धन का प्रावधान है।

कलिंग एक्सप्रेस के लिए आरक्षण कोटा

1855. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलिंग एक्सप्रेस में उड़ीसा के पुरी, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, क्योंझरी रोड, भद्रक और बालासोर के लिए द्वितीय श्रेणी, तीन टायर शायिकाएं और प्रथम श्रेणी में कुल आरक्षित सीटों का कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार के पास कलिंग एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी और तीन टायर शायिकाओं में उड़ीसा के जाजपुर-क्योंझरी रोड के लिए आरक्षण कोटा की सीटों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सप्ताह में एक बार चलने वाली 143 अप पुरी-निजामुद्दीन कलिंग एक्सप्रेस गाड़ी में पुरी, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर-क्योंझर रोड, भद्रक और बालासोर स्टेशनों के लिए दूसरे दर्जे में 159 शायिकाओं और पहले दर्जे में 20 शायिकाओं का कोटा आवंटित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से विमान अपहरणकर्ताओं की वापसी

1856. **श्री निहाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री विमान अपहरणकर्ताओं की वापसी के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 5601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इण्डियन एयर लाइन्स के हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं को लौटा दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि विमान अपहरणकर्ताओं को यथाशीघ्र भारतीय प्राधिकारियों को लौटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपहरणकर्ताओं को लौटाने के हमारे अनुरोध का कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया है। सरकार को पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

177 डाउन 178 अप झेलम एक्सप्रेस के पुराने यात्री डिब्बों को बदलना

1857. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 177 डाउन और 178 अप झेलम एक्सप्रेस में जुड़े अधिकांश यात्री डिब्बे बहुत पुराने पड़ गए हैं और उनकी सीमा अवधि से ज्यादा समय हो गया है जिससे यात्रियों को बहुत अधिक दिक्कतें होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इन यात्री डिब्बों को बदलने और आवश्यक सुविधाएं देने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। 177/178 झेलम एक्सप्रेस के रेक पर नवीनतम निर्मित स० डि० का० डिब्बे और उत्तर रेलवे कारखाने में हाल ही में ओवरहाल किये डिब्बे बदल दिये गये हैं। इस रेक का अनुरक्षण जम्मू तवी और पुणे दोनों स्थानों पर किया जाता है, जहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है।

विद्यालयों में योग

1858. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री नवीन रवाणी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में योग चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्कूलों में योग चालू कर दिया है;

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) सरकार देश में योग प्रचार के लिए क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि कुछ बीमारियां दवाओं के बजाय आसनों से ठीक होती हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूलों) में प्रयोगात्मक आधार पर योग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में आरम्भ किया गया है । दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में योग को शुरू करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया है ।

(घ) (1) शिक्षा मंत्रालय, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और/अथवा चिकित्सीय पहलुओं को छोड़कर योग के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है ।

(2) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने योग और/अथवा योग के चिकित्स्यीय पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) नई दिल्ली में केन्द्रीय योग अनुसंधान की स्थापना ।

(ii) योग में अनुसंधान आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं को केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना, और

(iii) योग अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वायतन योग आश्रम अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, कटरा वैष्णवदेवी (जम्मू और कश्मीर राज्य) को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

प्रतिभा पलायन को बन्द करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए गए अंश को वसूल करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया

1859. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छठी योजना अवधि के दौरान डाक्टरों की कुल आवश्यक संख्या और उपर्युक्त अवधि में उनकी उपलब्धता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को चिकित्सा शिक्षा के लिए सहायता देनी पड़ती है और जब डाक्टर विदेशों में जाते हैं और वहां बस जाते हैं तो इसका अधिकांश भाग बेकार हो जाता है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य द्वारा डाक्टर को तैयार करने में किये गये खर्च के हिस्से को वसूल करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता पर विचार किया है ताकि प्रतिभा पलायन रुक सके और ऐसे डाक्टरों की सेवाएं हमारे देशवासियों को उपलब्ध हो सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) कोई विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया गया है । वैसे सरकार द्वारा सितम्बर, 1981 में गठित की गई चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छठी योजना अवधि और उसके बाद की एम० बी० बी० एस० सामान्य विशेषज्ञों और अति-विशेषज्ञों सम्बन्धी चिकित्सीय जनशक्ति के तथ्यपूरक पूर्वानुमान लगायेगी ।

(ख) हां । विदेशों को चले जाने वाले डाक्टरों की सेवायें देश को उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । वैसे, प्रतिभा-पलायन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ताकि चिकित्सा व्यवसाय के लोग विदेशों को न जायें :

(1) उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विदेशों को जाने वाले चिकित्सा स्नातकों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(2) विशेष अर्हता वाले उम्मीदवारों को राज्य और केन्द्रीय लोक सेवा आयोगों की सिफारिशों पर अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं ।

(3) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने डाक्टरों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कार्यरत डाक्टरों की सेवा शर्तों को बेहतर बना दिया है ।

(4) ग्रामीण इलाकों में सेवा के लिये अधिक डाक्टरों को आकर्षित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा को समुदाय-प्रधान बनाने हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसमें निवारक, स्वास्थ्य वर्धक, और पुनर्वासात्मक पहलुओं पर बल दिया गया है ।

(5) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी गौरवपूर्ण सदस्यता परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था की गई है जो विदेशी अर्हताओं के समकक्ष हैं ।

दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों और अशोक बिहार की डिस्पेंसरी का निरीक्षण

1860. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रही विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों का सामयिक निरीक्षण किया गया है यदि हां, तो कब;

(ख) अशोक बिहार की डिस्पेंसरी का निरीक्षण कब हुआ;

(ग) क्या निरीक्षण अधिकारी ने पाया कि डिस्पेंसरी का रख-रखाव अच्छा नहीं है फर्श गन्दे पड़े हैं और बेंचें और दीवालें गन्दी हुई हैं;

(घ) क्या इस डिस्पेंसरी के कर्मचारियों का व्यवहार अत्यधिक असंतोषजनक है और यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या यह भी सच है कि यह डिस्पेंसरी ऐसे स्थान पर है जहां फेज II और III में रहने वाले III लोगों को जाने में बहुत असुविधा होती है; और

(च) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को हल करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी हां। नियमित अन्तराल पर वर्ष में दो बार विभिन्न सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों के निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

(ख) 15 जनवरी, 1982 को।

(ग) से (ङ) जी नहीं। इस बारे में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए मंजूर की गयी और वास्तव में दी गयी धनराशि

1861. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए मंजूर की गयी और वास्तव में दी गयी धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 1981-82 के बजट में क्रमशः 100·5 करोड और 40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन धनराशि के राज्यवार आवंटन के बारे में एक विवरण संलग्न है :

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए वर्ष 1981-82 में धनराशि के राज्यवार आवंटन का ब्योरा

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	विकास	अनुरक्षण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	650·00	309·25
2.	असम	465·00	324·83
3.	अरुणाचल प्रदेश	10·00	1·22
4.	बिहार	620·00	325·01

1 2	3	4
5. चण्डीगढ़	—	3·20
6. दिल्ली	580·00	29·30
7. गोआ	90·00	26·38
8. गुजरात	450·00	192·40
9. हरियाणा	400·00	105·04
10. हिमाचल प्रदेश	240·00	80·50
11. जम्मू व कश्मीर	260·00	44·46
12. कर्नाटक	650·00	235·00
13. केरल	350·00	137·27
14. मध्य प्रदेश	600·00	243·16
15. महाराष्ट्र	750·00	325·36
16. मणिपुर	70·00	28·71
17. मेघालय	95·00	39·60
18. नागालैंड	5·00	1·09
19. उड़ीसा	380·00	177·21
20. पंजाब	425·00	121·69
21. राजस्थान	515·40	271·73
22. तमिलनाडु	500·00	184·00
23. उत्तर प्रदेश	970·00	476·06
24. पश्चिम बंगाल	450·00	291·30
25. सीमा सड़क संगठन	525·00	27·23
कुल :	100,50·00	40,00·00

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कालेज

1862. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ कालेज खोलने के लिए किया गया प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उडीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितने कालेज खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) उन उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों/जिलों के नाम क्या हैं जहां ऐसे कालेज खोले जाने हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

शाहदरा और हरिनगर के निर्माणाधीन अस्पतालों की अनुमानित लागत

1863. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिनगर और शाहदरा के 500 शय्याओं वाले अस्पतालों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इनका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इन दो अस्पतालों के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हरिनगर और शाहदरा के 500 पलंगों वाले अस्पतालों की अनुमानित मूल लागत क्रमशः 5·47 करोड तथा 11·82 करोड़ रुपये है । दोनों अस्पतालों की लागत में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ख) छठी योजनावधि में इन अस्पतालों के पूरे हो जाने की संभावना है ।

(ग) हरिनगर अस्पताल के 200 पलंगों वाले विंग का निर्माण कार्य चल रहा है । नर्सों के होस्टल का 83.5 प्रतिशत सर्जन होस्टल का 75 प्रतिशत, ओ० पी० डी० कैज्युल्टी और शव गृह ब्लाक का 66 प्रतिशत, आपरेशन थियेटर, सी० एस० एस० यू० लौण्ड्री और रसोईघर का 21 प्रतिशत, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । शाहदरा के 500 पलंगों वाले अस्पताल में स्टाफ क्वाटरों का 91 प्रतिशत रोड-स्टेट-1 का 50 प्रतिशत, कैज्युल्टी और ओ० पी० डी० ब्लाक का 42 81 प्रतिशत, वार्ड ब्लाक का 11.23 प्रतिशत और जलपूर्ति का 51.68 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है ।

उड़ीसा में छठी योजना अवधि में प्रौढ शिक्षा का विस्तार

1864. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना अवधि में प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया है;

(ख) क्या उड़ीसा के आदिवासी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम को प्राथमिकता के स्तर पर कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के उन आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान छठी योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम लागू किया जाएगा; और

(घ) अब तक ऐसे कार्यक्रम से कुल लाभान्वित आदिवासियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1982-83 के अन्त तक उड़ीसा के सभी जनजातीय जिलों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

(घ) उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अनुसूचित जनजातियों का नामांकन इस प्रकार है :

वर्ष	अनुसूचित जनजातियों का नामांकन
1979-80	69,353
1980-81	28,299
1981-82 (जून, 1981 तक)	40,241

जरूरतमन्द लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने में राज्यों की असमर्थता

1865. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जरूरतमन्द लोगों को पूरी मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने में राज्य आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सभी जरूरतमन्द लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने में राज्यों को सहायता देने के लिए क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जरूरतमन्द लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है तथा सरकारी अस्पतालों/ औषधालयों में आमतौर पर इलाज मुफ्त किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों के अन्दर-अन्दर इन सेवाओं का निरन्तर सुधार और विस्तार किया जा रहा है।

वे नियम और विनियम जिनके अन्तर्गत होमियोपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव होगा

1866. श्री आर० के० महालगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होमियोपैथी की केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली ने जिन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत होमियोपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का रख रखाव किया जायेगा, उनको तैयार करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया और और कब लिया; और

(घ) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो निर्णय लेने में अनावश्यक विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) जी हां।

(ख) 27 जनवरी, 1982।

(ग) और (घ) इन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और कोई देरी नहीं हो रही है।

ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन के लिए पेय जल सप्लाई योजना

1867. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे प्रशासन ने कांगड़ा घाटी रेलने के ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन की पेय जल सप्लाई योजना के लिए अपने हिस्से का अंशदान जमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए राज्य सरकार के पास कितनी धनराशि किस तारीख को जमा की;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस धनराशि के किस तारीख तक जमा किए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ इस धनराशि को जमा करने का समझौता कब हुआ था।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य लोक निर्माण विभाग से मांग सूचना मिलते ही 1·24 लाख रुपये का रेलवे का हिस्सा जमा कर दिया जायेगा।

(घ) अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

गुजरात में शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव

1868. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में एक आधुनिक शिपयार्ड बनाने के एक प्रस्ताव का अनुरोध कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। साधनों के उपलब्ध होने और अल्प अवधि में थोड़ी सी पूंजी लगाकर ही अधिक उत्पादन के लिए मौजूदा शिपयार्डों में विस्तार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि देश में अतिरिक्त शिपयार्ड बनाने के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।

मद्रास पत्तन न्यास में स्प्रिंकलर प्रणाली

1869. **डा० ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क कन्वेयर बैल्ट प्रणाली के प्रदूषण को दूर करने के लिए मद्रास पत्तन न्यास में स्थापित स्प्रिंकलर प्रणाली विफल हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस विफलता के लिए कौन उत्तरदायी है और उन उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं। मद्रास पत्तन में अक्टूबर, 1979 में स्थापित स्प्रिंकलर मशीनें सन्तोषजनक रीति से कार्य कर रही हैं। रिहायशी क्षेत्र में धूल के कारण प्रदूषण उत्पन्न होने वाली समस्या को दूर किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

बसों के अखिल भारतीय परमिटों के लिए आवेदन-पत्र

1870. **श्री मन्नी लाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने बसों के लिए अखिल भारतीय परमिट देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और सरकार ने कितने परमिट देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का उपबन्ध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके लिए आरक्षित परमिटों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ये परमिट कब तक जारी किए जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सीटों का आवंटन

1872. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में चिकित्सा विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इन राज्यों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिये सीटें आरक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम, जोशी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने, जो एक स्वशासी, सांविधिक निकाय है, सूचित किया है कि उनके संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये किसी भी राज्य सरकार के लिये सीटों का आरक्षण नहीं है । वैसे, उन उम्मीदवारों के लिये जो विभिन्न राज्यों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और जो दाखले के मानदण्ड को पूरा करते हैं, अतिरिक्त सीटें सृजित की जाती हैं । इन सीटों पर उन राज्यों के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है जिन राज्यों में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधायें नहीं हैं ।

बान्दरा अन्धेरी लाइन

1873. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि बम्बई में बान्दरा तथा अन्धेरी के बीच एक अतिरिक्त दोहरी लाइन पेयर आफ लाइन्स बनाई जाये; और

(ख) क्या छटी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये आवश्यक श्रम राशियां आवंटित की गई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल मंत्रालय ने 47 करोड़ रुपये की लागत के बांद्रा-अन्धेरी रेल सम्पर्क की सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए सिफारिश की है और योजना आयोग द्वारा इस पर अभी विचार किया जा रहा है । अतः फिलहाल इसके लिए धन की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना

1874. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा देने के लिये कोई नई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इस योजना के लिए अलग-अलग कितने अनुमान दिये हैं और यह कार्य करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं और क्या यह कार्य राज्य सरकारों अथवा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किया जा सकता है और इस बारे में पूरे ब्यौरे क्या हैं;

(ख) यह कार्य करने वाली एजेन्सियों की राज्य वार संख्या कितनी है और उसमें राज्य सरकारों की भूमिका क्या है; और

(ग) यह योजना कब से प्रवृत्त हुई और गुजरात सरकार की इस योजना पर क्या प्रतिक्रिया है और वहां पर इस योजना के अधीन कितना काम किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की एक नई योजना *1 अप्रैल, 1981 से शुरू की गई है । इस योजना का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । इस योजना का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है । इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के बजट में 65 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

*** [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3479/82]**

निम्नलिखित 14 राज्य सरकारें, एक केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा एक स्वायत्त निकाय इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. कर्नाटक

6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. मध्य प्रदेश
9. मणिपुर
10. उड़ीसा
11. राजस्थान
12. तमिलनाडु
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल
15. दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश
16. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सीजन टिकट धारियों को पश्चिम डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा की अनुमति देना

1875. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा और नई दिल्ली के बीच चलने वाले सीजन टिकट धारियों को केवल कुतुब एक्सप्रेस में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि 7 से 8 बजे सुबह के बीच मथुरा से दो उपयुक्त गाड़ियों में से एक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुतुब एक्सप्रेस गाड़ी प्रायः देरी से चलती है और दैनिक यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वे दूसरी गाड़ी अर्थात् पश्चिम अथवा डीलक्स एक्सप्रेस नहीं पकड़ सकते; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि दैनिक यात्रियों द्वारा अनेक अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद उनको न तो 7.44 म० पू० की पश्चिम/डीलक्स गाड़ी के आम डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है और न उसके लिये सुबह कोई गाड़ी चलाई गई है ताकि शाम को वापस आने से पूर्व वे दिल्ली में अधिक समय का प्रयोग कर सकें ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीजन टिकटधारियों को 149 डाउन कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस द्वारा मथुरा से निजामुद्दीन तक यात्रा करने की अनुमति है ।

(ख) 149 डाउन कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस की समय पाबन्दी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है । इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) डीलक्स/पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी मुख्यत: लम्बी दूरी के यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और इस इस गाड़ी का पूरा उपयोग हो रहा है। इसलिए सीजन टिकटधारियों को इन गाड़ियों द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं है ताकि लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा न हो। समय, क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं के अभाव तथा कोचिंग स्टाक की तंगी के कारण इन दो स्टेशनों के बीच शटल गाड़ियों का चलाया जाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

गुजरात में लोथल संग्रहालय

1876. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्वीय विभाग ने गुजरात में लोथल संग्रहालय का निर्माण कब किया था; और

(ख) इस परियोजना के लिये बजट में क्या उपबन्ध किया गया है और संग्रहालय में कलात्मक वस्तुएं कब रखी जायेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अगस्त, 1971 में सर्वेक्षण को जो संग्रहालय भवन सौंपा था, वह लगातार मौसमों की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त था। बाढ़ के कारण दुबारा होने वाली क्षति से बचाने के लिए विभागीय तौर पर फर्श की सतह को ऊंचा उठाया गया और अन्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक मरम्मत कार्य सम्पन्न किये गये। इस प्रकार 1976-77 में संग्रहालय हेतु भवन को तैयार किया गया। संग्रहालय के कार्मिकों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

(ख) दीर्घाओं के गठन हेतु 1981-82 वर्ष के लिए 50,000 रुपये की राशि का नियतन किया गया है, यह कार्य प्रगति पर हैं। संग्रहालय की दीर्घाओं में कलात्मक वस्तुओं के प्रदर्शन का कार्य 1982 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

रिवाड़ी रोड़ के निर्माण के लिए सागरपुर कालोनी, दिल्ली के मकानों का गिराया जाना

1877. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरपुर वेस्ट कालोनी, नयी दिल्ली के बीच से बनाई जाने वाली रिवाड़ी रोड नामक सड़क का निर्माण किए जाने के कारण सागरपुर वेस्ट के लोगों में आतंक छाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी की जायेगी और इस सड़क के बीच वाले आने कितने मकानों के गिराये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कालोनी के उन निर्धन निवासियों को, जिन पर इस सड़क के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव होगा, मुआवजा अथवा वैकल्पिक स्थान देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सड़क को किसी दूसरी तरफ मोड़कर निर्धन निवासियों के मकानों को बड़े पैमाने पर गिराये जाने को रोकने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली नगर निगम के अनुसार इस समय रिवाड़ी रोड को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

पूर्व रेलवे को कच्चे सूत की सप्लाई

1878. **श्री रशीद मसूद :**

श्री त्रिलोक चन्द :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की एक फर्म ने 1976 में पूर्व रेलवे को लिलुआ में कच्चे सूत की सप्लाई की थी और उक्त फर्म को 1981 में यह कहा गया कि माल में 20,000 किलोग्राम की कमी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्यस्थ ने फर्म के विचार को मान लिया था और रेलवे विभाग को 80,000 रु० की अदायदी करनी पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्चे सूत के भंडार के गायब हो जाने के बारे में कोई विभागीय जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कानपुर की फर्म द्वारा 1976 में लिलुआ को कोई सप्लाई नहीं की थी, इस प्रकार उसे 1981 में सूचित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा रेल गाड़ी दुर्घटना में अनारक्षित डिब्बे में मारे गये व्यक्ति

1879. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री भोखा भाई :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1981 को आगरा के निकट दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना में मरने वालों की पहचान कर ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश मरने वाले निर्धन व्यक्ति थे जो आर० एम० एस० डिब्बे में यात्रा कर रहे थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतकाल में मुआवजा केवल आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वालों को दिया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को वह लाभ देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दुर्घटना में मृत 64 व्यक्तियों में से अब तक 53 व्यक्तियों की शिनाखत हो चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सभी सदाशयी यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है।

रेल समितियों का पुनर्गठन

1880. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने पिछले सत्र के दौरान यह आश्वासन दिया था कि सभी रेल समितियों को विघटित किया जायेगा और फिर से उनका पुनर्गठन किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों को विघटित और पुनर्गठित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलों पर रेलवे सुधार समिति को छोड़कर गैर-सरकारी सदस्यों वाली सभी समितियां भंग की जा चुकी हैं और उनका पुनर्गठन करने की कार्रवाई की जा रही है।

छपरा-रक्सौल लाइन

1881. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री छपरा-रक्सौल लाइन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2042, दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छपरा से रक्सौल के लिए बरास्ता, नैनी, जलालपुर, बनियापुर तथा डूमरिया घाट तक ब्राडगेज लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस 150 किलोमीटर लाइन के निर्माण के लिए तीस करोड़ रुपये की व्यवस्था बाद में की जा सकती है, आरम्भिक कार्य आरम्भ करने में सरकार को इस समय क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार इस लाइन का आरम्भिक कार्य पूरा करने और सर्वेक्षण करने के बाद उक्त योजना को योजना आयोग से मन्जूर कराने के लिए प्रयास करेगी जिससे कि रक्सौल से नेपाल के लिए तथा दिल्ली एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए यात्रा सुगम हो सके;

(घ) क्या छपरा और मोतीहारी के बीच रेल लाइन के न होने के कारण जनता को भारी कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसके कार्यान्वियन के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) नयी लाइन का प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है ताकि इसकी लकतीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके । नयी लाइनों के लिए अनेक सर्वेक्षण पहले से ही किये जा रहे हैं । इन सर्वेक्षणों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की संभावना नहीं है क्योंकि संसाधनों की भारी कमी है । अत: इस लाइन के लिए दूसरा सर्वेक्षण करने का आदेश देने की कोई उपयोगिता नहीं होगी, इसके लिए निकट भविष्य में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा ।

(ग) नयी लाइन का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए योजना आयोग को उनकी स्वीकृति लेने के लिए तभी लिखा जाता है जब लाइन का सर्वेक्षण कर दिया जाता है । इस मामले में धन की भारी कमी के कारण, जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, इस चरण में सर्वेक्षण कराना सम्भव नहीं होगा ।

(घ) हाजीपुर ओर समस्तीपुर होकर छपरा से मोतीहारी तक रेल सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्योर ड्रिंक्स द्वारा रेलवे जमीन पर कब्जा

1982. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्योर ड्रिंक्स ने नई दिल्ली में अपने कार्यालय और संयन्त्र की स्थापना के लिए उत्तर रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसे खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और अब तक इस तथ्य की ओर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स ने रेलवे की किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है । बहरहाल, मैसर्स ओरियन्टल

बिल्डिंग एण्ड फरनिशिंग कम्पनी, जो मैसर्स प्योर ड्रिंक्स की एक सहयोगी संस्था है, ने रेलवे की 2,743 वर्ग गज भूमि अपने कब्जे में ले रखी है। 1.4.1973 के पश्चात् रेलवे भूमि पर कब्जे को नियमित नहीं किया गया है।

(ख) 24.4.81 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस विवाद को मध्यस्थ को सौंप दिया जाये और मध्यस्थ की नियुक्ति करार की शर्तों के अधीन महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, द्वारा की जाये। तद्नुसार, महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी गयी है और मध्यस्थ के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है।

वाणिज्यिक अनाशियों का कार्यकरण

1883. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक अनाशियों के कार्यकरण के बारे में चिंता व्यक्त की और इसका विचार ऐसे विशेषज्ञ अधिकारियों का नया काडर बनाने का है जो दक्षता से व्यापार विकास के कार्य का दायित्व ले सकें तथा नये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में अपने कर्त्तव्यों का पालन सफलतापूर्वक कर सकें;

(ख) क्या अलेक्जेण्डर समिति ने इस बारे में सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रतिभावान युवाओं की भर्ती करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं। लेकिन, सरकार भारतीय मिशनों के कार्य संचालन में और सुधार करने के लिए उपाय खोजने तथा उन्हें लागू करने के वास्ते, उनके आर्थिक और वाणिज्यिक खण्डों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए नहीं।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने की योजनायें

1884. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :**
श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) उन योजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया है और अब तक कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) उनके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये आवश्यक कदम, किया गया व्यय और जिनको रोजगार प्रदान किया गया वे व्यक्ति नीचे दिये गये हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 'ग' और 'घ' तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। इस निर्णय को लागू करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाता। जनवरी से सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में 984 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

(2) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु 21 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं। इनमें से 3 रोजगार कार्यालय 1981 के दौरान खोले गये थे। इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान इस योजना पर हुआ व्यय 41,578 रुपये है। इन विशेष रोजगार कार्यालयों ने अपनी स्थापना के समय से अब तक 25,437 विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की नौकरियां दिलाई हैं।

(3) विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिये 13 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं। इनमें से दो केन्द्र 1981 के दौरान खोले गए। 1981 के दौरान 4 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं और 5 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र भी खोले गये। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों और ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों पर अप्रैल, 1981 से फरवरी, 1982 तक हुआ खर्च 91,000 रुपए था। इन केन्द्रों ने अपनी स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1980 तक 8531 विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वासित किया है।

(4) राष्ट्रीयकृत बैंक विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए सामान्य से भिन्न ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के विशिष्ट आंकड़े और इस योजना के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि बैंकों द्वारा यह सूचना अलग से एकत्रित नहीं की जाती।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

नई दिल्ली स्टेशन के 10 भारवाहकों को सेवा मुक्त किया जाना

1886. **श्री अजित बाग :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 10 भारवाहकों को सेवा मुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे भारवाहक लाइसेंस शुदा भारवाहक थे; और

(घ) यदि नहीं, तो लम्बे समय तक वे किस आधार पर स्टेशन पर काम करते रहे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) कदाचार में लिप्त होने के आरोपों पर छः लायसेंस-धारी भारिकों को 1980 में बरखास्त किया गया था।

विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिये भारतीय छात्र

1887. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अध्ययन तथा उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाने वाले सभी भारतीय छात्रों का कोई रिकार्ड/रजिस्टर है;

(ख) यदि हां, तो 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितने भारतीय छात्र किस देश में और किन-किन विषयों में अध्ययन के लिए गये;

(ग) उनमें से कितने "विद्यार्थी वीसा" पर गये;

(घ) पहले विदेश गये भारतीय छात्रों में से कितने छात्र 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत वापस लौटे;

(ङ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वापस लौटने वालों को पर्याप्त एवं लाभप्रद रोजगार देने की क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) अधिकांश छात्र, जो शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, वे ऐसा निजी तौर पर करते हैं। उन छात्रों की प्रतिशतता बहुत कम होती है, जिन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है, इन छात्रों के लिए सम्बन्धित विदेशी मिशनों द्वारा वीजा जारी किए जाते हैं और यह सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में स्थानापन्न अध्यापक

1888. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के स्कूलों में काम कर रहे स्थानापन्न अध्यापकों की वेतनमान के अनुसार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने रेल अधिकारियों के रिश्तेदार हैं; और

(ग) क्या इन स्थानापन्न अध्यापकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों के विज्ञापन समाचार पत्रों में दिये गए थे, और यदि हां, तो उन पदों के ब्यौरे क्या हैं जिनके लिए विज्ञापन दिये गये थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) 330-560 रु० (सं० वे०) ... 16

440-750 रु० (सं० वे०) ... 4

550-900 रु० (सं० वे०) ... 1

(ख) 3

(ग) अध्यापकों की नियमित भर्ती होने तक, जिसके विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं और उत्तर रेलवे पर प्रवरण का काम हाथ में है, रेलवे के विभिन्न स्थानों पर तदर्थ आधार पर एवजी अध्यापक रखे गये हैं।

रेलवे द्वारा नमक की सप्लाई

1889. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**

श्री आनन्द पाठक :

श्री सुबोध सेन :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके द्वारा दक्षिण भारत से पश्चिम बंगाल को रेल द्वारा नमक की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह आदेश जारी करने से पूर्व उद्योग मंत्रालय से परामर्श किया था;

(घ) क्या सरकार का विचार इस आदेश को तत्काल हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ.) भारत सरकार द्वारा 19-12-81 को किये गये विनिश्चय के अनुपालन में, कटक से आगे के गन्तव्य स्थलों के लिए दक्षिण रेलवे से नमक की बुकिंग पर रेलों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और बुकिंग पर प्रतिबन्ध हटाया जा चुका है और रेल मंत्रालय द्वारा 3-2-1982 को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। पहले जैसी

स्थिति फिर से स्थापित कर दी गयी है और इस समय नमक का सामान्य तौर पर लदान किया जा रहा है।

प्रमुख बन्दरगाहों से सामान की चोरी

1890. **श्री अशोक गहलोत :**

श्री चित्त बसु :

श्री के० प्रधानी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश की 10 प्रमुख बंदरगाहों के ट्रस्टों के चेयर मैनों ने मांग की है कि बंदरगाहों पर माल की चोरी रोकने और उनके कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए कार्यवाही की जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त बंदरगाहों पर चोरी रोकने और माल की सुरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाने तथा बंदरगाह अधिकारियों को माल के शीघ्र निपटान का अधिकार देने के लिए संगत नियमों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दस बड़े पत्तनों के अध्यक्षों ने अपने-अपने पत्तनों पर माल की चोरी रोकने के लिए और इन पत्तनों पर कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिए कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) विभिन्न पत्तनों पर चोरी रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे संलग्न विवरण संख्या-1 में दिखाये गए हैं। छठी योजना के दौरान बड़े पत्तनों द्वारा अपने यहां माल रखने के लिए अतिरिक्त माल गोदाम बनाने का जो प्रस्ताव किया है, उनका ब्योरा संलग्न विवरण संख्या-2 में दिया गया है।

विभिन्न पत्तनों पर से न उठाए गए माल और लावारिस माल के निपटान की समस्या को सुलझाने के लिए मौजूदा नियम प्रायः पर्याप्त समझे जाते हैं और यह समस्या बम्बई को छोड़कर, अन्य किसी पत्तन के सम्मुख नहीं है। बम्बई पत्तन पर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 61 और 62 के अधीन लावारिस माल को जिसके बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है, नीलाम करने के पहले सीमा शुल्क अधिकारियों से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में कभी-कभी कठिनाई हुई है। लावारिस माल के शीघ्र निपटाने की व्यवस्था करने और मौजूदा सीमा शुल्क पद्धति में आवश्यक संशोधन का सुझाव देने की दृष्टि से डा० एम० क्यू० दालवी, सलाहकार यू० एन० डी० पी०, परिवहन परियोजना, (योजना आयोग से संबद्ध) की अध्यक्षता में एक कार्यदल योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1982 में गठित किया गया था। इस कार्यदल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-1

बड़े पत्तनों पर चोरी और टिकिया चोरी को रोकने के लिए किए गए उपाय —

बम्बई पत्तन : बम्बई पत्तन ने इस सम्बन्ध में अनेक उपाय किए हैं जैसे—गोदियों में रोशनी की व्यवस्था, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के सुरक्षा दल और राज्य की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाना, अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करने की पद्धति, अपराध खुफिया एकक का गठन, चार और जीप मंगाना और 103 अतिरिक्त चौकीदारों की भर्ती, पत्तन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को भी बुलाने का निर्णय लिया गया है।

मामुंगाओ पत्तन : यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल चाहर-दीवारी की चौकसी करता है। सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में एक प्रस्ताव पर पत्तन प्रशासन विचार कर रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श कर सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

न्यू मंगलौर पत्तन : इस पत्तन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था की गई। पत्तन प्रशासन यहां चाहर-दीवारी बनाने और चाहर-दीवारी पर रोशनी लगाने तथा एक वाच-टावर' का निर्माण करने का विचार कर रहा है जिसके बारे में खुफिया ब्यूरो के सुरक्षा निरीक्षण दल ने सिफारिश की थी।

कलकत्ता पत्तन : यहां 'वाचटावरों' का निर्माण चाहरी-दीवार को ऊंचा करना और काटे-दार तार की बाड़ लगाना, मौजूदा दीवालों में छेद आदि की मरम्मत करना, रेलवे गेटों की मरम्मत करना और रेलवे यार्ड में अधिक से अधिक गश्त लगाना जैसे उपाय किए गए हैं। मुख्य रेलवे यार्ड में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है।

कोचीन पत्तन : यहां खुली बर्थ के चारों ओर चाहर-दीवार का निर्माण करना, कोयला-बर्थ के चारों ओर बाड़ लगाना, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए केबिनों की व्यवस्था करना, रोशनी का प्रबन्ध करना आदि उपाय किए गए हैं।

कांडला पत्तन : यहां रात दिन चौकसी रखना, पत्तन क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों की जांच करना और अधिक मात्रा में गश्त लगाना जैसे उपाय किए गए हैं। यहां चौकसी करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गयी है और इन्हें शस्त्र आदि दिए गए है।

मद्रास पत्तन : मद्रास पत्तन में बर्थ में एक बार अपराध की घटनाओं की कमांडस्ट द्वारा समीक्षा की जाती है। सुरक्षा प्रबंध में जब कभी भी कोई चूक पायी जाती है तो उसे दूर कर दिया जाता है।

परादीप पत्तन : यहां प्रचालन क्षेत्र के चारों ओर एक चाहर-दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। यहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था करने का भी सुझाव है। निषिद्ध क्षेत्र में आकर बसने वाले लोगों को हटा दिया गया है।

टूटीकोरिन पत्तन : यहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

की जा रही है। रात में गश्त लगाना भी शुरू कर दिया गया है। आने-जाने वाले लोगों के आवागमन को 'पास' और 'परमिट' के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

विशाखा पत्तनमपत्तन : पत्तन के वर्कशाप और मुख्य गेट पर सामग्री पारपत्र के द्वारा प्रवेश की व्यवस्था शुरू की गयी है। पत्तन प्रशासन स्थानीय पुलिस से निकट संपर्क रखे हुए है।

विवरण-2

बड़े पत्तनों पर माल रखने के लिए अतिरिक्त माल गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव

कलकत्ता, हल्दिया, मद्रास और न्यू मंगलौर पत्तनों पर मौजूदा माल गोदाम पर्याप्त समझे गए हैं। बाकी सात अन्य बड़े पत्तनों पर स्थिति इस प्रकार है—

1. बम्बई पत्तन :

बम्बई पत्तन में 99,092 वर्ग मीटर जगह में शैड और 32,780 वर्ग मीटर जगह शैड-रहित है। माल रखने के लिए अतिरिक्त माल गोदाम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने हाल में अस्थायी तौर पर 71600 वर्ग फीट शैड युक्त जगह किराये पर ली है और 15-15 एकड़ के शैड-रहित दो प्लाट चैम्बूर और विद्या-बिहार में लिए हैं।

2. कांडला पत्तन :

कांडला पत्तन में पत्तन क्षेत्र में 1.3 लाख टन माल रखने के लिए शैड-युक्त स्थान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय माल गोदाम निगम ने पत्तन क्षेत्र में 8000 टन माल रखने के लिए अतिरिक्त माल गोदाम की व्यवस्था की है। इसके अलावा, केन्द्रीय माल गोदाम निगम ने कुल 18000 टन माल रखने के लिए चार गोदामों का निर्माण करना शुरू किया है जो अगले तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे। पोर्ट ट्रस्ट दो माल गोदामों का निर्माण करवा रहा है जिनमें कुल 14000 टन माल रखा जा सके। यह माल गोदाम अप्रैल, 1982 तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

3. परादीप पत्तन :

यहां तीन ट्रांजिट-शैड और तीन माल गोदाम हैं जिनका फ्लोर क्षेत्रफल क्रमश: 10240 वर्ग मीटर और 7,902 वर्ग मीटर है। छठी पंचवर्षीय योजना में 21,430 वर्ग मीटर फ्लोर क्षेत्र के निर्माण की भी योजना की जा रही है।

4. टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट :

ट्रांजिट-शैड माल गोदाम हैं जिनका क्षेत्रफल 17,600 वर्ग मीटर है। यह पत्तन दो और माल गोदामों का निर्माण कर रहा है जिनका क्षेत्रफल 5,550 वर्ग मीटर होगा। इनमें से एक माल गोदाम जून, 1982 तक और दूसरा दिसम्बर, 1982 तक चालू हो जाएगा।

5. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट :

यहाँ पर्याप्त माल गोदाम है। पुराने माल गोदामों में संशोधन कर उन्हें नया बनाने या उनका नए तरीके से निर्माण करने के अधीन दो माल गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि पुराने माल गोदामों को बदला जा सके।

6. मामुगाओ पत्तन :

यहां 12000 टन माल रखने लिए माल गोदाम हैं। पत्तन प्रशासन छठी पंचवर्षीय योजना में 18000 टन माल और रख सकने के लिए अतिरिक्त माल गोदाम बनाने की योजना बना रहा है।

7. विशाखा पत्तनम पत्तन :

यहां 97,500 टन माल रख सकने के लिए माल गोदाम है। इसके अलावा, यहां दो और माल गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जहां 30,000 टन और माल रखा जा सकेगा।

मलेरिया-रोधी प्रभावशाली औषधि की खोज के लिए कदम

1891. **श्री बाल कृष्ण बासनिक :**
श्री कमल नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मलेरिया-रोधी औषधियों का मलेरिया के कीटाणुओं में प्रतिरोध क्षमता का विकास हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में मलेरियाग्रस्त लोगों की संख्या एक करोड़ से भी अधिक है; और

(ग) सरकार ने अन्य प्रभावशाली मलेरिया-रोधी औषधियों की खोज के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) जी नहीं। कुछेक छोटे छोटे इलाकों में ही मलेरिया की एक किस्म अर्थात पी० फालसीपेरम में मलेरिया-रोधी एक औषधि अर्थात् क्लोक्वीन को पचाने की क्षमता आ गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत पी० फालसीपेरम मलेरिया परजीवियों में क्लोरोक्वीन संदिग्धता स्तर की जांच करने के लिए छः दल बंगलौर, बड़ौदा भुवनेश्वर, हैदराबाद लखनऊ और शिलांग में स्थापित किये गये हैं। जहां पर दवा को पचा जाने वाले पी-फाल्सीपेरम का पता चलता है उन क्षेत्रों में गहन उपाय बरते जाते हैं ताकि रोग के फैलाव को रोका जा सके और रोगियों को वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाइयां दी जा सके।

रेलवे के माल पर अवैध कब्जा

1892. **श्री रामसिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल ने नवम्बर, 1980 में एक ऐसा मामला दर्ज किया है जिसमें महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) लाजपतनगर, नई दिल्ली के एक स्थायी मार्ग निरीक्षक पर्मानेन्ट वे इंस्पैक्टर ने रेलवे के 70,000 रु० के माल पर कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे की अपराध आसूचना शाखा ने एक प्राइवेट ट्रक पकड़ा है जो चोरी किये गए रेल लाइनों के टुकड़े नारायण लोहा मंडी में निपटान के लिए जा रहा था; और

(ग) रेलवे की सम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। 65,000 रु० की कीमत का रेलवे सामान गैर-कानूनी रूप से अपने कब्जे में रखने के अपराध में रेलवे सुरक्षा बल चौकी, दिल्ली मेन ने एक रेलपथ निरीक्षक, महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), लाजपतनगर और तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 3 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संख्या 34/81 पर एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ख) जी हां। 6-11-81 को एक गुप्त सूचना पर कार्य करते हुए उत्तर रेलवे मुख्यालय के गुप्तचर कर्मचारियों ने 108 अदद रेल पटरियों से लदे एक प्राइवेट ट्रक का पीछा किया और उसे लोहा मंडी नारायणा में उसके खाली किए जाने से पहले पकड़ लिया।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) जहां-कहीं भी रेलवे का स्टाक रखा होता है वहां चौकीदारों को तैनात किया जाता है।

(ii) जहां पर महानगर परिवहन परियोजना (रेल) के भीतर एक स्टाक धारक से दूसरे स्टाक धारक को सामान अन्तरित किया जाता है वहां पर कार्यविधि को कड़ा बना दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे सभी अन्तरण सूक्ष्म प्राधिकारी की अनुमति से ही होते हैं।

(iii) सामान के स्टाक के सत्यापन की जांच करने के लिए गहन क्षेत्रीय जांचें शुरू की गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हस्ते स्टाक का विधिवत हिसाब रखा जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है।

(iv) गुप्तचर विभाग और सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को अपराध आसूचना इकट्ठी करने तथा छापे मारने और जहां सम्भव हो, अपराधियों को पकड़ने के लिए तैनात किया जाता है।

दिल्ली में जखीरा पर उपरिपुल का निर्माण

1893. **श्री सज्जन कुमार** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जखीरा नई दिल्ली पर एक उपरिपुल के निर्माण की योजना बनाई थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इस उपरिपुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) अब तक कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, जखीरा में प्रस्तावित ओवर ब्रिज के लिए नक्शा हाल में ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने और तदनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जो अभी नहीं किया गया है, निगम निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा।

राज्यों में रेल लाइनों की लम्बाई के मामले में असमानता

1894. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रति 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में रेल मार्ग की औसत क्या है और अन्य राज्यों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे के संबंध में असमानता दूर करने हेतु सभी राज्यों के विकास के लिए समान अधिकार को ध्यान में रखकर कोई विस्तृत योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) रेलवे विस्तार योजनाएं राज्यवार नहीं बनायी जातीं बल्कि ये योजनाएं कृषि और औद्योगिक विकास के लिए यातायात अवसंरचना की व्यवस्था के प्रश्न के बारे में सारे देश की जरूरतों और समानुपातों को देखते हुए राष्ट्रीय आधार पर बनायी जाती है और कार्यान्वित की जाती है।

विवरण

राज्य	*प्रति हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र का मांग कि० मी०
राजस्थान	16.40
आन्ध्र प्रदेश	17.27
असम	27.94
बिहार	30.84
गुजरात	28.75
हरियाणा	33.92
हिमाचल प्रदेश	4.60
जम्मू और कश्मीर	0.35
कर्नाटक	15.72
केरल	23.57
मध्य प्रदेश	12.94
महाराष्ट्र	17.01
मणिपुर	—
मेघालय	—
नागालैंड	0.54
उड़ीसा	12.72
पंजाब	42.47
सिक्किम	—
तमिलनाडु	29.95
त्रिपुरा	1.15
उत्तर प्रदेश	30.16
पश्चिम बंगाल	42.38
अंडमान और निकोबार आइलैंड	—
अरुणाचल प्रदेश	—
चंडीगढ़	96.49
दादर और नागर हवेली	—
दिल्ली	113.13
गोवा-दमन और दीप	20.72
लक्षद्वीप	—
मीजोरम	—
पांडीचेरी	56.25
सम्पूर्ण सारा भारत	1863

*स्रोत : भारत—भारत सरकार के प्रकाशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित 1981 का एक वार्षिक संदर्भ ।

क्रिकेट की गेंदों की अच्छी किस्में

1895. **श्री आर० आर० भोले** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की क्रिकेट की गेंदें अब भी हमारे देश में नहीं बन रही हैं और पिछली टेस्ट शृंखला में दिसम्बर, 1981 में दिल्ली में भारत और इंगलैंड के बीच हुए मैच के समय यह तथ्य सामने आया क्योंकि मैच में दो ओवर में तीन बार गेंद बदली गई थी; और

(ख) सरकार भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत में क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड से पूरी सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल गाड़ियों का देरी से चलना

1896. **श्री अनन्त रामुल मल्लु :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल गाड़ियों के इस समय सही वक्त पर न चलने की असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावकारी कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण में सुधार लाने, इंजनों की खराबियों और सिगनल की विफलता/खराबियों के परिहार्य मामलों में कमी लाने तथा अन्य कारणों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं । दुर्घटनाओं, जिनके कारण गाड़ियाँ देर से चलती हैं, की संख्या में कमी करने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है । गाड़ियों की समय पाबन्दी के मामलों की ओर महाप्रबन्धक ध्यान दे रहे हैं । खतरे की जंजीर खींचने, होस-पाइप को अलग कर देने और अन्य शरारतपूर्ण गतिविधियों की रोकथाम के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेल प्रशासनों और रेल मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों के साथ आवश्यक सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

मेल रेल गाड़ियों के डिब्बों में हाकरों, भिखारियों और रोगियों का घुसना

1897. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने थ्रीटियर डिब्बों के विशेषकर मेल गाड़ियों के यात्रियों को हाकरों, भिखारियों और रोगियों से जो कि रात में देर तक डिब्बों में आ घुसते हैं, बचाने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्रियों को फेरी वालों, भिखारियों और रोगियों से बचाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। स्टेशनों पर फेरी वालों, भिखारियों और रोगियों के प्रवेश को रोकने के लिए तथा उन्हें स्टेशनों और गाड़ियों से बाहर निकालने के लिए टिकट चैकिंग स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अनधिकृत फेरी वालों, भिखारियों और रोगियों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम, 1980 की धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाती है।

विकलांग छात्रों को दी गई रियायतें

1898. श्री जी० वाई० कृष्णन्: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग छात्रों को प्राथमिकता स्तर (पहली कक्षा) से दी जाने वाली शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को जारी रियायतों के स्वरूप सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के उचित अनुपालन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो विकलांग छात्रों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त परिवहन, मुफ्त परतों और छात्रवृत्तियां देने वाले स्कूलों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) समेकित शिक्षा की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :

(1) प्रति छात्र प्रति वर्ष 50 रुपए का परिवहन भत्ता;

(2) पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ते के रूप में 400 रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष;

(3) 5 वर्ष में प्रति बालक 800 रुपए तक उपकरण खर्च;

(4) अत्यन्त विकलांगों के लिए एक वर्ष में 10 महीनों के लिए 75 रुपए प्रति मास की दर से मार्गरक्षी भत्ता;

(5) 8 से 10 बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक;

(6) दृष्टिहीनों को 50 रुपए प्रति मास की दर से रीडर भत्ता।

(7) जिन बच्चों के माता-पिता की आय 750 रुपए प्रतिमास से कम है उनके लिए होस्टलों में भोजन और निवास का खर्च; तथा

(8) होस्टल में रहने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए प्रति 3 बालक एक कर्मचारी को 50 रुपए प्रति मास का विशेष वेतन।

भारत सरकार दृष्टिहीन, बधिर और अस्थि विकलांग छात्रों को 9वीं कक्षा से छात्रवृत्तियां देती है। वर्ष 1981-82 में छात्रवृत्तियों की दर 80 रुपए से 125 रुपए प्रति मास तक है। इसके अतिरिक्त दृष्टिहीन छात्रों को 30 रुपए से 60 रुपए प्रति मास तक की दरों पर रीडर भत्ता दिया जाता है। अस्थि विकलांग छात्र प्रोस्थेटिक/परिवहन भत्ता तथा प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक सहायक यन्त्रों के अनुरक्षण के लिए भत्ता पाने के पात्र हैं। इस योजना का पुनरीक्षण किया गया है तथा नए दर 1 अप्रैल, 1982 से लागू होंगे। नई दरों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां 60 रुपए से 170 रुपए प्रतिमास होंगी तथा रीडर भत्ता 50 रुपए से 100 रुपए प्रतिमास होगा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्यों तथा अरुणाचल, चंडीगढ़ और मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत कक्षा एक (1) से कक्षा आठ (8) तक के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ख) यह योजना क्योंकि 1 अप्रैल, 1981 से लागू हुई थी इसलिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद जानकारी उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान पूरे देश में लगभग 3800 छात्रों के लिए लगभग 686 स्कूलों में समेकित शिक्षा की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग 9,000 विकलांग छात्र छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां पाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

धनराशि के अभाव के कारण वैगनों और कोचों की संख्या में वृद्धि न होना

1899. **श्री डी० पी० यादव :**
श्री अजित कुमार मेहता :
श्री वी० डी० सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराशि के अभाव और योजना आयोग द्वारा रेलवे की योजना धनराशि में कटौती के कारण वर्तमान योजना अवधि के अन्त तक रेलवे वैगनों और काम करने योग्य कोचों में वृद्धि न की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान योजना के अन्त तक माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों में केवल सीमित वृद्धि किये जाने की आशा है। आगे और वृद्धि करना योजना आयोग से अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

वैगनों के निर्माण में तेजी

1900. श्री चित बसु :

श्री अनादि चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख वैगनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के प्रथम दो वर्ष में कितने वैगन बनाये गये;

(ग) यदि इस गति से वैगन बनाये गये तो क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना संभव है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) छठी योजना के पहले दो वर्षों में (जनवरी, 1982 तक) चौपहियों के हिसाब से 26,137 माल डिब्बों का उत्पादन किया गया है ।

(ग) और (घ) यद्यपि अब तक उत्पादन का रुख लक्ष्यों के अनुरूप रहा है, तथापि योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण, यह अनुमान लगाया गया है कि योजना परिव्यय के भीतर चौपहियों के हिसाब से लगभग 78,000 माल डिब्बों की खरीद हो सकेगी ।

डाक्टरों द्वारा विदेश चले जाने के बारे में विशेषज्ञ समिति

1901. डा० कृपासिंधु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डाक्टरों को विदेश जाने से रोकने के बारे में सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और यदि हां, तो इसका गठन तथा इसके निदेश पद क्या हैं और यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी;

(ख) प्रति वर्ष कितने व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों से डाक्टर बनकर निकलते हैं, कितने देश से बाहर चले जाते हैं और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना पसन्द नहीं करते;

(ग) डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) प्रति व्यक्ति शुल्क समाप्त करने और चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 में 13,429 छात्रों ने एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास की। इनमें से कितने डाक्टर देश छोड़कर चले गये और कितने गांवों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए डाक्टरों को आकर्षित करने के लिए अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रोत्साहन योजनाएं चला रखी हैं। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक भी डाक्टरों को ऋण देते हैं ताकि वे प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकें।

(घ) (i) केपिटेशन फीस लेने वाले मेडिकल कालेजों वाली सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती रही है कि वे इस प्रथा को समाप्त कर दें।

(ii) सरकार ने 1977 में चिकित्सा शिक्षा को स्थिति अनुकूल बनाने को एक योजना आरम्भ की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों की ग्रामीण और अर्ध नगरीय इलाकों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सीधे प्रदान करने के लिए शामिल करना और छात्रों तथा शिक्षकों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में एक साकारात्मक भावना उत्पन्न करना था। देश को वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और इसमें सुधार करने सम्बन्धी सिफारिशें देने के लिए हाल ही में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया है।

पूर्व रेलवे के लिए भर्ती का रद्द किया जाना

1902. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता के माध्यम से पूर्व रेलवे और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिये कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था रद्द कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे सेवा आयोग का दानापुर में एक नया कार्यालय खोला गया है जिसे भर्ती का उक्त कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या यह भी सच है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले में रेल सेवा आयोग का कार्यालय पहले से ही स्थित है; और

(घ) पूर्वी रेलवे का एक बड़ा भाग पश्चिम बंगाल में पड़ता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के लिए भर्ती का काम जो पहले कलकत्ता

स्थित रेल सेवा आयोग द्वारा किया जाता था, पटना में गठित नये रेल सेवा आयोग को सौंपा गया है। कलकत्ता का वर्तमान आयोग अब केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे की भर्ती सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करेगा।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

स्टेशनों पर आरक्षण सूची का देर से लगाया जाना

1903. **श्री राम अवध** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण सूचियां बहुत विलम्ब से या गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद लगाई जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आरक्षण चार्ट सामान्यतः गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान समय से एक घंटा पूर्व प्रदर्शित किये जाते हैं और रेल के प्लेटफार्म पर पहुंचने पर उन्हें तत्काल डिब्बों पर चिपका दिया जाता है। जब कभी चार्टों के विलम्ब से प्रदर्शित किये जाने के मामले नोटिस में लाये जाते हैं, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

छठी योजना में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल रेल लाइन

1904. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का विचार पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना और छठी योजना की वार्षिक योजना में कौनसी रेल लाइनें बनाने का है; और

(ख) पश्चिम बंगाल की उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण हो रहा है/और जिनके आदेश दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित रेलवे लाइनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(i) हावड़ा-आमता बड़ी लाईन/इस लाइन के सतरागाछी-बड़गछिया खंड पर पहले से ही काम हो रहा है।

(ii) बज-वज-नामरगाना बड़ी आमान लाइन का लक्ष्मीकान्तपुर-कुल्पी के साथ सम्पर्क।

(iii) हावड़ा (डानकुनी) शियाखला बड़ी लाइन ।

इन सभी परियोजनाओं की प्रगति धन की उपलब्धता पर निर्भर है जिसकी अत्यधिक कमी है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित परियोजनाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षणों के अलावा, राज्य में नयी लाइनों, आमान परिवर्तनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :

(i) येझिया के रास्ते बांकुड़ा से रानीगंज तक बड़ी आमान की नयी लाइन के लिए अद्यतन और पुनर्मूल्यांक सर्वेक्षण ।

(ii) खड़गपुर से दीघा तक लाइन के लिए सर्वेक्षण ।

(iii) पुरुलिया-कोटशिला मीटर आमान लाइन का बड़ी आमान की लाइन में बदलाव करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

1990 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने का निर्णय

1905. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1990 तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम को तेज करने का निर्णय लिया है ।

(ख) कुष्ठ रोग की रसायन चिकित्सा में हाल ही में हुई प्रगतियों, जन-प्रचार के व्यापक साधनों तथा अभिनय चिकित्सा अनुसंधान की सम्भावनाओं का लाभ उठाते हुए अगले 20 वर्षों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनाने हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया है । साथ ही देश के अधिक महामारी वाले चुनिन्दा जिलों में एक विशेष बहु-औषधि विधान को भी शुरू किया जा रहा है जिससे कि इस रोग के प्रकोप में काफी कमी हो सके ।

विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

1906. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम को मान्यता दी गई है; और

(ख) उन विश्वविद्यालयों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनमें परीक्षा में हिन्दी माध्यम को मान्यता स्वीकार नहीं की गयी है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन राज्यवार विश्वविद्यालयों के नाम, जो एक अथवा अधिक पाठ्क्रमों में परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी की सुविधाएं प्रदान करते हैं और उन विश्वविद्यालों के नाम जो ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करते लेकिन जहां परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को छोड़कर अंग्रेजी अथवा भारतीय भाषाओं का प्रावधान है, नीचे दिए गए हैं : (1-7-1981 की यथा स्थिति के अनुसार) :

राज्य	विश्वविद्यालय जिनमें एक अथवा अधिक पाठ्क्रमों के लिए परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रावधान है।	विश्वविद्यालय जहां परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। (प्रयुक्त माध्यम या तो अंग्रेजी है अथवा हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं है)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	उस्मानिया	आन्ध्र, ए० पी० कृषि, हैदराबाद, जे० एन० प्रौद्योगिकी, काकातीया, नागार्जुन, श्री वेंकटेश्वर, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा बिदेशी भाषा संस्थान।
असम	—	असम कृषि, डिब्रूगढ़, गोहाटी
बिहार	भागलपुर, बिहार, बिरसा, कृषि, के० एस० दरभंगा संस्कृति, एल० एन० मिथिला, मगध, पटना, राजेन्द्र कृषि, रांची।	भारतीय खान स्कूल, धनबाद।
गुजरात	गुजरात, गुजरात आयुर्वेद, बड़ोदा, एम० एस० विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, गुजरात विद्यापीठ	भावनगर, गुजरात कृषि, सरदार पटेल
हरियाणा	हरियाणा कृषि, कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानन्द	—
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

1	2	3
जम्मू और काश्मीर	जम्मू, काश्मीर	—
कर्नाटक	—	बंगलौर, गुलवर्ग, कर्नाटक, मंगलूर, मैसूर, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, भारतीय विज्ञान संस्थान ।
मध्य प्रदेश	अवधेश प्रताप सिंह, भोपाल, इंदिरा कला संगीत, इंदौर जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि, जीवाजी, रविशंकर, सागर, विक्रम ।	—
केरल	—	कालीकट, कोचीन, केरल कृषि
महाराष्ट्र	बम्बई, नागपुर, एस•एन० डी० टी० महिला	कोंकण कृषि, महात्मा फूले कृषि, मराठवाड़ा कृषि, पूना, पंजाबराव कृषि, शिवाजी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
मणिपुर	—	मणिपुर
मेघालय	—	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय ।
उड़ीसा	—	बरहामपुर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सम्बलपुर, उत्कल
पंजाब	पंजाब, पंजाबी, गुरु नानक देव	पंजाब कृषि
राजस्थान	जोधपुर, राजस्थान, उदयपुर	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ।
तमिलनाडु	—	अन्नामलाई, मद्रास, मदुरै, कामराज, पेरारीगनार अन्ना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, टी० एन० कृषि, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान

1	2	3
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम, अवध, इलाहाबाद, बनारस हिन्दू, बुन्देलखंड, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गढ़वाल, जी० वी० पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, कानपुर काशी विद्यापीठ, कुमायूं, लखनऊ, मेरठ, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रोहिल खण्ड, सम्पूर्णानन्द संस्कृत, गुरुकुल कांगड़ी, दयालबाग शैक्षिक संस्थान।	रुड़की
पश्चिम बंगाल	विश्वभारती	विधान चन्द्र कृषि, वर्दवान, कलकत्ता, जादवपुर, कल्याणी, उत्तरी बंगाल, रवीन्द्र भारती
दिल्ली	दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आयोजना एवं वास्तु-कला स्कूल।

दिल्ली में नकली दवाइयों का बनाना

1907. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नकली दवाइयां बनाने का कार्य जोरों पर है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो महीनों में कितने मामले दर्ज किये गये तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार नकली दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए ठोस उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) नहीं, केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में बहुत सख्त नियंत्रण है। वैसे, इक्के-दुक्के मामलों का पता चला है।

(ख) 23-12-1981 से 24-2-1982 की अवधि के दौरान दो मामले रजिस्टर किए गए और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक को नकली दवाई बनाने के लिए तथा दूसरे को नकली बोरोलिन एण्टीसेप्टिक सुगन्धित क्रीम बेचने के लिए किया गया था।

(ग) दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. परीक्षण के लिए समस्त दिल्ली के कैमिस्टों से दवाइयों के नमूने नियमित रूप से खरीदे जाते हैं और उनकी शीघ्र जांच की जाती है। दवाई की क्वालिटी के सन्देह के मामले में नमूने वाले परिसर पर छापा मारा जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

2 दिल्ली प्रशासन के अधीन एक विशेष सेल बनाया गया है जो जनता से मिली शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करता है। संदिग्ध क्वालिटी की दवाइयों के बारे में शिकायतें सेल के नियंत्रण कक्ष में प्राप्त की जाती हैं जो रात-दिन खुला रहता है। संदिग्ध क्वालिटी दवाइयों के निर्माण और बिक्री के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए व्यापारियों और निर्माताओं के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

3. संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है।

4. खास-खास क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

5. जहां पर अनधिकृत और गैर कानूनी माध्यमों या अन्तरराज्यीय गिरोहों के होने का सन्देह होता है, वहाँ पर संदिग्ध क्वालिटी की दवाइयों के निर्माण और बिक्री के आदान-प्रदान को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ सम्पर्क भी स्थापित किया गया है। नकली दवाइयों के निर्माताओं/डीलरों पर न्यायालय में अभियोग चलाने की कार्रवाही औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों के अधीन की जाती है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन

1908. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी से 24 जनवरी, 1982 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के युवा संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई और इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था। मांगी गई सूचना मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

करूर-तूतीकोरिन लाइन

1909. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में करूर-डिन्डीगुल-तूतीकोरिन ब्राड गेज लाइन पर वर्ष, 1981-82 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई थी और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) ब्राडगेज लाइन को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है और इस लाइन के लिए कुल कितना निवेश रखा गया है, और

(ग) क्या तिरनेलवेली तूतीकोरिन ब्राड गेज लाइन को उसके निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981-82 में इस काम के लिए 2 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी। जनवरी, 1982 के अन्त तक लगभग 1.96 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) अभी कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गयी। मूलत: 42.86 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था, परन्तु मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण अब इसका संशोधन हो जायेगा।

(ग) जी नहीं। शुरूआत कर दी गयी है, परन्तु प्रगति निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फैकल्टी के सदस्यों को फील्ड/अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय सहायता

1910. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐसे फैकल्टी सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें फील्ड/अनुसंधान कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है और कितनी सहायता दी गई है;

(ख) इन अनुसंधान परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन्हें कब पूरा किया गया था

(ग) उनके चयन के मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या विश्वविद्यालय को किसी फैकल्टी सदस्य से कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायत का स्वरूप क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल):: (क) से (ङ) सूचना का संकलन किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को धन का आबंटन

1911. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय की माँग की तुलना में वर्ष 1982-83 के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितने धन का नियतन किया गया है; और

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस धन का आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को उनके विकास कार्यक्रमों के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर निधियां आवंटित नहीं करता है। आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को उनके विकास कार्यक्रमों आदि के लिए निरीक्षण समितियों की सिफारिशों पर, जो उनके विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का मूल्यांकन करती हैं, सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए अनुदान अनुमोदित करता है। इस प्रकार से अनुमोदित अनुदानों की अधिकतम सीमा के अन्दर आयोग योजनाओं की प्रगति के आधार पर समय-समय पर निधियां मुक्त करता है।

स्वयं की बिक्री हेतु कर्नाटक जहाजरानी निगम का ज्ञापन

1912. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक जहाजरानी निगम ने हाल में स्वयं की ही बिक्री के लिए विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक जहाजरानी निगम को अपना घाटा पूरा करने हेतु सहायता देने का है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी कम्पनी एक चालू कम्पनी के रूप में और अपने जहाजों को चालू जहाजों के रूप में बेचने के प्रस्ताव के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बारे में नौवहन विकास निधि को 23 जनवरी, 1982 के पत्र द्वारा सूचित किया था। कम्पनी और उसके जहाजों को बेचने का निर्णय कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन का एक व्यापारिक निर्णय है। इसके निर्णय से नौवहन विकास निधि समिति या भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन ने नौवहन विकास निधि समिति को मई, 1976 में 372.19 लाख रुपये के रुपया ऋण के लिए आवेदन पत्र दिया था जो एम० वी०

'कर्नाटक' नामक जहाज की कीमत का लगभग 75% होता है। नौवहन विकास निधि समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 370 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया था। इसके बाद एम० वी० 'कृष्णराज' नामक एक दूसरे जहाज की खरीद के लिए भारत सरकार ने विदेशों से नयी स्कीम के अन्तर्गत जहाज खरीदने के लिए ऋण नामक योजना के अधीन मई, 1979 में ऋण स्वीकृत किया था जो इस जहाज की खरीद कीमत का 90 प्रतिशत होता है। कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन ने ऋण की शर्तों को अगस्त, 1979 में स्वीकार किया और यह सूचित किया कि उन्हें उक्त योजना के अधीन केवल 320 लाख रुपयों के ऋण की जरूरत है। लेकिन, विदेशों से जहाज खरीदने के लिए ऋण नामक योजना के अधीन ऋण के लिए जिन कागज-पत्रों पर उक्त कम्पनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें यह राशि केवल 225 लाख रुपये दिखायी गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ तक जहाज की कीमत का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने अधिकतम आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन, इस कम्पनी ने उतना ही ऋण लिया जितना कि विदेशी मुद्रा के रूप में इस पर बकाया था। इस कम्पनी ने मई, 1982 में देय 53 लाख रुपये की धनराशि चुकाने और एम० वी० 'कर्नाटक' के बारे में ऋण की किश्तों की अदायगी को फिर से निर्धारित करने के बारे में आवेदन-पत्र दिया है जो नौवहन विकास निधि समिति के विचाराधीन है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन एक स्वायत्त संस्था है जो अपनी कम्पनी या इसके जहाजों को बेचने में समर्थ है। इस कारपोरेशन को नौवहन विकास निधि समिति ने जो वित्तीय सहायता दे दी है, उसको वसूल करने के अलावा, अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के बारे में भारत सरकार सम्बन्धित नहीं है।

'डी' श्रेणी के आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची

1913. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में 'डी' श्रेणी के आशुलिपिकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची 30 नवम्बर, 1981 को अथवा उसके आस पास जारी की गई थी;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को जिन्हें सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी नियुक्ति दी गई थी, को नियमों के विरुद्ध विभागीय अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नत किये गए कर्मचारियों की सूची में नीचे रखा गया है;

(ग) क्या वरिष्ठता सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उनको प्रतियोगी परीक्षा के वर्ष के अनुसार उन व्यक्तियों से जो अवर श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और स्थानीय सूची के आधार पर विभागीय उम्मीदवार होने के नाते सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों पर तदर्थ आधार पर इस विकल्प के साथ कार्यरत हैं, कि वे अवर श्रेणी लिपिक का संवर्ग बदल लेंगे, के आधार पर निर्धारित की जाती है;

(घ) क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के बीच इस वरिष्ठता सूची के प्रति असन्तोष व्याप्त है और उनसे कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सूची को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ, 30-9-81 को ।

(ख) जी नहीं । कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इस सेवा के ग्रेड 'डी' के भर्ती किये गये आशुलिपिकों की वरिष्ठता वर्तमान नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर दी गयी है ।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, रेलवे बोर्ड में ग्रेड 'डी' के आशुलिपिकों का कोई पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित नहीं किया जाता जिसे तभी लागू किया जा सकता है जब निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहते हैं ।

(घ) और (ङ) 30-9-81 को प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध कुछ सम्बन्धित कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें उठाये गये मुद्दों को ध्यान में रखकर सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

हल्दिया को कलकत्ता बन्दरगाह से अलग किया जाना

1914. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा :**

श्री मुकुन्द मण्डल :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया डाक काम्पलेक्स को कलकत्ता बन्दरगाह से अलग किए जाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए द्रुत कार्यक्रम

1915. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवाओं में सभी वर्गों के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की कमियों को पूरा करने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अतिरिक्त निदेशक, प्रतिस्थापना (आरक्षण) का उच्चतम पद, जिसे भारतीय रेलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों पर निगरानी रखनी

होती है, काफी समय से खाली पड़ा है और उनका काम एक निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) क्या उपर्युक्त के अलावा द्रुत कार्यक्रम की योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, वर्ग 'ग' और 'घ' (श्रेणी III और IV) सेवाओं में कमियों के बारे में ।

(ख) अपर निदेशक, स्थापना (आरक्षण) का पद 29-9-1981 से एक उपयुक्त अधिकारी द्वारा भर लिया गया है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

चीन के सांस्कृतिक शिष्टमण्डल का दौरा

1916. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीन से कोई सांस्कृतिक अथवा खेलकूद सम्बन्धी शिष्टमंडल भारत आयेगा;

(ख) क्या भारत चीन को ऐसा कोई शिष्टमंडल भेजेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) से (ग) चीन के साथ सांस्कृतिक और खेलकूद सम्बन्धी शिष्टमंडलों का नेमी आना-जाना चलता रहता है । दिसम्बर, 1981 में अधिकारियों के एक दल की पीकिंग यात्रा के दौरान ऐसी यात्राओं के अनंतिम कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें शामिल थी चीन की ओर से नृत्य और संगीत दल की भारत यात्रा, एक फोटो प्रदर्शनी, एक व्यायाम-दल की भारत यात्रा, भारत की ओर से नृत्य व संगीत दल की चीन यात्रा, एक फोटो प्रदर्शनी, व्यायाम-दल तथा फुटबाल टीम की चीन यात्रा ।

एलोपैथी, आई० एस० एम० और होम्योपैथी प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों, प्रभारियों के वेतनमानों में अन्तर

1917. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के एलोपैथी, आई० एस० एम० और होम्योपैथी औषधालयों के चिकित्सा अधिकारियों तथा प्रभारियों के ग्रेड और वेतनमान क्या हैं;

(ख) एलोपैथी, आई० एस० एम० और होम्योपैथी औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमानों में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) आई० एस० एम० और होम्योपैथी औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पदों का वरिष्ठ वेतनमान में निर्माण किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है और इस प्रक्रिया में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) वेतन-मान इस प्रकार हैं :

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एलोपैथिक डिस्पेंसरी।	1100-50-1600 रुपये
प्रभारी चिकित्सक भारतीय चिकित्सक	650-30-740-35-810-द
पद्धति तथा होम्योपैथी डिस्पेंसरी/	रो०-35-880-40-1000-द
यूनिट	रो०-40-1200 रु0

(ख) इन पदों के कार्यों, जिम्मेवारियों तथा विहित अर्हताओं में भिन्नता होने के कारण इनके वेतनमानों में भी असमानता है।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

परिवार नियोजन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपाय

1918 **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों में उत्साह की कमी, गर्भ-निरोधकों की निष्प्रभावी वितरण प्रणाली तथा साक्षरता के निम्न स्तर के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन उत्साहवर्धक नहीं है;

(ख) विवाह की आयु बढ़ाने, नई प्रोद्योगिकी के विकास और सामाजिक रूप में परिवर्तन करने तथा इन कार्यक्रमों की प्रगति के लिए सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए तत्सम्बन्धी हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं, उल्टे धीरे-धीरे यह कार्यक्रम तेजी पकड़ रहा है। कार्य-निष्पादन के अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष अप्रैल-1981 से जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के कार्यनिष्पादन की तुलना में नसबन्दी आपरेशनों में 22·4 प्रतिशत और गर्भाशयी गर्भनिरोधकों में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव है—

1. बहुप्रचार साधनों और व्यक्तियों के परस्पर सम्पर्क की नीतियों का प्रभावकारी और विवेकपूर्ण उपयोग कर छोटे परिवार के सिद्धान्त के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी देने के लिए तेजी से प्रयास किए जायेंगे।

2. इस कार्यक्रम को अपनाने वाले के घरों के यथासंभव निकट सेवाओं और सामग्री की व्यवस्था की जायेगी ।

3. महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि करने के लिए सुविधाओं और प्रयासों में बढ़ोतरी की जाएगी ।

4. स्कूलों और कालेजों तथा स्कूलों के बाहर भी युवाओं की जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा दी जायेगी । सरकारी विभागों/एजेन्सियों और संगठित क्षेत्र द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए चलाए जाने वाले सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसे लागू किया जायेगा ।

5. सभी स्तरों पर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर, ग्राम संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि की पर्याप्त सहायता की जायेगी और उन्हें प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान किया जाएगा ।

6. कार्य-निष्पादन में पिछड़े राज्यों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट करके नीति अपनायी जायेगी ।

7. लोगों को शिक्षा देकर लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून का पालन करवाया जाएगा ।

(ग) 1981-82 के वास्तविक कार्यनिष्पादन को देखकर ही 1982-83 के लक्ष्य अन्तिम रूप से नियत किये जायेंगे ।

दिल्ली के अस्पतालों की कमियों को दूर करने हेतु उपाय

1919. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सूरज भान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली के कुछ अस्पतालों का अचानक दौरा किया था और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थान, कर्मचारी तथा उपकरण की कमी के सम्बन्ध में तथा अन्य कमियों को दूर करने हेतु उसके बाद से क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली की जनसंख्या की आवश्यकतायें क्या हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ध) इन आवश्यकताओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार इन संस्थानों के कामकाज के बारे में काफी चिंतित है और सीमित संसाधनों में रहकर इन संस्थाओं के कामकाज की हालत सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। रोगी परिचर्या के निरन्तर बढ़ते हुए कार्यभार से निपटने के लिए दवा वितरण खिड़कियों और कर्मचारियों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार ई० सी० जी० और एक्सरे सेवाओं को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और अन्य राज्यों से आये रोगियों द्वारा बैड आकुपेंसी के कारण रोगियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या और भीड़भाड़ दिल्ली के अस्पतालों की मुख्य समस्यायें है। वर्तमान अस्पतालों की योजनाओं के अन्तर्गत नये भवनों का निर्माण करने, अनिवार्य सेवाओं के लिए स्थान बढ़ाने, नये वार्ड खोलने, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने, अतिरिक्त आपरेशन थियेटरों की स्थापना करने और आधुनिक उपकरणों को जुटाने के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है। 500-500 पलंगों वाले दो अतिरिक्त बड़े अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली की छठी पंचवर्षीय योजना में भी 100-100 पलंगों वाले तीन अस्पतालों का निर्माण करने की संकल्पना की गई है। इससे दिल्ली की आवश्यकताएं काफी हद तक पूरी हो जायेंगी।

विवरण

1. जिन अस्पतालों का दौरा किया गया वहाँ पर सफाई की दुर्व्यवस्था देखने को मिली।

2. दवा वाली खिड़कियों पर और ई० सी० जी० वाले कमरों के बाहर ई० सी० जी० कराने वालों की लम्बी-लम्बी कतारें देखी गईं।

3. चिकित्सा सामग्री के रख-रखाव, दवाइयों के वितरण और अन्य सामग्री की दशा बड़ी ही असंतोषजनक थी। कुछ जगहों पर तो स्टोर खुले में रखे हुए थे।

4. अस्पतालों में जहां-कहीं धूल और मिट्टी जमा हो गई थी, उसे ज्यों का त्यों रहने दिया गया था।

5. रख-रखाव के अभाव में चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण और एक्सरे मशीनें आदि बेकार पड़ी हुई थीं।

6. एमर्जेंसी वार्ड में इन्तजाम ही ठीक नहीं था।

7. एक अस्पताल में कुछ वार्डों का निर्माण-कार्य बन्द पड़ा था क्योंकि ठेकेदार अज्ञात कारणों से कहीं भाग गया था।

8. अस्पतालों में बहुत भीड़ थी। यह भीड़ केवल रोगियों की ही नहीं थी अपितु रोगियों से मिलने के लिए आने वाले उनके अनेक दोस्तों और रिश्तेदारों की थी। इससे अस्पताल की सफाई करने में और बाधा हो रही थी।

9. रोगियों की संख्या तो अत्यधिक बढ़ गई थी परन्तु डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप रोगियों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही थी।

कलकत्ता तथा हल्दिया पर "कन्टेनर हैंडलिंग" सुविधाओं के विकास हेतु कम्पनियों का सरकार से संपर्क

1920. **श्री नीरेन घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों ने कलकत्ता और हल्दिया पर कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए अनुमति मांगने हेतु सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना के लिए वर्ष 1982 के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निजी व्यवसायियों से आवेदन पत्र मांगे थे।

(ख) इस विज्ञापन के उत्तर में सात व्यवसायियों ने आवेदन पत्र भेजे जिनके नाम नीचे लिखे हैं—

(1) विवेक स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि०

(2) वेस्टर्न कैरीमर्स

(3) ओटा फौलोज फारवाडर्स प्रा० लि०

(4) शां वालेस एंड कम्पनी लि०

(5) सिन्कलेयर्स होटल्स एंड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा० लि०

(6) शरत चटर्जी एंड कम्पनी प्रा० लि०

(7) सुरेका वाणिज्य उद्योग प्रा० लि०

(ग) इन आवेदन पत्रों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में विकलांग लोगों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराया गया सरकारी रोजगार

1921. **श्री मूलचन्द डागा**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 को देश में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में मनाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने देश में विकलांग लोगों की कुल संख्या और उनकी विकलांगता का स्वरूप सुनिश्चित किया है और यदि हां, तो देश में नेत्रहीन, शारीरिक दृष्टि से विकलांग, गूंगे बहरे आदि लोगों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे लोगों की विकलांगतावार संख्या क्या है जिन्हें वर्ष 1981 के दौरान सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं और क्या वर्ष 1982 में भी विकलांगों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी और यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या होगी ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्णतया दृष्टिहीन, पूर्णतया गूंगे और पूर्णतया अपंगों के बारे में 1981 की जनगणना के आंकड़े विवरण में दिये गए हैं। जुलाई-दिसम्बर, 1981 में राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों का नमूना सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण के परिणाम अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में श्रेणी "ग" और "घ" पदों में विकलांगों के लिए 3% पदों को आरक्षित किया है। जनवरी-सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान सरकारी नौकरियों में लिए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

(1) दृष्टिहीन	186
(2) गूंगे और बधिर	252
(3) अस्थि विकलांग	546
योग	984

आरक्षण 1982 में भी जारी रहेगा।

इसके अतिरिक्त, बहुत सी राज्य सरकारों ने राज्य क्षेत्र में विकलांगों के लिए 2 से 4 प्रतिशत तक पदों को आरक्षित किया है।

विवरण

(1981 की जनगणना के गृह सूचीबद्ध आप्रेशन्स के आधार पर अनुमानित आंकड़े)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	गृह सूचीबद्ध करने की तिथि	विकलांग जनसंख्या 1980		
			पूर्णतया दृष्टिहीन	पूर्णतया अपंग	पूर्णतया गूंगे
1	2	3	4	5	6
	भारत राज्य		478,667*	363,600*	276,691*
1.	आन्ध्र प्रदेश	मई, 1980	39,902	30,070	30,580
2.	असम	—	—	—	—
3.	बिहार	अप्रैल, 1980	39,719	35,232	23,784
4.	गुजरात	अप्रैल, जून और जुलाई, 1980	23,442	32,386	12,571
5.	हरियाणा	अप्रैल, 1980	7,656	4,828	3,359

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	अप्रैल,मई और जुलाई, 1980	3,924	2,695	4,095
7.	जम्मू और कश्मीर	मई, 1980	3,891	5,019	4,885
8.	कर्नाटक	अप्रैल मई, 1980	18,106	19,011	17,613
9.	केरल	मार्च, अप्रैल और मई, 1980	8,178	12,056	10,819
10.	मध्य प्रदेश	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	53,451	34,228	14,194
11.	महाराष्ट्र	मार्च,मई, जून और जुलाई, 1980	36,964	26,365	19,063
12.	मणिपुर	सितम्बर, 1980	620	703	844
13.	मेघालय	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	1,117	749	811
14.	नागालैंड	मई, 1980	518	573	1,701
15.	उड़ीसा	अप्रैल, 1980	27,625	19,911	13,762
16.	पंजाब	अप्रैल, 1980	9,047	6,389	3,892
17.	राजस्थान	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	46,465	21,517	12,061
18.	सिक्किम	अप्रैल, मई 1980	182	360	1,941
19.	तमिलनाडु	जुलाई, अगस्त 1980	29,215	30,088	28,128
20.	त्रिपुरा	मई, जून, 1980	1,521	1,494	1,128
21.	उत्तर प्रदेश	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	93,618	41,502	29,436
22.	पश्चिम बंगाल	अगस्त से अक्तूबर, 1980	29,155	34,129	37,671
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	69	114	79

1	2	3	4	5	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल, मई, 1980	738	401	1,487
25.	चंडीगढ़	मई, 1980	98	164	83
26.	दादरा और नगर हवेली	मार्च, अप्रैल, 1980	90	63	72
27.	देहली	सितम्बर, 1980	1,962	2,158	1,037
28.	गोवा, दमन, द्वीप	मार्च, अप्रैल, 1980	463	643	525
29.	लक्षद्वीप	मार्च, 1980	75	35	45
30.	मिजोरम	सितम्बर, अक्तूबर, 1980	366	430	751
31.	पांडिचेरी	जुलाई, अगस्त, 1980	480	287	275

टिप्पणी : *असम को छोड़कर जहां कि गृह सूचीबद्ध आप्रेशन्स नहीं किया गया था।

वज-वज नमखाना लाईन

1922. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वज-वज से नामरवाना तक एक नई रेल लाइन और लक्ष्मीकान्तपुर से कुलपी तक एक सम्पर्क लाइन की मंजूरी दे दी गई है और इसे वर्ष, 1981 के रेलवे के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और अब तक कितना काम पूरा हो गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस परियोजना को 1981-82 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) वज-वज से नामखाना तक की लाइन की लम्बाई लगभग 92.7 कि० मी० और लक्ष्मीकान्तपुर से कुलपी तक 9.1 कि० मी० है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 20.77 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित लाइन सियालदह मंडल के विद्युतीकृत उपनगरीय खंडों, अर्थात् वज-वज, डइमण्ड हार्बर और लक्षीकान्तपुर के टर्मिनल स्टेशनों को जोड़ेगी तथा विद्युतीकृत उपनगरीय सेवाएं प्रदान करेगी यह पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र, जो मुख्यत: अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण अविकसित रह गया है, के विकास में भी सहायक होगी।

(ग) और (घ) योजना आयोग की इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति के लिए लिखा गया है और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जाएगी।

त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

1923. **श्री ए० नीलालोहिथादमन नाडार** । क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम, केरल में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना को अन्तिम रूप से मंजूरी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) केरल सरकार का कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) फिलहाल त्रिवेन्द्रम, केरल में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जयपुर में पहले ही एक राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहा है। वैसे, आयुर्वेद में उच्च अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए केरल में एक भारतीय संस्थान खोलने का एक प्रस्ताव है। यह संस्थान केन्द्र सरकार, केरल सरकार और केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य कर रहे कुछ वर्तमान संस्थानों/यूनिटों को मिलकर खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए पहले आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की क्लीयरेंस लेने का विचार है। तत्पश्चात केरल सरकार से औपचारिक अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा।

कुमारघाट-अगरतला लाईन

1924. **श्री अजय विश्वास :**

श्री वाजूबन रियान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुमार घाट से अगरतल्ला तक 33 कि० मी० नई लाईन के निर्माण के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके निर्णय में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर परिषद ने कुमारघाट से अगरतल्ला तक (120 कि० मी०) के रेल सम्पर्क के लिए अपने खर्च पर प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण (अद्यतन) के काम को प्रायोजित किया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन को हिदायत दी गयी है कि इस सर्वेक्षण को यथा-सम्भव शीघ्र पूरा किया जाये। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने तथा इस परियोजना की तकनीकी और वित्तीय सक्षमता का भली-भांति मूल्यांकन करने के पश्चात इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा। नयी लाइनों के निर्माण के लिए योजना आयोग की स्वीकृति भी अपेक्षित है। अत: फिलहाल यह कहना सम्भव न होगा कि इस परियोजना का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा।

रेलवे में कम्प्यूटर प्रणाली

1925. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरमंत्रालयीय दल, जिसने रेलवे में कम्प्यूटर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए विदेशों का दौरा किया था, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दल के द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दल का प्रतिवेदन कब उपलब्ध हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दल की रिपोर्ट मार्च, 1982 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों में फैलोशिप धारक

1926. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में उन फैलोशिप धारकों का ब्योरा क्या है जिन्होंने अपना एम० फिल/पी० एच० डी० कार्य पूरे नहीं किए हैं;

(ख) उनकी शोध के विषय क्या हैं, तथा उनके पर्यवेक्षक का ब्योरा क्या है, तथा उन्हें किस वर्ष पंजीकृत किया गया है;

(ग) उन्हें विश्वविद्यालय से फैलोशिप की कितनी धनराशि मिलती है;

(घ) क्या सरकार को किसी भी संसद सदस्य से इन आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि फैलोशिप धारक कोई अनुसंधान कार्य नहीं करते; और

(ङ) यदि हां, तो की गई जांच के परिणाम क्या हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3480/82]

कुलियों की नियुक्ति का मानदण्ड

1927. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों द्वारा कुलियों की नियुक्ति के लिए अपनाएं जाने वाले मानदण्ड का ब्योरा क्या है; और

(ख) उस उद्देश्य के लिए लाइसेंस देने का क्या मानदण्ड है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ियों तक तथा वहां से यात्रियों के सामान को ढोने वाले लायसेंसधारी भारिकों की संख्या स्टेशन पर होने वाले यातायात की मात्रा के आधार पर निश्चित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए लायसेंस उपयुक्त उम्मीदवारों को, जो निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं, दिये जाते हैं :

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर का कार्य न करना

1928. **श्री रामविलास पासवान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर पिछले एक वर्ष से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सभी सर्विस इंजीनियरों को विद्यालय के खर्च पर विदेशों में प्रशिक्षित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिससे कम्प्यूटर के मामले में कोई अनुभव नहीं है स्कूल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण कर्मचारियों तथा संकाय के सदस्यों में असन्तोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) व्यापक तथा सतत प्रयोग के कारण एक संगणक, जो लगभग समाप्त हो चुका है, में प्रायः खरावी हो जाती है। अन्य संगणक, जो लघु प्रणालियों के हैं, सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1,19,900 रुपए (लगभग)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे के दलसिंह सराय स्टेशन पर एक मालगाड़ी द्वारा मारे गए व घायल किए गए व्यक्ति

1929. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जनवरी, 1982 को पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-समस्तीपुर अनुभाग के दलसिंह सराय स्टेशन पर एक माल गाड़ी द्वारा अनेक व्यक्ति मारे तथा घायल किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 21-1-1982 को गाड़ी नं० 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस 17.50 बजे दलसिंह सराय स्टेशन की लाइन नं० 3 पर पहुंची। जब डाउन गड़हरा विशेष माल गाड़ी जो पहले से ही लाइन नं० 2 पर खड़ी थी, 17.55 बजे चलने लगी तो चार व्यक्ति, जो पैदल ऊपरी पुल के बदले पटरी को पार कर रहे थे, घायल हो गये, जिनमें से 2 व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हो गयी। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, ने व्यक्ति चलती गाड़ी के सामने से पटरी को पार कर रहे थे और वे इस दुखद घटना के स्वयं जिम्मेदार हैं।

अधिक कीमती मशीनी औजारों की खरीद

1930. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विभिन्न कार्यशालाओं के लिए विश्वव्यापी टेंडरों के माध्यम से करोड़ों रुपयों की कीमत के अधिक कीमती मशीनी औजार खरीदे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आयातित मशीनरी की तुलना में देश में निर्मित मशीनरी पर विचार करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) स्वदेशी मशीनरी सम्भरणकर्त्ताओं तथा विदेशी मशीनरी सम्भरणकर्ताओं के साथ पिछले छः महीनों के दौरान हस्ताक्षर किए गए ऐसी संविदाओं का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि चयन करते समय स्वदेशी सम्भरणकर्ताओं की उपेक्षा की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) देशी और आयातित मशीनों के लिए सभी प्रस्थापनाओं का वाणिज्यिक तथा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। आयातित प्रस्थापनाओं की तुलना में देशी प्रस्थापनाओं के लिए मूल्य में 15% तक तरजीह दी जाती है। इन प्रस्थापनाओं की तुलना उन दरों के आधार पर की जाती है जिनकी गणना देशी प्रस्थापनाओं के मामले में बिक्री कर, उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्कों और विदेशी प्रस्थापनाओं के मामले में सीमा शुल्क तथा अन्य आयातित करों को छोड़कर गंतव्य स्थल तक रेल पर्यन्त निशुल्क के आधार पर की जाती है।

(ग) अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि में देशी और विदेशी मशीन संभरकों को दिये गये ठेकों के दो विवरण संलग्न हैं।

(घ) जी नहीं। दूसरी ओर जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) में कहा गया है देशी संभरकों को मूल्य में 15 प्रतिशत तक तरजीह दी जाती है।

विवरण-1

क्र०सं०	निविदा सं०	फर्म	मशीन और संयन्त्र का विवरण	संख्या
1.	63/81	मै० के० जी० खोसला कम्प्रैसर्स लि० नयी दिल्ली	रेसीप्रोकेटिंग पिस्टन एयर कम्प्रैसर्स	4
2.	67/81	मै० वोल्टमस लि० बम्बई	पहिया और टायर बोरिंग मशीनें	3
3.	68/81	मै० किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०, पुणे	,,	5
4.	69/81	,,	,,	2
5.	71/81	मै० एच० एम० टी० लि० बेंगलूरु	होरिजैन्टल मीडियस ड्यूटी मिलिंग मशीनें	5
6.	72/81	,,	हैवी ड्यूटी होरिजैन्टल मिलिंग मशीनें	4
7.	73/81	,,	मिडियम ड्यूटी वर्टीकल मिलिंग मशीनें	2
8.	74/81	,,	हैवी ड्यूटी वर्टीकल मिलिंग मशीनें	4
9.	75/81	,,	मीडियम ड्यूटी यूनिवर्सल मिलिंग मशीनें	18
10.	76/81	,,	हैवी ड्यूटी यूनिवर्सल मिलिंग मशीनें	16
11.	83/81	मै० वाटलीवांय एंड के० लि०, बम्बई	लाइट ड्यूटी बर्टीकल मिलिंग मशीनें	1
			जोड़	64

विवरण-2

क्र०सं०	निविदा सं०	फर्म	मशीन और संयंत्र का विवरण	संख्या
1.	57/81	मै० हाउडन कम्प्रैसर्स लि०, यू० के०	रोटेरी स्क्रू एयर कम्प्रैसर्स	6
2.	58/81	मै० एटचेल्लस मशीनरी लि० इंग्लैंड	हौरिजैन्टल हाट अपसैट फार्जिग मशीनें	4
3.	59/81	मै० नेशनल मशीनरी कं० यू० एस० ए०	हौरिजैन्टल हाट अपसैट फार्जिग मशीनें	14
4.	60/81	मै० इयुप्युको आकतियगेसैल शैफ्ट पश्चिम जर्मनी	,,	11
5.	61/81	मै० विलहैम हर्म होत्म जी० एम० बी० एच० पश्चिमी जर्मनी	रेलवे व्हील प्रैसेज	5
6.	62/81	,,	,,	12
7.	64/81	मै० विलहैम हर्म हेगन्स-चियट जी० एम० बी० एच० पश्चिमी जर्मनी	हैवी ड्यूटी कैरेज एंड वैगन एक्सल जोरनल टर्निगं एण्ड वर्निशिग लेथ्स	9
8.	65/81	,,	हैवी ड्यूटी लोको एक्सल जोरनल टर्निग एंड वर्निशिग लेथ्स	3
9.	66/81	,,	हैवी ड्यूटी कैरेज एण्ड वैगन एंड लोको एक्सल जोरनल टर्निग एण्ड वर्निशिग लेथ्स	8
10.	70/81	मै० वैबस्टर एंड बैनेट लि० यू० के०	हैवी ड्यूटी सी० एन० सी० वर्टिकल व्हील एंड टायर बोरिंग मशीनें	9
11.	77/81	मै० फारटुना वर्के मशीनेन फैब्रिक, पश्चिम जर्मनी	प्रिसिशन सिलेन्ड्रिकल ग्रिंडिग मशीनें	2

1	2	3	4	5
12.	78/81	मै० मुहरण्ड बेन्डर पश्चिम जर्मनी	कम्बाइन्ड शियरिंग पंचिंग क्रापिंग एण्ड नोचिंग मशीनें	13
13.	79/81	मै० एफ० आई० जी० ई० पी० एस० पी० ए० इटली	,, ,,	10
14.	8 /8:	मै० हेनरी पी० ई० एल० एस० एण्ड कं० लि० इंग्लैंड	कम्बाइन्ड शियरिंग पंचिंग एण्ड निबिंग मशीनें	8
15.	81/81	मै० विलहैम हेगन्सचियट जी० एम० बी० एच० पश्चिमी जर्मनी	अन्डर फ्लोर पिट टाइप व्हील लेथ्स	7
16.	82/81	,,	,,	1
			जोड़	122

आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत यात्री

1931. **श्री आर० प्रभु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को पिछले एक वर्ष के दौरान आरक्षण प्राप्त यात्रियों के डिब्बों में अन्य लोगों के अनधिकार प्रवेश करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशान न किया जाए, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश करने के मामलों की रिपोर्ट मिली है। आरक्षित डिब्बों में तैनात चल टिकट परीक्षकों और डिब्बा परिचरों को ऐसे डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के अनुदेश मौजूद हैं। यद्यपि कई बार उच्छृंखल यात्रियों को नियंत्रित करना कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाता है। रेलवे मजिस्ट्रेट सहित भारी संख्या में चल टिकट परीक्षकों, रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों को तैनात करके, समय-समय पर अचानक गहन जांच की जाती है और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। रेल कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर की गयी लापरवाही को गम्भीर रूप से लिया जाता है और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

स्तन दुग्ध स्थानापन्न सामग्री के विपणन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन

1932. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने स्तन दुग्ध स्थानांपन्न सामग्री जैसे शिशुआहार, फीडिंग बोतलों तथा टैस्टों के विपणन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अपना पूर्ण समर्थन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि निगम में यह बताया गया है कि इस प्रकार विज्ञापनों पर शिशुओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक नेशनल को-आपरेटिव डेरी के एक ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विज्ञापन अभियान शुरू किया है; और

(घ) यदि हां तो ऐसे विज्ञापनों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) शिशु-आहार के उत्पादन और विपणन से संबंधित आचार संहिता के मसौदे पर स्तन-दुग्ध स्थानापन्न सामग्री के विपणन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आचार-संहिता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) आचार-सहिता के मसौदे में निहित है कि "न तो डिब्बे पर और न ही लेबल पर शिशु का चित्र हो, न ही उन पर कोई अन्य चित्र अथवा लेख हो जिससे कि शिशु-सत्र का आभास मिलता हो।"

(ग) तथा (घ) क्योंकि आचार-संहिता अभी मसौदे के रूप में है, अतः कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य की निगरानी तथा यौन सम्बन्धी शिक्षा के सम्बन्ध में दिल्ली में उच्च अधिकार प्राप्त समिति

1933. **श्री डी० एम० पुते गौडा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य की निगरानी तथा यौन-सम्बन्धी शिक्षा के बारे में दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था; और

(ग) समिति की शिफारिशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं और समिति इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का किस प्रकार पर्यवेक्षण करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ

शासित क्षेत्र प्रशासन से उच्च स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर एक अखिल भारतीय सेमिनार नई दिल्ली में 18-19 फरवरी, 1982 को आयोजित किया गया था।

(ख) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में एक राष्ट्रीय संचालन समिति 1 अगस्त, 1980 को गठित की गई थी और इसको जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के समन्वय तथा कार्यान्वयन का पूरा प्राधिकार दिया गया था।

(ग) राष्ट्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर कर रही है। यह सरकार को समन्वय के मामलों पर भी सलाह देती है।

जबलपुर-गोंडिया लाइन का बदलना

1934. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोंडिया छोटी लाइन की बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उपर्युक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जबलपुर गोंडिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का काम कुछ समय पहले पूरा कर लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सर्वेक्षण से पता चला है कि यह प्रस्ताव बहुत ही अलाभप्रद होगा और यातायात की दृष्टि से इस आमान परिवर्तन का यथेष्ट औचित्य नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा धन, जो पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है, की अत्यधिक कमी के कारण फिलहाल इस प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण घोटालों में कुलियों का कथित हाथ

1935. **श्री ई० के० इम्बीचीबावा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुछ कुलियों का कदाचारों में हाथ पाया गया था और आरक्षण घोटालों में भी उनका हाथ पाया गया था;

(ख) क्या रेलवे के किसी अन्य कर्मचारियों का भी आरक्षण घोटालों में हाथ पाया गया था;

(ग) उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ लाइसेंसधारी कुलियों को डिब्बों में सीटों को रोकने के कदाचार में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कदाचार में अन्तर्ग्रस्त पाये गये लाइसेंसधारी कुलियों के लाइसेंस रद्द कर दिये गए हैं। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

केसिंगा पर अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाना

1936. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केसिंगा कालाहान्डी के लोगों से कालाहान्डी, कोरापुट के लोगों की सुविधा के लिए वाल्टेयर-रायपुर रेलवे लाइन पर केसिंगा, उड़ीसा पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा स्थित रेलवे गोदामों पर छापा मारना

1937. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सतर्कता विभाग ने हावड़ा स्थित रेलवे गोदामों पर हाल में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को;

(ग) क्या यह सच है कि इस छापों के दौरान रेलवे कर्मचारियों के एक वर्ग की बहुत-सी गैर-कानूनी गतिविधियां प्रकाश में आई थीं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। छापा हावड़ा के खोया सामान गोदाम टाप शेड नं0 4 पर मारा गया था।

(ख) 7-11-81, 9-11-81 और 11-11-81 को।

(ग) से (ङ) इस चरण पर कोई सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

समाचार पत्रों को रेलवे विज्ञापन देना

1938. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता उस क्षेत्र के विज्ञापनों को समाचार पत्रों को देने की व्यवस्था करता है;और

(ख) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1980 और 1981 में विज्ञापन दिए गए थे और उनमें से प्रत्येक को कितने-कितने विज्ञापन दिए गए हैं और विज्ञापन देने का आधार क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गैर-लाइसेंसधारी कुली

1939. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कितने गैर लाइसेंसधारी कुली कार्य कर रहे हैं, उनका स्टेशनवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस दोष को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर केवल लायसेंसधारी भारिकों को ही भारिकों के रूप में काम करने का अधिकार है। अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली की सड़कों को चौड़ा करना तथा उनमें सुधार करना

1940. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) दिल्ली की उन सड़कों तथा चौराहों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1981-82 में यातायात की सुविधा के लिए चौड़ा किया जा रहा है तथा सुधार/मरम्मत की जा रही है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा किस आधार पर किसी सड़क को चौड़ा करने तथा उसमें सुधार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली नगर निगम वर्ष 1981-1982 के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना में जिन बड़ी सड़कों और छोटी सड़कों पर सुधार कार्य/चौड़ा करने का कार्य कर रहा है उनके नाम उक्त निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण के रूप में संलग्न है। इस कार्य के लिए 1,337.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ख) एशियाई खेल, 1982 के दौरान जिन बड़ी सड़कों छोटी सड़कों पर यातायात की भीड़ अधिक होने की सम्भावना है, उनके निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गयी है। इसके अलावा, यातायात की आवश्यकता नक्शे की स्वीकृति और धनराशि उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए सड़कों को चौड़ा करने और सुधार कार्य करने की प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

क्र० स०	कार्य के नाम	खर्च (रुपये लाख में)
1.	आर्य समाज मार्ग से पूसा रोड तक गुरुद्वारा रोड के चौड़ा करने एवं सुधार करने का कार्य	3.00
2.	रणजीत नगर क्रोसिंग से नारायण रोड क्रोसिंग के बीच पटेल रोड को किये जाने तथा सुधार करने का कार्य।	1.10
3.	लोअर बेरल रोड का सुधार	2.20
4.	अण्डरहिल रोड को चौड़ा करने तथा सुधार करने का कार्य।	2.20
5.	अशोक बिहार में 100 फुट चौड़ी सड़क का सुधार कार्य।	3.25
6.	जेल रोड को चौड़ा करने और सुधार कार्य	21.25
7.	सड़क संख्या 34 को चौड़ा करने तथा सुधार करने का कार्य (नजफगढ़ रोड से रिंग रोड नक पटेल रोड का विस्तार)	14.67
8.	तिलक नयर में नजफगढ़ रोड से श्मशान भूमि तक की सड़क को चौड़ा करने तथा सुधार कार्य।	2.26

1	2	3
9.	रिंग रोड से सेवा नगर तक भीष्म पितामह रोड को चौड़ा करने तथा सुधार करने का कार्य ।	30.00
10.	लाल बहादुर-वीम सावरकर इण्टर सेक्शन को चौड़ा करने तथा सुधार करने का कार्य ।	21.99
11.	मथुरा रोड और लोधी रोड इण्टर सेक्शन का चौड़ाकरण और सुधार कार्य ।	21.27
12.	आउटर रिंग रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य (ग्रेटर कैलाश 11 से कालकाजी तक)	51.00
13.	फिरोज गांधी मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य ।	15.72
14.	राजघाट रोड	21.00
15.	सड़क सं० 13 (चिराग दिल्ली सड़क से महरौली रोड तक)	8.00
16.	भोलानाथ नगर रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य ।	1.00
17.	आजादपुर से यू० पी० बोर्डर तक जी० टी० रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य ।	8.00
18.	घोंडा चौक से गमेरी तक चगोड़ी रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य ।	10.00
19.	पटपड़गंज रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य	10.00
20.	पांडव रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य	2.00
21.	गीता कालानी बस स्टेंड से शास्त्रीनगर ब्लाक-13 तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य	2.00
22.	जी० टी० रोड से करावल गांव तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य	5.00
23.	झिमिली रोड का चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य	10.00
24.	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र फेज XXXII की सड़कों को सुधारना एवं मजबूत बनाना सड़क सं० "ग" पर बी० एम० पर बी० एम० लगाना	30.00

2	2	3
25.	सड़क सं० ग-55 पर बिटुमिनस मकादम बिछाना	30.00
26.	सड़क "ग"-47 पर विटुमिनस मकादम बिछाना	30.00
27.	पटपड़गंज सड़क से एक ब्लाक कृष्णानगर तक की सड़क को पक्का करना	30.00
28.	सं० ग-47-58 की सभी सड़कें वर्ष 1981-82 में आवश्यकतानुसार मरम्मत की जा रही है	30.00
29.	महरौली बदरपुर रोड	15.00
30.	जखीरा से तिलकनगर तक नजफगढ़ रोड	30.00
31.	नजफगढ़ रोड से रेलवे क्रोसिंग तक पंखा रोड	5.00
32.	तिलकनगर से पंखा रोड तक नजफगढ़ रोड	8.00
33.	जेल रोड लेवल क्रोसिंग से रिंग रोड तक स्टेशन रोड और मोडे रोड	50.00
34.	नरौला अलीपुर रोड	10.00
35.	सड़क सं० 3	30.00
36.	पटपड़ गंज रोड	10.00
37.	पंचकुईयां रोड से बसन्त रोड का 1250 फुट की लम्बाई तक चौड़ीकरण और सुधार कार्य	7.00
38.	इनर रिंग रोड का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य (फोर्थ एवंन्यू रोड से गुम्बज तक लोधी रोड)	100.00
39.	रणजीत सिंह रोड का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य	20.00
40.	आसफअली रोड का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य	90.00
41.	जवाहरलाल नेहरू मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य जिसमें रणजीत सिंह मार्ग तक इन्टरसेक्शन शामिल है	90.00

'मारूधर एक्सप्रेस' को डीजल द्वारा चलाना तथा रोजाना चलाना

1941. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा उसके महत्व को देखते हुए 'मारूधर एक्सप्रेस' में डीजल इन्जन लगाने तथा इस गाड़ी को नियमित रूप से चलाये जाने के लिये विभाग द्वारा कब तक निर्णय किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस समय संसाधनों की कमी के कारण 503/504 जयपुर-जोधपुर मरूधर एक्सप्रेस में डीजल इन्जन लगाने अथवा इसे सप्ताह में 6 दिन की बजाय प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और प्रभावी बनाना

1942. **श्री जेवियर अराकल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों तथा गठन पर पुनः विचार करेगी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई सिफारिश की गई है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और प्रभावी बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने के संदर्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाना सरकार का सतत लक्ष्य व प्रयत्न है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त अध्यापकों का सेवाकाल आगे बढ़ाना

1943. **श्री दौलत राम सारण** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवावधि बढ़ाने के बारे में सरकार तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या नीति है;

(ख) उन अध्यापकों का ब्यौरा क्या है जिनके सेवाकाल को बढ़ाने के लिए इस समय विचार किया जा रहा है; विभिन्न स्कूलों/केन्द्रों द्वारा सेवाकाल बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों के नामों की सिफारिश करने के लिए मानदण्ड क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक ने विश्वविद्यायय में कितने वर्ष तक सेवा की है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने कितने एम० फिल०/पी० एच० डी० शोधों का सफलता-पूर्वक पर्यवेक्षण किया; और

(घ) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त अध्यापकों के सेवाकाल में स्वतः वृद्धि हो जाने से कनिष्ठ अध्यापकों के लिए पदोन्नति के रास्ते बन्द हो जाएंगे और बेरोजगार युवा विद्वानों के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे; यदि हां, तो सरकार का सेवानिवृत्त लोगों का सेवाकाल बढ़ाने से पहले ऐसी अड़चनों को समाप्त करने के लिए क्या योजना शुरू करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्वाचन की आयु के बाद, जो 60 वर्ष है, अध्यापकों की सेवावधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के हित में किसी अध्यापक की पहले-पहल उसकी सेवानिवृत्ति के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिये पुन. नियुक्त कर सकती है बशर्ते कि उस अध्यापक की आयु 65 वर्ष की न हो गई हो। इस प्रकार की पुन: नियुक्ति कुलपति की सिफारिशों पर जो विश्वविद्यालय के केन्द्रों/स्कूलों द्वारा किये गये प्रस्तावों की सीनियर संकाय सदस्यों के परामर्श से जांच करता है, कार्यकारी परिषद द्वारा की जाती है :

निम्नलिखित तीन अध्यापकों की पुन: नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है, जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

अध्यापक का नाम	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की गयी सेवावधि	उनके पर्यवेक्षण में एम० फिल/पी० एच० डी० प्राप्त करने वालों की संख्या	
		एम० फिल०	पी० एच० डी०
1	2	3	4
(1) प्रो० सतीश चन्द्र	1-9-1970 से 14-1-1973 तथा 15-1-1981 से आगे	2	3
(2) प्रो० आर० एम० बाकया	17-7-1967 से 17-4-1982 तक	—	1
(3) प्रो० राम राहुल	2-12-1961 से 21-7-1981 तक	3	1

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पुन: नियुक्ति अपने आप नहीं की जाती, और यह केवल असाधारण मामलों में ही की जाती है।

दिल्ली परिवहन निदेशालय में भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला

1944. **श्री जगपाल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में दिल्ली परिवहन प्राधिकरण में "रिश्वत की दर चढ़ी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया जिसमें परिवहन निदेशालय में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर प्रकाश डाला है कि कर्मचारियों को रिश्वत दिये बिना कोई काम करा लेना असम्भव है, कर्मचारियों की ओर से रुपया उगाहने के लिये दलालों की नियुक्ति की जाती है ।

निदेशालय के सतर्कता विभाग द्वारा एक दलाल को रिश्वत लेते हुये रंगे, हाथ पकड़ा जाना, जिसके द्वारा यह रहस्योघाटन किया गया कि उसमें सभी का हिस्सा होता है, और उस दलाल का नाम और पता निदेशालय की पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली परिवहन निदेशालय को निर्दोष बनाने, उसके कार्यनिष्पादन को पूर्णरूपेण प्रभावोत्पादक और सोद्देश्य ढंग से चलाने के लिये की गई कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) चार्टर बसों के रूट में ठेके की गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि निदेशालय में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं । समय-समय पर छापे मारे जाते हैं और दलालों से बचने के लिए इश्तहारों द्वारा चेतावनी भी दी जाती है । इसके अलावा एक ही विषय का काम करने वाले अधिकारियों को समय-समय पर स्थानांतरित भी किया जाता है ।

(घ) कानूनी व्यवस्थाओं का कड़ाई के साथ लागू करने की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों पर बराबर जोर दे रही है ।

मोटर चालकों द्वारा प्रेशर होर्नों और रंगीन बीम लाइट के प्रयोग पर पाबन्दी लगाना

1945. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मीटर चालकों द्वारा प्रेशर होर्नों और रंगीन बीम लाइट का बार-बार के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिसके कारण दुर्घटनायें होती हैं, कान खराब होते हैं, शोर प्रदूषण होता है और लोगों को परेशानी होती है; और

(ख) इस सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के उपबन्धों को लागू करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों में हार्न और संकेत देने के उपकरणों के बारे में नियम बनाने का अधिकार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 के तहत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को मिला हुआ है। इस एक्ट की धाराओं और इनके तहत बने नियम को कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है। केन्द्रीय सरकार गाड़ियों के प्रचालन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों पर जोर देती रही है जिससे दुर्घटनायें और ध्वनि प्रदूषण आदि होने की सम्भावना को दूर किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने हार्न के बारे में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट मानकों की ओर भी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान आकृष्ट किया है। गाड़ियों में रोशनी की उचित व्यवस्था के विकास की जांच करने और इस प्रकार के उपकरण सभी गाड़ियों में लगाने के लिए मोटर गाड़ी निर्माताओं से अनुरोध करने के लिए भारी उद्योग मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की प्रशासन और परिचालन नियंत्रक प्रभार योजना

1946. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में परिवहन निगम ने प्रशासन और परिचालन नियंत्रक प्रभार (ए० ओ० सी० सी०) योजना फिर से आरम्भ कर दी है जो 1978 में बन्द कर दी गई थी और जिसके बारे में विभिन्न समितियों ने इस प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम सम्बन्धित प्राधिकारी की बिना अनुमति के ए० ओ० सी० सी० योजना पुनः चालू की है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को फिर से लागू करने के क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने मई 1970 में यह निर्णय किया था कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली प्राइवेट आपरेटरों की स्टेंडर्ड साइज की बसों को देय दरों में वृद्धि करने के साथ साथ प्रशासनिक और प्रचालन नियंत्रक प्रभार स्कीम के तहत चलने वाली स्टेंडर्ड साइज की बसों के आपरेटरों को किलोमीटर स्कीम अपनाने का विकल्प दिया जाय। इस विकल्प के देने के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड साइज की सभी बसें 31 मार्च, 1978 से किलोमीटर स्कीम के तहत आ गयीं। इसी प्रकार दिल्ली परिवहन निगम ने बाद में मई 1979 में यह निर्णय किया कि प्रशासनिक और प्रचालन नियंत्रण प्रभार स्कीम के तहत चलने वाली सभी मिनी बसों को किलोमीटर स्कीम में शामिल कर लिया जाय। लेकिन स्नातक उद्यमकर्ताओं ने जो दिल्ली परिवहन निगम की प्रशासनिक और प्रचालन नियंत्रण प्रभार के तहत मिनी बस चला रहे थे इस बात पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय

में मुकदमा दायर कर दिया जिसने इस विषय में स्थायी रूप से रोक आदेश दिया। स्नातक मिनी बस आपरेटरों ने जुलाई, 1981 में अपना मुकदमा वापस ले लिया। दिल्ली परिवहन निगम ने मामले पर विचार करने के बाद इन्हें प्रशासनिक व प्रचालन नियंत्रण प्रभार स्कीम के तहत बस चलाने की मंजूरी दी। इस प्रकार जहाँ तक स्नातक उद्यमकर्ताओं द्वारा प्राइवेट मिनी बस चलाने का सम्बन्ध है प्रशासनिक व प्रचालन नियंत्रण प्रभार स्कीम वस्तुत: निरन्तर लागू रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने अपने बोर्ड के अनुमोदन के बाद 9 दिसम्बर, 1981 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आपरेटरों को अपनी बसें प्रशासनिक व प्रचालन नियंत्रण प्रभार स्कीम में बदलने की अनुमति दी है। दिल्ली परिवहन निगम ने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की मिनी बसों को भी प्रशासनिक व प्रचालन नियंत्रण प्रभार स्कीम के तहत फिर से आने की 1 अगस्त, 1981 से मंजूरी दी है जो दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड के विचाराधीन है।

आसनसोल स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधायें

1947. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल मन्त्रालय द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण आसनसोल स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल सुविधा के विकास के सम्बन्ध में अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट को 1982-83 के बजट में शामिल करने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप और डाउन माल बाई पास लाइन से सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण रपट के भाग-I को पूर्व रेलवे द्वारा पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। लेकिन लागत में कमी लाने के लिए इसका आशोधन किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का शेष भाग भी काफी हद तक पूरा हो चुका है।

(ख) आशा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट का भाग-I जून, 1982 तक और भाग-II सितम्बर 1982 तक प्राप्त हो जायेगा।

(ग) परियोजना रिपोर्ट का रेल मंत्रालय में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जायेगा। धन की उपलब्धता और विभिन्न यातायात सम्बन्धी सुविधा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर ही यह निर्णय लिया जायेगा कि आसनसोल यार्ड में कितने धन का निवेश किया जाना चाहिए।

आर० के० पुरम सेक्टर-I से मुद्रिका सेवा

1948. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की जे० जे० कालोनियों के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जो आर० के० पुरम में नित्य प्रति सुबह काम करने आते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं, को राहत देने के उपाय के रूप में आर० के० पुरम सेक्टर-1 नई दिल्ली से मुद्रिका सेवा चालू करने के बारे में विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) शहर के विभिन्न मार्गों को सीधी बस सेवा के उद्देश्य से मुद्रिका सेवा शुरू की गयी है जो शहर में से होकर नहीं जाती है और न भीड़ वाले इलाकों से होकर ही आती जाती है। मुद्रिका सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रिंग रोड से और उल्टी दोनों दिशाओं से चलती है। रिंग रोड से हटाकर मुद्रिका सेवा को रिंग रोड से मोडकर अन्य सड़क पर चलाना उचित नहीं समझा गया है। रिंग रोड में कई स्थानों पर रामकृष्ण पुरम को कई बसें आती जाती हैं। मुसाफिर इन स्थानों पर बसें बदल कर आसानी से रामकृष्ण पुरम आ जा सकते हैं।

पारादीप बन्दरगाह के रास्ते लौह अयस्क निर्यात में गिरावट आना

1949. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी गिरावट आई है;

(ग) मार्च 1982 तक पारादीप बन्दरगाह को कुल कितनी संचित हानि हुई है; और

(घ) लौह अयस्क लाने के लिए पारादीप बन्दरगाह पर जहाजों के न आने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1975-76 में पारादीप पत्तन पर 2·70 मिलियन टन कच्चे लोहे का यातायात हुआ। इसके बाद पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात कम होता रहा है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में इस पत्तन से निर्यात किये गये कच्चे लोहे की मात्रा नीचे दी गई है।

वर्ष	कच्चे लोहे की मात्रा (मिलियन टन)
1978-79	1.73
1979-80	1.65
1980-81	1.82

(ग) मार्च 1981 तक पारादीप पत्तन का कुल संचित घाटा 26·16 करोड़ रुपये है। 1981-82 में अनुमानत: 7·25 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

(घ) जपानी इस्पात मिलों ने जो पहले इसकी मुख्य खरीददार होती थी चालू वर्ष में परादीप पत्तन से कच्चा लोहा नहीं लिया है। इनका कहना है कि यहां पर समुद्र का ड्राफ्ट कम रहने और कच्चा लोहा रखने उठाने की मशीनों की कार्यक्षमता कम होने के कारण यहां से कच्चा लोहा नहीं लिया गया।

मारवाड़ भीनमल स्टेशन प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण

1950. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर मन्डल के मारवाड़ भीनमल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड का निर्माण किये जाने की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस शैड का निर्मित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस शैड का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक नहीं। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन धन की तंगी के कारण अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया जा सका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी

1951. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संगठन, दिल्ली शाखा द्वारा 8 अप्रैल, 1981 को हुई सभा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को घटिया वर्दी के बारे में मांग की गई थी जो कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों को दी जा रही वर्दी के मुकाबले में स्पष्टतः निम्न कोटि की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक द्वारा दिये गये आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) से (ग) हां, अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ की दिल्ली शाखा ने 8 अप्रैल, 1981 को हुई अपनी बैठक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के समूह "घ" कर्मचारियों को दी जा रही वर्दियों के घटिया होने के बारे में अभिवेदन किया। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियां सरकारी नीति के

अनुसार खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदी जाती हैं । निदेशक (के० स० स्वा० योजना) ने इस बारे में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में इस स्थिति को जानने और इस पर आवश्यक कार्यवाही करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे नया यमुना पुल

1952. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे यमुना पर एक नये पुल का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बगल दीवालों को उठा कर सड़कों को चौड़ा कर पर्याप्त स्ट्रीट प्रकाश की व्यवस्था करके ओवराय होटल को जोड़ने वाली रेल लाइन पर सड़क निर्माण इत्यादि करके तेज चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा के कारण उस पुल का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ग) इस पुल का पूर्ण उपयोग करने और सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पीछे यमुना नदी पर पुल का निर्माण कुछ साल पहले पूरा हो गया था और यह यातायात के लिए खुला है ।

(ख) और (ग) इस पुल का उपयोग मौजूदा यातायात के लिये किया जा रहा है और यह तेज चलने वाली गाड़ियों के लिये पर्याप्त रूप से सुरक्षित है । यहां मानक पद्धति के आधार पर फुटपाथ और रेलिंग बनाई गई है । सड़क पर रोशनी की व्यवस्था के लिए कार्य हो रहा है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर गाजियाबाद बाईपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर जो कि तेजी से चल रहा है, इस पुल पर यातायात में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है । इस बीच रेलवे लाइन के नीचे एक पुल का निर्माण कर इस पुल को लोदी रोड से मिलाने के एक प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारगर उपाय

1953. **श्री ई० बालानन्दन :**
श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल के विगत समय से रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कारगर उपाय किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पहले लिए गये निर्णयों का ब्योरा क्या है और अब तक उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने हाल ही में कुछ उपाय निश्चित किये हैं :

(1) महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर राजकीय रेलवे पुलिस के कक्षों की व्यवस्था।

(2) गाड़ी के रेलवे स्टेशन पर रुकते ही, पुलिस और रेल कर्मचारी गश्त लगायें और यात्रियों से उनकी किसी प्रकार की समस्या के बारे में पूछताछ करें।

(3) गाड़ियों में और डिब्बों के बाहर प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना।

(4) उपनगरीय गाड़ियों के महिलाओं के डिब्बों की खिड़कियों में जाली लगाने की व्यवस्था।

(5) रेल मजिस्ट्रेट प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(6) रेल अधिनियम में आवश्यक संशोधन; और

(7) रेलों पर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्थायी समितियों का गठन, जिनमें सिविल पुलिस, रे० सु० ब०, रा० रे० पु०, रेल प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हों।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) 1. इस सम्बन्ध में पहले किये गये कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चयों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(1) राजकीय रेलवे पुलिस को सुदृढ़ करना।

(2) रात के समय सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था।

(3) राज्य के गुप्तचर कक्ष द्वारा रेलों पर हुए सभी गम्भीर अपराधों की जांच-पड़ताल।

(4) रात्रि के समय सवारी डिब्बों के गलियारों को बन्द करना।

(5) गाड़ियों की मार्ग रक्षी व्यवस्था के निष्पादन की उच्च अधिकारियों द्वारा सतत जांच करना।

(6) मार्गरक्षियों को सचेत करने के लिए गैर अनुसूचित स्थानों पर ठहरने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों द्वारा खतरे की सीटी बजाकर संकेत देना।

2. इन उपायों के ठोस परिणामों का अभी पता नहीं लगा है।

छपरा औरीहार और वाराणसी इलाहाबाद लाइनों को बदला जाना

1954. **श्री जैनुल बशर :**
प्रो० सत्यदेव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे में छपरा औरीहार और वाराणसी-इलाहाबाद के बीच छोटी लाइन को बदलने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वाराणसी-औड़िहार-छपरा मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन (205 कि० मी०) में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट सितम्बर 1982 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

वाराणसी-इलाहाबाद खंड (124 कि० मी०) के आमान परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1975 में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया गया था। बहुत ही कम वित्तीय प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया : तथापि, पूर्वोत्तर रेलवे को इस खंड के यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण की अद्यतन करने के लिए कहा गया है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और सर्वेक्षण रिपोर्ट अगस्त, 1982 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर मामले की जाँच की जायेगी।

एशियाड-82 को सफल बनाने के लिये की गई कार्यवाही

1955. **श्री ए० के० बालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड-82 को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ख) विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले व्यय का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल, 1982 के वास्तविक आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय ओलम्पिक संघ की है, जिसने इस प्रयोजन के लिए एक विशेष आयोजन समिति का गठन किया है। तथापि, एशियाड-82 को सफल बनाने के लिए सरकार आवश्यक अवस्थापना की व्यवस्था, उपस्कर की प्राप्ति तथा प्रशिक्षण टीमों के लिए धन की व्यवस्था कर रही है तथा अन्य प्रबन्धों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता भी प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन से सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है। संचालन समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एशियाई खेलों से सम्बन्धित सभी मामलों में मंत्रिमण्डल की ओर से निर्णय ले और आवश्यक संस्वीकृतियाँ प्रदान करे। संचालन समिति ने एशियाई खेलों के आयोजन के लिए प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की देखभाल और ऐसे अपेक्षित प्रबन्धों की प्रगति पर नजर रखने के लिए सात समितियाँ गठित की हैं जिनमें प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व है।

इसके अतिरिक्त, एशियाई खेलों से सम्बन्धित बाधाओं को दूर करने तथा विभिन्न प्रबन्धों को समन्वित करने के लिए सरकार ने आपूर्ति व पुनर्वास राज्य मंत्री सरदार बूटा सिंह को मुख्य समन्वयक तथा श्री के० टी० सतारावाला को समन्वयक के रूप में ही नियुक्त किया है।

सरकार ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों की तैयारी के संचालन का प्रबन्ध किया है जिनमें नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ पूरी तरह से सम्मिलित हैं। प्रशिक्षण में प्रगति की देखरेख करने तथा इसमें सुधार के उपाय सुझाने के प्रयोजन से सरकार ने संसद सदस्य श्री आर० एन० मिर्धा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

सरकार भारतीय भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण संबंधी उपस्करों तथा एशियाई खेलों के वास्तविक आयोजन के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपेक्षित उपस्कार देश में उपलब्ध नहीं हैं, उनके आयात के लिए भी धन की व्यवस्था कर रही है। ऐसे उपस्कर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा आयात किए जा रहे हैं।

उपरोक्त उपायों के अलावा, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न अन्य विभागों/एजेंसियों तथा नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन, भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० आदि जैसे निकायों ने दिल्ली में रिंग रेलवे का विद्युतिकरण, सड़कों को चौड़ा करना, फ्लाई ओवरों का निर्माण, होटलों आदि का निर्माण तथा अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन जैसी अपनी कुछ सामान्य विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया है, ताकि एशियाई खेल, 1982 के समय ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

(ख) इस समय सरकार द्वारा एशियाड-82 के लिए इस समय यथा अनुमोदित 54.83 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को सरकारी कर्मचारियों के लिए परामर्श-अस्पताल घोषित करने का प्रस्ताव

1956. **श्री बो० एस० विजयराघवन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को सरकारी कर्मचारियों के लिए भी परामर्श-अस्पताल घोषित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत आने वाले उन व्यक्तियों के इलाज के लिए एक रेफरेल अस्पताल है जिनके मामले में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की सरकारी विशेषज्ञ/सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल के साथ परामर्श करके निम्नलिखित राय हो :

(i) सरकारी या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या (नियम, 1944 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी अन्य अस्पताल में उसके रोग के इलाज की कोई सुविधा नहीं है।

(ii) यदि रोगी को उसके राज्य से बाहर भेजना हो तो उस राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उसे इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजा जाता है।

(iii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से अधिक नजदीक किसी अन्य मान्यताप्राप्त अस्पताल (सरकारी या मान्यताप्राप्त अन्य अस्पताल) में उसके रोग के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा तथ्य का पता लगाने वाली समिति की नियुक्ति

1957. **श्री के० ए० राजन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ने समाज के कार्य निष्पादन, वित्तीय स्थिति के बारे में तथ्य का पता लगाने वाली कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या हजारों पांडुलिपियों और दुर्लभ वस्तुओं इत्यादि के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 1976 में एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की परिषद ने सोसायटी के कार्यों की जांच करने और संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते डा० प्रतुल चन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेषण समिति नियुक्त की जिसमें सात सदस्य थे।

(ग) समिति ने एशियाटिक सोसायटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(घ) समिति की प्रमुख सिफारिशें पुस्तकालय, प्रकाशन खण्ड की आवश्यकताओं, वातानुकूलन, माइक्रोफिल्मिंग, धूम्रीकरण और पट्टलीकरण की आवश्यकता से सम्बन्धित थी। समिति ने देखा कि एक पूर्णकालिक प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश, सोसायटी के विधान के परिवर्तन की आवश्यकता से सम्बन्धित थी।

(ङ) और (च) भारत सारत सरकार ने एशियाटिक सोसायटी को ऐसे तरीके का सुझाव

दिया जिसमें पांडुलिपियों को परिरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सोसायटी को निम्नलिखित तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं :—

1978-79	वातानुकूलन एकक की स्थापना के लिए 2.00 लाख रुपये
1979-80	1 के० वी० डीजल जेनेरेटर सैट के लिए 85,000.00 रुपये
1980-81	वातानुकूलन संयंत्र चाले करने के वास्ते अपेक्षित उपस्करों के लिये 30,000.00 रुपये।

दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

1958. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी सहायता प्राप्त होस्टल हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं, वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उनमें निवास करने वाली महिलाओं से कितना किराया वसूल किया जाता है; और

(ग) इस समय उनमें कुल कितनी महिलाएं निवास कर रही हैं और प्रत्येक संस्था को कुल कितनी महिलाओं के आवास की व्यवस्था करने की मंजूरी दी गई है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण						
क्रम सं०	होस्टल का नाम	स्थान	लिया गया खर्च	अन्त:वासियों की संख्या		टिप्पणी
				मंजूर की गई संख्या	26.2.1982 की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
	दिवस देखभाल केन्द्र सहित श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए होस्टल					
1.	सरोजिनी हाऊस	भगवान दास रोड	योजना में सिन्गल कमरे के लिए कुल परिलब्धियों के 10 प्रतिशत, दो पंलगों वाले कमरे के लिए 7 प्रतिशत और अन्य कमरों के मामले में 5 प्रतिशत की दर से किराया लेने की व्यवस्था है।**	500	279	**बिजली, पानी और फर्नीचर के लिए किराया अलग से लिया जाएगा।
2.	कमला देवी होस्टल	भगवास दास रोड	—तदैव—	25	25	
3.	बालिका चमन	चेल्म्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने	—तदैव—	40	37	

1	2	3	4	5	6	7
4.	यंगवीमेन एसोसिएशन वर्किन्ग वीमेन्स होस्टल नं० 2	साकेत, मालविया नगर, नई दिल्ली	—तदैव—	280*	104	*निर्माण पूरा नहीं हुआ है । उपलब्ध स्थान का पूरा उपयोग हुआ है ।
5.	वर्किन्ग वीमेन नर्सिस होस्टल	सेन्ट स्टीफन अस्पताल, तीस हजारी	—तदैव—	85	90	
	(जामिया मिलिया इस्लामिया और सर गंगाराम अस्पताल ट्रस्ट को मंजूर किए गए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का क्रमश: जामिया मिलिया और राजेन्द्रनगर में निर्माण हो रहा है)					
	भारत सरकार, सम्पदा निदेशालय द्वारा चलाए गए होस्टल					
6.	वर्किन्ग गर्ल्स होस्टल	कस्तूर्बा गांधी मार्ग नई दिल्ली	यह होस्टल सम्पदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तथा किराया मूलभूत नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत लिया जा रहा है ।			

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

1959. **श्री भीखा भाई :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वार सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आरक्षित पदों को भरने का प्रयत्न किया गया है; यदि हां, तो उनकी नियुक्ति के लिये कौन सा तरीका अपनाया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यद्यपि इस मंत्रालय में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या में कुल मिला कर क्रमिक वृद्धि हुई हैं, तथापि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या, निर्धारित कोटे से अभी भी कम है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न रिआयतों के बावजूद, पहले के वर्षों में इन वर्गों के पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकने के परिणामस्वरूप, उनके प्रतिनिधित्व में कमी हुई है । लेकिन हाल ही में इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है और स्थिति बेहतर होती जा रही है ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की काफी संख्या में भर्ती के लिए, यह मंत्रालय पूरी सतर्कता और सावधानी से गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गए सामान्य निर्देशों में उल्लिखित सभी रियायतें दे रहा है ।

आल इंडिया ट्रक परमिट

1960. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत अथवा अनेक क्षेत्रों (राज्यवार) के लिये आवंटित किये गये तथा 1 जनवरी, 1982 तक परिचालित आल इंडिया ट्रक परमिटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में माल यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार ऐसे परमिटों की संख्या (राज्यवार) बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) यह सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) इन परमिटों में वृद्धि करने के बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । जब आवंटित परमिट राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दे दिये जा चुकेंगे तब स्थिति पर पुनर्विचार करने का विचार है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित परमिटों की संख्या	उपर्वध सूचना के अनुसार अब तक जारी किये गये परमिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	900	779
2.	आसाम	900	458
3.	बिहार	900	450
4.	गुजरात	900	625
5.	हरियाणा	800	572
6.	हिमाचल प्रदेश	600	581
7.	जम्मू और कश्मीर	600	585
8.	कर्नाटक	800	400
9.	केरल	800	400
10.	मध्य प्रदेश	900	449
11.	महाराष्ट्र	900	432
12.	मणीपुर	100	100
13.	मेघालय	100	90
14.	नागालैण्ड	100	56
15.	उड़ीसा	800	605
16.	पंजाब	800	800
17.	राजस्थान	800	420
18.	सिक्किम	100	कुछ नहीं
19.	तमिलनाडु	800	450
20.	त्रिपुरा	400	279
21.	उत्तर प्रदेश	900	446
22.	पश्चिम बंगाल	900	450
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	50
25.	चण्डीगढ़	100	50
26.	दादर नागर और हवेली	100	26
27.	दिल्ली	800	607
28.	गोवा, दमन एण्ड दीव	500	259
29.	लक्ष्यद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30.	मिजोरम	100	कुछ नहीं
31.	पाण्डिचेरी	100	48

तमिलनाडु नमक उद्योग के लिए वैगन आवंटन

1961. **श्री के० राम मूर्ति :**

श्री के० टी० कोसलराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नमक उद्योग के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा वैगन का आवंटन बन्द करने का क्या कारण है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप दक्षिण रेलवे को 12 लाख रुपये प्रतिदिन का नुकसान होगा; और

(ग) क्या इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है जिससे वैगन के लिए किये गये पहले रजिस्ट्रेशन रद्द हो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 19-12-1981 को भारत सरकार द्वारा लिये गये एक निर्णय के अनुसार, दक्षिण रेलवे से कटक से आगे स्थित गन्तव्य स्टेशनों के लिए नमक की बुकिंग पर रेलों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। सरकार द्वारा इस मामले में समीक्षा की गई थी और बुकिंग पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किया जा चुका है और रेल मंत्रालय द्वारा 3-2-82 को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। यथा-स्थिति बना दी गई थी और पहले रद्द किये गये मांग-पत्रों को भी पुन: ले लिया गया था और आजकल नमक का लदान नये मांग-पत्रों पर तत्काल किया जा रहा है।

चक्रधरपुर मंडल में आमंत्रित निविदा

1962. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में पी० डब्ल्यू० आई० विभाग की ओर से पत्र सं०7/सी० के० पी०/81-82 के अन्तर्गत 4 लाख ईंटों की सप्लाई के लिए 10 जुलाई, 1981 को निविदा आमंत्रित की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि निविदा में कम से कम दर देने वाली पार्टी को कार्य नहीं दिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि 10 जुलाई, 1981 को आमंत्रित की गई निविदा के बारे में 27 दिसम्बर, 1980 को निर्णय लिया गया था और उतनी देरी से निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) किसी निविदा के बारे में कितनी बार वार्ता की जा सकती है तथा उक्त निविदा के सम्बन्ध में कितनी बार वार्ता की गई थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रकार मांगी गई निविदाएं 14-8-1981 को खोली गयीं और निविदा समिति द्वारा उन पर विचार किया गया। चूंकि इनमें दी गई दरें ऊंची समझी गयीं, इसलिए निविदा समिति द्वारा समझौता करने की सिफारिश की गई जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, निविदा समिति ने निविदाकारों के साथ 17-10-1981, 9-12-1981 और 28-12-1981 को 3 बार समझौता किया और जिस निम्नतम प्रस्थापना पर समझौता हुआ था उसे स्वीकार करने की सिफारिश की गई। निविदा समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई और जिस निविदाकार के साथ निम्नतम दर पर समझौता हुआ उसे स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया।

(घ) समझौता किये जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सीमा नहीं है। प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती होती है। इस मामले में तीन बार समझौता हुआ था।

पश्चिम रेलवे सामान डिपो

1963. **श्री रामेश्वर निखरा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे सामान डिपो यथा बम्बई स्थित सी० सी० बी० 1 जनवरी, 1982 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका कार्य मध्य रेलवे को अन्तरित कर दिया गया है;

(ग) क्या मध्य रेलवे ने सामान डिपो के कर्मचारियों और उसके कार्य को लेने से इनकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो बम्बई में डिपो को बन्द करने और मध्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा उसे लेने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) बम्बई वी० टी० में अतिरिक्त यात्री यातायात को सम्हालने के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए 1-1-1982 से यातायात की कुछ श्रेणियों के लिए कार्निक ब्रिज माल डिपो को बन्द करने तथा यह काम कार्निक ब्रिज माल डिपो के निकट वाडी बन्दर में स्थित मध्य रेलवे माल टर्मिनल को अन्तरित करने का विनिश्चय किया गया है। तथापि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप 13-1-82 से पहले वाली स्थिति बरकरार रखी गई।

इस कार्य के अन्तरण के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के समाहरण का मामला पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे द्वारा रिक्तयों और काम की आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम फेर-बदल के साथ आपस में निपटा लिया जायेगा।

जनता शासन के दौरान "टाइम कैप्सूल" से सम्बद्ध कर्मचारियों को सताया जाना

1964. **श्री आनन्द सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार के शासनकाल के दौरान, "टाइम कैप्सूल" का निर्माण करने वाले सम्बद्ध अधिकारियों को सताया गया और उन्हें आरोप-पत्र दिये गए;

(ख) क्या उन अधिकारियों को इन आरोपों के लिए किसी भी रूप में दोषी पाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी जिन्होंने इस प्रकार के राजनीति से प्रेरित आरोप-पत्र जारी किए ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक अनुसंधान अधिकारी को, जो "काल पात्र" से सम्बन्धित कागजातों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार था, परिषद द्वारा निम्न-लिखित आधारों पर आरोप-पत्र दिया गया है :

(i) अनेक स्मरण-पत्रों के बावजूद अधिकारी ने "काल पात्र" की फाइल प्रस्तुत नहीं की, जो उनके कब्जे में थी;

(ii) उन्होंने अपने यूनिट में रखी गई और खोली गई फाइलों का रिकार्ड नहीं रखा;

(iii) उन्होंने सामग्री एकत्र करने के सम्बन्ध में सूचना छिपाई, जिसे उन्होंने बाद में अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया।

(ख) मामला अब भी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री मार्ग से भेजे जाने वाले सामान को ले जाने वाले जलयोत

1965. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्री मार्ग से होने वाला कितना प्रतिशत व्यापार भारतीय समुद्री जलपोतों द्वारा किया जाता है;

(ख) कितने भारतीय जहाज 20 वर्ष पुराने हैं और उन्हें कार्य से हटाकर कबाड़खाने में भेजने की सम्भावना है; और

(ग) देश के समुद्री मार्ग से किये जाने वाले व्यापार को चालू रखने के लिए इस प्रकार के समुद्री जहाजों के स्थान पर नए जहाज रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारत के समुद्री व्यापार के आंकड़े वर्ष 1979-80 तक के उपलब्ध हैं। इसके अनुसार उक्त वर्ष में भारत के समुद्री व्यापार में भारतीय जहाजों द्वारा 31.65 प्रतिशत माल ढोया गया।

(ख) 1-1-82 तक 5 जहाज 20 वर्ष पुराने और 65 जहाज ऐसे थे जो 20 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाजों को स्वत: न तो स्क्रैप किया जाता है और न

ही इन्हें बदला जाता है। जहाज की दशा, विशेष सर्वेक्षण लागत, जहाज प्रचालन के वित्तीय परिणाम जैसे तथ्यों को ध्यान रखकर गुण-दोष के आधार पर ही किसी जहाज को विदेश व्यापार के लिए रखा जाता है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नौवहन में 3.4 मिलियन जी० आर० टी० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। स्क्रैप किये जाने वाले जहाजों को हिसाब में लेने के बाद भारतीय जहाजी बेड़े में यह वृद्धि 2.5 मिलियन जी० आर० टी० की होगी।

रेल अधिनियम की धारा 41 (1) के अन्तर्गत शिकायतें

1966. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दर ट्रिब्यूनल को 1979-81 के वित्तीय वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य रेलवे में रेल प्रशासन के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 41 (1) के अन्तर्गत कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उक्त सेक्शनों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से कितनी शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं और उनके निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80—कोई नहीं। 1980-81—पांच।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 41 (1) का ब्यौरा, जिसके तहत रेल दर अधिकरण के समक्ष शिकाइतें दर्ज की गई थीं, निम्नलिखित हैं :

"41 (1) ऐसी कोई भी शिकायत जिसमें यह उल्लेख हो कि कोई रेल प्रशासन—

(क) धारा 28 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहा है, अथवा

(ख) किन्हीं दो स्टेशनों के बीच किसी वस्तु को ढोने का प्रभार अनुचित दर पर वसूल कर रहा है, अथवा

(ग) ऐसा कोई प्रभार वसूल कर रहा है जो अनुचित है, अधिकरण के समक्ष की जा सकती है और अधिकरण उसकी सुनवाई करेगा तथा इस प्रकार की किसी भी शिकायत पर इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निर्णय देगा।

(ग) रेल दर अधिकरण के पास इस समय एक वर्ष से पुरानी दो शिकायतें बकाया पड़ी है। अधिकरण ने दोनों शिकायतों की सुनवाई मार्च और अप्रैल, 1982 के दौरान किये जाने का विनिश्चय किया है।

मद्रास के मुख्य कार्मिक अधिकारी के निदेशों की अवहेलना

1967. **श्री डी० एस० ए० शिवाप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे मद्रास के मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या (एस) 171/खंड बारह दिनांक 26 अगस्त, 1980 और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन० जी०) 63 पी० एम० 1/92 दिनांक 15/17 सितम्बर, 1964 द्वारा जारी निदेशों का दक्षिण रेलवे के डिवीजनल मैनेजर मदुरई ने अपने पत्र संख्या डी० आर० एम० (पी०) एम० डी० यू० 69/79 दिनांक 7 सितम्बर, 1979 में अनुसरण नहीं किया है; और

(ख) निदेशों का अनुसरण न किए जाने के कारण टी० टी० ई० के संवर्ग में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी दुष्प्रभावित हुए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण रेलवे के अगस्त, 1980 के आदेश अगस्त, 1981 में उनके द्वारा रद्द किये गये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदुरै मण्डल में 40 प्वाइंट रोस्टर का लागू किया जाना

1968. **श्री डी० एस० ए० शिवाप्रकाशम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी रेलवे मदुरै मण्डल में टी० टी० ई० कैडर के अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी ने डी० आर० एम० (पी०)/एम० डी० यू० 69/79 दिनांक 7-9-1979 के अनुसरण में वर्ष 1979 में एच० टी० सी०/टी० टी० आई० की पदोन्नति में 40 प्वाइंट रोस्टर के लागू न किए जाने के खिलाफ शिकायत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित पक्षों के क्या नाम हैं, शिकायत का स्वरूप क्या है और शिकायत का क्या निपटाना किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित पार्टियों के नाम हैं सर्वश्री एस० रमेया, एस० सन्तानम, के० तिरुमलैसामी, के० पुत्तिसिगमणि, चल टिकट परीक्षक/मदुरै, सिलेश विजयकुमार, प्रधान टिकट कलक्टर/मदुरै। शिकायतों की प्रकृति प्रधान टिकट कलक्टरों/चल टिकट निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए साझे रोस्टर बनाने के विरुद्ध है। अभ्यावेदन पर वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की गयी थी।

बिहार में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी

1969. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान ने बिहार सरकार को बिहार में पटना,

छपरा, सहरसा और हजारीबाग में चार नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बिहार सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी क्षेत्र में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए यात्री

1970. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में गत छः महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन्हें जेल भेजा गया है; और

(ख) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पहली अगस्त, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक की अवधि में उत्तर रेलवे पर लगभग 2.24 लाख व्यक्ति बिना टिकट अथवा अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये । रेलवे की प्राप्य राशि के रूप में 41.98 लाख रुपये की राशि वसूल की गया । 18,453 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और न्यायिक दण्ड के रूप में 6.40 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी । भुगतान न कर पाने वाले 1,054 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया ।

दिल्ली मण्डल में गत: छ: महीनों के दौरान अलार्म चैन खींचने की अनधिकृत घटनाएं

1971. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मण्डल में गत छह महीने के दौरान अलार्म चैन खींचने की कितनी अनधिकृत घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अगस्त 1981 से जनवरी 1982 तक की अवधि के दौरान दिल्ली मण्डल में अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की 3643 घटनायें हुई । उपर्युक्त अवधि के दौरान 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय खोलना

1972. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कितने औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नए औषधालय खोलने का कोई विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न चरणों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 30 एलोपैथिक औषधालय और 25 भारतीय चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथी यूनिट खोलने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते इसके लिए धन, स्थान उपलब्ध हो और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की मांग हो। के० स० स्वा० योजना के औषधालयों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के यूनिटों की संख्या और उनके स्थान का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एलोपैथिक औषधालय

शहर का नाम	योजना के पहले दो वर्षों में खोले गए औषधालय और उनके स्थान	1981-82 के दौरान खोले जा रहे/खोले जाने वाले औषधालय	टिप्पणी
1. दिल्ली	दिल्ली—5	कलकत्ता—1	शेष औषधालय
2. कलकत्ता			के स्थानों का
3. मद्रास	(1) जवाहरलाल नेहरू	डमडम हवाई अड्डा	निश्चय वित्तीय
4. बम्बई	विश्वविद्यालय (मुनीरका)	बम्बई—2	वर्ष 1982-83,
5. बंगलोर	(2) कस्तूरबानगर		1983-84 और
6. हैदराबाद	(3) गुडगांव	(1) शेख मिस्त्रि ऐरिया	1984-85
7. पुणे	(4) जनकपुरी	(2) डाक और तार	के प्रस्तावों पर
8. पटना	(5) कालकाजी—II	कालोनी, साहर	विचार करते
9. जयपुर			समय किया
10. नागपुर	कलकत्ता—2	हैदराबाद	जाएगा।
11. कानपुर	(1) संतरगाची	(1) लंगर हाऊस/	
12. लखनऊ	(2) साल लेक	करवाल एरिया	

1	2	3
13. इलाहाबाद		
14. अहमदाबाद	मद्रास—2	लखनऊ—1
15. मेरठ	(1) अडयार	आकाश एरिया
	(2) रायपुरम	
	बम्बई—1	दिल्ली—3
	गोरे गांव	(1) पश्चिमपुरी
		(2) त्रिलोकपुरी
		(3) गोल मार्किट
	पुणे—2	नागपुर—3
	(1) रंगा हिल्स	(1) पंचपोली
	(2) किर्की	(2) इतवारी
	पटना—1	
	बोरिंग कैनाल रोड	
	कानपुर—2	(3) मेडिकल चौक
	(1) पाड़नगर	
	(2) आजाद नगर	
	लखनऊ—1	
	आशीष नगर	कुल—11
	कुल—16	

भारतीय चिकित्सा पद्धति/होम्योपैथी यूनिटें

दिल्ली	10	1	1 शेष यूनिटों के स्थानों का निश्चय वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के प्रस्तावों पर विचार करते समय किया जाएगा।
	(1) हरीनगर—2		
	(2) जंगपुरा		
	(3) गुडगांव		
	(4) किंग्सवेकैम्प		
	(5) लक्ष्मी नगर		

1	2	3
	(6) कालका जी	
	(7) तिमारपुर	
	(8) दरियागंज	
	(9) एम० बी० रोड	
पुणे	1 छावनी	1
बम्बई	1 कौलीवाडा	
मद्रास	1 रेराम्सुर	
लखनऊ	3	
	(1) आशीष नगर—2	
	(2) रानाप्रताप मार्ग—1	
अहमदाबाद	2 शाहपुर गेट	
कानपुर	—	1

कुल 18 (पहले मंजूर 11 देशी चिकित्सा पद्धति के यूनिटों सहित लेकिन जो 1980-81 में खोले गए)

रेलगाड़ियों का देर से चलना और खतरे की जंजीर का अनुचित खींचा जाना

1973. **श्री एच० एन० नन्जेगौडा :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों के देर से चलने का एक कारण गड़ियों में लगी खतरे की जंजीर का खींचना भी है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे की कई गाड़ियों में खतरे की जंजीर की व्यवस्था समाप्त कर दी है;

(ग) क्या सरकार का बिना मतलब जंजीर खींचने पर किए जाने वाले दण्ड में वृद्धि करने का है:

(घ) क्या सरकार ने गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए उत्तरादायी अन्य तथ्यों का समीक्षा की है: और

(ड़) स्थिति में सुधार के लिए अन्य तथा कदम उठाए जा रहै हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)(क) जी हाँ।

(ख) उत्तर रेलवे की 43 मेल/एक्सप्रेस तथा 158 पैसिंजर गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया गया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हां।

(ङ) अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण और इंजनों में खराबी के परिहार्य मामलों, सिगनलों में खराबियों/त्रुटियों तथा अन्य विफलताओं में सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिनके कारण गाड़ियों को रोकना पड़ता है। गाड़ियों के समय पालन से सम्बधित मामलों की ओर महा प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। खतरे की जंजीर खींचे जाने, होस पाइप हटाने तथा बदमाशों की अन्य गतिविधियों की घटनाओं रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासनों और रेल मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय में दिन-प्रतिदिन के आधार पर स्थिति की निगरानी रखी जा रही है।

रेलवे प्रणाली में त्रुटियां

1974. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में प्रचलित कुछ नियम बहुत पुराने पड़ गए हैं और वे व्यवहारिक नहीं रहे हैं फिर भी कर्मचारियों को उनका पालन करने के लिए कहा जाता है जिनका पालन न करने पर उन्हें दण्ड दिया जाता है:

(ख) क्या यह सच है कि पुराने इंजन पर्याप्त वैकम नहीं बना पाते और कोई भी व्यक्ति अपर्याप्त वैकम से इंजन चलाने की कोशिश करता हुआ पाया जाता तो उसे आरोप पत्र दिया जाता है:

(ग) क्या यह भी सच है कि गार्ड की ब्रेक-वेनों में या दोषपूर्ण वैकम गेज है अथवा उनके गेज हैं ही नहीं; और

(घ) यदि हां, तो नियमों को व्यवहारिक बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के कि सुरक्षा की इस प्रकार की अनिवार्य व्यवस्था गायब न हो क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जिन नियमों को अव्यवारिक समझा गया है उनका विशिष्ट संदर्भ न होने के कारण इसका सही उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(ख) जी नहीं। सभी नये और पुराने रेल इंजनों की, अन्य बातों के साथ-साथ, शेड छोड़ने से पूर्व अपेक्षित निर्वात पैदा करने के लिए जांच की जाती है। गाड़ी परीक्षक द्वारा निर्वात प्रमाण

पत्र जारी किए जाने और गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर दिये जाने के बाद ही सभी गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(ग) जी नहीं । यात्री गाड़ियों में निर्वात गेज एक निर्धारित उपस्कर है । यदि मार्ग में कोई त्रुटि पैदा हो जाती है तो गाड़ी की जांच किए जाने वाले अगले स्टेशन में उसे बदल दिया जाता है । माल गड़ियों में यह गार्ड का व्यक्तिगत उपस्कर है । सभी गार्डों को निर्वात गेज सप्लाई किए जाते हैं और गाड़ी चलाने से पहले प्रत्येक गार्ड अपने निर्वात गेज को ब्रेकयान में लगा देता हैओ यदि किसी गेज में खराबी आ जाती है तो उसे हटा दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रति इंजन कोयले की खपत

1975. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 15 वर्षों के दौरान प्रति इंजन के लिए कोयले की खपत प्रति किलोमीटर दुगनी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा शेडों से कोयले की चोरी और वर्कशापों से समान की चोरी के कारण रेलवे को कितना नुकसान होता है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) 1980-81 के दौरान भाप कर्षण पर प्रति इंजन किलोमीटर कोयले की खपत की औसत दर में 1966-67 तुलना में 22.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) कोयले की खपत में वृद्धि मुख्य रूप से भाप इंजनों को कम महत्मपूर्ण सेवाओं में लगाने के कारण हुई है । इस प्रकार इस लेखे में हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । शेडों में कोयले और कारखानों में सामग्रियों की चोरी के कारण होने वाली हानि का लेखा अलग न हों रखा जाता ।

भाप से चलने वाले चालू हालत में इंजनों की संख्या

1976. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भाप से चलने वाले इंजन चालू हालत में हैं; और

(ख) क्या रेलवे में इन इंजनों की मरमम्त और रखरखाव के लिए आवश्यक वर्कशापों की संख्या से अधिक वर्कशाप हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय भारतीय रेलों पर लगभग 6000 भाप रेल इंजन चल रहे हैं ।

(ख) जी नहीं; कारखानों में भाप रेल इंजनों की मरमम्त करने की क्षमता में उत्तरोत्तर कमी करके उनका डीजल और विद्युत रेल इंजनों की मरमम्त और ओवरहाल करने के लिए

इस्तेमाल किया जा रहा है । इसके अलावा उन्हें रेलवे की आवश्यताओं की अन्य पदों के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है ।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपेक्षित आवश्यक शैक्षिक स्तर के बारे में राज्य-सरकारों को निदेश

1977. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में यह पाया गया है कि जिन उम्मीदवारों के रसायन शास्त्र में शून्य अंक प्राप्त हुए थे उन्हें देश के कुछ कालेजों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों के लिए दिया गया है; और

(ख) क्या प्रदेश के लिए अपेक्षित शैक्षिक स्तर के सम्बन्ध में और स्तर को अन्यथा कम न किए जाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को निदेश जारी करेगी जिससे कि इस प्रकार के प्रवेश का परिणाम अच्छा हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम जोशी) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि एम० बी० बी० एस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए जाली अंक सूचियां बनाने के बारे में कतिपय कदाचारों का पता चला है ।

(क) भारत सरकार ने स्नातकपूर्व चिकित्सा कोर्सों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों की पात्रता का निर्णय करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन विनियमों के रूप में पहले ही अनुमोदित कर दिया है ।

पश्चिमी दिल्ली के निवासियों के लिए अस्पताल सुविधाएं

1978. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिल्ली की कालोनियों के निवासियों के लिए कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप डा० राम मनोहर लोहिया आदि जैसे दूरस्थ अस्पतालों में जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के निवासियों के लिए अस्पताल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है और; यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं। दीनदयाल अस्पताल पश्चिम दिल्ली में है ।

(ख) जी हां । 500 पलंगों वाले एक अस्पताल का निर्माण कार्य पहले ही हरिनगर में चल रहा है और यह आशा है कि यह छठी योजनावधि में काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त छठी योजनावधि में एक सौ पलंगों वाला एक अस्पताल जफरपुर, नजफगढ़ में खोला जाएगा ।

दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर यात्रियों की संख्या का निर्धारण

1979. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :** क्या नौहवन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों की संख्या के सम्बन्ध में कोई नियमित निर्धारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्धारण कितनी अवधि के लिए किया जाता है;

(ग) पिछला निर्धारण कब किया गया था;

(घ) उसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) उस निर्धारण के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां । विभिन्न रूटों पर आवधिक सर्वेक्षण किया जाता है ।

(ख) यद्यपि यह एक अनवरत क्रिया है तथापि कुछ समय तक नए रूटों के लिए तकरीबन हर दूसरे महीने में यह सर्वेक्षण किया जाता है ।

(ग) कुछ चुने हुए रूटों पर फरवरी 1982 के पहले सप्ताह में सर्वेक्षण किया गया है ।

(घ) से (ङ) इसके परिणामों का विलेषण किया जा रहा है ।

दिल्ली में गर्भ को अवैध रूप से गिराने में लगे हुए व्यक्ति

1980. **श्री भीकूराम जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अवैध रूप से गर्भ गिराने में लगे हुए व्यक्ति बड़ा पैसा कमा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के डाक्टरों के पास न तो पर्याप्त व्यवस्था है और न ही इसके लिए लाइसेंस है जिसके कारण कई औरतों की मृत्यु हुई है ; और

(ग) इस अवैध व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही अथवा की जाने वाली कठोर कानूनी कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुदुम बेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता के उपबंध उन व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होंगे जो गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए गर्भपात करेंगे।

दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की जाने वाली राशि

1981. **श्री भीकूराम जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने चिकित्सा केन्द्र हैं; और

(ख) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1-1-1981 की स्थिति के अनुसार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में अस्पतालों और औषधालयों की संख्या इस प्रकार है :—

अस्पताल	63
औषधालय	469
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3
उप-केन्द्र	51

(ख) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र द्वारा चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए योजना आयोग ने छठी पंच वर्षीय योजना में 8766.04 लाख रुपये का परिव्यय मंजूर किया है।

राजधानी में विकलांगों के कल्याण और शिक्षा में लगे संगठन

1982. **श्री भीकूराम जैन :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजधानी में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और शिक्षा में कितने संगठन लगे हुए हैं; और

(ख) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए इस समय कौनसी अन्य योजनायें विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजधानी में 51 संगठन विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और शिक्षा के काम में लगे हुए हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनायें निम्नलिखित हैं :

(1) दृष्टिहीन, बधिर और अस्थि विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजनायें;

(2) समेकित शिक्षा की योजनायें;

(3) व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना;

(4) पात्र विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण मुफ्त प्रदान करने की योजना;

(5) विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार खोलने के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की योजना;

(6) विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास की योजना;

(7) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना;

(8) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की "ग" और "घ" श्रेणियों की सेवाओं में 3 प्रतिशत पदों का आरक्षण;

(9) राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को ब्याज की विभिन्नात्मक दर पर ऋण देने की योजना; तथा

(10) विकलांग व्यक्तियों के हित के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना ।

निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :

(1) विशेष रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य रोजगार कार्यालयों में विशेष रोजगार सेल स्थापित करना ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के विस्तृत पुनर्वास के लिए ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना ।

गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के अधिक केन्द्र खोलना

1983. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में अब कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे और केन्द्र खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली संघीय क्षेत्र सहित राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के दौरान, प्रारम्भिक आयु वर्ग (6-14 वर्ष) के बच्चों के लिए कुल 1,87,15। गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में छठी योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा दोनों केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए प्रस्तावों पर आधारित विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस प्रकार के और अधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

राज्य संघशासित क्षेत्र	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या (सितम्बर, 1981 के अंत तक संचालित)	आयु वर्ग 6-14 वर्ष तक के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या (1980-81 के दौरान)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	6694	4020
2. असम	6285	1360
3. बिहार	4048	3300
4. गुजरात	5594	167
5. हरियाणा	3383	3134
6. हिमाचल प्रदेश	811	200
7. जम्मू तथा कश्मीर	3168	600
8. कर्नाटक	7219	200
9. केरल	2009	425
10. मध्य प्रदेश	7872	6550
11. महाराष्ट्र	8816	1291
12. मणिपुर	1522	—

1	2	3
13. मेघालय	1006	553
14. नागालैंड	759	28
15. उड़ीसा	3900*	1200
16. पंजाब	1793	255
17. राजस्थान	6953	3400
18. सिक्किम	557	—
19. तमिलनाडु	9899	1496
20. त्रिपुरा	1887	21
21. उत्तर प्रदेश	10125	6768
22. पश्चिम बंगाल	8250	15940
23. अण्डमान तथा निकोबार	115	N. A.
24. अरुणाचल प्रदेश	632*	—
25. चंडीगढ़	238	9
26. दादरा तथा नागर हवेली	50	N. A.
27. दिल्ली	1266	N. A.
28. गोआ, दमन तथा दीप	39	—
29. लक्षद्वीप	13	N. A.
30. मिजोरम	267	—
31. पांडिचेरी	595	100
कुल जोड़	105765	51017

*आंकड़े जून, 1981 से संबंधित हैं।

उड़ीसा में सड़क संचार व्यवस्था के लिये निधि

1984. **श्री हरिहर सोरन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में निर्माणाधीन पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस राजमार्गों और गांवों की सड़कों को पूरा करने के लिए छठी योजना में सड़क संचार व्यवस्था के लिए केन्द्र द्वारा उड़ीसा को आवंटित निधि बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की सड़क संचार व्यवस्था के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) संवैधानिक रूप में केन्द्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ही उत्तरदायी है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर सभी सड़कों का उत्तरदायी जिनमें एक्सप्रेस वे और गांव की सड़कें भी शामिल हैं संबंधित राज्य सरकार का होता है। छठी योजना (1980-85) में सारे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक मुश्त का प्रावधान किया गया है और राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। इस धनराशि में से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वार्षिक आधार पर आवंटन किया जाता है और ऐसा करते हुए विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है जैसे चालू निर्माण कार्य, राज्यों द्वारा व्यक्त आवश्यकता, निर्माण कार्यों का स्वीकार किया जाना और संबंधित वर्ष में धनराशि का उपलब्ध होना। इस आधार पर छठी योजना में अब तक उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है जो उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समुचित है।

	राशि (लाख रुपये)
1980-81	370.00
1981-82	380.00

वर्ष 1981-82 में समेकित बाल देख-रेख कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को नियतन

1985. **श्री हरिहर सोरन** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में समेकित बाल देख-रेख कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा के लिए उपरोक्त कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय नियतन बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में समेकित बाल देख-रेख कार्यक्रम के लिए वर्ष 1982-83 में कुल कितनी राशि आवंटित करने का विचार है;

(घ) उड़ीसा के कौन-कौन से जिले 1981-82 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये हैं;

(ङ) 1982-83 वित्त वर्ष में उड़ीसा के कौन-कौन से जिले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जायेंगे; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उड़ीसा सरकार को समेकित बाल विकास सेवा योजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष

1981-82 के दौरान 37,76,700.00 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार पर खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा के लिए वर्ष 1982-83 के वास्ते लगभग 71 लाख रुपए का अस्थाई आवंटन किया गया है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों में मंजूर किया गया है :

मंजूरी का वर्ष	परियोजना का प्रकार	खण्ड	जिला
1975-76	जनजातीय	सुबदेगा	सुन्दरगढ़
	ग्रामीण	खालीकोट	गंजप
	जनजातीय	कंकादाहाद	धेर्नकलमल
	जनजातीय	नीलगिरी	बालासोर
	जनजातीय	पोटन्गी	कोरापुट
1979-80	ग्रामीण	ब्रह्मगिरी	पुरी
	ग्रामीण	दारिन्गबादी	फुलबानी
	जनजातीय	लन्जीगढ़	कालाहंडी
1980-81	ग्रामीण	खपड़ा-खोले	खोलनगीर
	जनजातीय	जोशीपुर	मयूरबिहन्ग
1981-82	ग्रामीण	अतहागढ़	कटक
	ग्रामीण	पदमपुर	सम्बलपुर
	ग्रामीण	उमेरकोटे	कोरापुर
	जनजातीय	बांसपाल	किओनझर
	जनजातीय	समाखुन्टा	गूयरभंज
	ग्रामीण	अटहामलिक	धेनकनाल

(ङ) और (च) उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1982-83 के लिए 11 और परियोजनाएं नियत की गई हैं। उड़ीसा राज्य सरकार के साथ परामर्श से इन परियोजनाओं के स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।

पारादीप पत्तन के गोदी श्रमिकों के लिये आवास योजना

1986. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के पारादीप पत्तन में काम करने वाले गोदी श्रमिकों को रिहायशी आवास प्रदान करने की कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन क्षेत्र में कुल कितने "हटमेंटस" के स्थान पर मकान बनाये गये हैं;

(ग) ऐसी आवास सुविधाओं से अब तक कुल कितने गोदी श्रमिकों को लाभ मिला है;

(घ) क्या गोदी श्रमिकों को मकान आवंटित करने के लिए दूत कार्यक्रम आरम्भ करने का सरकार को कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में गोदी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा कोई भी आवासीय योजना शुरू नहीं की गयी है। फिर भी परादीप पोर्ट ट्रस्ट ने हटमेंट्स को हटाकर एक परिवार के रहने लायक 135 छोटे मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिनमें से 50 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। मई, 1982 तक, 135 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। अब तक 48 गोदी कर्मचारियों को इस योजना से लाभ हो चुका है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी फर्टिलाइजर बर्थ के कारण कुछ गोदी श्रमिक परिवारों को जिनमें गोदी श्रमिकों के परिवार भी शामिल है अपने स्थान से हटना पड़ेगा जिन्होंने पोर्ट की जमीन पर अनाधिकार कब्जा कर रखा है। पोर्ट इन गोदी श्रमिकों को बदले में यथासंभव मकान देने पर विचार कर रहा है।

ई० एम० यू० डिब्बों का उत्पादन और आवंटन

1987. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री 600 नये ई० एम० यू० डिब्बों के बारे में 3 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2829 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 (31-1-1982 तक) के दौरान ई० एम० यू० डिब्बों के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े क्या हैं;

(ख) उपरोक्त उत्पादन के लिए भिन्न-भिन्न जोनल रेलवे को किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिये उत्पादन और आवंटन का क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) क्या मध्य/पश्चिम रेलवे को आवंटित डिब्बों का पुराने डिब्बे बदलने के लिये प्रयोग किया गया है या उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिये किया गया है;

(ङ) मध्य रेलवे को पुराने डिब्बे बदलने और बम्बई क्षेत्र में 5 मिनट की बारम्बारिता पर सेवाएं बढ़ाने, जैसा कि प्रस्ताव है, के लिए अभी भी कितने ई० एम० यू० डिब्बों की आवश्यकता होगी; और

(च) इस प्रयोजन के लिये उनकी आवश्यकताएं कब और किस प्रकार पूरी करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :

टाइप	निर्मित सवारी डिब्बों की संख्या		आवंटन
1980-81			
ब० ला०/ए० सी०	129	पूर्व	62
बिजली गाड़ी डिब्बे		दक्षिण	56
ब० ला०/डी० सी०	3	दक्षिण-पूर्व	11
बिजली गाड़ी डिब्बे		मध्य	3
1981-82 (31-1-1982 तक)			
ब० ला०/ए० सी० बिजली गाड़ी डिब्बे	57	पूर्व	25
		उत्तर	26
		दक्षिण	4
		दक्षिण पूर्व	2
ब० ला०/डी० सी० बिजली गाड़ी डिब्बे	20	मध्य	20

(ग) बिजली गाड़ी डिब्बों का उत्पादन करने के लिए छठी योजना में धन की तंगी के कारण 1982-83 में केवल 140 बिजली गाड़ी डिब्बों का निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए बिजली गाड़ी डिब्बे शामिल नहीं हैं। 1983-84 के लिए निर्माण कार्यक्रम अभी नहीं बनाया गया है।

(घ) अब तक सप्लाई किये गये सवारी डिब्बों का उपयोग मध्य रेलवे के गतायु डिब्बों के बदलाव में किया जायेगा ।

(ङ) छठी योजना अर्थात् 1984-85 के अन्त तक, मध्य रेलवे मे डी० सी० बिजली गाड़ी के 182 डिब्बों का बदलाव करना पड़ेगा । इनमें से 151 डिब्बों को बदलने की योजना बनायी गयी है । जनवरी 1982 के अन्त तक, मध्य रेलवे को 23 डिब्बे सौंप दिये गये हैं और इस प्रकार बदलाव के लिए 128 डिब्बों का निर्माण किया जाना शेष है । इसके अतिरिक्त, रेलवे को 5 मिनट के अन्तराल पर गाड़ी सेवाएं चलाने के लिए 17 अतिरिक्त रेकों (153 डिब्बों) की आवश्यकता है ।

(च) छठी योजना के दौरान 390 बिजली गाड़ी के डिब्बों की व्यवस्था के अन्तर्गत डी० सी० बिजली गाड़ी के लगभग 216 डिब्बे बनाये जाने की सम्भावना है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई क्षेत्र में पश्चिम रेलवे में भी डी० सी० बिजली गाड़ी के डिब्बों का बदलाव किया जाना है, यह सम्भावना है कि दोनों रेलों की बदलाव सम्बन्धी आवश्यकताएं ही छठी योजना के अन्त तक पूरी हो सकेंगी जिससे अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी ।

जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच एक और स्टेशन

1988. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे को बम्बई उपनगरीय सेक्शन में जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच एक और स्टेशन (उपनगरीय) बनाने के लिये अनेक लोगों से मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं, और यह निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जोगेश्वरी और गोरेगांव के स्टेशनों के बीच एक फ्लैट स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु वित्तीय दृष्टिकोणों से उसे कार्यान्वित नहीं किया गया ।

भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्राप्त सहायता

1989. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भण्डारकार ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे को गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार तथा विदेशों से पृथक-पृथक वर्षवार कितनी सहायता मिली;

(ख) इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इस इंस्टीट्यूट के अनुसंधान कार्य को बढ़ाने और इसके कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने के लिये भविष्य में इस इंस्टीट्यूट को वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु सरकार के विचाराधीन योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूणे एक स्वैच्छिक संगठन है और सरकार को संस्थान द्वारा विदेश से प्राप्त की हुई सहायता के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

1978 में हीरक जयन्ती समारोह के सम्बन्ध में संस्थान से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थान को निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :

अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन

1980-81	1,87,864.00 रुपये	2 लाख
1981-82	12,136 00 रुपये	

पुस्तकालय भवन का विस्तार

1980-81	कुछ नहीं
1981-82	1 लाख
कुल	2 लाख

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने पुस्तकालय भवन के विस्तार के लिए उपर्युक्त राशि के अलावा 50,000 रुपये संस्वीकृत किये हैं और प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपये दिये हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, भण्डारकार ओरिएन्टल रिसर्च इंस्टिट्यूट ने प्रामाणिक रिपोर्टें तथा हिन्दू महाकाव्य और अन्य श्रेष्ठ प्रकाशन तैयार किये हैं। संस्थान द्वारा शुरू की गई अधिक प्रमुख परियोजनाओं में से महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तथा उपसंहार तैयार और प्रकाशित करना, एक परियोजना है तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है।

(ग) इस संस्थान को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई योजना नहीं है।

कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या और उनके इलाज के लिये महाराष्ट्र को सहायता

1990. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या देश के किसी अन्य भाग के रोगियों की अपेक्षा अधिक है; और

(ख) देश में कुष्ठ रोगियों की राज्यवार सख्या कितनी है और महाराष्ट्र राज्य को उनके इलाज और तत्पश्चात देख-रेख के लिये कितनी सहायता की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश में कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है । वर्ष 1981-82 में महाराष्ट्र के लिये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई सहायता इस प्रकार है :

नकद	सामग्री	योग (लाखों में)
40.00	26.00	66.00

विवरण

भारत में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या और स्थानिकता का राज्यवार विवरण ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाखों में)	1971 की जनगणना पर रोगियों की अनुमानित संख्या	कुष्ठ रोग की एक हजार के पीछे व्याप्ति दर
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	435.03	6.28	14.45
2. असम	146.25	0.12	0.82
3. बिहार	563.53	3.39	6.02
4. गुजरात	266.98	0.54	2.02
5. हरियाणा	100.37	0.01	0.10
6. हिमाचल प्रदेश	34.60	0.15	4.34
7. जम्मू व कश्मीर	46.17	0.05	1.08
8. कर्नाटक	292.99	1.74	5.94
9. केरल	213.47	0.75	3.51
10. मध्य प्रदेश	416.54	0.32	0.77
11. महाराष्ट्र	504.12	2.80	5.55

1	2	3	4
12. मणिपुर	10.73	0.06	5.59
13. मेघालय	10.12	0.06	5.93
14. नागालैंड	5.16	0.05	9.69
15. उड़ीसा	219.45	2.37	10.80
16. पंजाब	135.51	0.02	0.15
17. राजस्थान	257.66	0.10	0.39
18. सिक्किम	2.09	0.0016	7.66
19. तमिलनाडु	411.99	7.83	19.01
20. त्रिपुरा	15.56	0.10	6.43
21 उत्तर प्रदेश	883.11	1.63	1.90
22. पश्चिम बंगाल	443.12	3.80	8.58
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.15	0.01	8.70
24. अरुणाचल प्रदेश	4.68	0.01	2.14
25. चण्डीगढ़	2.57	—	—
26. दादर व नगर हवेली	0.74	0.001	1.35
27. दिल्ली	40.66	0.01	0.25
28. गोवा दमन व दीव	8.58	0.05	5.83
29. लक्षद्वीप	0.32	0.01	31.25
30. मिजोरम	3.32	0.01	3.01
31. पांडीचेरी	4.72	0.19	40.25
भारत	5481.59	32.527	5.93

अमरावती नरखेड लाइन

1991. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरावती-नरखेड रेल लाइन के लिये लम्बे समय से की जा रही मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निधि की अत्यन्त कमी के कारण इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

छठी योजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा को क्रियान्वयन

1992. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति में स्कूल न जाने वाले क्या स्कूल छोड़े हुए दोनों ही प्रकार के स्कूली बच्चों में से बच्चों को प्रति दिन दो या तीन घंटे संघनित तथा समझने लायक आधार पर मिडिल और प्राथमिक स्तर के कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित गैर-औपचारिक शिक्षा की, जिसे छठी योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किया जायेगा, अन्य मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इसे अब तक कहां तक क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या इन राज्यों को आधे-आधे आधार पर कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(घ) क्या 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिये, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा केन्द्र हेतु एक और नई योजना अभी भी क्रियान्वित की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा अब तक किस सीमा तक किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के सहायक के रूप में शिशु शिक्षा (पूर्व स्कूल) केन्द्र स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र चलाने के लिए अनुदान देने की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के जरिए इच्छुक स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

विवरण

अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने औपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा की सहायक पद्धति के रूप में प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक अंश-कालिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है :

(i) शैक्षिक रूप से नौ पिछड़े राज्यों को प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के उनके गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए समान आधार पर अनुदान ।

(ii) शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों की स्वैच्छिक एजेन्सियों को राज्य सरकार की पद्धति के अनुसार गैर-औपचारिक केन्द्र चलाने के लिए अनुदान ।

(iii) सरकार और प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को पुनरावृत्ति क्षमता वाले प्रायोगिक और नव-परिवर्तनशील गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुदान ।

(iv) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पुस्तकों तथा अन्य अध्यापन/अध्ययन सामग्री का निर्माण करने के लिए कागज के रूप में केन्द्रीय वस्तु सहायता ।

केन्द्रों की कुल संख्या तथा पूरे देश में गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका दाखिला नीचे बताया गया है :

	केन्द्र			दाखिला		
	प्राथमिक	मिडिल	कुल	प्राथमिक	मिडिल	कुल
1980-81 (वास्तविक)	45,112	5,885	50,997	8,05,000	1,17,000	9,22,000
1981-82 (प्रत्याशित)	64,163	8,730	72,893	13,15,000	1,95,000	15,10,000

चिकित्सा पद्धति की समीक्षा के लिये उच्च-शक्ति प्राप्त समिति का गठन

1993. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चिकित्सा शिक्षा पद्धति की समीक्षा करने के लिये गठित समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और यह समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

(1) डा० शान्तिलाल जे० मेहता सेवा निवृत निदेशक, जसलोक अस्पताल, बम्बई । — अध्यक्ष

(2) डा० आई० डी० वजाज, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली । — सदस्य

(3) प्रो० वी० रामालिंगा स्वामी, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली । — सदस्य

(4) प्रो० एच० डी० टंडन, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। सदस्य

(5) डा० एल० बी० एम० जोसेफ, प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर। सदस्य

(6) डा० एम० एम० मेहता, संसद सदस्य। सदस्य

(7) डा० ओ० पी० गुप्ता, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, अहमदाबाद, गुजरात। सदस्य

(8) डा० वाई० पी० रुद्रप्पा, भूतपूर्व निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान बंगलौर। सदस्य

(9) डा० बी० एन० सिन्हा, अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली। सदस्य

(10) डा० रामेश्वर शर्मा, प्रधानाचार्य, एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर। सदस्य

(11) डा० पी० एन० वाही, कार्यकारी निदेशक इंडियन एसोशिएशन फार दि एडवांसमेंट आफ मेडिकल एज्यूकेशन, नई दिल्ली। सदस्य

(12) डा० पी० एन० छुटानी, भूतपूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़। सदस्य

(13) कर्नल आर० डी० अय्यर, भूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक। सदस्य

(14) डा० के० एन० उद्प्पा, रेक्टर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी। सदस्य

(15) श्री एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली। सदस्य सचिव

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जून, 1082 में प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

डिग्रियों/डिप्लोमाओं को मान्यता देने की व्यवस्था

1994. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडिकल तथा इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिये शैक्षिक संस्थाओं/राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न डिग्रियों/डिप्लोमाओं को मान्यता दिये जाने को सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कैसी है तथा विभिन्न राज्यों के डिप्लोमाओं/डिग्रियों की मान्यता के लिये क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में दाखिले के प्रयोजन के लिये, विभिन्न परीक्षा निकायों द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं की समतुल्यता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रित क्रियाविधि नहीं है क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है। तथापि भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने, जिसके देश में सभी विश्वविद्यालय सदस्य हैं, यह सिफारिश की थी कि कुल मिलाकर प्रत्येक विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करे बशर्ते कि प्रवेश, अर्हता, पाठ्यक्रम की अवधि तथा योग्यता का सामान्य स्तर मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्तर के समान हो। सामान्यत: पाठ्यक्रम की मान्यता इसी आधार पर की जाती है।

(ग) विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए अर्हताओं की मान्यता के लिये एक अलग से कार्य प्रणाली बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गुलेर रेलवे स्टेशन पर छत वाला शैड

1995. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे के गुलेर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर छत वाले शैड के निर्माण के लिये कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है और उसका निर्माण किस सम्भावित तारीख तक सुनिश्चित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद-हावड़ा गाड़ी का रद्द किया जाना

1996. **श्री नवीन रवाणी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद-हावड़ा गाड़ी अचानक ही बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस गाड़ी के रद्द किए जाने और उनके आरक्षण रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को भारी तकलीफ हुई है; और

(घ) इस गाड़ी को पुनः चलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसे कब तक चला दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। गाड़ी अभी भी चल रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भावनगर-सुरेन्द्रनगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1997. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में भावनगर से सुरेन्द्रनगर (167 कि० मी०) तक की रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुरेन्द्रनगर-भावनगर खंड बहुत बड़ी मीटर लाइन प्रणाली का एक भाग है और यदि इस खंड को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जाता है तो कच्छ में पड़ने वाली सम्पूर्ण मीटर लाइन अलग हो जाएगी जबकि पूरी मीटर लाइन का सम्पर्क बनाए रखना परिचालनिक दृष्टि से आवश्यक है।

(ख) (1) निर्माण के लिए धन की कमी के कारण।

(2) अभी परिचालनिक दृष्टि से आवश्यक नहीं समझा गया।

मद्रास पत्तन के विस्तार के कारण निकटस्थ तट का कटान

1998. **डा० ए० कलानिधि :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन के विस्तार के कारण मद्रास शहर में निकटस्थ तट का कटाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कटाव को रोकने और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मद्रास बन्दरगाह के उत्तर के तटीय क्षेत्र की भूमि कटती रहती है जो मानसून के तेज या कम होने पर निर्भर होता है। मुख्य बन्दरगाह के उत्तर में मछली बन्दरगाह के निर्माण से यह समस्या कुछ अधिक हो गयी है।

(ख) समुद्र के कटाव रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 3०.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की है। इस निर्माण कार्य का कुछ भाग पूरा हो चुका है और भूमि के कटने की रीति पर मुस्तैदी के साथ नजर रखी जा रही है। भूमि कटने की समस्या को हल करने के लिए तमिलनाडु पाण्डी रिसर्च स्टेशन पर नमूने का अध्ययन भी करवा रही है। भूमि के कटने से ग्रस्त परिवारों को एक परिवार वाले मकानों में बसाया गया है जिनका निर्माण स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने किया है। इन परिवारों को सहकारी समितियों के माध्यम से भूमि खरीदने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ऋण भी दिये हैं।

मद्रास और रामेश्वरम के बीच की पूर्वी-तट की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1999. **डा० ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से रामेश्वरम तक की पूर्वी तट की सडक को इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) आर्थिक संकट को देखते हुए भारत सरकार इस समय किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है और यह बात ईस्ट कोस्ट रोड पर भी लागू होती है। फिर भी यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिए इस सड़क का विकास करने में राज्य सरकार को सहायता देने की दृष्टि से अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन और केन्द्रीय सड़क कोष से चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में छूटी हुई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये दिये गये थे।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रस्तावित बैरकों के लिये स्थान

2000. **डा० ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रस्तावित बैरकों को मद्रास पत्तन न्यास क्षेत्र में बनाने के बारे में मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भीड़-भाड़ को हटाने की दृष्टि के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बैरकों को मद्रास पत्तन न्यास क्षेत्र के बाहर बनाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) शुरू में पनामराथोटी पर जो बन्दरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बैरकें बनाने का प्रस्ताव था। चूंकि जल सेना से जमीन लेने में कुछ देरी होने लगी इसलिए नए कारखाना के निकट पोर्ट क्षेत्र में ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बैरक बनाने का निर्णय लिया गया। निर्माण कार्य चल रहा है। पोर्ट क्षेत्र में बैरक के निर्माण से पोर्ट में किसी प्रकार की भीड़ नहीं बढ़ेगी।

सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर, मद्रास का आधुनिकीकरण

2001. **डा० ए० कलानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास शहर में सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर के कार्यकरण का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अस्पतालों और औषधालयों के स्तर की और अच्छी किस्म की औषधियां बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर, मद्रास के आधुनिकीरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) चिकित्सा सामग्री भण्डार मद्रास के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

1. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा उस क्षेत्र में चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों के लिए दवाइयों, शल्य चिकित्सा उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामानों की खरीद और सप्लाई।

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यू० एस० एड आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उस क्षेत्र के लिए हुए विभिन्न करारों के अधीन प्राप्त दवाइयों और उनसे संबंधित सामानों को प्राप्त करना, भण्डारण करना और वितरण करना।

3. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामान का भण्डारण और वितरण।

4. प्राकृतिक विपदाओं के समय जीवन रक्षक दवाइयों की आपाती मांग को पूरा करना।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन सभी चिकित्सा सामग्री भण्डारों में गुणवत्ता नियन्त्रण के उपायों को कड़ा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

2002. **श्री भीकू राम जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय राजधानी में कितने स्कूल हैं;

(ग) वर्तमान स्कूलों में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नए सैक्शनों को खोलने और इस बारे में राजधानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1981-82 के दौरान 45 नये स्कूल खोले गये/दो शाखाओं में विभाजित किए गए/माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक तक स्तरोन्नत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यमान स्कूलों में 575 सैक्शन बढ़ाये गये। दिल्ली नगर निगम ने उक्त अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार में 25 नये प्राथमिक स्कूल खोले। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यमान स्कूलों में 360 अतिरिक्त सैक्शन बढ़ाये हैं।

उक्त अवधि के दौरान, दिल्ली में 4 केन्द्रीय विद्यालय खोले गये थे।

प्रत्येक वर्ष दाखिले के आधार पर किसी भी स्कूल में नये सैक्शन खोलने की जांच की जाती है तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अध्यापन-स्टाफ के पदों का निर्धारण किया जाता है। तथापि, बढ़ते हुए दाखिले की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष संघ शासित क्षेत्र में या तो नये स्कूल खोलकर अथवा विद्यमान स्कूलों में नए सैक्शन खोलकर इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधि के अन्तर्गत स्कूल की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है।

गुणात्मक सुधार के लिए अध्यापकों के लिए सतत् सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा निरीक्षण तन्त्र में तेजी लाई गई है।

(ख) दिल्ली में स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :

मिडिल	327
माध्यमिक	206
सीनियर माध्यमिक	109

इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/छावनी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों की संख्या नीचे दी गई है :

दिल्ली नगर निगम	1512
नई दिल्ली नगर पालिका	64
छावनी बोर्ड	6

टूंडला से गायों को हावड़ा ले जाना

2003. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1981 को टूंडला रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे, के स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने अपने किसी व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी (एसिस्टेंट कामर्शियल सुपरिटेंडेंट) के आदेशों का उल्लंघन करते हुए टूंडला से हावड़ा के लिए गायों को ले जाने के लिए चार वैगन बुक किये थे;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में लागू कानून के अन्तर्गत गायों को राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है;

(ग) क्या डी० एल० ओ०, आगरा वेटेनियरी अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किये जाने के बाद ही इन्हें भेजने के लिए अनुमति लेने की भी आवश्यकता पड़ती है; और

(घ) क्या भेजने के समय प्रत्येक गाय के लिए पृथक प्रमाण-पत्र देने की भी आवश्यकता होती है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सिविल प्रतिबन्धों के बावजूद तारीख 16-12-1981 को टूण्डला से हावड़ा तक मवेशी (गायों) के चार माल डिब्बे बुक किये गये थे जिसके लिए बुकिंग लिपिक के विरुद्ध राज्य रेलवे पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है।

(ख) जी हां। इसके लिए प्राधिकृत मवेशी विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत।

(ग) इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) जी हां।

इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के मुख्यालय से चुराये गये चैक

2004. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 में इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी के मुख्यालय से कुछ चैक चुरा लिये गये थे और भारतीय स्टेट बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा से लगभग 52,000 रुपये निकाल लिए गये थे और बैंक ने सोसाइटी को स्थाई भुगतान किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस धोखा-धड़ी में सम्बद्ध होने के आरोप वाले एक कर्मचारी को नई दिल्ली न्यायालय ने सम्मानपूर्वक छोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली ने इंडियन रेडक्रास सोसाइटी से 52,000 रुपये की राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उपरोक्त सोसाइटी ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जिस पर न्यायालय के निर्णय में आलोचना की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) मार्च, 1975 में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के मुख्यालय से 8 कोरे चैक खोये हुए पाए गए। यह पाया गया कि खोये हुए 8 चैकों में से 6 चैक जिनका कुल मूल्य 50,100 रुपये था, मेहासचिव के जाली हस्ताक्षरों से निकाल लिए गये थे। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सोसाइटी को अस्थाई रूप से 50,100 रुपये का भुगतान कर दिया था जो कि सोसाइटी के खाते से जाली हस्ताक्षरों से निकाल लिए गए थे।

(ख) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी का एक कर्मचारी जो इस काम में शामिल था, ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया। लेकिन अपील किये जाने पर नई दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया है।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सोसाइटी से रकम वसूलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और सत्र न्यायालय के निर्णय में सोसाइटी के किसी कर्मचारी की भर्त्सना भी नहीं की गई है इसलिए सोसाइटी के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीन में नागा विद्रोहियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

2005. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री निहाल सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन में नागा विद्रोहियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा की गई आवश्यक कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) नागालैंड में उग्रवादियों को चीनियों द्वारा भौतिक और सैद्धान्तिक समर्थन देने की घटनाएं पहले तो हुई हैं लेकिन इधर कोई नई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी/अवयस्क बच्चों को वित्तीय सहायता देना

2006. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के मामले में मंत्रालय के ऐसे आदेश हैं कि तत्काल वित्तीय सहायता दी जाये और मृतक कर्मचारी की पत्नी अथवा पत्नी जीवित न होने की स्थिति में उसके अवस्यक बच्चों को ऐसी मृत्यु के बाद कुछ महीनों के भीतर पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रबन्ध किये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, आर० के० पुरम के कुछ कर्मचारियों की 1979 में मृत्यु हुई थी लेकिन उनके अवयस्क बच्चों को अब तक पेंशन नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के उन सभी मृत कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी, के सम्बन्ध में पेंशन भुगतान के आदेश उनके वैध दावेदारों को जारी किए जा चुके हैं । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पंकर, स्वर्गीय श्री चेतराम के छोटे भाई का संरक्षर्ण का दावा स्वीकार कर लिया गया था और उनको पेंशन के भुगतान का जो आदेश जारी किया गया था, वह वेतन तथा लेखा कार्यालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा फरवरी, 1982 के अन्तिम सप्ताह में इस आपत्ति के साथ लौटा दिया गया है कि पेंशन सम्बधित मृत सरकारी कर्मचारी के केवल सबसे बड़े पात्र बच्चे को ही संरक्षक के माध्यम से दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में संस्वीकृति तथा पेंशन के भुगतान का संशोधित आदेश जारी किया जा रहा है ।

इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

2007. **श्री मोहनलाल पटेल :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री अमरराय प्रधान :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने इतिहास के पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) इतिहास की वर्तमान पाठ्य-पुस्तकों में आमूल-चूल पुनरीक्षण के लिए आपत्तिजनक माने जा रहे अंश कौन-कौन से हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों का नाम, अर्हतायें और पद क्या हैं जिन्हें इन पाठ्य-पुस्तकों को दोबारा लिखने के लिये चुना गया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) रा० शै० अनु० प्र० परिषद ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में निर्धारित/अनुशंसित इतिहास-पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की हैं।

(ग) ऐसे अवतरण और दृष्टिकोण, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकार हैं, का पता लगाया जाएगा और उन्हें निकाल दिया जाएगा।

(घ) सम्बन्धित राज्य एजेंसियां इतिहास पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कर रही हैं। यदि आश्यकता पड़ी तो ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इतिहास-पाठ्यपुस्तकें पुनः लिखने के लिए चुना जाएगा के नामों अर्हताओं तथा पदों पर सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

लेबनान से भारतीय का भेजा जाना

2008. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

डा० ए० यू० आजमी :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 4 फरवरी, 1982 के "इण्डिसन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "राकेट ट् रिक्रूट मर्सीनरोज" शीर्षक समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में लेबनान से आये 31 व्यक्तियों ने बताया है कि उनको एक पश्चिम एशियाई फर्म के लिये श्रमिकों के रूप में नियुक्ती की गई थी लेकिन जब वे बेरुत में पहुंचे तो यह पता चला कि उन्हें वास्तव में सिपाहियों के रूप में काम पर रखा गया है;

(ग) क्या बेरुत में इन व्यक्तियों के दल को एक शिविर में ले जाया गया था जहां उनके यात्रा सम्बन्धी कागजात ले लिये गये थे और उन्हें सिपाहियों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए वर्दिया पहननी पड़ी थीं;

(घ) क्या उन्होंने लड़ने से इनकार किया था और स्वदेश भेजने के लिये कहा था और अन्त में उनमें से लगभग दस व्यक्ति वहां पर ठहरने को सहमत हुए थे;

(ङ) क्या शेष व्यक्ति को धन और कोई पहचान के कागजात दिये बिना ही वहां से निकाल दिया गया था और छोड़ दिया गया था; और

(च) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सही स्थिति का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड.) कुछ बेईमान एजेन्टों ने इस वादे पर इकतीस भारतीय राष्ट्रिकों को भर्ती किया था कि वे उन्हें बेरुत के एक कारखाने में काम दिला देंगे। लेकिन 10 जनवरी, 1982 को वीजा के बिना बेरुत पहुंचने पर, उनकी जानकारी के बिना ही उन्हें एक शिविर में ले जाया गया। लेकिन उन्हें सैनिक के तौर पर भर्ती नहीं किया गया था। एजेंटों ने बेरुत पहुंचने से पहले ही उनके पासपोर्ट ले लिए थे। उनके बेरुत पहुंचने के दो दिन के अन्दर-अन्दर भारतीय राजदूतावास के अधिकारी उन्हें मिले और तब तक उनसे निरन्तर संपर्क रखा गया, जब तक कि हमारे राजदूतावास की सहायता से 31 जनवरी तक सभी 31 व्यक्तियों को भारत प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया गया। इन सभी व्यक्तियों को इकट्ठे भेजने के लिए शीघ्र ही कोई विमान उपलब्ध न था।

(च) यह मामला बेईमान एजेंटों द्वारा निर्दोष भारतीय राष्ट्रिकों को धोखा दिये जाने का है। इन एजेंटों को गिरफ्तार करके, दंड देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में रेलवे द्वारा पूंजी निवेश किया जाना

2009. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में रेल मंत्रालय द्वारा कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1954 में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के बनने से इसने इसमें किये गये पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत हड़प लिया है;

(ग) क्या 48 करोड़ के पूंजी निवेश पर अब तक इसे 27 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में (रेल मंत्रालय के माध्यम से) 1981-82 तक 912.80 लाख रुपये की पूंजी लगा चुकी है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से सूचना मंगायी गयी है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"क्वेक्स थ्राइव इन रूरल बिहार" शीर्षक समाचार

2010. श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री वी० डी० सिंह :

श्री के० ए० राजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "क्वेक्स थ्राइव इन रूरल बिहार" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने 1978 में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा था जिसमें नीम हकीम डाक्टरों की संख्या में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया है और उन संगठनों पर रोक लगाने की मांग की गई है जो उनके नामों का पंजीकरण करते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे अन्तिम निर्णय होने तक ऐसे संगठनों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से बचें;

(घ) क्या अभी तक अन्तिम निर्णय आना है और इससे इन संगठनों को आगे यह काम करते रहने के मामले में खुली छूट मिली है;

(ङ) क्या विभिन्न नामों के अन्तर्गत चलाये गये इन प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनर्स संगठन द्वारा ये "नीम हकीम डाक्टर" पंजीकृत किये जा रहे हैं जो भारी राशियां प्राप्त करने के बाद सदस्य बनाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) से (च) भारतीय चिकित्सा परिषद ने सरकार को पत्र लिखा कि अनर्ह व्यक्तियों को प्रैक्टिस करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

सरकार को देश में पंजीकरण के बिना प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों की समस्या की जानकारी है। समय-समय पर राज्य सरकारों को इस मामले में उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना

2011. श्री चित्त महाटा :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) संविधान के अनुछेद 45 में सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी न कर लें, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। तदनुसार, एक राज्य, उत्तर प्रदेश में मिडिल (VI-VIII कक्षाएं) स्तर पर लड़कों की शिक्षा को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में I-VIII कक्षाओं में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई हैं।

छठी योजना में 1989-90 तक व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के बारे में भारत-बंगलादेश वार्ता

2012. **श्री चित्त महाटा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक जल परिवहन और व्यापार पर 1972 की संधि के पुनरीक्षण के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच इस वर्ष वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी।

(ख) चूंकि सभी विषयों पर समझौता नहीं हो सका, इसलिए दोनों देशों के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सके। बातचीत का जारी रखने का विचार है।

अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आचार संहिता

2013. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापकों के लिए एक आचार संहिता तैयार कर रहा है जिसमें उनके राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाई जा रही; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) मई, 1981 में हुए कुलपतियों के सम्मेलन का यह मत था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सलाह करके, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नीति विषयक संहिता बनाई जानी चाहिए, आयोग ने, अपनी ओर से सभी

विश्वविद्यालयों को नीति विषयक संहिता से सम्बन्धित वर्तमान संविधियों और नियमों के बारे में सूचना भेजने को कहा है, विश्वविद्यालयों से यह सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, आयोग का इस विषय पर, मार्गदर्शी रूपरेखाओं के निरूपण के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है ।

भारत-फ्रांस सहयोग

2014. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत और फ्रांस अपने प्राचीन गौरव ग्रंथों और समसामयिक साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान की कृतियों को एक दूसरे की भाषा में अनुवाद करने और युवा कार्यक्रमों के विकास से सम्बन्ध व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सहमत हो गया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : भारत-फ्रेंच संयुक्त आयोग की पैरिस में 14 जनवरी, 1982 को हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों पक्षों ने, सामाजिक विज्ञानों में अपने श्रेण्य तथा समकालीन साहित्य और कृतियों का 1982-83 के दौरान एक दूसरे की भाषा में अनुवाद को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की ।

दोनों पक्ष, युवा कार्यक्रमों में लगे 2-3 व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के देश के दौरों की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत हो गए ।

नये बन्दरगाहों का विकास

2015. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों पर नये बन्दरगाहों का विकास करने के लिए कोई विशिष्ट योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि का व्यय करने का विचार है;

(घ) वर्तमान बन्दरगाहों के विकास के लिए इन योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ङ) इनके विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, चालू पंच-वर्षीय योजना के दौरान, पश्चिमी तट पर बम्बई के पास न्हावा शेवा पर एक नये पोर्ट की स्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) मौजूदा 10 पोर्टों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 521 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पोर्ट	(रुपये करोड़) आवंटन
1. कलकत्ता	30.30
(i) हल्दिया डाक	21.45
(ii) हल्दिया ड्रेजिंग	11.52
(iii) बी० एच० आर० टी० एस०	19.73
2. बम्बई	68.78
3. मद्रास	54.18
4. कोचीन	54.22
5. विशाखापत्तनम	71.33
6. कांडला	46.42
7. मार्मुगाव	25.05
8. परादीप	60.81
9. न्यू मंगलौर	31.84
जिसमें कुद्रेमुख लौह धातु प्रयोजना शामिल है	
10. तूतीकोरिन	25.57
कुल	521.20

(ङ) 1980 के पहले निम्नलिखित परियोजना स्वीकृत हुई जिस पर काम चल रहा है :

(i) बम्बई के बुच्चर आइलैण्ड पर फोर्थ आयल बर्थ (24.28 करोड़ रु०)

(ii) न्यू मंगलौर पोर्ट में कुद्रेमुख आयरन ओर पोर्ट फैसिलिटिज (38.53 करोड़ रु०)

(ii) विशाखापत्तनम पोर्ट में थर्ड वैगन।

(iv) परादीप पोर्ट में आयरन और हैंडलिंग का प्लांट का सुधार कार्य (8.08 करोड़ रु०)

(v) पारादीप में सेकेन्ड कार्गो जनरल बर्थ का निर्माण (7.26 करोड़ रु०)

(vi) बम्बई के लिए पेट्रोलियम आयल लुब्रिकेंट के लिए दो उच्च शक्ति टगों की खरीद (10.20 करोड़ रुपये)

स्वीकृत नई परियोजनाएं :

चालू पंचवर्षीय योजना के शुरू में पत्तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्कीम प्रयोजनायें शुरू की गई हैं :

1. काण्डला पोर्ट

(क) छठा जनरल कारगों बर्थ (17.49 करोड़ रुपये)

(ख) न्यू आयल जेट्टी (6.02 करोड़ रुपये)

2. बम्बई पोर्ट

(क) कंटेनर हैंडलिंग इकवपमेंट (7.60 करोड़ रुपये)

3. कोचीन पोर्ट

(क) कोचीन पोर्ट के समन्वित विकास के लिए स्कीम-आयल एण्ड फर्टिलाईजर वर्थ का निर्माण (35.86 करोड़ रुपये)

4. मद्रास पोर्ट

(क) कंटेनर टर्मिनल (22.60 करोड़ रुपये)

(ख) जवाहर डाक का विस्तार (11.67 करोड़ रुपये)

5. न्यू मंगलौर पोर्ट

(क) एक अतिरिक्त जनरल कारगों बर्थ का निर्माण (7.28 करोड़ रुपये)

6. विशाखापत्तनम पोर्ट

(क) जनरल बतक कारगो बर्थ का निर्माण (8.50 करोड़ रुपये)

7. टूटीकोरिन पोर्ट

(क) दो अतिरिक्त बर्थ का निर्माण (11.33 करोड़ रुपये)

8. परादीप पोर्ट

(क) थर्ड जनरल कारगों बर्थ का निर्माण (7.12 करोड़ रुपये)

(ख) परादीप पोर्ट पर परादीप फर्टिलाइजर प्लांट के लिए एक फर्टिलाईजर बर्थ का निर्माण (15.50 करोड़ रुपये)

9. मामुंगाव पोर्ट

बहुउद्देश्यीय कारगो बर्थ (11.71 करोड़ रुपये)

गत तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या

2016. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

श्री रामप्यारे पनिका :

श्री ए० के० राय :

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्री गुलाम मोहम्मद खां :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 1982 में अब तक जोनवार रेल दुर्घटनाओं की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे यात्रियों और रेलवे विभाग को जान और माल की कितनी क्षति हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा रोकथाम के क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जनवरी तक प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	वर्ष	टक्कर	गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं	समपारों पर हुई दुर्घटनाएं	गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	78-79	11	96	9	5	121
	79-80	14	68	7	6	95
	80-81	10	112	5	9	136
	81-82 (जनवरी तक)	16	84	5	8	113
पूर्व रेलवे	78-79	7	54	1	—	62
	79-80	7	38	1	6	52
	80-81	9	48	5	6	68
	81-82 (जनवरी तक)	10	39	2	—	51

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर	78-79	7	92	13	4	116
	79-80	11	88	37	—	136
	80-81	12	105	16	3	136
	81-82 (जनवरी तक)	16	107	16	3	142
पूर्वोत्तर	78-79	5	53	15	1	74
	79-80	7	46	10	—	63
	80-81	8	75	13	2	98
	81-82 (जनवरी तक)	7	97	12	3	119
पूर्वोत्तर सीमा	78-79	2	76	6	—	84
	79-80	2	62	8	—	72
	80-81	6	67	4	—	77
	81-82 (जनवरी तक)	7	89	8	—	104
दक्षिण	78-79	1	75	11	—	87
	79-80	5	71	11	1	88
	80-81	3	100	15	2	120
	81-82 (जनवरी तक)	6	70	3	—	79
दक्षिण मध्य	78-79	7	83	4	—	94
	79-80	4	85	7	4	100
	80-81	6	83	7	1	97
	81-82 (जनवरी तक)	3	91	10	3	107

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण-पूर्व	78-79	8	131	9	2	150
	79-80	16	120	12	1	149
	80-81	10	130	16	2	158
	81-82 (जनवरी तक)	12	126	8	2	148
पश्चिम	78-79	7	118	18	—	143
	79-80	6	114	22	3	145
	80-81	5	105	9	4	123
	81-82 (जनवरी तक)	2	85	5	1	93
जोड़	78-79	55	778	86	12	931
	79-80	72	692	115	21	900
	80-81	69	825	90	29	1013
	81-82 (जनवरी तक)	79	788	69	20	956

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण मारे गये रेल कर्मचारियों और यात्रियों की संख्या तथा रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

वर्ष	मारे गये रेल कर्मचारियों तथा यात्रियों की संख्या	रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत (लाख रुपयों में)
1978-79	68	515
1979-80	145	590
1980-81	170	934
1981-82 (जनवरी तक)	309	939

अब तक 1978-79 से 81-82 (जनवरी तक) की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में शिकार हुए लोगों को क्षतिपूर्ति, जिसमें सम्पत्ति की हानि भी शामिल है, के रूप में 124 लाख रुपये (अनुमानित) की राशि का भुगतान किया गया है

(ग) रेल परिसम्पत्तियों तथा उपस्करों का बेहतर अनुरक्षण और परिचालन सुनिश्चित करने तथा सभी रेल कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए, हाल ही में निम्नलिखित अन्य उपाय किये गये हैं :—

(1) मानवीय गलती को रोकने के उपाय निर्धारित करने के लिए 23-1-82 को महा-प्रबन्धकों की एक बैठक बुलायी गयी थी। उच्च स्तर के दो दलों का गठन किया गया जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी शामिल किये गये हैं। ये दल किसी क्षेत्र में मौजूदा कमियों को सुधारने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिक समूहों से मिलते रहेंगे।

(2) इन दलों के काम पर निगरानी रखने का काम रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ निदेशकों को विशेष रूप से सौंपा गया है।

(3) रेल संचलन की संरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रतिनिधिक समूहों के साथ बैठकें आयोजित करके रेल कर्मचारियों का सक्रिय रूप से शामिल होना सुनिश्चित किया गया है।

(4) रेल प्रशासनों को फुट-प्लेट निरीक्षण को सघन करने के लिए परामर्श दिया गया है।

(5) अपनी ड्यूटी कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करने के लिए रेल-पथ परिपथन, धुरा काउण्टर, पराश्रव्य दोष संसूचकों आदि जैसी तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी की जा रही है।

(6) रेल-पथ, माल डिब्बे, यात्री डिब्बे और इंजनों जैसी पुरानी परिसम्पत्तियों का नवीकरण/बदलाव में तेजी लायी गयी है।

(7) रेल-पथ, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा रेल इन्जनों जैसी अवसंरचना वाली परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हिन्द महासागर में अमरीका की गतिविधियां

2017. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री रामविलास पासवान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के महीनों में हिन्द महासागर में अमरीका के जहाजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है; और

(ग) क्या सरकार ने अमरीका सरकार को इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हिन्द महासागर में अमरीका की नौसैनिक उपस्थिति के बढ़े हुए स्तर को हाल के महीनों में भी सामान्यतः बनाए रखा गया।

(ख) सरकार का यह मत है कि हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक उपस्थिति से हमारे पड़ोस में तनाव और टकराव की स्थिति पैदा होती है और इससे सारे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।

(ग) सरकार ने हमेशा ही हिन्द महासागर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति का विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर, नामतः संयुक्त राष्ट्र और गुट-निरपेक्ष बैठकों में, विरोध किया है। द्विपक्षीय सम्पर्कों के दौरान अमरीकी सरकार को भी उपयुक्त रूप से इससे अवगत करा दिया गया है।

नागरिकताविहीन भारतीयों की समस्या हल करने के लिये भारत-श्रीलंका वार्ता

2018. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री के० मालन्ना :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने भारतीय मूल के श्रीलंका में नागरिकता-विहीन लोगों की समस्या पर विचार-विमर्श करने और इसे हमेशा के लिए हल करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें श्रीलंका सरकार द्वारा नागरिकता दी गई है और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें अभी नागरिकता दी जानी है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार की यह पेशकश स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए नई वार्ता कब होगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) श्रीलंका के प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत मूल के जिन "लेखाबद्ध" राज्यविहीन व्यक्तियों को और उनकी सन्तानों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है उनकी संख्या 31 अक्तूबर, 1981 को क्रमशः 162094 और 48593 थी। 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार श्रीलंका के 212906 और "लेखाबद्ध" व्यक्तियों को और उक्त तारीख तक उनकी स्वाभाविक वृद्धि को नागरिकता प्रदान करनी थी।

श्रीलंका में भारतीय मूल के शेष राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए भारत और श्रीलंका परस्पर सम्पर्क बनाए हुए हैं। इस विषय पर औपचारिक वार्ता का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समयोपरि भत्ते का भुगतान

2019. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का कितना भुगतान किया गया है;

(ख) इस वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि दी गई है;

(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कितने कर्मचारी हैं;

(घ) क्या सरकार को समयोपरि भत्ते की भारी राशि का भुगतान करने के बारे में किसी संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस शिकायत पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जवाहनलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रश्न के भाग (क) से (ग) के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा की गयी समयोपरि भत्ते की राशि इस प्रकार है :

1978-79	3.76 लाख रुपये
1979-80	6.63 लाख रुपये
1980-81	8.03 लाख रुपये

(ख) 31 जनवरी, 1982 तक समयोपरि भत्ते के रूप में 6.86 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) 1115

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में एक सांसद ने अन्य बातों के साथ-साथ इसका उल्लेख किया कि नियमों का उल्लंघन करके कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। ये टिप्पणियां विश्वविद्यालय के ध्यान में ला दी थीं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि समयोपरि भत्ता निर्धारित नियमों के अनुसार और मुख्यता काम के असाधारण दबाव के कारण अथवा जहां कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूरा करना हो, दिया जाता है। फिर-भी विश्वविद्यालय ने समयोपरि भत्ते के खर्च को कम करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

कोयला-खानों के मुहानों पर रेल-वैगनों की कमी

2020. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों की भारी कमी है और उनकी मांग की पूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 और 1981 के दौरान अनेक लोगों ने कोयला खानों के मुहानों पर ये कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे-रैकों हेतु आवेदन किया था;

(ग) आवेदन करने वाले ऐसे कितने लोग थे;

(घ) इसी अवधि के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए कितने लोगों को रैक आबंटित किए गए थे; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई मानदंड अपनाए थे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। मालडिब्बों की भारी कमी नहीं है । झरिया क्षेत्र में कुछ मात्रा को छोड़कर सभी कोयला क्षेत्रों की मांगों को वस्तुत: पूर्ति की जा रही है ।

(ख) कोयले के रैकों का लदान रेल शीर्ष कोयला खान साईडिंगों से ही किया जा सकता है, खदान शीर्षों से नहीं ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने के लिए भारत के प्रयास

2021. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध रोकने तथा इस उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कोई विशेष भूमिका निभाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप ही फरवरी 1981 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इराक और ईरान अपने युद्ध को समाप्त कराने के लिए चार राष्ट्रों की एक समिति स्थापित करने पर सहमत हो गए ।

इस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष को समाप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस समिति ने अप्रैल, मई और अगस्त, 1981 में इराक तथा ईरान की तीन बार यात्रा की। इस क्षेत्र की अपनी अन्तिम यात्रा के बाद से ही समिति स्थिति पर ध्यानपूर्वक नजर रखे हुए है।

भारत आशा करता है कि समुचित अवसर आने पर गुट निरपेक्ष समिति अपने प्रयत्न फिर तेज कर देगी।

कोयले के रैकों का बिना बारी के आबंटन

2022. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे-रैकों का किसी निर्धारित नीति के अनुसार आबंटन किया जाता है और यदि हां, तो उक्त निर्धारित नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1980 और 1981 के दौरान उनके आदेशों से कोयले की ढुलाई के लिए अनेक रेलवे रैकों का बिना बारी के आबंटन किया गया था और यदि हां, तो इस प्रकार कितने रैक आबंटित किए गए थे; और

(ग) ऐसी पार्टियों/फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये रैक आबंटित किए गए थे तथा नीति से हट कर ऐसा करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : कलकत्ता स्थित निदेशक, संचलन (रेलवे) प्रत्येक वर्ष अक्तूबर में सभी राज्यों और केन्द्रीय प्रवर्तित प्राधिकारियों के नाम पत्र भेजते हैं जिसमें कोयला उपभोक्ताओं की प्रत्येक कोटि के लिए अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की जाती है। इसके बाद प्रवर्तित प्राधिकारी आने वाले कैलेन्डर वर्ष के लिए प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कोटे की सिफारिश करते हैं। कोटे की जांच की जाती है और निदेशक संचलन (रेलवे) द्वारा इसमें यथा-अपेक्षित परिशोधन करके स्वीकार किया जाता है जो इसके बाद सभी संबंधित उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृति जारी करता है। केन्द्र सरकार द्वारा विनिश्चित प्राथमिकताओं और कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन स्वीकृतियों के लिए माल डिब्बों का आबंटन किया जाता है।

(ख) जी हां।

1980—28 रेक

1981—258 रेक

(ग) एक सूची संलग्न है। राहत संबन्धी आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और कोयले तथा परिवहन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्रायोजित कोटा न मिलने की वजह से वास्तव में विपत्तिग्रस्त औद्योगों को बिना बारी के आबंटन किया जाता है, ताकि उत्पादन न रुकने पाये और श्रमिकों की अस्थायी तौर पर छटनी न होने पाये।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3481/82]

सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को निशुल्क पास जारी करना

2023. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या रेल मंत्री वर्ष 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान अलग-अलग व्यक्तियों तथा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को जारी किए गए पासों की संख्या से सम्बन्धित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1981 के वर्ष के दौरान और जनवरी, 1982 में व्यक्तियों, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को जारी किए गए कार्ड पासों की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	कार्ड पासों की संख्या		
	पहला दर्जा वातानुकल	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
1981	5	362	63
जनवरी 1981	—	3	—

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

2024. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 (दिसम्बर के अन्त तक) के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कुल कितने मामलें दर्ज किए गए तथा उनमें कितने लोग मारे गए और घायल हुए ;

(ग) उनमें से कितनी-कितनी दुर्घटनाएं दिल्ली परिवहन निगम की बसों, गैर-सरकारी बसों, स्कूटर-रिक्शाओं और टैक्सियों द्वारा की गई थी ;

(घ) उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने मृतकों के सम्बन्धियों तथा घायलों को क्षतिपूर्त के रूप में कुल कितनी धन राशि की भुगतान किया ; और

(ङ) दिल्ली में दुर्घटनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय किए हैं ?

नोवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 में दिल्ली में क्रमशः 4752, 4313 और 4409 सड़क दुर्घटनाओं के होने की सूचना मिली है। इससे पता चलता है कि इस संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है

वर्ष	दिल्ली परिवहन निगम की बसें	प्राइवेट अपरेटरों की बसें	स्कूटर रिक्शा	टैक्सियां	अन्य	कुल
1979	586	534	573	155	2905	4753
1980	535	491	521	139	2627	4313
1981	580	428	459	128	2814	4409

हताहत घायल व्यक्तियों की संख्या :—

वर्ष	हताहत	घायल
1979	763	4207
1980	663	3807
1981	सूचना प्राप्त नहीं हुई है	

(घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	मृत व्यक्तियों के मामले में दी दी गयी राशि	घायल व्यक्तियों के मामले में गई धनराशि	नुकसान के मामलों में दी गई धनराशि	दी गई कुल राशि
1979-80	1330001.75	365589.25	8123.96	1696714.96
1980-81	1388030.40	368000.85	23126.12	1779157.37
1981-82 (दिसम्बर तक)	1057055.00	229742.00	18855.79	1305652.97

(ङ) जो उपाय किए गये हैं वे नीचे लिखे हैं :—

(1) सभी पैसेन्जर गाड़ियों और भारी परिवहन गाड़ियों में प्रति घन्टे 50 किलोमीटर की चाल का गति नियंत्रक का लगाया जाना अनिवार्य करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा मोटर व्हीकल नियम 5.15 का संशोधन किया गया है।

(2) भारी परिवहन गाड़ियों को भी अपनी-अपनी हेड लाईट के आधे भाग को काले रंग से रंगने के आदेश दिए गए हैं जिससे इनकी रोशनी से होने वाली चकाचौंध को रोका जा सके।

(3) यातातात की मात्रा को देखते हुए विभिन्न सड़कों पर विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित की गयी है। बहुत अधिक तेज रफतार से गाड़ी चलाने और अन्धाधुन्ध और लापरवाही से गड़ियों के चलाने के रोकने के लिए अक्सर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(4) यातायात को सुविधापूर्ण सुनिश्चित करने यातातात नियमों को उल्लंघन को रोकने और सड़क सुरक्षा का प्रचार करने के लिए अधिकतम यातायात के समय यातायात के पुलिस अधिकारियों द्वारा मोबाइल गस्त की जा रही है।

(5) मौके पर ही जुर्माना करने के लिए अधिकता यातायात के समय सवेरे और शाम को मोबाइल कोर्टों की संख्या में वृद्धि की गयी है। यह उस व्यवस्था के अतिरिक्त के है जिसके तहत यातायात निरीक्षक यातातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नकद जमानत जमा पद्धित के तहत चालान किया करते हैं।

(6) गैर पार्किंक क्षेत्रों में मोटर गाड़ी खड़ी करने और सड़कों पर यातायात के आड़े गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ और अधिक कर्यवाई की जा रही है।

(7) सड़क को यातायात के लिए साफ रखने की दृष्टि से और सड़क का इस्तेमाल करने वालों को अधिक स्थान सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्यवाई की जा रही है।

(8) ड्राइवरों, स्कूल के बच्चों, पैदल यात्रियों, और कण्डक्टरों को व्याख्यानों प्रदर्शनियों, पोस्टरों साहित्य के वितरण द्वारा सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है। स्कूल के बच्चों को भी ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्कों में यातायात नियमों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूल के बच्चों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों में यातायात के नियमों के अनुपालन की भावना पैदा की जा सके। जहाँ तक दिल्ली परिवहन निगम का सम्बन्ध है सामान्य नियंत्रणकारी उपायों के अलावा हर बस की अधिकतम गति को बसों के फुल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम में हैं विशेष रूप से एक केन्द्रीय दुर्घटना एकक की स्थापना की गई है। इस एकक की मुख्य कार्यों में से एक कार्य दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना है जिससे कि दुर्घटनओं की संख्या को कम किया जा सके।

राष्ट्रीय अभिलेखाकार संग्रहालयों और पुस्तकालयों शीर्ष के अन्तर्गत योजनायें

2025. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा मंत्री** नाटक कला और संस्कृति को प्रोत्साहन के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान (राष्ट्रीय अभिलेखाकार और संग्रहालय) शीर्ष के अन्तर्गत कौनसी विशेष योजनायें शुरू की जायेंगी;

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान पुस्तकालय शीर्ष के अन्तर्गत कौन-कौनसी विशेष योजनायें शुरू की जायेंगी;

(ग) क्या विभिन्न गैर-सरकारी, सरकारी, केन्द्रीय और सरकारी पुस्तकालयों में विभिन्न प्राचीन, कीमती और विरली पाण्डुलिपियों के, काल-वार या विषय-वार "कैटेलोग्रस कैटेलोग्राम" तैयार करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) क्या सरकार ने मानव जीवन से संबन्धित संग्रहालय की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

विवरण

(क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है और भारत सरकार की अभिलेख सम्बन्धी नीति के कार्यान्वयन से सम्बद्ध है तथा सम्पूर्ण भारत सरकार के पुराने सभी कागजात तथा रिकार्डों को रखता है । भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :

(i) अभिलेख प्रबन्ध कार्यक्रम का कार्यान्वयन और विस्तार;

(ii) प्राइवेट रिकार्डों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रख रखाव;

(iii) बहुमूल्य रिकार्डों की मरम्मत तथा पुनर्लिपि;

(iv) रिकार्डों की सूची बनाना—संदर्भ माध्यम तैयार करना;

(v) अभिलेखागार सम्बन्धी अध्ययन—अभिलेखपालों का प्रशिक्षण;

(vi) स्वाधीनता सम्बन्धी रिकार्डों का प्रकाशन;

(vii) विदेशों से रिकार्डों की माईक्रोफिल्म प्रतियां प्राप्त करना;

(viii) राज्य अभिलेखागारों को परिरक्षण सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति;

(ix) एशियाई इतिहास स्रोतों का गाईड ।

संग्रहालय

(क) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली

संग्रहालय, भारत में स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में तथा आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू के जीवन कृतित्व को चित्रित करता है । संस्था का पुस्तकालय खण्ड, जिसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति है, आधुनिक राजकीय इतिहास में अनुसंधान का एक प्रमुख केन्द्र है ।

(ख) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की परिकल्पना समय और युग के साथ मानव की वीरगाथा के प्रस्तुतीकरण के प्रति समर्पित एक संस्था के रूप में की गई है जिसमें उस विशालता और विविधता पर जोर दिया जाएगा जिसने भारतीय संस्कृति के निर्माण को स्वरूप दिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संग्रहालय द्वारा मानव के विकास, मानव के अनुकूलन, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी, धर्म और कलाओं तथा सौन्दर्य-शास्त्र के क्षेत्र में मानव के कृतित्वों को चित्रित किया जाएगा। यह संग्रहालय अभी प्राथमिक चरण में है क्योंकि इसे विकास की अपनी विस्तृत योजनाएं तैयार करनी हैं।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मुख्य कार्य हैं :

(i) एन० सी० एस० एम० के संग्रहालय/केन्द्रों में अनुसंधान पद्धति का प्रारम्भ, (ii) कार्मिक प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों आदि के आदान-प्रदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सहयोग। (iii) सभी संघटक इकाइयों को प्रशासनिक तथा वित्तीय सहायता।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के अन्तर्गत, नेहरू विज्ञान केन्द्र बम्बई, बिरला औद्यागिक तथा प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, कलकत्ता, विश्वेश्वर्य औद्योगिक तथा प्रौद्योकीय संग्रहालय, बंगलोर और श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना, कार्य कर रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संग्रहालय, देश के विभिन्न संग्रहालयों, को संरक्षण/परिरक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश की एक प्रमुख संस्था है। इसे, न केवल सांस्कृतिक-सम्पदा के सभी स्वरूपों में उसके क्षीणमान साक्षों के एक संग्रहकर्ता और परिरक्षक के रूप में बल्कि सांस्कृतिक विरासत के प्रति पार्क के रूप में भी भारत के सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राष्ट्रीय संग्रहालय के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) संग्रहालय विज्ञान में अल्पावधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(ii) संग्रहालय सामग्री के संरक्षण में एक गहन सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तेज करना;

(iii) संग्रहालय संगठन और संग्रहालय वीथियों के पुनर्गठन को सुदृढ़ करना;

(iv) कला वस्तुओं का प्रलेखन;

(v) कला-वस्तुएं प्राप्त करना;

(vi) विशेष/अस्थायी प्रदर्शनियां स्थापित करना;

(vii) पुस्तकालय पुस्तकें खरीदना; और

(viii) प्रकाशन।

(ङ) **भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता**

भारतीय संग्रहालय, के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रदर्शों को प्रदर्शित करना;

(ii) सूची-पत्र तैयार करना;

(iii) संरक्षणात्मक प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना;

(iv) मार्गदर्शी दौरों तथा चलती-फिरती प्रदर्शनियों, लोक प्रिय व्याख्यानों और फिल्म शो के माध्यम से जन-शिक्षा;

(v) संग्रहालय वस्तुओं को प्राप्त करना; और

(vi) कला, पुरातत्व विज्ञान, मानव-विज्ञान और सम्बद्ध विषयों पर पुस्तकें प्राप्त करना ।

(च) **सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद**

सालारजंग संग्रहालय के कार्यकलाप हैं :

(i) आयल चित्रकला का पुनरूत्थान और रासायनिक संरक्षण के माध्यम से कला वस्तुओं का परिरक्षण ।

(ii) कला वस्तुएं प्राप्त करना ।

(iii) मुद्रित की जाने वाली कला वस्तुओं का सचित्र सूची-पत्र ।

(iv) वीथियों का पुनर्गठन ।

(v) आवधिक फिल्म शो और वृत्त-चित्रों के माध्यम से जन-शिक्षा ।

(vi) कला वस्तुओं के फोटोग्राफिक प्रलेखी रिकार्ड तैयार करना ।

(छ) **विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता**

विक्टोरिया मेमोरियल हाल के निम्नलिखित कार्यक्रम हैं :

(i) वीथियों को पुनः तैयार करना;

(ii) कला वस्तुएं प्राप्त करना;

(iii) भारतीय इतिहास और कला इतिहास की शैक्षिक फिल्में खरीदना;

(iv) पुनर्लिपि एकक का पुनर्गठन ।

(ज) **राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी**

(i) कला संग्रह और मूर्तिकला बगीचे का विकास;

(ii) आवधिक चयनों की विशेष प्रदर्शनी;

(iii) दौरों, व्याख्यानों, सेमिनारों आदि के माध्यम से जन-शिक्षा ।

(iv) फोटोग्राफिक प्रलेखन;

(v) प्रकाशन;

(vi) चित्रकला का संरक्षण;

(vii) कला इतिहास का शिक्षण ।

(1) राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिसम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला :

प्रयोगशाला, वैज्ञानिक तरीकों से सांस्कृतिक सामग्री के तकनीकी अध्ययन, संरक्षण के बेहतर तरीकों का पता लगाने के लिए अनुसंधान, संग्रहालयों व अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता, संरक्षण साहित्य के प्रलेखन, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय और प्रशिक्षण, जो इसने 1981-82 और 1982-83 के दौरान जारी रखे, के उद्देश्यों से स्थापित की गई है ।

प्राईवेट संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की योजना, सहायता की एक सतत योजना है जिसके अन्तर्गत, स्वैच्छिक संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, कालेजों और विश्वविद्यालयों आदि द्वारा चलाये जा रहे तथा प्रबन्धित संग्रहालयों को, उनके विकासात्मक कार्यकलापों तथा भवनों के निर्माण/विस्तार तथा मरम्मत, कला वस्तुएं और प्रकाशन खरीदने के लिए, अनुदान दिए जाते हैं ।

(ख) पुस्तकालय

दो मुख्य योजनाएं है, अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना जिसके लिए 1981-82 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए 12.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था थी । इतनी ही व्यवस्था 1982-83 के लिए की गई है । पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण के लिए विश्वविद्यालयों/पांडुलिपि पुस्तकालयों और अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को निधियां प्रदान की जाती हैं जिनके पास परिरक्षण सूची-पत्र तैयार करने, माईक्रोफिल्म तैयार करने आदि के लिए दुर्लभ पांडुलिपियां/बहुमूल्य पुस्तकें/दस्तावेज हैं । योजनाएं 1981-82 के दौरान जारी रही और 1982-83 के दौरान जारी रहेगी ।

उपरोक्त दो योजनाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं भी चलाई जा रही है ।

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता :

यह एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है जो पठन सामग्री और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करती है और पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत एक पुस्तक भंडार गृह भी है ।

(ख) केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता

इसका कार्य, भारतीय ग्रंथ सूची और अन्य ग्रंथ सूचियों तथा राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ प्रकाशनों का संकलन, सम्पादन, मुद्रण और बिक्री करना है ।

(ग) खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना

यह एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और भारत में पुस्तकालय अभियान को तेज करने के

उद्देश्य से अध्येताओं को पठन सामग्री और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत स्थापित की गयी थी ।

(घ) रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर

यह एक राष्ट्रीय महत्व की सस्था है और भारत में पुस्तकालय अभियान को तेज करने की दृष्टि से अध्येताओं को पठन सामग्री तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत स्थापित की गई थी ।

(ङ) राजा राममोहन राय पुस्तकालय, प्रतिष्ठान

देश में पुस्तकालय अभियान को प्रोत्साहित करने तथा सहायता करने व लोगों में विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों के लोगों में पढ़ने की आदत का विकास करने के लिए सन् 1972 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया था ।

(च) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली

पुस्तकालय 1951 में अपनी स्थापना के बाद से संघीय क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवाएं प्रदान कर रहा है । एक केन्द्रीय पुस्तकालय होने के अतिरिक्त, इसकी 24 शाखाएं और उप-शाखाएं, एक ब्रेल विभाग और चलते-फिरते सेवा केन्द्र तथा भंडार केन्द्र हैं । पुस्तकालय, योजनागत/योजनेत्तर अनुदानों के माध्यम से संस्कृति विभाग द्वारा पूर्ण तथा वित्त पोषित है ।

पुस्तकालय के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे पुस्तक तथा समाचार-पत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत हाल ही में एक प्रापक पुस्तकालय घोषित किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकालयों को वार्षिक योजनाग/अनुदान दिए जा रहे हैं :

(i) भारतीय विश्व कार्य परिषद, पुस्तकालय, नई दिल्ली;

(ii) टी० एम० एस० एस० पुस्तकालय, थांजावुर;

(iii) केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई ।

मातृभाषा के रूप में संस्कृत

2026. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि वर्ष 1981 की जनगणना के दौरान देश के अनेक लोगों ने अपनी मातृ-भाषा संस्कृत लिखाई थी;

(ख) यदि हां तो राज्य वार ऐसे लोगों की संख्या क्या है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा संस्कृत घोषित की थी; और

(ग) संस्कृत के अध्ययन तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये हैं तथा/या उससे संबन्धित व्यवसायों का सृजन किया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के अनुसार देश में जिन व्यक्तियों ने 1981 की जनगणना में संस्कृत अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित की है उनकी संख्या का पता जनगणना की अनुसूचियों की सारणी पूरी हो जाने के बाद ही लग पायेगा। इस सारणीकरण का कार्य चल रहा है।

(ग) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संस्कृत के प्रसार तथा विकास की कई योजनाएं हैं ताकि इस भाषा तथा साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसी योजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सहायक अनुदान।

2. संस्कृत के प्रचार तथा विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान।

3. संस्कृत पुस्तकों की खरीद और प्रकाशन सहित संस्कृत साहित्य का निर्माण।

4. आदर्श संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना।

5. छात्रवृत्तियां देना।

(i) संस्कृत में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां।

(ii) शास्त्री तथा आचार्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।

(iii) पारम्परिक पाठशालाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां।

6. अखिल भारतीय संस्कृत वाक प्रतियोगिताओं का आयोजन।

7. वैदिक अभिसमय का आयोजन।

8. दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं को सहायक अनुदान।

9. मौखिक वेद पाठ की परम्परा का परिरक्षण।

10. अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता।

11. संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था।

12. माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना। संस्कृत की प्रोन्नति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान।

13. आदर्श पाठशालाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग करना ताकि संस्कृत के गहन अध्ययन को सुरक्षित रखा जा सके।

14. प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को राष्ट्रपति द्वारा मानद प्रमाण-पत्र।

अस्थायी आधार पर काम कर रहे प्रधानाचार्यों की संख्या

2027. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा इन्टर कालेजों में अस्थाई आधार पर कितने-कितने प्रधानाचार्य (श्रेणी-एक के राजपत्रित अधिकारी) काम कर रहे हैं;

(ख) इन पदों पर वे कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी-कितनी अवधि से काम कर रहे हैं;

(ग) इन पदों को स्थाई आधार पर भरने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) उनके चयन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

टूंडला में उत्तर रेलवे इन्टर कालेज के अध्यापकों को क्वार्टरों का आवंटन

2028. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे इन्टर कालेज, टूंडला में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्हें वर्ष 1972 से अद्यतन क्वार्टर आवंटित किये गये हैं और आवंटन के लिये क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) इस संस्था के कितने अध्यापकों को अब तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं और उनमें महिलायें और हरिजनों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या जिन अध्यापकों को क्वार्टर आवंटित नहीं किये गये हैं उनमें से कुछ अध्यापक ऐसे अध्यापकों से सेवा की अवधि के हिसाब से वरिष्ठ हैं, जिन्हें वर्ष 1972 से अद्यतन क्वार्टर आवंटित किये गये हैं; और

(घ) क्या कुछ स्थानापन्न अध्यापिकाओं को भी क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित मानदण्ड पर :

(1) पंजीकरण की प्राथमिकता

(2) डाक्टरी आधार पर

(3) प्रशासनिक आवश्यकताएं

(ख) 19, जिनमें एक हरिजन कोटि का और 4 अध्यापिकाएं शामिल हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक एवजी अध्यापिका को डाक्टरी आधार पर क्वार्टर आवंटित किया गया था ।

नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2029. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा ऐसा विश्वविद्यालय खोले जाने की लगभग सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में ही मात्र एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई अपेक्षायें निर्धारित नहीं की हैं, जिनका किसी संस्था को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के लिए पूरा करना अवाइयक हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कुलियों की भर्ती में कदाचार

2030. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री डा० ए० यू० आजमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पे रुपीज 10,000 एंड बीकम ए रेल मोटर (10,000 रुपया दो और रेलवे कुली बन जाओ) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भर्ती घोटाले का ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कुलियों की भर्ती के सम्बन्ध में ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) आरोप सिद्ध नहीं हुए।

नया रेलवे-सुरक्षा बल

2031. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री चित्त बसु :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या नया रेलवे सुरक्षा-बल सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"पहियों पर राज महल" पर खर्च की गई धनराशि और उसके द्वारा अर्जित व्यापार

2032. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पहियों पर राज महल" (पैलेस आन व्हील्स) गाड़ी पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) "पहियों पर राज महल" गाड़ी से अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने "पहियों पर राज महल" गाड़ी का चलाना बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पैलेस आन व्हील्स के लिए डिब्बों के नवीनीकरण और पुन: स्थापन पर भारतीय रेलों द्वारा लगभग 63.11 लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

(ख) इस गाड़ी के नियमित वाणिज्यिक दौरों के अक्तूबर 1982 से मार्च 1983 के बीच परिचालित करने की अनुसूची बनाई गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में नये स्कूलों का खोला जाना

2033. **श्री सज्जन कुमार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बच्चों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुये सरकार दिल्ली में नये स्कूल खोलने की आवश्यकता अनुभव करती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के दौरान सरकार का कितने और किस-किस स्थान पर स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवर्ष नये स्कूल तब खोले जाते हैं जब ऐसे स्कूलों की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 1982-83 के दौरान नये स्कूल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अत: खोले जाने वाले स्कूलों की सही संख्या तथा उनके स्थानों को दर्शाया नहीं जा सकता।

सुल्तारपुर नार्थ-हटिया सैक्शन पर रेलवे फाटक पर दुर्घटनायें

2034. **श्री सज्जन कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे फाटकों पर गेट न होने की वजह से अनेक दुर्घटनायें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुल्तानपुर नार्थ-हटिया सैक्शन पर अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस तथा एक जीप की टक्टर में दो व्यक्ति मारे गए थे;

(ग) क्या इस दुर्घटना का भी यही कारण था कि रेलवे फाटक पर गेट नहीं था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चौकीदार रहित समपारों पर जो दुर्घटनायें होती हैं, वे प्राय: सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही तथा उनके द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने के कारण ही होती हैं।

(ख) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय 22-1-82 को उत्तर रेलवे सुल्तानपुर जफराबाद खंड पर पखरौली स्टेशन के निकट चौकीदार रहित समपार पर अमृतसर-हवड़ा एक्सप्रेस और एक जीप के बीच हुई टक्कर से है, जिसमें जीप में बैठे दो व्यक्ति मारे गये थे। यह दुर्घटना जीप ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी।

(घ) समपारों पर दुर्घटना की रोकथाम के लिए किये गये कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं :

(1) वर्तमान व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण।

(2) जिन समपारों पर दुर्घटनाएं होने की अधिक आशंका हो, उन पर रेलों द्वारा अपने ही खर्च पर चौकीदारों की व्यवस्था करना।

(3) समपारों पर टेलीफोनों की व्यवस्था करना।

(4) फाटकों का सिगनलों के साथ अन्तर्फाशन करना।

(5) उठने वाले बेरियरों की व्यवस्था करना।

(6) समपारों से कुछ पहले सीटी बोर्डों की व्यवस्था करना।

(7) बिना चौकीदार वाले समपारों से कुछ पहले सड़क पर गतिरोधकों की व्यवस्था करना।

(8) चौकीदार वाले समपारों से कुछ पहले गतिरोध पट्टियों की व्यवस्था करना।

(9) विभिन्न श्रव्य-दृश्य साधनों के मध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए शिक्षाप्रद अभियान चलाना।

(10) मोटर वाहन नियमों को लागू करने के लिए सिविल तथा पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से मौके पर जाकर जांच करना।

रेलवे कार्यशालाओं का दक्षता लक्ष्य

2035. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्री ने रेलवे कार्यशालाओं की दक्षता में दस प्रतिशत सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार कहां तक सफल हुई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981-82 में रेलों के कारखानों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए त्वरित कार्यक्रम शुरू किये गये थे किन्तु 10 प्रतिशत का कोई विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था। 1982 के लिए पिछले वर्षों में प्राप्त लक्ष्यों से 10 प्रतिशत अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 1981-82 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में रेलों की बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग की उपयोगिता क्षमता 94 प्रतिशत से बढ़कर 98.5% और माल डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग की उपयोगिता क्षमता 74% से बढ़कर 89% हो गयी।

सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैन्सर और मस्तिष्क रोग होता है

1036. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इंडियन सांईस कांग्रेस एसोसिएशन" ने मांग की है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर और मस्तिष्क रोग होता है "चेतावनी अंकित की जानी चाहिए";

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सिगरेट निर्माताओं को इस आशय का आदेश जारी कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975" के अधीन सिगरेट के सभी पैकेटों पर और उनके विज्ञापनों पर नीचे दी गई सांविधिक चेतावनी छापना अनिवार्य है : "सिगरेट पीना स्वस्थ्य के लिए हानिकारक है।"

चूंकि यह चेतावनी काफी व्यापक है और इसमें स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी नुक्सान आ जाते हैं, इसलिए कोई संशोधन करना जरूरी नहीं समझा जाता है।

स्पेन के साथ हुई वार्ता

2037. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1982 में भारत और स्पेन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में परस्पर विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस वार्ता से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझने में सहायता मिली है।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन रोकना

2038. **श्री आर० आर० भोले** :

श्री मनी राम बागड़ी :

श्री एन० ई० होरो :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 16 जनवरी, 1982 के "पैट्रिएट" में प्रकाशित उस समाचार की सत्यता की जांच की है जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के अध्यापकों को इसलिये वेतन का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि योजना आयोग ने अपेक्षित धन राशि आवंटित नहीं की है;

(ख) इस दुखद स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है; और

(ग) सरकार का इस मामले में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ऐसी स्थिति दुबारा उत्पन्न न हो ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राजकीय स्कूलों में कार्यरत कुछ शिक्षकों को नवम्बर, 1981 से उनके वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका। यह इस कारण हुआ था कि इस प्रयोजन के लिए शिक्षा निदेशालय के योजनागत बजट में निर्धारित धन-

राशि वर्ष 1981-82 के लिए अपर्याप्त थी। दिल्ली प्रशासन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि वे शिक्षकों को वेतन भुगतान कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए बजट सम्बन्धी स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है कि वर्ष 1982-83 के बजट प्राक्कलनों में प्रत्याशित व्यय की व्यवस्था पर्याप्त रूप में की जाए।

अर्द्ध कुम्भ के तीर्थ यात्रियों पर अधिभार

2039. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के 1 जनवरी, 1982 से 22 फरवरी, 1982 तक इलाहाबाद में आयोजित अर्द्ध-कुम्भ मेले में गए तीर्थ यात्रियों सहित सभी आने और जाने वाले यात्रियों पर विशेष अधिभार लगाया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विशेष अधिभार से रेलवे को कितनी अतिरिक्त आय हुई; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में अन्य धार्मिक तीर्थ यात्रियों पर इस तरह का विशेष अधिभार लगाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह अधिभार रेल दर जांच समिति की सिफारिश के अनुसार मेला यातायात के सम्बन्ध में किये गये खर्च को पूरा करने हेतु रेलों की क्षतिपूर्ति करने और रेल यात्री अधिनियम, 1956 के टर्मिनल कर के अधीन लगने वाले बढ़ाये गये तीर्थ-यात्री कर के लिए भी है।

(ग) चूंकि 28-2-1982 को मेला अवधि समाप्त हुई है, इसलिए इस लेखे के आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं।

(घ) जी हां, जब कभी रेलें मेला यातायात के सम्बन्ध में अतिरिक्त खर्च करती हैं।

सरकारी छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा के लिये विदेश गये भारतीय छात्र

2040. **श्री आर० आर० भोले** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी छात्रवृत्ति पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों में कितने भारतीय छात्र भेजे गए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उन सभी छात्रों पर सरकार तथा दूसरी सम्बन्धित सरकारों द्वारा जहां वे भेजे गये थे, कितना खर्च किया गया ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को जिन योजनाओं के अन्तर्गत विदेश भेजा जाता है उनका नाम तथा उन पर हुआ खर्च नीचे दर्शाया है :

1. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की विदेश अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

वर्ष	विदश भेजे गए भारतीय छात्रों की संख्या	खर्च (लाख रुपये)
1979-80	37	67.14
1980-81	28	63.24
1981-82	14	70.00
(जनवरी 1982 तक)	79	200.37

2. गृह मंत्रालय की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां

वर्ष	विदेश भेजे गए भारतीय छात्रों की संख्या	खर्च (लाख रुपये)
1979-80	22	17.34
1980-81	10	25.06
1981-82	23	24.00
(जनकरी, 1982 तक)	55	66.40

कोणार्क के सूर्य मंदिर से पत्थरों का गिरना

2041. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर और पुरी के भगवान जगन्नाथ मन्दिर से कुछ पत्थर (स्लैब्स) गिर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मन्दिरों में से प्रत्येक से कितने पत्थर गिर गए हैं और इन पत्थरों को दोबारा उन स्थानों पर लगाने के लिये अब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त दो प्रसिद्ध मन्दिरों पर रासायनिक उपाय करने और विशेष अनुरक्षण सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इन मन्दिरों के समुचित अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) । अगस्त 1978 को कोणार्क सूर्य मंदिर के महामंडप की पीढ़ाकार छत के उत्तर-पश्चिमी कोने से एक पत्थर गिर गया था । मार्च, 1981 को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के बाहरी भाग से चटके और ढीले पत्थरों के आठ टुकड़े निकल गये थे । गिरे हुए सभी पत्थरों को दुबारा लगा दिया गया है । तदनन्तर पत्थरों के गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) मंदिरों का रासायनिक सुरक्षण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर स्वीकृत पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार किया जा रहा है ।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के सुरक्षण और रख-रखाव पर क्रमशः 10,11,391.48 रुपये और 7,87,599.99 रुपये व्यय हुए हैं ।

(ङ) प्राचीन संस्मारकों संरक्षण कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है और प्रस्तावित परिरक्षी उपाय अर्थात संरचनाओं का दृढ़ीकरण और पत्थरों का रासायनिक उपचार मंदिरों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दी गई औसत सहायता

2042. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक प्रति विश्वविद्यालय कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) 1981-82 के दौरान उड़ीसा के तीनों विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को अब तक कितनी सहायता दी गई और इस तरह की सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत विकास अनुदान कई मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । ऐसे अनुदान, सम्पूर्ण रूप से एक योजना अवधि के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिए आंशिक रूप से अनुमोदित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, चुने हुए विश्वविद्यालयों द्वारा, उच्च अध्ययन केन्द्रों, विशेष सहायता विभागों, प्रमुख अनुसंधान परियोजना, संगणक प्रणालियों की व्यवस्था, उपकरण केन्द्रों की स्थापना, इत्यादि जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं । अनुदानों की मात्रा निश्चित करने में, प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास की अवस्था, इसके द्वारा चलाए

जाने वाले कार्यक्रमों की किस्म, स्वरूप तथा क्षेत्र, अध्यापन तथा अनुसंधान के स्तर, छात्र दाखिला, इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को संस्वीकृत विकास अनुदानों का औसत शर्तों में तुलना करना सही नहीं होगा। पांचवी योजना अवधि (1974-1979) के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए गऐ विकास अनुदान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1981-82 के दौरान (24-2-1982 तक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उड़ीसा में तीन विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए हैं :

1. बरहामपुर	9,42,191.00 रुपये
2. सम्बलपुर	18,38,340.07 रुपये
3. उत्कल	22,56 832.43 रुपये

सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए, छठी योजना के दौरान इन विश्वविद्यालयों के समग्र विकास कार्यक्रमों का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों (1974-75 से 1978-79 तक) के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, तथा राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए कुल विकास अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण।

विश्वविद्यालय का नाम	(लाख रुपये) कुल अनुदान
1	2
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
1. अलीगढ़ मुस्लिम	468.63
2. बनारस हिन्दू	1142.34
3. दिल्ली	549.12
4. जवाहर लाल नेहरू	790.39
5. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय	493.10
6. हैदराबाद किश्वविद्यालय	582.34
7. विश्व-भारती	116.59
राज्य विश्वविद्यालय	
आन्ध्र राज्य	
आन्ध्र	427.63

1	2
उस्मानिया	381.18
श्री वेंकटेश्वर	215.09
नगार्जुन	0.27
ककातिया	0.30
असम राज्य	
डिब्रूगढ़	99.87
गोहाटी	134.66
बिहार राज्य	
भागलपुर	72.58
बिहार	66.06
के० एस० दरभंगा	13.86
मगध	82.48
मिथिला	3.07
पटना	129.53
रांची	100.80
गुजरात राज्य	
गुजरात	148.78
एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा	229.43
सरदार पटेल	185.67
सौराष्ट्र	49.82
दक्षिण गुजरात	76.67
हरियाणा राज्य	
कुरुक्षेत्र	156.53
महर्षि दयानन्द	0.17
हिमाचल प्रदेश राज्य	
हिमाचल प्रदेश	103.28
जम्मू व कश्मीर राज्य	
जम्मू	116.98
काश्मीर	96.56

1	2
कर्नाटक राज्य	
बंगलौर	273.59
कर्नाटक	175.75
मैसूर	193.85
केरल राज्य	
कालीकट	153.93
कोचीन	82.60
केरल	155.60
महाराष्ट्र राज्य	
बम्बई	303.12
मराठवाड़ा	101.67
नागपुर	195.44
पूना	291.68
एस० एन० डी० टी० महिला	171.07
शिवाजी	107.00
मध्य प्रदेश राज्य	
ए० पी० सिंह	33.44
भोपाल	60.20
इन्दर कला संगीत महाविद्यालय	16.80
इन्दौर	91.49
जबलपुर	70.73
जीवाजी	57.22
रवि शंकर	75.40
सागर	145.99
विक्रम	71.68
उड़ीसा राज्य	
बरहामपुर	113.51
सम्बलपुर	92.98
उत्कल	158.21

1	2
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	
पंजाब	386.96
पंजाब राज्य	
पंजाबी	113.74
गुरु नानक देव	103.72
राजस्थान राज्य	
जोधपुर	127.82
राजस्थान	239.16
उदयपुर	73.95
तमिलनाडु राज्य	
अन्नामलै	201.96
मद्रास	426.34
मदुरै	195.86
उत्तर प्रदेश राज्य	
आगरा	36.52
इलाहाबाद	204.85
बुन्देलखण्ड	—
गढ़वाल	5.88
गोरखपुर	115.05
कानपुर	20.79
लखनऊ	145.01
मेरठ	91.90
रुड़की	415.07
काशी विद्यापीठ	35.97
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	31.44
कुमायूं	10.36
पश्चिम बंगाल राज्य	
बर्दवान	129.48
कलकत्ता	440.02
जादवपुर	299.64
कल्याणी	99.49
उत्तर बंगाल	92.68
रविन्द्र भारती	14.31

एशियाड-82 में भाग लेने वाली टीमों को शिक्षण/प्रशिक्षण

2043. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड खेलों में भाग ले रही भारतीय टीमों को प्रशिक्षण तथा शिक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनको इस तरह की प्रशिक्षण तथा शिक्षण कब दिया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा की जाने वाली उस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है जिससे सेवारत भारतीय खिलाड़ी एशियाड खेलों में भाग ले सकें ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार का प्रशिक्षण वर्ष 1980-81 से पहले ही दिया जा रहा है।

(ग) एशियाई खेल, 1982 में सेवारत भारतीय खिलाड़ी भाग ले सकें, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए, विशेष आकस्मिक अवकाश की संख्या 30 दिन से बढ़ा कर 60 दिन कर दी है, जिन्हे सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने, खेलों तथा विशेष रूप से एशियाई खेलों की तैयारी के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चुना जाता है । सरकार ऐसे विशिष्ट मामलों में, जहां यह अवधि अपर्याप्त पाई जाती है, अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गई है । रक्षा सेवायें, भारतीय रेल और केन्द्रीय पुलिस संगठन भी अपने उन कर्मचारियों को ड्यूटी पर मानने के लिए सहमत हो गए हैं जिन्हें 1982 के एशियाई खेलों की तैयारी में प्रशिक्षण शिवरों में भाग लेने के लिए अथवा एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए चुना जाता है । इसी तरह से, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय की पहल पर, अधिकांश राज्य सरकारें अपने उन कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधायें प्रदान करने के लिए सहमत हो गई हैं जिन्हें एशियाड-82 के लिए प्रशिक्षण शिविरों के लिए चुना जाता है । सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे ही निर्देश जारी कर दिये हैं, जिन्हें एशियाड-82 के लिए संभावित खिलाड़ियों के रूप में चुना जाता है ।

सेवारत भारतीय खिलाड़ियों को अन्य सम्भावित खिलाड़ियों के समान प्रशिक्षण शिविरों के दौरान 26 रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से नि:शुल्क भोजन एवं आवास तथा 2 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जेब खर्च प्रदान किया जा रहा है । सेवारत सम्भावित खिलाड़ियों को भी एशियाड-82 के लिए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए द्वितीय श्रेणी के आने-जाने के यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

ब्रिटेन में "फैस्टीवल आफ इण्डिया" का आयोजन

2044. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में 1982-83 में भारत का त्योहार (फैस्टीवल आफ इण्डिया) नाम से एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो "भारत के त्योहार" में प्रदर्शित किए जाने के लिए प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) क्या उस सांस्कृतिक प्रदर्शिनी में भाग लेने हेतु विभिन्न राज्यों से कलाकारों को भेजने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) उस समारोह में किन-किन अन्य देशों के भाग लेने की आशा है; और

(ङ) कार्यक्रम प्रदर्शित करने की निर्धारित अवधि के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन, सन 1982 में ब्रिटेन में भारतीय उत्सव (फैस्टीवल आफ इण्डिया) आयोजित कर रहे हैं, जो 22 मार्च, 1982 से शुरू होगा । यह नवम्बर, 1982 तक अवश्य चलेगा । उत्सव की, प्रदर्शनियों/घटनाओं और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के रूप में परिकल्पना की गई है, जिसमें पूर्व-ऐतिहासिक समय से आज तक की भारतीय सभ्यता के अनेक पहलुओं को प्रतिबिम्बित किया जाएगा । कला-उत्सव की मुख्य घटनायें इस प्रकार हैं :—

1. हेवार्ड वीथी :

भारतीय पेन्टिंग और मूर्तिकला के 2000 वर्ष	25 मार्च, 13 जून, 1982

2. विज्ञान संग्रहालय :

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत की औषधियां	25 मार्च, 15 अगस्त, 1982

3. विक्टोरिया और एलबर्ट संग्रहालय :

मुगल भारत में दरबारी जीवन	21 अप्रैल, 15 अगस्त, 1982

4. बेथनल ग्रीन बाल्यावस्था संग्रहालय :

भारतीय ताश : विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के संकलन से	17 मार्च, 30 मई, 1982

5. ब्रिटिश पुस्तकालय :

भारत में पुस्तक कला — 16 अप्रैल, अगस्त, 1982

6. मानव-जाति संग्रहालय :

वासना : भारतीय गांव के भीतर 10 अप्रैल, अगस्त, 1982

7. ब्रिटिश संग्रहालय :

प्राचीन भारत में गांव से शहर तक 21 अप्रैल, सितम्बर, 1982

8. राष्ट्रमण्डल संस्थान :

(क) शृंगार-भारतीय वेष-भूषा की एक झलक 17 मार्च, 18 अप्रैल, 1982

(ख) भारतीय औद्योगिक डिजाईन तथा रेखाचित्र कला 13 अप्रैल, 23 मई, 1982

(ग) भारत और ब्रिटेन 31 मई, 15 अगस्त, 1982

(घ) भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी 25 अक्तूबर, 13 नवम्बर, 1982

9. दि टेट बीथी :

आधुनिक भारतीय कलाकार 7 अप्रैल, 23 मई, 1982

10. सर्पेन्टाईन वीथी :

सजीव कलाएं 8-31 मई, 1982

11. बारबिकन केन्द्र :

अदिति, सृजन, समारोह 2 जुलाई, 1 अगस्त, 1982

12. रायल कला अकादमी

भारत की समकालीन कलाएं सितम्बर, अक्तूबर, 1982

13. रायल कला कालेज :

विश्वकर्मा, वस्त्रों की प्रदर्शनी 9 अक्तूबर, 17 नवम्बर, 1982

14. लिट्टलेटन सर्किल फोयेर नेशनल थियेटर :

भारत की झलक, चित्र प्रदर्शनी मई-जून, 1982

15. फोटोग्राफर वीथी :

भारत यत्र तत्र, भारतीय फोटोग्राफी का इतिहास

तारीख के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है।

16. **अभिनय कलाएं** : उत्सव के दौरान अनेक संगीत गोष्ठियां और अभिनय कलाओं के प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। उत्सव के दौरान, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रसिद्ध गुरु तथा प्रसिद्ध कलाकार, थियेटर मंडलियां अभिनय प्रदर्शन करने के लिए भेजी जाएंगी।

17. **फिल्म-उत्सव** : यह पूरे वर्ष चलेगा तथा इसमें मूक फिल्म विदेशी दृष्टि के माध्यम से भारत पर अनेक फिल्में रित्विक घटक; अनुदर्शी और "न्यू वेव फिल्म डायरेक्टर्स" द्वार निर्मित फिल्में शामिल की जायेंगी।

क्योंकि यह उत्सव भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, अतः अन्य देशों द्वारा इसमें भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता।

331 अप हावड़ा-गया पैसेंजर रेलगाड़ी में सिरारी रेलवे स्टेशन के समीप लूटपाट

2045. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 फरवरी, 1982 को 331 अप हावड़ा-गया पैसेंजर रेलगाडी के बहुत से यात्रियों को सिरारी रेलवे स्टेशन के समीप सशस्त्र गिरोह द्वारा लूटा गया और घायल कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1-2-82 को लगभग 20.15 बजे किऊल-गया खण्ड पर गरसांडा और सिरोड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी नं० 331 अप (गया-हावड़ा पैसेंजर) के कम्पार्टमैंट न० 4336 में लगभग 20 बदमाशों ने पिस्तौल और खंजर की नोक पर डाका डाला। इन डाकुओं ने 2 यात्रियों को जख्मी कर दिया और 1500/- रुपये नकद तथा इस कम्पार्टमेंट के यात्रियों का अन्य सामान लूट लिया। इस सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन किऊल, में 1-2-82 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के तहत मामला सं० 7 दर्ज किया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस, किऊल, ने छः संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ियों आदि के 2 बक्स बरामद कर लिये गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग

2046. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय ने अपने मुख्यालय में और इसकी सहायक एजेंसियों में सीमित स्तर पर हिन्दी का प्रयोग करने की शुरूआत की है; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी में कार्य करने की कितनी गुंजाइश है और कितना कार्य हिन्दी में किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी नहीं, चूंकि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक या कार्यकारी भाषा नहीं है। इस सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1982 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 792 का जवाब देखें।

लेकिन सरकार के अनुरोध पर नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र ने संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हिन्दी में अनुदित कर उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित किया है :

1. यू० एन० चार्टर।
2. बेसिक फैक्ट्स अबाउट व यू एन।
3. कमेन्ट्स एण्ड डाक्यूमेंट्स आफ द यूनाइटेड नेशन्स कमिटी अगेन्स्ट अपार्थीड।
4. न्यू इंटरनेशनल इकानामिक आर्डर।
5. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राईट्स।
6. इंटरनेशनल कावेनेंट्स आन ह्यूमन राईट्स एंड आपशनल प्रोटोकोल।
7. ए यूनाइटेड नेशन्स एंड रिलेटेड एजेन्सीज।
8. स्टैंडर्ड मिनीमम रूल्स फार ट्रीटमैंट आफ प्रिजनर्स।
9. लागोस डिक्लेरेशन फार एक्शन अगेन्स्ट अपार्थीड।
10. राईट्स आफ द चाल्ल्ड।
11. यूनाइटेड नेशन्स टुडे।
12. यूनाइटेड नेशन्स इन ब्रीफ।
13. द ओप्रशेन आफ ब्लैक विमेन इन अपार्थीड साउथ अफ्रीका।

बिना बारी के वैगनों का आवंटन

2047. **श्री चित्त वसु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप बिना बारी के वैगनों का आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह से आवंटन के लिए कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त है; और

(ग) कलेन्डर वर्ष 1981 के दौरान बिना बारी के किए गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 27-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सभी रेल प्रशासनों द्वारा (1) प्राथमिकता परिचालनिक परिस्थितियों और (3) संकट को समाप्त करने के आधार पर माल/माल की श्रेणी के अधिमान्य संचलन की व्यवस्था की जाती है। कुल पांच प्राथमिकताएं हैं, जो मद "क" से "ङ" के अन्तर्गत वर्गीकृत की गयी हैं और

इनमें से मद "क" को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है। माल/माल की श्रेणी के उच्चतर प्राथमिकता में परिवहन की व्यवस्था तरजीही आधार पर की जाती है। प्रत्येक प्राथमिकता का ब्यौरा संक्षिप्त रूप से नीचे दिया गया है :—

(i) प्राथमिकता (क) मिलरेल के माध्यम से क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा द्वारा आदेशित तत्काल और परिचालनिक किस्म के सभी संचलन।

(ii) प्राथमिकता (ख) केन्द्रीय सरकार के लेखे में या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रायोजित तथा रेलवे बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित खाद्यान्नों/उर्वरकों का संचलन। आयोडीनयुक्त नमक, कीटनाशक, लेवी की चीनी और निर्यात यातायात, आदि।

(iii) प्राथमिकता (ग) संघ या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और रेलों द्वारा यथा-स्वीकृत कार्यक्रम-बद्ध संचलन। कोयला खानों से कोयला, सीमेंट, निर्यात के लिए लौह-अयस्क, डाक-तार विभाग के सामान, अखबारी कागज, प्राथमिकता "क" के अन्तर्गत न आने वाला सैनिक यातायात, क्षेत्रीय योजना के अनुसार खाने का नमक, लोहा और इस्पात उद्योगों में कच्चा माल और मिल भंडार और वहां से तैयार माल, निर्यात और खुली बिक्री के लिए चीनी, आदि।

(iv) प्राथमिकता (घ) वस्त्र, सीमेंट, शीशे की चद्दरें, उर्वरक आदि बड़े उद्योगों का कच्चे माल का संचलन।

(v) प्राथमिकता (ङ) उच्चतर प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध न किया गया सारा यातायात मद "ङ" के अन्तर्गत आता है। इस प्राथमिकता के अन्तर्गत वस्तु कोटा भी निर्धारित किया गया है।

(ग) विभिन्न वस्तुओं के लिए किये गये बिना बारी के आवंटनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के आवंटनों के लिए क्षेत्रीय रेलों तथा मंडलों के अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं।

रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अनुरोध

2048. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि यह रेल दुर्घटनाओं के कारणों, मारे गए लोगों के पूरे नाम-पते, 1970 से अब तक भुगतान किए गए मुआवजे और मुआवजा रोके जाने के कारणों और रेल दुर्घटना के पश्चात रेल के डिब्बों को जलाए जाने को राकने के सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करे;

(ख) क्या सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह रेलवे पुलों के नये डिजाइन बनवाए और अवलम्ब देने के लिए तथा तूफान और झंझाबात में रेलगाड़ियों को नदी में गिरने से रोकने के लिए पुलों के दोनों ओर रेक्स के साथ मौजूदा पुलों का पुनर्निर्माण कराए और रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करे; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए समय-समय पर आयोगों की नियुक्ति के लिए सुझाव प्राप्त होते हैं। चूंकि एक उच्च स्तरीय रेल दुर्घटना जाँच समिति अर्थात् सीकरी समिति, जिसे रेल दुर्घटनाओं की स्थिति की जांच करने और निरोधक उपाय सुझाने आदि के लिए 1970 में नियुक्त किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट 1980 में ही प्रस्तुत की है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए एक और समिति/आयोग नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के नाम और पते तथा वे कारण जिनकी वजह से 1970 से अब तक कुछ मामलों में मुगतान न किया जा सका हो, इस समय तत्काल उपलब्ध नहीं है। चूंकि जिस अवधि के लिए सूचना मांगी गई है, वह बहुत लम्बी और बहुत पुरानी है, इसलिए इस कदर विस्तृत सूचना को संकलित करना उससे प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। 1980-71 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में 264.39 लाख रुपये का मुगतान किया गया।

दुर्घटना के कारण सवारी डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए पैनलों की गैस-कटिंग के समय सवारी डिब्बों में आग न लग जाये, इसके लिए रेलों को यह सुनिश्चत करने के निदेश दिये गये हैं कि कर्मचारी गैस-कटिंग का काम करते समय सावधान रहें।

(ख) जी हां।

(ग) सभी गर्डर पुलों की साइडों में रेकों/रेलिंगों की व्यवस्था करना न तो तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित है और न ही आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक। संरचनात्मक आवश्यकता के रूप में सामान्यतः 100 फुट और इससे अधिक के थ्रू गर्डर स्पैनों के मामलों में ही साइडों की व्यवस्था की जाती है। गाड़ियों के पटरी से उतरने की हालत में संस्था की दृष्टि से बचाव रेलों (गार्ड रेल्स) की व्यवस्था की जाती है।

विभिन्न समितियों की सिफारिशों की पूरी तरह जांच की जाती है और स्वीकृति सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखी जाती है।

कृत्रिम हृदय-वाल्व का विकास और "पेस मेकर्स" का उत्पादन

2049. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम अनुसंधान केन्द्र में एक कृत्रिम हृदय-वाल्व का विकास कर लिया गया है जिससे हृदय के आपरेशन में कम खर्च होगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी; और

(ख) यदि हां, तो देश में हृदय-वाल्व का उत्पादन करने और उन्हें उचित दामों पर रोगियों को उपलब्ध कराने में और गरीबों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान, त्रिवेन्द्रम ने कृत्रिम-हृदय-वाल्व के विकास का कार्य आरम्भ किया। आशा है कि कुछ महीनों में इस वाल्व का पशुओं पर प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाएगा और अगले वर्ष के अन्त से पहले यह वाल्व क्लीनिकल परीक्षण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कीमत आयातित माडलों से कम होने की सम्भावना है।

केन्या द्वारा भारतीय व्यापारियों को निर्वासित करने की धमकी

2050. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एन० ई० होरो :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्या की सरकार ने भारतीय व्यापारियों को, यदि वे चोर-बाजारी करते पाये जाते हैं, निर्वासित करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बात का पता करने की कोशिश की है कि क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारी वास्तव में उस तरह के कार्यों में लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें चेतावनी दी गई थी और उन्हें केन्या की सहायता करने हेतु कहा गया था ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) राष्ट्रपति मोय ने अपने हाल के एक भाषण में केनिया के व्यापारियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे कदाचारी तरीकों से काम ले रहे हैं जिनसे देश की अर्थ-व्यवस्था को क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ भेद-भाव नहीं कर रहे; लेकिन वह उन लोगों के खिलाफ हैं जो गलत तरीकों से अमीर बनना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वह ऐसे अपराधियों के खिलाफ कारंवाई करेंगे चाहे वे किसी भी मूल के हों।

चूंकि अवैध व्यापारिक गतिविधियों के लिए किसी समुदाय विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए भारत सरकार द्वारा इस मामले को उठाने का सवाल नहीं उठता कि क्या वस्तुतः भारतीय व्यापारी ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं।

मस्तिष्क-शोथ का उपचार करने के लिए वैक्सिन के उत्पादन हेतु जापान द्वारा भारत को अनुदान और तकनीकी जानकारी दिया जाना

2051. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान मस्तिष्क-शोथ की बीमारी से निपटने के लिए वैक्सिन के उत्पादन हेतु भारत को 12.28 करोड़ रुपये का अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में व्यापक रूप से फैली इस बीमारी को समाप्त करने में यह अत्यन्त सहायक होगा;

(ग) क्या परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(घ) क्या जापान ने वैक्सिन का विकास करने हेतु धनराशि देने के अलावा तकनीकी जानकारी देने का भी वचन दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जापानी एनसैफलाइटिस का टीका तैयार करने के लिए अपेक्षित आयातित उपकरणों की कीमत पूरी करने के लिए जापान 30 करोड़ येन (लगभग 115 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) स्वदेशी टीके के उपलब्ध हो जाने से आशा है कि इस टीके के इस्तेमाल से उन लोगों को बचाया जा सकेगा जिन्हें यह रोग लगने का खतरा है। यह टीका रोग रोधी उपायों में से एक है और उससे रोग को रोकने में काफी सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जाना है। वैसे, जापान सरकार इसको तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी, रसायन उपकरण आदि देने के लिए भी मान गई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना

2052. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री हरिनाथ मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जनवरी, 1982 के दौरान अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसको बन्द किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके बन्द होने से छात्रों की शिक्षा पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार को इस विश्वविद्यालय को कब तक पुनः खोले जाने का विश्वास है और क्या विश्वविद्यालय परिसर में अव्यवस्था पैदा करने में कुछ राजनैतिक दलों का हाथ है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय के परिसर में तथा इसके आस-पास छात्रों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ सहित हिंसात्मक घटनाओं के बाद इसे बन्द करना पड़ा। इन घटनाओं के बाद गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग और छात्रों द्वारा परीक्षाओं में बाधा डालने, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा परिसर के कुछ भवनों में आग लगाने के प्रयास किए गए।

(ग) इस बन्दी से विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम में अस्थाई रूप से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी।

(घ) विश्वविद्यालय 15 फरवरी, 1982 से चरणों में पुनः खुल गया है। 19 जनवरी, 1982 को कुछ राजनैतिक दलों के आम हड़ताल के आह्वान पर ये हिंसक घटनायें भड़क उठीं।

अमरीका द्वारा रासायनिक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण

2053 **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री कमल नाथ :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अमरीका रासायनिक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण 13 वर्षों तक स्थगित रखने के बाद, फिर शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के इस निर्णय से, अन्य बड़ी शक्तियों को भी रासायनिक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा;

(ग) क्या भारत ने अमेरिका की इस पहल का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, सरकार बड़ी शक्ति पर दबाव डालने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ताकि वह इस प्रकार के हथियारों का निर्माण न करे ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। सरकार को इस बारे में छपी प्रेस रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख), (ग) और (घ) भारत रसायनिक हथियारों की दौड़ से चिन्तित है। रसायनिक हथियारों तथा महा संहार के अन्य हथियारों के बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं। इस प्रकार के हथियारों के बारे में हम अपना विरोध उपयुक्त बहुपक्षीय मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं और निरन्तर ऐसा करते रहेंगे।

प्रतिवर्ष 30,000 बच्चों का नेत्रहीन हो जाना

2054. **श्री नवीन रवाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद के एक प्रसिद्ध पोषण-वैज्ञानिक के अनुसार देश में लगभग 30,000 बच्चे प्रतिवर्ष नेत्रहीन हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अंधत्व के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;"

(ग) यदि हां, तो वे कारण कौन से हैं; और

(घ) इन कारणों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में नेशनल न्युट्रिशन मानिटरिंग ब्यूरो सन 1972 से भारत के दस राज्यों में भोजन एवं पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण करता रहा है। इन सर्वेक्षणों से पता चला है कि बच्चों में दृष्टिहीनता की शिकायत का कारण भोजन में विटामिन 'ए' की कमी है। 1979 के दौरान स्कूल पूर्व आयु वर्ग के बच्चों में देखने में आई विटामिन 'ए' की कमी की घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :

उड़ीसा	8.9 प्रतिशत
तमिलनाडु	2.9 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	2.4 प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	2.0 प्रतिशत
कर्नाटक	1.1 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	0.9 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	0.8 प्रतिशत
गुजरात	0.6 प्रतिशत
महाराष्ट्र	—
केरल	—

(घ) भारत सरकार एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम चला रही है जिसके अन्तर्गत एक से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषणगत दृष्टिहीनता से बचाने के लिए उन्हें हर छः महीने बाद विटामिन 'ए' (2,00,000) आई० यू० की खुराकें बांटी जाती हैं। लगभग 2.5 करोड़ स्कूलपूर्व आयु के बच्चों को अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और आशा है कि इस कार्यक्रम से बच्चों में दृष्टिहीनता की घटनाओं में कमी आएगी। समाज कल्याण विभाग ने भी विभिन्न पोषण कार्यक्रम चला रखे हैं ताकि बच्चों में पोषण की कमी को दूर किया जा सके।

इस कार्यक्रम की नीति इस प्रकार है :

(1) नेत्र परिचर्या सेवाओं का जन प्रचार करके और उसका विस्तार करके तेजी से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

(2) मोबाइल यूनिटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सुलभ करने के लिए नेत्र सेवायें तैयार करना।

(3) विभिन्न स्तरों पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के एक अभिन्न भाग के रूप में नेत्र परिचर्या की स्थाई सुविधायें प्रदान करना।

विदेशों में नौकरी की बेहतर संभावनाओं के लिए राजधानी के अस्पतालों से नर्सों का विदेश जाना

2055. **श्री रसीद मसूद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी के सरकारी अस्पतालों से बड़ी संख्या में नर्सें, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए विदेशों को प्रस्थान कर गई हैं ;

(ख) यदि हां तो 1980 और 1981 के दौरान कितनी नर्सों ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों से नौकरी छोड़ दी ;

(ग) अन्य विकसित/विकासशील देशों की तुलना में उनकी काम करने की स्थितियां कैसी हैं; और

(घ) नर्सों को विदेशों को जाने से रोकने के लिए उनकी कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन ए० जोशी) : (क) और (ख) नहीं। राजधानी के सरकारी अस्पतालों की बहुत सी नर्सें विदेशों को नहीं गई हैं। ऐसे मामले थोड़े से ही हो सकते हैं। वर्ष 1980 और 1981 में क्रमश: 273 और 207 नर्सों ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया । इनमें से अधिकांश मामलों में त्यागपत्र के कारण व्यक्तिगत आधार या उससे संबंधित कोई अन्य कारण थे।

(ग) भारत में नर्सों की कार्य स्थितियों की तुलना विकसित/विकासशील देशों की नर्सों की कार्य स्थितियों के साथ करना संभव नहीं है। हर देश में सेवा शर्तें और कार्य की स्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित दूसरी स्थितियों और स्त्रोतों आदि पर निर्भर करती हैं।

(घ) सरकार नर्सों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है। नर्सों के धुलाई भत्ते को संशोधित कर दिया गया है। आपरेशन कक्ष में काम करने के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है। डिग्री प्राप्त कर लेने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। अविवाहित नर्सों को नर्सेस होस्टल में नि शुल्क आवास के साथ-साथ बिजली और पानी भी मुफ्त दिया जाता है। विवाहित नर्सों को परिवारिक आवास देने के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कतिपय अस्पतालों में नर्सों को केन्द्रीय विसंकमित पदार्थ सप्लाई विभाग, केन्द्रीय प्रवेश और केन्द्रीय लांड्री प्रणाली की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं । राजपत्रित छुट्टियों और रविवारों के बदले नर्सों को प्रतिमाह सात दिन की छुट्टी, दी जाती है। इसके अलावा वे अवकाश-नियमों के अधीन अन्य कर्मचारियों को देय आकस्मिक छुट्टी, चिकित्सीय और प्रसूति छुट्टियों का लाभ भी प्राप्त करती हैं।

सरकारी अस्पतालों का, उनकी स्वास्थ्यकर स्थितियों में सुधार करने हेतु अध्ययन

2056. **श्री रशीद मसूद :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किए गए अध्ययन के अनुसार, कानपुर के यू० आई० एस० ई० प्रसूति अस्पताल में, विश्व में संक्रामक रोग के सबसे अधिक मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों का, उनकी स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने के लिए इस प्रकार का अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट

2057. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ख) इस रिपोर्ट पर सरकार तथा विश्वविद्यालय ने क्या कार्यवाई की है;

(ग) यह रिपोर्ट तैयार कराने के लिए विश्वविद्यालय ने इस समिति पर कितनी धनराशि व्यय की है; और

(घ) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्यमन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) समिति ने अनेक कार्य दल नियुक्त किए, कुछ सामग्री एकत्र की और कुछ अध्ययन किए लेकिन वह विभिन्न विषयों पर अपना मत व्यक्त करने तथा निर्धारित समय के अन्दर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थी।

(ख) समिति चूंकि कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त की गई थी, अतः इस रिपोर्ट पर आगामी कार्रवाई करना उसी निकाय का काम है। कार्यकारी परिषद ने 29 जनवरी, 1982 को हुई अपनी बैठक में स्टेटस रिपोर्ट को अभिलेख बद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया। तथापि, परिषद ने नोट किया कि इसी बीच केन्द्रों/स्कूलों ने पिछले दस वर्षों में अपनी उपलब्धियों तथा विकास के अपने भावी बोध को भी दर्शाने वाले उस दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) 97,278 (लगभग) रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित की गयी थी, और रिपोर्ट कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत की गई थी, न कि सरकार को। तथापि, सरकार रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत करने के मामले की आगे जांच करेगी।

दक्षिणी ध्रुव के बारे में करार

2058. **श्री रेणुपद दास :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी ध्रुव के बारे में कोई करार हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत भी इसमें एक भागीदार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। दक्षिण ध्रुव प्रदेश (एन्टार्कि-टका) संधि पर 1 दिसम्बर, 1959 को 12 राज्यों ने हस्ताक्षर किए और जोकि 23 जनवरी, 1961 को लागू हुई। इस पर शुरू में जिन 12 देशों ने हस्ताक्षर किए गए थे, वे हैं, अर्जेनटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस गणराज्य, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ, सोवियत समाज वादी गणतन्त्र संघ, यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

(ख) इस संधि में एक प्रस्तावना और 14 अनुच्छेद हैं तथा जिसकी समीक्षा 12 मूल संविदाकारी पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर इसके प्रवृत्त होने के 30 वर्ष बाद अर्थात 1991 में की जा सकेगी। इस संधि की कुछ मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. यह संधि 60° दक्षिण अक्षांश के दक्षिण ध्रुव प्रदेश पर लागू होती है।

2. संविदाकारी पक्षकारों ने अपने-अपने "क्षेत्रीय दावे" रोक दिए अर्थात न तो दूसरों के दावों को मान्यता दी और नहीं अपने दावे छोड़े।

3. इस संधि के लागू रहते दक्षिण-ध्रुव-प्रदेश में क्षेत्रीय प्रभुसत्ता के बारे में न तो कोई नया दावा किया जा सकता है और न ही मौजूदा दावे को बढ़ाया जा सकता है।

4. इस संधि द्वारा दक्षिण-ध्रुव-प्रदेश के किसी भी सैनिक इस्तेमाल की मनाही की गई है, जिसमें नाभिकीय हथियारों का परीक्षण भी शामिल है।

5. दक्षिण-ध्रुव-प्रदेश का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही किया जा सकता है।

6. इस संधि में दक्षिण-ध्रुव-प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान करने और वहां जीवित के परीक्षण और संरक्षण संबन्धी विनियमों के परिवर्धन की व्यवस्था है। लेकिन, 1959 की संधि में दक्षिण-ध्रुवीय प्रदेश के खनिज संसाधनों या इसके समुद्री जीवित संसाधनों के उपयोग के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

7. इस संधि में जानकारी के आदान प्रदान विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में प्रेक्षकों की अदला बदली और संधि के निष्पादन के निरीक्षण के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है।

8. इस संधि में दूसरे राज्यों को शामिल करने की भी व्यवस्था है, लेकिन जो राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, उन्हें संधि में शामिल करने का अनुमोदन संविदाकारी पक्षकारों द्वारा एकमत से ही होना चहिए।

इस संधि में इस तरह शामिल किए गए कुछ देश हैं : पोलैंड (1961), चेकोस्लोवाकिया, (1962), डेनामर्क, (1963), नीदरलैंडस (1963),रुमानिया (1971), जर्मन जनवादी, गणराज (1974) और ब्राजील (1975)।

(ग) जी नहीं।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड को पुनर्जीवित करना

2059. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते समय राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है; और

(ख) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) पुस्तक के क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन के विभिन्न पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है।

महानगरों में अत्याधिक भीड़ भरे मार्गों का विद्युतीकरण

2060. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चारों महानगरों के मार्गों से इतर अत्याधिक मोड़ वाले मार्ग कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में इन मार्गों का विद्युतीकरण करने की योजना बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) बड़ी लाइन के ऐसे बहुत से मार्गों पर जहां कोयले, खाद्यान्न आदि की ढुलाई होती है, यातायात का घनत्व बहुत अधिक है। इनमें से कुछ मार्गों, जैसे गुडूर-रेणिगुंठा अरकोणम जोलारपेट्टै और भोपाल नागदा; की छठी योजना में विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। और अधिक मार्गों के विद्युतीकरण का काम धन की उपलब्धता और उच्चतम प्राथमिकता वाले अन्य ट्रंक मार्गों के साथ पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर आरम्भ किया जायेगा।

बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण

2061. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय समूची बड़ी लाईन का विद्युतीकरण करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और छठी योजना के दौरान विद्युतीकरण करने हेतु कौन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र चुने गये हैं; और

(ग) इस मामले में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, किन्तु बिजलीकरण के काम में तेजी लायी जा रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली को मिलाने वाले अविद्युतीकृत कुछ ट्रंक मार्गों, उदाहरण के लिए बम्बई से या मद्रास-कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के बीच कुछ गैर विद्युतीकृत मार्गों के छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के काम को प्राथमिकता दी गयी है। इन्हें योजना आयोग की स्वीकृति मिल गयी है।

केन्द्र द्वारा मेडिकल कालेजों की केन्द्रीय सहायता में वृद्धि

2062. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चिकित्सा शिक्षा के पुनरोत्थान हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन बड़े पैमाने पर ग्रामीण चिकित्सा सेवा में छात्रों को शामिल करने के लिए मैडिकल कालेजों को केन्द्रीय सहायता के नियतन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त नियतन राज्यवार अथवा कालेज-वार करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त नियतन कब करने का विचार है; और

(घ) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्र प्रायोजित चिकित्सा शिक्षा समयानुकूलन योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता को 4.79 लाख रुपयों से बढ़ाकर 16.04 लाख रुपये प्रति मेडिकल कालेज कर दिया गया है। यह नियतन कालेज वार किया जाता है। संशोधित पैटर्न के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में सहायता अनुदान पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा समयानुकूलन योजना एक चालू प्लान योजना है।

स्कूलों से बीच में पढ़ना छोड़ने वाले छात्रों की दर अधिक होना

2063. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम शिक्षा देना सुनिश्चित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही के वर्षों में स्कूलों में बीच ही में पढ़ना छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो स्कूलों से बीच में ही पढ़ना छोड़ देने वाले बच्चों की इस ऊंची दर में कमी करने तथा छठी योजना में तत्सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है; और

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) छठी योजना के नीति-ढांचे के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को 1989-90 तक सर्व सुलभ बना दिया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के सन्दर्भ में व्यापक कदम उठाए गए हैं तथा विशेष रूप से स्कूल छोड़े जाने वालों की दरों को कम करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) समस्त "प्रारम्भिक शिक्षा" को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत शामिल किया गया है और योजना के अन्तर्गत शिक्षा में "प्रारम्भिक शिक्षा" को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुँच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल-शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व-स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना ।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूमिहीन श्रमिक तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्ष्य-समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(10) नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक तथा लेखन सामग्री नि:शुल्क वर्दियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थित छात्रवृत्तियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना ।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना ।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा 8 पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिएं ।

(13) प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना ।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयासों को इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उपक्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया गया है ।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का अनुश्रवण ।

(16) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना ।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना ।

(18) शिक्षक प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग ।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्यबल स्थापित करना ।

(20) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता ।

शिक्षा संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को सुविधायें

2064. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों को यह सलाह देने का है कि वे स्कूलों तथा कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करें; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा स्कूलों और कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को किस तारीख से उक्त अतिरिक्त सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि सशस्त्र सेना कर्मिकों के बच्चों को प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक, जिसमें उक्त पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें दी जाएं :

(i) शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लगाये गये शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पूर्ण छूट (जिसमें स्कूल द्वारा चलाई जा रही स्कूल बस के लिए लगाये गये प्रभार तथा छात्रों के रेलवे पास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया अथवा संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया बस किराया शामिल है)।

(ii) आवास स्कूलों और कालेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों का छात्रावास सम्बन्धी पूरा प्रभार वहन करने के लिए अनुदान।

(iii) पुस्तकों और लेखन सामग्री की पूरी कीमत।

(iv) वर्दी की पूरी लागत, जहां यह अनिवार्य है।

सरकार ने राज्यों से भी, उन सशस्त्र सेना कार्मिकों, जो या तो लड़ाई में मारे गये हैं, अथवा विकलांग हो गये हैं, के बच्चों को छात्रावास की सुविधाओं वाले स्कूलों और कालेजों तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में भी दाखिला देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा हाल ही में प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

गत दो महीनों के दौरान डकैतियों तथा लूटपाट की घटनायें

2065. **श्री रामप्यारे पनिका** :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान सरकार को रेलगाड़ियों में उनके डकैतियों/लूटपाट की घटनाओं की जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान डकैतियों/लूटपाट की कुल कितनी घटनायें हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डकैतियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) डकैतियों/लूटपाट की घटनाओं के लिए कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान रेलगाड़ियों में डकैती/लूटपाट के 59 मामले हुए ।

(ग) से (ङ) ऐसे अपराधों पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ समय पूर्व मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी । इस समिति ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं :

(1) महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर राजकीय रेलवे पुलिस के बूथों की व्यवस्था ।

(2) रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर, पुलिस तथा रेल कर्मचारियों को गश्त लगानी चाहिए और यात्रियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करनी चाहिए ।

(3) गाड़ियों के डिब्बों में अन्दर तथा बाहर की रोशनी में सुधार ।

(4) उपनगरीय गाड़ियों के महिला डिब्बों में जालियों की व्यवस्था ।

(5) रेलवे मजिस्ट्रेट प्रणाली सुदृढ़ करना ।

(6) रेल अधिनियम में आवश्यक अशोधन करना ।

इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

रेलों पर अपराधों की रोकथाम के लिए रेलों तथा राज्य सरकारों के कार्य में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर भी स्थायी समितियां बनायी जा रही हैं जिनमें पुलिस, रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, रेल प्रशासन तथा राज्य सरकारें शामिल हैं ।

(च) दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982 के दौरान गाड़ियों में हुई डकैतियों/लूटपाट के मामलों के सम्बन्ध में 87 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। जिन मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों का सम्बन्ध था, उनकी छानबीन सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है।

काहलगांव में एल० सी० टी० सेवाओं को आगे जारी रखना

2066. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डब्ल्यू० टी०, निदेशालय, पटना द्वारा काहलगांव में एल० सी० टी० सेवायें चलाने के लिए दी गई औपचारिक मंजूरी की अन्तिम तारीख 22 मार्च, 1982 को समाप्त हो रही है;

(ख) क्या प्राईवेट आपरेटर राज्य के पदाधिकारियों पर यह दबाव डाल रहे हैं कि इन सेवाओं के लिए और आगे मंजूरी न दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इन एल० सी० टी० सेवाओं को और आगे पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बिहार सरकार कोलगांव और कारागुला के बीच गंगा नदी पर एलसिटी नौका सेवाओं को 22 मई, 1970 से 5 वर्षों के लिए चलाने के बारे में सहमत हुई थी। भारत सरकार समय-समय पर इन सेवाओं को चालू रखने के लिए मंजूरी देती रही है। यह मंजूरी फिलहाल 31 मार्च 1982 तक के लिए है।

(ख) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ग) इन वाणिज्यिक सेवाओं को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम कलकत्ता को जो एक सरकारी उपक्रम है, 31 मार्च 1982 के बाद हस्तांरित करने और बिहार सरकार से 22 मई 1982 के बाद के लिए अनुमति मांगने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पटना तथा हावड़ा के बीच रेलगाड़ी चलाना

2067. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और हावड़ा के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सोनभद्रा एक्सप्रेस को जो कि सप्ताह में दो बार चलती है, दैनिक गाड़ी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों सेवाओं को सम्भवत: किस तारीख से शुरू/परिवर्तित कर देने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण पटना और हवड़ा के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"केन्द्रीय विद्यालय वर्किंग इन मैस" शीर्षक समाचार

2068. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1982 के पटना से प्रकाशित "इण्डियन नेशनल" में केन्द्रीय विद्यालय वर्किंग इन मैस शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार का केन्द्रीय विद्यालय, दानापुर, छावनी, पटना में प्रधानाचार्य के तदाकथित दुर्व्यवहार, शिक्षण स्टाफ की कमी, दाखिलों में अनियमितताओं, भौतिक सुविधाओं की कमी आदि से सम्बन्ध है।

(ग) प्रेस रिपोर्ट में उठाये गये विभिन्न मामलों की केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जांच की जा रही है।

विदेशों से अर्हताप्राप्त डाक्टरों का भारत में पंजीकरण

2069. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि विदेशों से अर्हताप्राप्त डाक्टरों को भारत में तब तक मैडिकल प्रैक्टिसनर्स के रूप में पंजीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इस देश में एक वर्ष तक इन्टर्नशिप न करें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार मैडिकल प्रैक्टिसनरों के पंजीकरण सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि विदेशों से अर्हताप्राप्त डाक्टरों को इस देश में मैडिकल प्रेक्टिसनरों के रूप में पंजीकृत होने से पूर्व एक परीक्षा पास करनी पड़े; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-2 में शामिल विदेशी अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिक किसी भी राज्य के मेडिकल-रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने इस अर्हता को प्राप्त करने के बाद वह व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो इस अर्हता को प्रदान करने वाले देश में लागू नियमों व विनियमों द्वारा अपेक्षित हो। यदि उन्होंने उस देश में कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो तो उन्हें निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है।

(ग) और (घ) सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

सरकारी/निजी क्षेत्रों में बनी औषधों की जांच

2070. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध नियंत्रक ने सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा तथा छोटे लाइसेंसधारियों द्वारा निर्मित औषधों के असली/शुद्ध होने सम्बन्धी जांच करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) औषधि नियंत्रक (भारत) ने सरकारी/निजी अथवा लघु क्षेत्र के औषधि निर्माताओं द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इस समय उन पर लागू जांच प्रक्रियाओं में से किसी भी जांच प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया है।

एशियाई खेल, 1982 के लिए अपेक्षित खेल सामग्री का आयात

2071. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या शिक्षा मन्त्री एशियाई खेल, 1982 के लिए खेल सामग्री के आयात के बारे में 3-12-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल, 1982 के लिए आयातित खेल-सामग्री भारत में ही उपलब्ध नहीं थी अथवा वे घटिया किस्म की थी जिसके कारण उनका आयात करना पड़ा; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त आयात क्यों किया गया और उस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाड, 1982 के लिए भुगतान के आधार पर आयातित सारी खेल सामग्री का देश में अपेक्षित अन्तराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यहां तक एशियाड, 1982 के लिए मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त खेल सामग्री के मामले में भी, अधिकांश सामग्री ऐसी है, जिसका देश में अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उत्पादन नहीं किया जा रहा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ट्रक ठहराने के स्थान बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु राशि

2072. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर ट्रक ठहराने के स्थान बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण की लागत वहन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के अब तक वितरित की गई कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) इस विषय पर स्कीम के अनुसार भूमि प्राप्त करने, चहारदीवारी, भीतर की सड़कें और ट्रकों आदि के लिए पहुँच मार्ग और ट्रक पार्किंग क्षेत्र आदि बनाने के खर्चे केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और कैंटीन डारमीटरी गाड़ियों की मरम्मत सुविधायें, दुकानों आदि के लिए आवश्यक इमारतों का निर्माण और इनका अनुरक्षण व्यय ट्रक आपरेटर्स हाईवे एमेनिटीज सोसाइटी ट्रक आपरेटरों के यूनियनों या अन्य माध्यमों से ट्रक आपरेटरों से चन्दा लेकर एक चल कोष बनाकर उठाएगी । अब तक हरियाणा में मुर्थल और पंजाब में जलंधर के समीप कोटकला में ट्रक पार्कों के बनाने के लिए क्रमशः 6.131 लाख और 9.984 लाख रुपये की अनुमानित राशि की मंजूरी दी गई है । इन दोनों जगहों में इस काम की प्रगति को देखने के बाद ही यह योजना अन्य राज्यों में शुरू की जाएगी ।

मिसरिख नेमिशारण्य के लिए रेल सुविधाएं

2073. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में एक प्राचीन तीर्थस्थल मिसरिख नेमिशरण्य को एक पर्यटक केन्द्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के बालामऊ और सीतापुर के बीच इस शाखा लाइन पर इस स्थान के लिए रेलवे सुविधाओं में वृद्धि करने और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन पर ½ वी० एस० रेलगाड़ियों के अतिरिक्त बालामऊ और कानपुर के रास्ते से होकर सीतापुर से चित्रकूट तक और वापसी के लिए सीधी रेलगाड़ी सेवायें चलाने का है; और

(घ) बालामऊ के रास्ते से सीतापुर से लखनऊ तक और वापसी के लिए ब्राडगेज पर इन रेलगाड़ियों को चलाने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मिसरिख तीर्थ और नेमिशारण्य रेलवे के दृष्टिकोण से तीर्थ-स्थल है ।

(ख) इन स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात के अनुकूल पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की कठिनाई, सीतापुर और लखनऊ दोनों स्थानों पर अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और यात्री डिब्बों के स्टाक की कमी के कारण बालामऊ के रास्ते सीतापुर और लखनऊ के बीच गाड़ियां चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

भारत-पाक बातचीत

2074. **श्री ए० टी० पाटिल :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 'अनाक्रमण संधि' के बारे में बातचीत के दौरान परमाणु हथियार बनाने के बारे में पाकिस्तान का रुख क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत सरकार ने पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के बारे में अपनी चिन्ता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि नाभिकीय हथियार बनाने का उनका इरादा नहीं है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान इस आश्वासन का पालन करेगा। 29 जनवरी से 1 फरवरी, 1982 तक पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की हाल ही की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस प्रश्न पर फिर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञ

2075. **श्री एम० एम० लारेंस :**
श्री डी० पी० नदेजा :
श्री ई० बालानन्दन :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पोत निर्माण और पोत मरम्मत यार्डों का ब्यौरा क्या है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) विशेषज्ञ नियुक्त किए जायेंगे; और

(ख) ये विशेषज्ञ किन-किन देशों से आएंगे और देश में उनके कार्यकाल की अवधि क्या होगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार देश में शिपयार्डों के अध्ययन और इसके विकास के सुझाव के लिए तीन साल के लिए यू० एन० डी० पी० विशेषज्ञ प्राप्त करने का विचार कर रही है। यह विशेषज्ञ यू० एन० डी० पी० द्वारा सरकार को दिया जाएगा।

रेलवे गोदमों में चोरी

2076. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर और पूर्वोत्तर रेलवे के अन्य रेलवे गोदामों में पिछले 2-3 महीनों में चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चुराये गये माल का ब्योरा क्या है और यह कौन से स्टेशन से चोरी किया गया है;

(ग) क्या चोरी किया गया कुछ माल पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार चोरी की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिये कठोर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यवाही की रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) नवम्बर 1981, दिसम्बर 1981 और जनवरी 1982 के महीनों में क्रमश: 2,494 रुपये, 150 रुपये और 9,080 रुपये मूल्य की चोरी का माल बरामद किया गया था।

(ङ) से (छ) चूंकि वृद्धि का रुख नहीं है, इसलिए इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दूतावासों द्वारा सामान की नीलामी

2077. **श्री जयनारायण रौत :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में और देश के अन्य भागों में स्थित विदेशी दूतावास प्रत्येक पखवाड़े, महीने, तिमाही, छ:माही और वर्ष में अपने प्रयुक्त सामान की हमारे देश में नीलामी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये दूतावास, इस प्रकार के सामान पर, हमारे देश में लाते समय सीमा और उत्पादन शुल्क का भी भुगतान करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां, । लेकिन ये नीलामी किसी निश्चित समयावधि पर नहीं होती हैं । विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकार विनियम) नियमावली, 1957 के अनुसार, राजदूतावास मोटर गाड़ियों को छोड़कर अपनी इस्तेमाल शुदा अन्य चीजों को, जिनके आयात को तीन वर्ष से अधिक समय हो गया हो, नीलामी अथवा अन्यथा प्रकार से भारत में किसी निजी व्यक्ति को बेच सकते हैं । इस प्रकार की बिक्री के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्तकता नहीं होती ।

(ग) और (घ) राजनयिक सम्बन्ध (वियना अभिसमय) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार राजदूतावासों को अपने अधिकारिक इस्तेमाल के लिए सीमा शुल्क दिये बिना उपयुक्त मात्रा में सामान आयात करने की अनुमति है । देश में आयात करते समय ऐसे सामान पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगता ।

सूरतगढ़ जंक्शन पर विश्रामालय

2078. **श्री कुंभाराम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की, विशेषकर सेना के अधिकारियों की अत्यधिक भीड़ रहने के बावजूद भी वहां अब तक विश्रामालय न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ख) वहां विश्रामालय बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यातायात के वर्तमान स्तर और किस्म के लिए विश्रामगृह की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है ।

इंजीनियरी जनशक्ति के लिये राष्ट्रीय जन-बल की सूचना पद्धति की स्थापना करना

2079. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंजीनियरी जन-शक्ति के लिए राष्ट्रीय जन-शक्ति सूचना पद्धति की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह कार्य व्यावहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) एक राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति का प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, शिक्षा मंत्रालय में एक तकनीकी जनशक्ति सूचना सैल तथा चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों अथवा प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रमुख विषयों में मार्गदर्शक केन्द्र की सहायता से स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, 100 लाख रुपये की कुल परिव्यय से राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति पर एक योजना छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी है। इस समय योजना तैयार की जा रही है।

पारादीप उड़ीसा में व्यापारिक समुद्री विभाग का उप-कार्यालय खोलना

2080. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप, उड़ीसा में व्यापारिक समुद्री विभाग का एक उप-कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव के 1982-83 के वित्त वर्ष में क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

कासगंज-लखनऊ सैक्शन

2081. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ से आगे ब्राड गेज लाइन के बन जाने से कासगंज-लखनऊ सैक्शन की मीटर गेज लाइन का यह महत्व कम हो जाता है और परिमत्ति को खराब होने से बचाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अब मीटर गेज लाइन पर बाया ऐशबाग और सीतापुर जिस पर बेहतर पटरियां और सिग्नल की बेहतर व्यवस्था है, का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों के मीटर गेज मार्गों पर गाड़ियों की आवा-जाही में सुधार तथा रेलों में रनिंग समय में कटौती के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीतापुर मैलानीं, पीलीभीत, बरेली, भोजीपुरा के रास्ते लखनऊ-कासगंज खण्ड, पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलवे की मीटर लाइन प्रणालियों के बीच प्रमुख सम्पर्क के रूप में कार्य करता है। इसलिए बाराबंकी-समस्तीपुर खण्ड के (बड़ी लाइन में) आमान परिवर्तन के पश्चात् भी इस खण्ड का महत्व कम नहीं हुआ है।

(ख) लखनऊ और कासगंज के बीच यातायात के संचलन के लिए ऐशबाग-सीतापुर खण्ड का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) बाराबंकी से समस्तीपुर खण्ड तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के पश्चात् कासगंज-बरेली-मैलानी-दुदुवा-नानपाड़ा-गोंडा-गोरखपुर (लूप लाइन) कप्तानगंज-घाबे-छपरा के रास्ते मीटर लाइन पर यातायात के संचलन के कारण का मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय पहले पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण दल की सिफारिशों के अनुसार मीटर लाइन मार्ग पर यातायात से निपटने के लिए कुछ लाइन क्षमता के कार्य उदाहरणस्वरूप क्रासिंग सुविधाओं, लूपों के विस्तार कार्य आदि की स्वीकृति दी गयी है और इस कार्य की स्वीकृति मिलने तथा धन की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया जायेगा।

दिल्ली में निर्माणाधीन उपरि पुल

2082. **श्री भीकूराम जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकार द्वारा निर्माणाधीन उपरि पुलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इनका निर्माण किन सड़कों पर हो रहा है और यह कब तक पूरे हो जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जिन फ्लाई ओवरों का निर्माण हो रहा है उनका ब्योरा निम्नलिखित है :

क्रम सं०	फ्लाई ओवर का नाम	एजेंसी का नाम	मूल्य (लाख रु० में)	पूरा होने की तारीख
1.	मूलचन्द अस्पताल चौराहे पर फ्लाई ओवर	पी० डब्ल्यू० डी० दिल्ली प्रशासन	400.00	6/82
2.	लोदी होटल चौराहे पर फ्लाई ओवर	—वही—	329.00	—वही—
3.	डा० जाकीर हुसैन मार्ग चौराहे पर फ्लाई ओवर	—वही—	395.00	—वही—
4.	आई० टी० ओ० के समीप रिंग रोड पर फ्लाई ओवर	—वही—	395.00	—वही—
5.	सेवा नगर के समीप फ्लाई ओवर	दिल्ली नगर-निगम	390.00	—वही—
6.	स्कूल लेन पर फ्लाई ओवर	नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी	470.00	—वही—
7.	(क) दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के समीप जेल रोड पर फ्लाई ओवर	दिल्ली नगर निगम	425.00	—वही—
	(ख) जेल रोड पर पहुँच फ्लाई ओवर	दिल्ली नगर निगम	425.00	10/82

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमान, कल मैं आपको आपके कक्ष में मिला था और मैंने आपको आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य विषय है, तथापि अल्पसंख्यकों का संरक्षण केन्द्रीय मामला है। तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों का जीवन सुरक्षित नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा वहां पर है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुसलमानों और ईसाईयों की क्या स्थिति है ? हमें अल्पसंख्यकों की चिन्ता है। उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है। तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण है। इस पर हमें किसी न किसी समय चर्चा करनी है...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है — भारतीय विमानन तेल, ईंधन में फिर पाए जाने के बारे में। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनको स्थिति स्पष्ट करने दें। मुझे मामले की जानकारी है। मुझे तथ्य प्राप्त करने दें और मैं उसे उठाऊंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आप लोग क्या कर रहें हैं ? कोई ख्याल नहीं है आपको। मैं एक बात का जबाव दे रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार पर कुछ असर नहीं होता। इसीलिए हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। क्या कर रहें हैं हरिकेश जी ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इण्डियन आयल कारपोरेशन के चेयरमैन को बर्खास्त करवाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे फैक्ट्स का तो पता कर लेने दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : फैक्ट्स तो अखबारों में आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

श्री हरिकेश बहादुर : अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति समाप्त हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए कल हमने इस पर डिसकशन किया था और आज फिर समाचार आया है...।

श्री रामविलास पासवान : आज फिर पानी आ गया है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप तो तेल निकालने की बात करते हैं, आज पानी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आपका मोशन प्राप्त होने से पहले मैंने मिनिस्टर साहब को लिख दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर : इसीलिए हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगा रहा हूं, अगर इसमें कोई तथ्य है तो जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन करके कोई मेरे पास जवाब ठीक नहीं आता है तो मैं आज इस पर फैसला करूंगा-कालिंग अटेंशन पर।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आई० ए० एस० प्रशिक्षणार्थी के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है···(**व्यवधान**) यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में बतला दूं। जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। यह जो सवाल है, इसके बारे में दो-तीन अखबारों में मैंने पढ़ा है और कालिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन भी देखे हैं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : इसका ब्यौरा हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुनिए। मैं गम्भीरता से बात कर रहा हूं। मैं भी किसी का मैम्बर हूं। मैं भी रिप्रिजेंट करता हूं किसी को। मेरे पास सभी की तरफ से नोटिस आए हैं···

मुझे इस बात की अत्यन्त चिन्ता है।

बात तो सुनिए आप। मुझे तथ्य तो पता लगा लेने दीजिए।

हम अपनी अन्तिम राय बना नहीं सकते।

नहीं करना चाहिए क्योंकि कल को गलत हो सकती है। तथ्य आने दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आज इन्तजार कर रहा हूं। फैक्ट्स की इन्तजार कर रहा हूं। कल इस पर भी फैसला करके आपको बता दूंगा। मैं भी आपके समान विचलित हूं तथा मुझे भी उतनी ही चिन्ता है। मुझे स्थिति की पूरी जानकारी है। मुझे अपनी शंकाओं की पुष्टि करने दें।

श्री रतनसिंह राजदा : सार्वजनिक जीवन में शालीनता की मांग है···

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं क्या वह सही तथा तर्कयुक्त है। आप कह रहे हैं कि "पहले मुझे मन्त्री महोदय से तथ्यों का पता लगाने दें।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कुछ तथ्यों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तथ्य सभा में बताये जाने चाहिए। मन्त्री महोदय को सभा को तथ्य बताने की स्वतंत्रता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यदि यह सच्ची बात है, और यदि इसका कोई आधार है। कई बार कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें सचाई के बारे में पता नहीं होता। गुप्तजी, मुझे इसका अनुभव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपके तथा मंत्री महोदय के बीच का निजी मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। मामला सभा में आयेगा। परन्तु पहले मुझे इस बात का पता करने दें, कि क्या इस बारे में प्रत्यक्षत: कोई बात है जिस पर कार्यवाही की जाये। मुझे पता लगाने दें।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : श्री अप्पू त्यागपत्र देकर केरल चले गये हैं। आप कहते हैं कि आप देखेंगे कि प्रथम दृष्या कोई मामला बनता है या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं बख्शूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो भी कहा जा रहा है इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा से अपील करता हूं···

(व्यवधान)**

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : हमें कहां जाना है ?

अध्यक्ष महोदय : आप यहां आये हैं। आप और कहां जाना चाहते हैं ? भारत की जनता के लिए यह अन्तिम आश्रय है। मेरा यही कहना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए। आप गलत बात करते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में आश्वासन दे दिया है। मैं भी आपकी तरह उत्तेजित हूं। मुझे एक दिन मैटर लेने दें। मैं आज शाम तक यह फैसला कर रहा हूं कि मैंने क्या करना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : फिजूल बात है। मेरी बात क्यों नहीं सुनते। मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात को सुनता हूं। आप नहीं सुन सकते हैं ? बीस-बीस मेम्बर इकट्ठा बोलेंगे तो कैसे सुनूंगा। फिजूल समय जाया आप कर रहे हैं। सारी बात अखबारों की मैं नहीं मानता हूं।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

महापत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पत्र, भारतीय जहाजरानी निगम, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) बम्बई, पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3440/82]

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3441/82]

(तीन) मोरमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3442]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3443/82]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल तथा साहित्य अकादमी, नई दिल्ली आदि-आदि के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3444/82]

(3) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिम क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3445/82]

(5) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा प्रतिवेदन के साथ लेखे सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3446/82]

(7) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(8) नेशनल इन्टीट्यूट आफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3447/82]

(9) भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला के वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ

महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3448/82]

(10) विश्वेश्वरया रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3449/82]

(11) (एक) मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3450/82]

(12) (एक) आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3451/82]

(13) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(14) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3452/82]

(16) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3453/82]

(17) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3454/82]

(18) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3455/82]

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी का वर्ष 1978-79 तथा महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान वर्धा का वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (21) और (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3456/82]

(4) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(8) उपर्युक्त मद संख्या (24) से (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3457/82]

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रैड टेरिफ (दूसरा संशोधन)

नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 166 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3458/82]

नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं श्री पी० के० थुंगन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (30) और (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3459/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :

(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 2 मार्च, 1982 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 फरवरी, 1982 को पास किये गये औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1982, को बिना किसी संशोधन के सहमत हो गये हैं।

(2) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 2 मार्च 1982 को हुई अपनी बैठक में यह संलग्न प्रस्ताव पास किया है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक, 1981, को दोनों सदनों को संयुक्त समिति को सौंपा जाये तथा अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव में लोक सभा की सहमति तथा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे जायें।

प्रस्ताव

"कि पशु चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने वाले विधेयक और इस परियोजार्थ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद तक राज्य पशु चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने और पशु चिकित्सक व्यवसायियों के रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये। जिसमें 45 सदस्य हैं। जिनमें से उस सभा के 15 सदस्य होंगे अर्थात् :

(1) श्री नरेन्द्र सिंह
(2) श्री राम पूजन पटेल
(3) श्रीमती ऊषा मल्होत्रा
(4) श्री जे० के० जैन
(5) श्री इब्राहीम कलानिया
(6) श्री (मौलाना) असरारुल हक
(7) श्री पी० एन० सुकुल
(8) श्री सी० हरिदास
(9) श्री मनुभाई पटेल
(10) श्री हरिशंकर भाभरा
(11) श्री अरबिन्द घोष
(12) श्री सदाशिव बगाइतकर
(13) श्री आर० रामकृष्णन
(14) श्री वी० गोपालसामी
(15) श्री बुद्ध प्रिय मौर्य

और लोक सभा के 30 सदस्य होंगे।

कि संयुक्त समिति की एक बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सभी सदस्यों की एक तिहाई होगी।

कि अन्य मामलों में चयन समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे अंतर और रुप भेद के साथ लागू होंगे, जो समापति करे;

कि समिति राज्य सभा के 123वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी; और

कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ? कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जबकि मैंने आपको सभा में पूरा आश्वासन दिया है कि मैं भी आपकी तरह आन्दोलित और चिन्तित हूं तो आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते ? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप किसी मामले में मुझसे अधिक संरक्षक हैं ? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हैं ? मुझे इस मामले पर आपसे अधिक चिन्ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते ? एक दिन मुझे और दीजिए। मैं जानता हूं कि इसका क्या मतलब है।

(व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मैंने श्री वसंत साठे के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार कर रहा हूं। हम इस पर ध्यान देंगे।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? इस मामले में प्रत्यक्षतः निदेशक ने त्यागपत्र दे दिया है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त कर लेने दें। उसके बाद ही हम निर्णय कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : आप केवल उसी के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है। मुझे तथ्य प्राप्त करने दें। मेरा कहना आपके लिए काफी होना चाहिए।

(व्यवधान)

मेरी बात काफी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

ठीक है। श्री धर्मदास शास्त्री।

मैंने आपसे कई बार कहा है। आप सुनना नहीं चाहते।

यह बहुत ज्यादती है।

वह जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एकेडैमी आफ रूरल डैवलपमेंट नाम की अर्गिनाइजेशन है, जो बराबर इस तरह का काम कर रही है कि जो वर्तमान सरकार है, उसे कैसे गिराया जाये और भारत तथा उसके सम्बन्धों को कैसे तोड़ा जाये। इसलिये यह षडयन्त्र लगातार चलाये जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी ताकतें हैं जो कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के मधुर सम्बन्धों को बनाये नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन भारत फिर भी अपनी गरिमा पर कायम है।

क्या मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि जब हमने अपने देश की तरफ से रोष प्रकट किया, तो फिर हमारे हाई कमीशन पर जो पथराव हुआ, उसकी सुरक्षा का वहां की सरकार ने क्यों नहीं प्रबन्ध किया और उसके लिये क्या स्पष्टीकरण दिया ? उनका कोई स्पष्टीकरण हमारे सामने नहीं आया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम मंत्री महोदय की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से अपने देश की गरिमा को कायम रखते हुए उत्तर दिया है, लेकिन बेसिक बात यह है कि पिछले उच्चायुक्त का मामला और इस उच्चायुक्त पर जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस देश का उच्चायुक्त जो कि हमारे देश की विदेश नीति, सम्बन्धों और गरिमा का प्रतीक है, वह कैसे छोटे-छोटे अधिकारियों को मारने लग जायेगा ? इस तरह के झूठे आरोप लगाकर भारत की गरिमा को ठेस पहुँचाने का प्रयास जो ताकतें कर रही हैं, उनको नंगा किया जाना चाहिये। मैं अपने विदेश मंत्री महोदय से स्पष्ट इन ताकतों का नाम जानना चाहता हूं कि वह कौनसी ताकतें हैं जो हमारे देश की गरिमा को गिराना चाहती हैं, छवि को धूमिल करना चाहती हैं और हमारे मधुर सम्बन्धों को तोड़ना चाहती हैं ? उनके नाम सदन के सामने आने चाहिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें और दुनिया में अपनी गरिमा को कायम रख सकें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस मामले में जो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके बारे में हमारा यह रवैया है—बंगलादेश की सरकार का भी यही रवैया है—कि इस घटना को हमारे सम्बन्धों पर कोई असर न डालने दिया जाए। मैं इतनी ही अपील करूंगा कि अखबार या व्यक्ति जो भी कहते हों, लिखते हों, जो भी उनका रवैया हो, उस-पर हम ध्यान न दें और बंगलादेश की सरकार से जो हमारे सम्बन्ध हैं, और दोनों देशों की जनता के बीच जो सम्बन्ध हैं, उनपर हम अधिक ध्यान दें। मैं सोचता हूं कि अब इस घटना को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं रहेगा। बंगलादेश सरकार का भी यही रवैया है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकूंगा कि इसके पीछे कौनसी ताकतें है, जो हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हैं। ताकतें हैं, लेकिन अब उनका पूरा ब्यौरा देने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे लोग जो हमारे उच्चायुक्त की कार का पीछा कर रहे थे, बंगलादेश के सुरक्षा कर्मचारी थे, तो बंगलादेश के लिए ऐसी कार्यवाईयों में संलग्न होना बुरी बात थी। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे उच्चायुक्त की कार का 3.45 म० प० से 7.00 म० प० तक अर्थात तीन घंटे से अधिक समय तक पीछा किया गया। उन्हें इस घटना की सूचना

बंगलादेश के प्राधिकारियों को देनी चाहिए थी। परन्तु इसके स्थान पर उन्होंने अपने चालक को गाड़ी रोकने को कहा। और वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने अपने सुरक्षा प्रहरी को यह पता लगाने के लिए भेजा कि उनकी गाड़ी का पीछा करने वाले कौन लोग हैं। वहां पर कहा सुनी शुरू हो गई तथा स्थिति उत्तेजनापूर्ण हो गई। हमारे उच्चायुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

हमें पूरे मामले को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। बंगलादेश में जो कुछ हो रहा है, वे हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी अमरीका अत्यन्त क्रियाशील है। वे अपने दूषित इरादों की पूर्ति के लिए एक देश का दूसरे देश के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि साम्राज्यवादी अमेरिका पाकिस्तान में क्या कर रहा है। वे पाकिस्तान का उपयोग भी पड़ोसी देशों के विरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साम्राज्यवादी अमरीका बंगला देश में भी अत्याधिक क्रियाशील है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। बंगलादेश की स्थापना के समय से ही भारत विरोधी प्रचार शुरू हो गया था। वहां पर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

नियमानुसार मैंने केवल उन्हें प्रश्न पूछने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : कृपया साम्राज्यवादी अमरीका की बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे बारे में कोई भी राय व्यक्त कर सकते हैं परन्तु अध्यक्ष पीठ पर कोई आरोप न लगायें।

श्री अजय विश्वास : दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। बंगलादेश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस घटना से लाभ उठाया। स्थिति को उत्तेजनापूर्ण बनाने के लिए वे क्रियाशील हो गए। उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा प्रेरणा मिल रही है। हमें इस पहलू पर ध्यान रखना चाहिए तथा किसी भी घटना से अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। अन्यथा हम साम्राज्यवादियों के जाल में फंस जायेंगे। ये बात दोनों देशों पर लागू होती है।

जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया, दोनों देशों के बीच झगड़े बढ़ते जा रहें हैं। आज मुख्य मामला गंगा जल के बटवारे का है। 1977 का अल्पकालीन समझौता...

श्री जी० एम० बनातवाला (पोत्तानी) : इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी उनसे यही कह रहा था।

श्री अजय विश्वास : अल्पकालीन समझौते की अवधि समाप्त हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, पृष्ठभूमि देने के नाम पर प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरे विदेशी मामलों पर चर्चा की जा रही है। परन्तु मन्त्री महोदय यहां पर उठाई गई इन सभी बातों का उत्तर नहीं देंगे।

श्री अजय विश्वास : यह मन्त्री महोदय पर निर्भर करता है, आप पर नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे, तो ही वह उत्तर दे देंगे । जब हम सभा में मित्र देशों के साथ सम्बन्धों पर चर्चा करते हैं तो हमें काफी सतर्क रहना चाहिए । चर्चा का स्तर नहीं गिरना चाहिए ।

श्री अजय विश्वास : 4 नवम्बर को अल्पकालीन समझौता समाप्त हो गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय विश्वास : 1977 का अल्पकालीन समझौता 4 नवम्बर को समाप्त हो गया । एक नया दीर्घकालीन समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना है । बातचीत शुरू हो चुकी है परन्तु कोई प्रगति नहीं हुई । कलकत्ता पत्तन को 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है । अन्यथा पत्तन कार्य नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय विश्वास : यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों को लाभ पहुँच सके । यह एक नाजुक मसला है तथा साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भारत बंगला देश सम्बन्धों को बिगाड़कर इससे लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए । हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को समाप्त न कर पायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : पर्याप्त पृष्ठभूमि बतायी जा चुकी है जिससे हम सबको ज्ञान मिला है ।

श्री अजय विश्वास : पड़ोसी देशों में हमारे राजनयिकों के क्रियाकलापों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में राजनयिकी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या इसके लिए इतनी भूमिका आवश्यक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको यही बात बतायी है । अब कृपया अपना प्रश्न पूछें । आप हमारे राजनयिकी की बात कर रहे हैं ।

श्री जी० एम० बनातावाला : उन्होंने एक सामान्य वक्तव्य दे दिया है कि हमारे विदेशों में स्थित राजदूतों के क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विदेशों में इस वक्तव्य के गलत अर्थ लगाए जा सकते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब भी प्रश्न नहीं पूछ रहे । मैंने उस समय भी हस्तक्षेप किया कि वह विषय से बाहर न जायें । परन्तु उन्होंने इसे समझा नहीं ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा अन्य माननीय सदस्यों के विचार रिकार्ड नहीं किए जायेंगे।

अब मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह अपना प्रश्न पूछें।

श्री अजय विश्वास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बंगला देश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि बंगला देश सरकार ने श्री दुबे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बंगला देश के सुरक्षा गार्ड पर हमला किया ? बंगला देश सरकार से क्या रिपोर्टें मिली हैं ? दूसरे क्या भारत सरकार ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या बंगला देश सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव दिए हैं। तीसरे, क्या बगला देश सरकार ने प्रस्ताव किया है दोनों देश के बीच अच्छे सम्बन्धों के लिए श्री दुबे को वापस बुलाया जाए, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, माननीय सदस्य का सम्मान करते हुए मैंने उनके भाषण को सुना है। नियमों और मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषय-वस्तु तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

महोदय, हमारे उच्चायुक्त के संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह हमारे सर्वोत्तम अधिकारियों में से हैं। अपनी निजी जानकारी के आधार पर मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इन दो देशों के संबंधों के लिए उन्होंने उत्कृष्ट सेवा की है और मैं इस तथ्य से वाकिफ हूं कि उनकी योग्यता और लाभप्रदता का दोनों देशों को ज्ञान है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य पहलुओं के संबंध में मुझे यही कहना है कि उनकी अभ्युक्तियां स्पष्टतः समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खबरों पर आधारित थीं। मामला चूंकि बहुत ही नाजुक है इसलिए समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर टिप्पणी न करना बेहतर होगा। दोनों सरकारों ने इस मामले को गम्भीरता से न लेने का दृष्टिकोण अपनाया है ताकि इसका दोनों देशों के संबंध पर, जो कि इस समय एक नाजुक दौर में हैं प्रभाव न पड़े। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को ठीक परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है और इस बात की सराहना की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० वी० देसाई बोलेंगे। मेरे विचार में आप हमारे विदेश मन्त्री की बात समझ रहे हैं।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं इसका औचित्य सिद्ध करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सामान्यतः सभी देसाई सोच-समझ कर बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यह मतलब नहीं है कि स्वामी सोच-समझ कर नहीं बोलते।

श्री बी० वी० देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने पड़ोसी देशों के बारे में हमारी विदेश नीति के अनुकूल उत्तर दिया है। निस्सन्देह, ये घटनाएं अच्छी नहीं हैं परन्तु कभी-कभी ये हो जाती हैं, परन्तु मित्र देशों को चाहिए कि वे इन्हें ठीक परिप्रेक्ष्य में लें और मुझे खुशी है कि बंगला देश और भारत दोनों सरकारों ने इस मामले को तूल न देने का

तथा यह सुनिश्चित करने का कि इसका परस्पर संबंधों पर प्रतिकूल असर न पड़े सही दृष्टिकोण अपनाया है।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं। इस उपमहाद्वीप में हमारे पड़ोसियों से संबंधित हमारी विदेश नीति में हमें पुनः विश्वास प्रकट करने की शायद इतनी आवश्यकता नहीं है, परन्तु फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि, कुछ स्थितियों में, जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाएं तो हम इन बातों को हमारी परस्पर लाभकारी वार्ताओं में अड़चनें न बनने दें। पिछले महीने पाकिस्तान में भी एक ऐसी घटना हुई है। यद्यपि उसका यहां उल्लेख करना संगत नहीं है परन्तु हम अपने इन दो पड़ोसियों के प्रति बहुत चिन्तित हैं और इसका कोई भी विकल्प नहीं है। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम सबके समक्ष मिल-जुलकर रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यहां, वहां या कहीं भी होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद हमें इसमें निष्ठा प्रकट करनी चाहिए और हम भलि-भांति जानते हैं, और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि इस प्रकार के सुस्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। ऐसा कौन है जिसे पाकिस्तान और बंगला देश के साथ हमारे अच्छे संबंधों के साथ ईर्ष्या न होगी ? निश्चय ही वे यह देखना चाहते हैं कि हमारे परस्पर संबंध अधिक समय तक अच्छे न रहें। परन्तु मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री के नेतृत्व तथा हमारे विदेश मन्त्री के सुयोग्य मार्गदर्शन में हम पड़ोसियों के साथ जिस विदेशी नीति का अनुसरण कर रहे हैं, उसी का करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय पड़ोसियों के प्रति हमारी इन नीतियों में अपनी पुनः निष्ठा प्रकट करें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस पथराव के सम्बन्ध में, जिसका समाचार आज प्रकाशित हुआ है, केवल एक बात का उल्लेख किया गया है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि पथराव का निशाना उच्चायुक्त की इमारत को नहीं बनाया गया बल्कि यह निशाना शहर के अन्य भाग में स्थित पुस्तकालय को बनाया गया। हम ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि अधिकारीगण इस मामले को भी ठीक ढंग से निपटायेंगे।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्ववक्ताओं ने इस घटना के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कहीं हैं और मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मन्त्री —राव साहब-ने बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण तरीके से सारे सवालों के जवाब दिये हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि यह घटना जो हमारे पड़ौसी देश में घटी है तथा इस के बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं तथा जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह ऐसे कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे वहां का वातावरण अविलम्ब सुधर सके तथा वहां सामान्य स्थिति बन सके जिसमे हमारे हाई कमिश्नर श्री दुबे को किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्टें अखबार में आई हैं —हमारे हाई कमिश्नर को वहां से निकालने की बात सोची जा रही है या निकाल दिया गया है—इसके बारे में हमारे विदेश मन्त्री जी के पास क्या रिपोर्ट है, वह सदन को बतलायें ? क्या भारत सरकार इस प्रकार की कोई बात सोच रही है जिससे वहां किसी अधिकारी को भेज कर वहां के अधिकारियों के साथ इस तरह की बात की जाय जिससे वातावरण जल्द से जल्द अच्छा हो सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, हम सब जानते हैं कि ऐसी वारदातें कभी-कभी कहीं हो जाती हैं और जब कभी ऐसी वारदात होती हैं उसको एक अच्छे ढंग से सम्भालना पड़ता है। इसके लिए कोई नियम नहीं बन सकते हैं, कोई पालिसी नहीं बन सकती है, किसी पालिसी के तहत ऐसा नहीं होता है। जब कभी ऐसी घटना हो जाती है उसको काबू से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सम्भाल लेना चाहिए और यही हम कर रहे हैं।

जहां तक हमारे हाई कमिश्नर का सम्बन्ध है, मैं पहले कह चुका हूँ कि उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। यह जो दुर्भाग्यवश हुआ है इसको उस सरकार और हमारी सरकार के बीच में वार्ता से, आपसी समझौते से, एक दूसरे को समझने की कोशिश करके हम निपटा सकते हैं और निपटायेंगे — ऐसी हमारी आशा है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में ढाका स्थित हमारे उच्चायुक्त को डराने और परेशान करने के मामले में चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले एक सप्ताह से ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय पर प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय फोटोग्राफिक प्रदर्शनी पर हमला किया और कल ही उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के प्रांगण में स्थित भारतीय पुस्तकालय पर पथराव किया। परन्तु आज बंगलादेश के लोगों तथा सभी राजनैतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि क्रान्तिकारी ताकतों के हाथों से उनके देश को स्वतन्त्र कराने में भारतीय लोगों द्वारा कितनी कुर्बानियाँ की गई हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ उस देश द्वारा आज इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। बहरहाल हमारे विदेश मन्त्री कुशल और प्रगतिवादी हैं जोकि इस समस्या को शीघ्र ही हल करने में सक्षम हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध करता हूँ कि इससे पहले कि स्थिति और अधिक बिगड़े, वह इस मामले को शीघ्र ही हल करें।

हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं। कि क्या यह सच है कि इसमें कोई तीसरा देश अथवा सी० आई० ए० जैसी कोई विदेशी एजेंसी सम्मिलित है जो प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ सांठगांठ कर रही है तथा इस डराने और परेशान करने की घटना में जिन लोगों ने हमारे उच्चायुक्त की कार का पीछा किया उनकी राष्ट्रीयता क्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ निश्चित बता-पाना मेरे लिए कठिन होगा। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रश्नों के सुस्पष्ट उत्तरों के लिए आग्रह न करें।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले । श्री मनीराम बागड़ी ।

(एक) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि में ओलावृष्टि और बिना मौसम की भारी वर्षा के कारण खड़ी फसल को हुई क्षति

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही की बेमौसमी भारी बरसात और ओला-वृष्टि की वजह से देश के अधिकांश भागों में विशेष तौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि, में खड़ी फसलों को तथा गाँवों में सम्पत्ति आदि को भारी नुकसान पहुँचा है । किसान लोग, जो भरी फसल की आशा लगाए हुए थे, निराश हो गए हैं और अच्छी फसल की उनकी सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया है । किसानों की दशा दयनीय हो गई है । मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों की स्थिति पर तत्काल ध्यान दे तथा उन्हें नुकसान का पर्याप्त मुआवजा दे । केन्द्रीय सरकार को फसल बीमा योजना लागू करने के लिए भी तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सके ।

(दो) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र कार्य विभाग) के कर्मचारियों की समस्यायें

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग) के चार हजार से अधिक कर्मचारियों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । इन लोगों को सामाजिक-आर्थिक, कृषि, और औद्योगिक आंकड़ों जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए गांवों में जाना पड़ता है । सड़कों की गन्दी स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इन लोगों द्वारा अपने कर्त्तव्य-पालन में होने वाली कठिनाईयों और विशिष्ट समस्याओं की भली-भांति कल्पना की जा सकती है । शहर अथवा घर से एक दीर्घ अवधि तक बाहर रहने के कारण उनके परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की निरन्तर उपेक्षा होती है ।

इनका कार्य कुछ इस प्रकार का है जिससे उच्च अधिकारियों को सजा के रूप में इन कर्मचारियों के मनमाने स्थानांतरण और तैनातियां करने का बहाना मिल जाता है । लोग 3 से 16 साल तक निरन्तर नौकरी करने के बाद भी अभी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं । इनमें से अधिकांश अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं । छुट्टी प्रदान करने जैसे छोटे-छोटे मामले में भी शक्तियों का प्रत्यायोजन समुचित रूप से नहीं किया गया है । संक्षेप में विभाग में कामकाज ठप्प सा हो गया ।

इन परिस्थितियों में मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को यह आश्वासन दें कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय परिचालन कर्मचारियों की कार्य की स्थितियों की विस्तार से जांच करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जायेंगे और उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे ।

(तीन) दिल्ली में पटरी-दुकानदार

कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) : दिल्ली में फुटपाथ पर सामान बेचने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जो अनेक वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे हैं । दिल्ली प्रशासन ने न तो उनकी कोई जाँच करने का

और न ही उन्हें लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया है। ये फुटपाथ विक्रेता देश के सभी भागों के हैं और हर प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। अनेक फुटपाथ विक्रेता अपंग हैं जो इस तरीके से अपनी रोजी-रोटी कमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नियमित अन्तरालों पर इन फुटपाथ विक्रेताओं को पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारी तंग करते हैं। कभी-कभी अस्थायी रूप से उन्हें उठा भी दिया जाता है। कल ही ऐसा हुआ। यह तथ्य कि फुटपाथ विक्रेता वहां काफी समय से हैं एक वास्तविकता है और उनके बारे में इसी दृष्टिकोण से विचार करना होगा। उन्हें उठा देना और पुलिस कार्यवाही कोई हल नहीं है क्योंकि इससे पुलिस में तथा दिल्ली प्रशासन में छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार को बल मिलता है।

इनका विशेष उल्लेख करके मैं सरकार से शहर के इन हजारों फुटपाथ विक्रेताओं के बारे में निर्णय लेने का तथा उनकी जांच पड़ताल करने का अनुरोध करता हूं। जिनकी जांच हो जाए उन्हें छोटे-छोटे 'किओस्क' प्रदान किए जाएं इससे क्षेत्र की सुन्दरता में भी काफी वृद्धि होगी।

मैं सरकार से इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस उपेक्षापूर्ण स्थिति को शीघ्र ही सुधारा जा सके।

(चार) पारादीप बन्दरगाह पर लौह अयस्क के इकट्ठा हो गये भण्डार को उठाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पारादीप पत्तन या बन्दरगाह पर इस समय जो 31 लाख टन लौह अयस्क का स्टाक निर्यात हेतु पड़ा है उससे न केवल पारादीप बन्दरगाह के लिए एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है बल्कि उड़ीसा में अनेक लौह अयस्क खानें बन्द हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप 2000 आदिवासी खान मजदूर बेकार हो गए हैं। पारादीप बन्दरगाह से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से 4 लाख टन लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो अब खनिज तथा धातु व्यापार निगम की लापरवाही तथा लौह अयस्क के निर्यात के लिए कम पोत होने की वजह से घटकर केवल 12.20 लाख टन वार्षिक रह गया है। केन्द्रीय सरकार को बन्दरगाह पर पड़े 31 लाख टन को भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि इस बन्दरगाह से प्रति वर्ष 40 लाख टन लौह अयस्क के निर्यात को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि खानों में काम करके अपनी जीविका कमाने वाले हजारों आदिवासियों को काम मिले और राज्य की अर्थ-व्यवस्था नष्ट न हो।

(पांच) समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य भागों में बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इन बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, स्वतंत्रता सेनानियों या अन्य कमजोर वर्गों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, आई० आर० डी०, एल० एफ० डी० ए०, एन० आर० ई० पी० या अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो भी सुविधायें दी जा रही हैं, उससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और

होने वाले भी हैं। लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उन गरीबों को दी जा रही सुविधाओं में लगातार बाधक बन रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बासगांव में मेरे ही गृह विकास खंड गगहा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की यह दशा है कि सारी अर्हताओं को पूरा करने के बाद भी लगभग 6 माह तक उन गरीबों को उस बैंक की तरफ किराया-भाड़ा लगाकर दौड़ना पड़ता है। यही हालत प्रत्येक विकास खंडों की है। इसके बाद कहीं जाकर उन गरीबों को ऋण या अनुदान प्राप्त हो पाता है। जबकि ये सभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और उनकी नीति है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में हरिजनों, गिरिजनों तथा कमजोर वर्गों की दशा को सुधारने के लिए काम करेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप हमारी सरकार की जो समाजवादी एवं प्रगतिशील नीति है उसे सही ढंग से उन ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंचाया जा रहा है।

अतः वित्त मन्त्री महोदय से सादर अनुरोध है कि वे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहें कि वे बैंक हमारी प्रगतिशील नीति को सफल बनाने के लिए कम से कम समय में उन गरीबों को ऋण या अनुदान की रकम दें।

(छ) भारतीय क्रिकेट टीम के ब्रिटेन के प्रस्तावित दौरे पर सरकार द्वारा पुनः विचार

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : ब्रिटेन के कुछ प्रमुख क्रिकेट-खिलाड़ियों द्वारा पर्याप्त धन के बदले में दक्षिणी अफ्रीका को अपनी सेवाएं पेश करने के हाल के निर्णय से यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या इन गर्मियों में भारतीय क्रिकेट टीम को अपने प्रस्तावित ब्रिटेन भ्रमण पर जाना चाहिए या उसे रद्द कर देना चाहिए। इस मामले का नियन्त्रण-बोर्ड द्वारा नजरान्दाज नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन के बहुत से पेशेवर खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी कहे जाने के योग्य ही नहीं हैं, नियमित रूप से दक्षिण-अफ्रीकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते रहे है और लीग मैचों में भाग लेते रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, मानव अधिकारों का या राष्ट्र संघ के संकल्पों का झंडा बुलन्द करने के बजाय, धन का अधिक महत्व है। ब्रिटेन के क्रिकेट-खिलाड़ियों के दक्षिणी-अफ्रीका के भ्रमण पर जाने के समाचार के साथ रंगभेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष समिति द्वारा तैयार किए गए एक रजिस्टर के बारे में एक अन्य मद भी जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 29 देशों के 360 खिलाड़ियों ने अप्रैल से दिसम्बर, 1981 के बीच दक्षिणी-अफ्रीका से आदान-प्रदान के आधार पर खेलों में भाग लिया और उनमें 100 से अधिक खिलाड़ी ब्रिटेन के हैं और 80 से अधिक अमरीका के, जिनको उस रजिस्टर में 'रंग-भेद के मुख्य सहयोगी' बताया गया है। भारत ऐसे किसी भी देश के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता है जो मुख्य मानवाधिकारों के कुचले जाने की अवहेलना करता है। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में तो कम से कम यही बात है, जहां आज भी भारतीय मूल के लोगों को बहुत अपमान सहना पड़ता है।

अतः मेरा भारत सरकार से और इस देश के खेल-संगठनों से अनुरोध है कि दक्षिणी अफ्रीका के साथ सहयोग के आदान-प्रदानों में लिप्त देशों को काली-सूची में रखा जाए और यदि कोई ऐसे खिलाड़ी जो अब दक्षिणी-अफ्रीका के भ्रमण पर हों और ब्रिटेन की टीम में खेलने वाले हों तो ब्रिटेन को क्रिकेट टीम भेजने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

(सात) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विशेषकर कार्डियोलोजी विभाग के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक जांच समिति की नियुक्ति

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अत्यन्त ही लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इण्डिया इन्स्टीटयूट मेडिकल साइंस) नई दिल्ली के हृदय शल्य विभाग का जितना ही देश में अच्छा नाम था, उतना ही वह विभाग बदनाम हो रहा है। गरीब एवं गंभीर किस्म के रोगी की मृत्यु बेमौत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार उस संस्थान के वरिष्ठ सर्जन हैं। एक सर्जन, जो प्रोफेसर और हृदय शल्य विभाग के प्रधान भी हैं, को आंख की बीमारी है, जिन्हें कम दिखाई पड़ता है। फिर भी सरकार द्वारा उनके सेवा-अवधि में वृद्धि की गई है। उसी विभाग के एक दूसरे प्रोफेसर और सर्जन को मिरगी की बीमारी है। कई बार आपरेशन के समय ही वे मूर्च्छित हो चुके हैं। इस विभाग के बड़े डाक्टर चुने हुए मरीजों को ही कार्यालय में बुलाकर देखते हैं। आम रोगी के साथ इनका व्यवहार क्रूर होता है। अच्छे डाक्टर के प्रमाण-पत्र पाने के लोभ में वैसे ही चुने हुए मरीजों का आपरेशन किया जाता है, जो आसान किस्म के हैं।

गरीब और बीमारी वाले मरीजों को या तो डांट-डपटकर भगा दिया जाता है या आपरेशन की तिथि इतनी लम्बी दी जाती है कि उसी अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से गम्भीर एवं गरीब मरीजों से आपरेशन हेतु हजारों रुपए जमा करा लिए जाते हैं, उनसे काफी मात्रा में खून भी ले लिया जाता है, आपरेशन की तिथि भी निश्चित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपरेशन नहीं किया जाता। फलस्वरूप बहुत से रोगियों की मृत्यु आपरेशन के पहले ही हो जाती है।

अभी कुछ ही समय पहले ग्राम मोकामा के श्री नाथो पासवान, पिता श्री खेलावन पासवान, जिला पटना (बिहार) मेरे पास आया था। वह हृदय रोग का रोगी था। मैंने उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भेज दिया। वह एक 25 साल का गरीब हरिजन नौजवान था। उससे 18 हजार रुपए आपरेशन हेतु जमा करवा लिए गए। कई बार उसके आपरेशन की तिथि निश्चित की गई। उससे प्रर्याप्त मात्रा में खून भी ले लिया गया। पुनः 15 जनवरी, 1982 को आपरेशन के लिए उसे बुलाया गया। लेकिन पुनः आपरेशन नहीं किया गया। आज से करीब 20 दिन पहले वह युवक उक्त इंस्टीट्यूट गया। वहां उसने डाक्टर से अपनी बीमारी की गम्भीर स्थिति के बारे में बताना चाहा। लेकिन डाक्टर ने उसे डांटकर भगा दिया। उसके बाद वह टैक्सी से मेरे पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्स इन्स्टीचूट के डाक्टरों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन किसी से हृदय शल्य विभाग में सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।

उसके बाद मैंने डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फोन किया। वहां उपस्थित डाक्टर से मैंने मरीज की गम्भीरता के सम्बन्ध में कहा और आग्रह किया कि तुरन्त

एक एम्बुलेंस भेज दें। थोड़ी देर में वहां एम्बुलेंस आया और मैंने दो आदमी साथ लेकर मरीज को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया।

तत्पश्चात् मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर सम्पर्क किया। उनसे बातें हुईं। उनसे मैंने आल इण्डिया मैडिकल इंस्टीचूट में हो रही धांधली और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझ से कहा कि रोगी के सम्बन्ध में तथ्य मुझको भेज दें, लेकिन आधा घंटा के बाद खबर आयी कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुँचते-पहुँचते ही उस गरीब नौजवान हरिजन की मृत्यु हो गई।

इस प्रकार से एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। प्रति माह इस तरह के दर्जनों रोगी मौत के शिकार होते हैं। गांवों के लोगों की तो मानों इन्स्टीचूट के डाक्टर परवाह नहीं करते।

कुछ बड़े डाक्टरों का वहां एक गिरोह बना हुआ है। जो दूसरे अच्छे डाक्टरों को वहां ठहरने ही नही देते। मलेशिया के एक डाक्टर जो हृदय शल्य विभाग में अध्ययन करने के लिए आए थे, उनको इतना तंग किया गया कि उनको विभाग छोड़ना पड़ा। उन्होंने संस्थान के डाक्टरों के क्रूर व्यवहार के सम्बन्ध में भारत सरकार, आल इंडिया इन्स्टीट्यूट के निदेशक और मलेशिया सरकार को भी 1979-80 में लिखा था, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार अखिल भारतीय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आल इंडिया इन्स्टीचूट आफ मेडिकल साइंस) के हो रहे उपरोक्त धांधली के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बैठावे और अविलम्ब वहां की बिगड़ती दशा में सुधार हेतु कदम उठावे, वरना एक दिन संस्थान काल-कोठरी बन कर रह जाएगा।

(आठ) पारेषण लाइनों समेत पनबिजली परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से छूट देना

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, भारत सरकार का हाल ही का वन-रक्षण अधिनियम, 1980, राज्य की चालू जल-विद्युत परियोजनाओं को लागू करने और योजना आयोग तथा भारत सरकार से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने के मार्ग में भारी अड़चन बनकर खड़ा हुआ है।

राज्य की सभी जल विद्युत-परियोजनाएं सघन वनों से लदी पहाड़ियों में अवस्थित हैं। 1980 के वन अधिनियम के अनुसार, निर्माणाधीन, नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यवेक्षण और जांच कार्यों समेत स्वीकृत योजनाओं के लिए आवश्यक, किसी प्रकार कटाई के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है।

इस अधिनियम के कारण राज्य की सभी जल-विद्युत परियोजनाएं, चाहे वे निष्पादित हो रही हों या उनकी जांच-पड़ताल चल रही हो, दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां तक कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा होने वाला है, वहां भी संचारण लाइनों का सर्वेक्षण और निर्माण करना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के प्रकाश में वन प्राधिकरण रोड़ा अटकाते हैं।

भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय दिनांक 24/25/9/1981 का आदेश सं० 8-22/81 एफ० आर० वाई० (समन्वय) केवल संचारण लाइनों के पर्यवेक्षण और जांच-पड़ताल के छूट देता है जिससे कि राज्य बिजली-बोर्डों को राज्य की जल विद्युत और संचारण परियोजनाओं के निर्माण और चालू करने में सहायता नहीं मिलती।

जहां तक नई योजनाओं का सम्बन्ध है, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार केवल इस उद्देश्यार्थ गठित पर्यावरण/परिस्थिति सम्बन्धी समिति से अनुमति मिलने के बाद ही स्वीकृति प्रदान करती है। इस समिति द्वारा अपनी निर्धारित औपचारिकताओं और प्रपत्रों के साथ की जाने वाली जांच-पड़ताल से नई योजनाओं को स्वीकृति मिलने में भारी विलम्ब हो रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप इन योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होगा और हो सकता है राज्य को बिजली की कटौती भी झेलनी पड़े।

अतः, मेरा सुझाव है कि उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, भारत सरकार संचारण लाइनों समेत सभी जल-विद्युत परियोजनाओं को वन रक्षण अधिनियम, 1980 के सीमा क्षेत्र से मुक्त कर दे।

(नो) कर्नाटक के लिए त्रिभाषा फार्मूले सम्बन्धी प्रो० गोकक समिति का प्रतिवेदन

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :

कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा तथा संस्कृत सहित उस राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के महत्व का अध्ययन करने के लिए और इस प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बंगलौर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० गोकक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। गोकक समिति ने 1981 के आरम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि 1986-87 तक तीसरी कक्षा से लेकर धीरे-धीरे आठवीं कक्षा तक त्रिभाषा-सूत्र के अधीन, केवल कन्नड़ को ही प्रथम भाषा बनाया जाना चाहिए। आठवीं कक्षा के बाद ही कोई अपनी रुचि की भाषा का अध्ययन कर सकता है। समिति ने उन भाषाओं के नामों का भी उल्लेख किया जिनमें से दूसरी और तीसरी भाषा का चुनाव किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने जनवरी, 1982 में इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने की घोषणा की।

तथापि, इससे राज्य की जनता के कुछ वर्गों ने कन्नड़ के प्रथम भाषा के रूप में अनिवार्य अध्ययन के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। वे चाहते हैं कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर भाषा के मामले में पहले की सी स्थिति बनाये रखी जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 350क उन्हें अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है और समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार पर अतिक्रमण है।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह अविलम्ब कर्नाटक राज्य की भाषा समस्या का कोई सन्तोषजनक हल निकाले ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा दो बजे म० प० फिर से समवेत होने के लिए स्थगित होती है ?

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर आठ मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

चीनी उपकर विधेयक

तथा

चीनी विकास निधि विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधायी कार्य शुरू किया जायेगा । सभा 19 फरवरी, 1982 को राव वीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, यथा :—

"कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

और 19 फरवरी, 1982 को राव वीरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत किए गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी आगे विचार करेगी, यथा :

"कि चीनी उद्योग के विकास के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

मद संख्या 9 और 10 पर एक साथ विचार किया जायेगा । श्री सुधीर कुमार गिरी बोल रहे थे । वे 13 मिनट ले चुके हैं । मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे और 2 मिनट लेकर अपना भाषण समाप्त कर दें । हमें इस विधेयक पर विचार पूरा करना ही है । हमारे पास 1 घन्टे और 38 मिनट का समय है । हमें अगले विधेयक पर भी विचार करना है । श्री गिरि जी मेरे विचार से आपने अपनी बात विस्तार से कह दी है, और आपने मूल्यवान सुझाव दिए हैं, अब कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अब तक तो वे यह भी भूल गये होंगे कि उन्होंने क्या कहा है ।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : महोदय, चीनी उपकर विधेयक और चीनी विकास निधि विधेयक, इन दो विधेयकों को किसी उद्देश्यार्थ लाया गया है। मैं पहले चीनी उपकर विधेयक को लेता हूँ। इसमें एक क्विन्टल चीनी पर 10 रुपये उपकर लगाने की बात है।

इस उपकर के लग जाने से कीमत तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और मन्त्री महोदय ने भी स्वयं विधेयक में यह बात स्वीकार की है। हम इस कीमत वृद्धि का विरोध करते हैं। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करते हैं। इस उपकर के लगने से जो कीमत वृद्धि होगी उससे उपभोक्ताओं के प्रति, विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के प्रति, सरकार के रवैये का साफ पता चलता है। इससे चीनी के बड़े व्यापारियों के प्रति सरकार के रवैये का भी स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। प्रायः हम सरकार की कथनी और करनी में विरोधाभास पाते हैं। उस दिन प्रधान मन्त्री महोदया कलकत्ता गई थीं। कलकत्ता में एक सभा में वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि वह और उनका दल जनता को समाजवाद का सुपरिणाम दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। अब क्या सरकार की ओर से की गई यह कीमतों में वृद्धि की कार्यवाही समाजवाद प्राप्त करने की ओर उठाया गया क्या कोई कदम है ? मैं यह सरल सा प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछता हूं। महोदय विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकार चीनी उद्योग के विकास का लक्ष्य बनाए हुए है। ठीक है, मन्त्री महोदय और सरकार से हम भी सहमत हैं कि चीनी उद्योग का विकास अवश्य होना चाहिए, लेकिन चीनी के सामन्तों के लिये नहीं होना चाहिए। यह तो उपभोक्ताओं, चीनी मिलों के कामगारों और गन्ना-उत्पादकों के हित में होना चाहिए। यदि आप वास्तव में ही गन्ना-उत्पादकों और उद्योग के कामगारों के हितों में कार्य करना चाहते हैं तो आपको सारे चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना होगा। अन्यथा गन्ना-उत्पादकों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, चीनी मिल मालिकों ने उन्हें उनकी देय राशि का भुगतान नहीं किया है। उनकी देय राशि बकाया है। यह देय राशि कई मास की एकत्र हो गई है। यदि आप गन्ना-उत्पादकों को न्याय दिलाने में ईमानदारी बरतना चाहते हैं तो फिर सरकार को इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। ऐसा करने से कामगारों को सेवा की सुरक्षा मिल जाएगी और गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल जाएगा।

जहां तक उपभोक्ताओं की बात है, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी के दाम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसके विपरीत हम पाते हैं कि चीनी के बड़े-बड़े व्यापारी भारी मुनाफा कमा रहे हैं और वे अपने मुनाफे को मुड़कर इस उद्योग में नहीं लगा रहे हैं। दूसरी ओर वे चीनी उद्योग से कमाए गए मुनाफे को अन्य उद्योगों में लगा रहे हैं। अब सरकार इन बीमार उद्योगों की सहायता के लिए आगे आ गई है। परन्तु असली लाभ उठाने वाले तो बड़े-बड़े व्यापारी ही हैं। यदि आप वास्तव में ही चीनी उद्योग का विकास करना चाहते हैं तो आपको इसका राष्ट्रीयकरण करना होगा। मेरे इस दावे को कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सही ठहराने का सही कारण यह है कि भारत में बीमार उद्योगों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। 1979 में, इस प्रकार के बीमार उद्योगों की संख्या 22,366 पाई गई थी। 1980 में यह बढ़कर 24,550 हो गई।

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : आप केवल चीनी मिलों की ही बात कीजिए ।

श्री सुधीर गिरि : आप बीमार इकाईयों की सहायता करना चाहते हैं । अत: मैं इन आंकड़ों को उद्धृत कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो सभी उद्योगों की बात कर रहे हैं ।

श्री सुधीर गिरि : जी हां, श्रीमान । वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमार उद्योगों को 1979 में 1,622 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था और 1980 में 1800 करोड़ रुपए का ।

मैं सरकार की समूची औद्योगिक नीति पर चर्चा कर रहा हूं तथा चीनी नीति भी औद्योगिक नीति का एक भाग है । इसीलिए मैंने ये आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार की ओर से एक दृढ़ राजनैतिक इच्छा की आवश्यकता है । मुझे सन्देह है कि सरकार की ऐसी कोई दृढ़ राजनैतिक इच्छा है क्योंकि राज्यों की राजनीति में ये बड़े चीनी-उद्योगपति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और इसीलिए सरकार इस स्थिति को सुलझाने के लिए आगे नहीं आ रही है; बल्कि सरकार देश में इन चीनी उद्योगपतियों व नबाबों की सहायता कर रहे हैं । अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि वे वास्तव में ही चीनी उद्योग का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्यूनिस्ट पार्टी के मेरे यह मित्र प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण कराना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोय : कम्यूनिस्ट कल (मार्क्सवादी) ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सभी कम्यूनिस्ट—सबके सब/ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी है उसे भी एक राष्ट्रवादी दल माना जाता है । वे भी एच० जी० वैल्स की पुस्तक 'न्यू वर्ल्ड फार ओल्ड' के समय से सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, परन्तु व्यवहार में उन्होंने कुछ उद्योगों को गैर-राष्ट्रीयकृत रखना भी आवश्यक समझा तथा वे अपने औद्योगिक कार्यकलापों को आगे बढ़ा रहे हैं । अत: अब चीनी उद्योग तथा चीनी सामन्तों के बारे में बातें करने का कोई लाभ नहीं । अब हरेक व्यक्ति चीनी सामन्तों की बात करता है । जनता पार्टी को चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से किसने रोका था ? उस समय कम्यूनिस्ट पार्टी भी जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी समर्थन नहीं दे रही थी ।

प्रो० एन० जी० रंगा : कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने स्पष्ट समर्थन दिया था तथा अन्य लोगों ने छिपकर समर्थन दिया था ।

हमें व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए । आज हमारे पास तीन प्रकार के उद्योग हैं : सहकारी मिलें, गैर-सरकारी मिलें तथा वह मिलें जो सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले ली गयी

हैं । हमें देखना है कि इन तीनों प्रकार की मिलों का प्रबन्ध उचित रूप से किया जाए । अत: मैं अपने मित्र, इस अधिनियम के प्रभारी मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसी कोई युक्ति खोजें जिसके द्वारा वे इस बात पर निगरानी रख सकें कि इन मिलों का प्रबन्ध कैसे किया जाए, और यह देश के हित में है कि इनमें कुप्रबन्ध न हो, चाहे वे सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहें या सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी उद्यमियों के नियन्त्रण में हों, क्योंकि हमें किसानों के हितों का ध्यान रखना है । जब तक मिलों का उचित रूप से प्रबन्ध नहीं किया जाएगा तब तक सुक्रोज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तथा किसानों को दिये जाने वाले मूल्यों को भी नहीं बढ़ाया जा सकता । यह स्वयं किसानों के ही हित में है तथा मैं चाहता हूं कि यह निगरानी रखी जानी चाहिए । वास्तव में समूचे उद्योगों की सामान्य नीति के रूप में भी सरकार का यह कर्तव्य है और मैंने समय-समय पर सभा में इस बात का उल्लेख किया है कि कम्पनी विधि प्रशासन को आवश्यक शक्तियाँ दी जानी चाहिएं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि ये औद्योगिक इकाईयां रुग्ण न हो पायें । ये लोग जहां भी कमा सकते हैं बहुत अधिक धन कमाते हैं और हमें नहीं मालूम कि वे इन सब मुनाफों का क्या करते हैं । या तो वे इसको मूल्यह्रास तिथि में नहीं डालते जिसके द्वारा वे जब भी कभी आवश्यकता पड़े, पुनर्नवीनीकरण करा सकते हैं या फिर वे उस धन को अंशधारियों में नहीं बांटते तथा वे इस धन को फाइव-स्टार तथा सेवन-स्टार होटलों में ठहरने पर खर्च कर देते हैं । अत: समूचे देश के हित में तथा हमारे उद्योग के विकास के हित में सरकार को, इन गैर-सरकारी उद्यमों की मिलों के प्रबन्ध के तरीकों पर कुछ नियन्त्रण रखना चाहिए ।

इतना कहने के पश्चात मैं इस विधेयक पर आना चाहूंगा । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने ये दो विधेयक प्रस्तुत किए हैं । परन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री को इन बातों पर भी कुछ विचार करना चाहिए कि विभिन्न सरकारें पहले से एकत्र किए जा रहे उपकर का क्या कर रही हैं । उन दिनों में कुछ राज्यों में—विशेषकर उत्तर प्रदेश में, मुझे नवीनतम स्थिति के बारे में नहीं मालूम—इस उपकर के रूप में जो कुछ धन इकट्ठा किया गया उसे सामान्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा रहा था । मुझे उस समय इसका विरोध करना पड़ा था । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करें कि वे पहले जो उत्पादन शुल्क इकट्ठा कर रहे थे और जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था और जो बाद में भी एकत्रित किया गया उसका उचित प्रकार से सदुपयोग किया जाना चाहिए—केवल चीनी उद्योग के हित की खातिर ।

चीनी उद्योग से हमारा क्या तात्पर्य है ? केवल मिलें ही नहीं, परन्तु उनके पीछे किसान तथा श्रमिक भी हैं । अत: वहां पर श्रमिक कल्याण को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसके पश्चात ग्रामीण संचार को, तत्पश्चात् ग्रामीण रोजगार को—उन सभी नयी योजनाओं को जो हमने अपनायी हैं, फिर स्वास्थ्य दशाओं का सुधार वर्तमान रूप में ही उद्योग सुधार, चीनी से निकलने उपउत्पादों जैसे शीरा, स्प्रिट तथा अन्य विभिन्न रसायनों का उत्पादन आदि का विकास तथा सदुपयोग । इस धन का उपयोग इन दिशाओं में किया जाना चाहिए ।

इस धन को एकत्रित किए जाने के बाद इसका क्या उपयोग किया जाए ? यहां पर यह कहा गया है कि इन पुरानी मिलों का पुनर्नवीनीकरण तथा पुनर्वास कराना पड़ेगा । रुग्ण मिलों को भी सहायता करनी पड़ेगी । यह मिलों के सम्बन्ध में है । परन्तु किसान भी हैं, उनको भी सहायता

की आवश्यकता है विशेषकर जब उनको उर्वरक आदि कृषि के काम में आने वाली वस्तुएं खरीदनी हैं। दो तरीके हैं जिनके द्वारा वे धन प्राप्त कर सकते हैं : एक तो प्रत्यक्ष रूप से सहकारी समितियों से, दूसरे आपको इस बारे में सम्भावनाओं की खोज करनी चाहिए कि किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए धन प्रदान करने हेतु मिलों को समर्थ बनाने, निर्देश देने तथा सलाह देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

मिलें स्वयं उर्वरक खरीद सकती हैं और ब्याज रहित या ब्याज सहित--निश्चित रूप से कम ब्याज की दर पर—उनको ऋण के रूप में किसानों को दे सकती हैं। या उन्हें किसानों को स्वयं उनसे ऋण लेकर उर्वरक खरीदने में सहायक होना चाहिए। फिलहाल किसानों को अग्रिम धन देने के बजाय किसान इन मिलों को पहले गन्ना देने के लिए बाध्य होता है और गन्ने के मूल्य का भुगतान पाने के लिए गरीब किसान को महीनों इन्तजार करना पड़ता है। मैं इसको किसानों के पक्ष में कराना चाहूंगा। सरकार को आवश्यक नियम बनाकर यह देखना चाहिए कि ये मिलें अपनी निधि के एक भाग को अग्रिम रूप में दें तथा वे इस धन को उन्हें किसानों को उर्वरक तथा अन्य लागत वस्तुओं को खरीदने के लिए अग्रिम देना चाहिए।

तीसरे मैं चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही एक गुड़—या जिसे जैगरी कहा जाता है विकास बोर्ड बनावे। किसान गुड़ बनाने का सहारा क्यों लेते हैं, जबकि मिलें मौजूद हैं ? यह इसलिए क्योंकि मिलें सभी क्षेत्रों में नहीं हैं तथा जब आप इसकी सम्पूर्ण गन्ना उत्पादन के साथ तुलना करते हैं तो मिलों की पेरने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। यह गन्ना उत्पादन की आधी भी नहीं है। शेष को गुड़ बनाने में प्रयोग किया जा रहा है उसको भी राज्य द्वारा उतनी ही सहायता तथा संरक्षण दिया जाना चाहिए जितना उस गन्ने को जो मिलों को दिया जाता है।

मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र बहुत ही शीघ्र गुड़ विकास तथा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगे तथा यह देखेंगें कि उन गन्ना उत्पादकों को जो गुड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके तथा दूसरे देशों को गुड़ का निर्यात करके—तथा दूसरे प्रकार से गुड़ उत्पादन तथा गुड़ संरक्षण का वैज्ञानिक विकास करके, उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए।

यह एक ऐसा पहलू है जिसकी अब तक उपेक्षा की गयी है। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र प्रभारी मंत्री, गुड़ को वर्षों तक—कम से कम दो वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिये तरीका विकसित करने में वैज्ञानिकों से सहयोग लेंगे।

मेरी अन्तिम बात यह है कि मुझे खुशी है कि इस विधेयक को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें सरकार के लिए नियम बनाने के लिए काफी गुंजाइश या स्थान छोड़ा गया है और इस प्रकार समूचे चीनी उद्योग के अन्य विभिन्न पहलुओं के लिए भी प्रावधान किया गया है और इस प्रकार से एकत्र किये धन के अधिकतम सम्भव तथा उचित उपयोग को सुगम बनाने के प्रावधान किया गया है।

मैं इस अधिनियम का स्वागत करता हूं, धन्यवाद।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य में कहा गया है कि शुगर-सेस से संग्रहीत राशि का उपयोग चीनी उद्योगों को नव-जीवन देने के लिए तथा गन्ना उद्योग के विकास के लिए किया जायेगा। सबसे पहले तो मुझे इस बात की आशंका है कि जब सेस का रुपया वसूल किया जायेगा तो इससे चीनी की कीमत बढ़ जायेगी, इस दृष्टि से मैं इस सेस के लगाये जाने के विरुद्ध हूं, लेकिन साधारणतया मैं इस सेस का स्वागत ही करूंगा, परन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसके कारण चीनी की कीमत में वृद्धि न हो जाये।

जैसा उद्देश्य में कहा गया है कि यह सेस चीनी उद्योगों के नवजीवन के लिए है—मुझे सरकार से यह शिकायत है कि जब उद्योग पर संकट आता है तो यह सरकार और सभी लोग सचेत हो जाते हैं, परन्तु जब गन्ना-उत्पादक किसान पर संकट आता है तो यह सरकार तथा इसके कर्मचारी गांधी जी के बन्दरों की तरह से आंख और कान बन्द कर लेते हैं···

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : राव साहब के बन्द नहीं होते हैं, हमें राव साहब से ऐसी उम्मीद नहीं है कि उनके आंख और कान बन्द हो जायेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : इस समय उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों की हालत यह है कि जो उनकी वास्तविक या घोषित क्षमता है उससे कहीं कम उत्पादन हो रहा है। नतीजा यह होता है कि किसानों को अपना गन्ना सल्फर-उद्योगों के हाथ बेचना पड़ता है जो बहुत कम मूल्य में किसानों से गन्ना खरीदते हैं। जब यह "निधि" स्थापित होगी तो मैं समझता हूं कि इससे इस दिशा में भी किसानों को राहत देने का प्रयास किया जायेगा।

पिछले दिनों में कृषि यन्त्रों, खाद तथा कृषि में इनपुट्स की जो सामग्री है सबकी कीमतों में वृद्धि हुई है। यन्त्रों के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, खाद जो कुछ दिन पहले 75 रुपये क्विंटल बिका करता था, आज किसानों को 122 रुपये क्विंटल में मिल रहा है, जिसके कारण किसानों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों सरकार ने धान और गेहूं की कीमतें बढ़ाईं, चीनी की कीमत भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई, लेकिन गन्ने की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरा दी गई है···

राव बीरेन्द्र सिंह : 3 साल पहले से मुकाबला कीजिये।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 3 साल पहले और चीजों की कीमतों का भी मुकाबला कीजिए। केवल पैसे की बात नहीं होती है, उस समय अन्य चीजों की कीमतें कम थीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : 3 रुपये थी।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 3 साल पहले 3 रुपये थी—क्या बात करते हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : आज भी बदायूं में 10 रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यदि आप अपने मन में ऐसा समझकर उसकी तुलना करते होंगे, तो वह आपकी काल्पनिक तुलना होगी। आप तीन साल पहले की बात करते हैं, तीन साल पहले और चीजों की कीमतें क्या थीं।

आप यह देखें कि बिहार में पिछले साल गन्ने की कीमत 22 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई थी और इस साल जबकि सभी चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है, गन्ने की कीमत साढ़े 20 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है ।

यहां पर मैं विदेशों से आयात की गई चीनी के बारे में भी दो शब्द कहूंगा । कहा यह गया था कि चीनी की कीमतों में जो अत्यधिक वृद्धि हुई है, उसको घटाने के लिए और चीनी का भंडारण करने के लिये विदेशों से चीनी को आयात किया गया । आंकड़ों न अनुसार पिछले साल 52 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इस साल 70 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है और छठी पंचवर्षीय योजना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस साल चीनी की खपत 57 लाख टन होगी । मैं देखता हूं कि इस आकलन के अनुसार 13 लाख टन चीनी भंडार में बची रहेगी । फिर भंडारण के नाम पर विदेशी चीनी मंगाने का औचित्य कहां रह जाता है । यह कहा जाता है कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी का भाव घटकर साढ़े 4 रुपये प्रति किलो आ गया है हालांकि, साढ़े 4 रुाये प्रति किलो चीनी बाजार में उपलब्ध नहीं है । मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही परिश्रम से कमाई गई विदेशी मुद्रा का इससे बेहतर उपयोग होना चाहिए था ।

महोदय, चीनी उद्योग तभी पनपेगा जब गन्ना उत्पादक किसान खुशहाल होंगे । आज किसानों की हालत यह है कि बिहार में किसानों का गन्ना अगर इस साल लिया जाता है, तो उसकी कीमत अगले साल दी जाती है और बिहार के किसी-किसी मिल में तो 6-6 और 7-7 सालों के बाद, बड़ी जद्दोजहद और उग्र संघर्ष के बाद कीमत अदा की गई ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : आपने अपने तीन सालों में दाम क्यों नहीं अदा कर दिये थे ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : अगर मान लीजिए, हम नहीं कर पाए, तो क्या आप भी अदा नहीं करेंगे । ···(व्यवधान)···उन तीन सालों में पिछले 30 साल के आपके किये हुए कुकर्म कैसे मिट जायेंगे । ···(व्यवधान)···

मैं कह रहा था कि किसानों के गन्ने का मूल्य ठीक समय पर चुकता कराने में किसी की अभिरुची नहीं है । पिछले वर्ष का सिवान के पचरूखी मिल पर 22 लाख रुपया और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मिल पर 90 लाख रुपया किसानों का अभी तक बकाया है । चीनी उद्योग को नवजीवन देने और गन्ना उद्योग के विकास के लिये धन संग्रहीत करने की बात कही जाती है लेकिन चालू वर्ष में 65 से 70 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है और अभी जो आपने विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार 5 रुपये शुगर सेस प्रति क्विंटल वसूल करने की बात है । तो उस हिसाब से 32 करोड़ 50 लाख से 35 करोड़ रुपया होने की उम्मीद है । मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि रबड़ और गन्ने पर भी पहले उपकर वसूल किया जाता था लेकिन उसका कितना भाग उन उद्योगों पर खर्च हुआ । मुझे डर है कि इस लेवी की भी वही हालत न हो जाए जैसी कि रबड़ और गन्ने पर वसूल की गई लेवी की होती रही है । इस समय तो आप विश्वास दिला देते हैं, उस समय भी आपने यही विश्वास दिलाया था लेकिन फिर भी उसका

कितना उपयोग उस काम के लिए हो पाया, यह सब जानते हैं। अब अगर आप फिर विश्वास दिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

केवल विधेयक पास करा देने से ही उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो जाती है। 1981 में बिहार में एक विधेयक पारित हुआ था, बिहार अब (आपूर्ति एवं खरीद का विनिमय) विधेयक उसके अनुसार किसानों को उनकी उपज का मूल्य यदि नहीं चुकाया गया तो साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज किसानों को देय होगा। इस विधेयक में यह भी था कि खरीद केन्द्र पर पशुचालित गाड़ी को 6 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर किसानों को 25 पैसा प्रति घंटा हरजाना देय होगा। मगर व्यवहार में किसानों को एक धेला भी नहीं मिलता। आज तक किसी किसान को कोई ब्याज या हरजाना नहीं मिल पाया है।

इसलिये मेरा कहना यह है कि केवल विधेयक पास करा देने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायेगी। जो आप यहां अश्योर कर रहे हैं, जब तक उसे आप कार्यान्वयन नहीं करते तब तक कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिये इसके कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना उतना ही जरूरी है।

बिहार में लाभकर मूल्य के लिये किसानों में बहुत असंतोष है। रीशा मिल में तो किसानों को जायज मांगों का जवाब गोली से मिला जिसका नतीजा यह हुआ कि दो निर्दोष जानें चली गईं। बिहार विधान सभा के सदस्य प्रो० रघुवंश नारायण सिंह के साथ 146 किसान गिरफ्तार हुए। आज भी वे 146 किसानों के साथ जेल में हैं। वहां की विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु ने भी उनकी मांगों का समर्थन किया है। उनके साथ सहमति तो बिहार के मुख्य मन्त्री ने भी व्यक्त की है किन्तु इसके साथ ही उन्होंने अपनी असमर्थता भी बता दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री की इच्छा के विपरीत प्रधान मन्त्री गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाना चाहती हैं। इसलिये सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर गन्ने का मूल्य बढ़ाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें सच्चाई नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अगर उनके वक्तव्य में सच्चाई नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप सम्मेलन बुलाकर किसानों के हित में जो कुछ हो सकता है, वह करें जिससे गन्ना उत्पादकों को राहत मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और विधेयक का ब्राडली समर्थन करते हुए कहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि इससे चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाए। बाकी चीजों का मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जो दो विधेयक शूगर सेस बिल और शूगर डवलपमेंट फंड बिल हमारे सामने पेश हैं उनका मैं समर्थन तो कर रही हूं लेकिन हमारे कृषि मन्त्री महोदय के सर पर पगड़ी हुआ करती थी, वह आज नहीं है। तब पगड़ी उन्हें कैसे मिलेगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पगड़ी तो बहुत सम्भाल कर रखनी पड़ती है ।

श्रीमती कृष्णा साही : बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग हमारे देश में एक बहुत ही प्रमुख उद्योग है और हमारे सिक्सथ फाइव इयर प्लान में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा नीतियों में यह कहा गया है :

"क्षमता ने उपयोग में सुधार को छठी योजना की सफलता के लिए पूर्व शर्त माना जाना चाहिए ।"

कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आर्थिक प्रगति की रीढ़ इसके ऊपर बरकरार है । उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग का विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है । अगर यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी उद्योग की जननी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । सेन सुगर कमीशन ने अनुशंसा की थी, उनका प्रतिवेदन है कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है ।

आज किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए पूरी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं । वर्षा के बाद जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी और सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है बुनियादी ढांचे की कमी है । 1930 में अकेले उत्तर प्रदेश में 30.73 प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था और बिहार में 40 प्रतिशत । दोनों मिलाकर देश का 70 प्रतिशत चीनी उत्पादन इन क्षेत्रों में होता था । अन्डर यूटिलाइज्ड क्षमता सारे देश में यदि 6 लाख टन प्रतिवर्ष है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सारे देश का 50 प्रतिशत है ।

जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में 113 या 115 चीनी मिलें ऐसी हैं, जो अपनी उत्पादन क्षमता से नीचे उत्पादन कर रही हैं । सारे देश में 1969-70 से 1979-80 तक मिलों की संख्या बढ़कर 215 से 303 हो गई है, लेकिन क्रशिंग पेराई 2.12 लाख टन से घटकर 1.33 लाख टन पर यूनिट हो गया । यह बहुत चिंता का विषय है । अगर उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो इससे हमारा आर्थिक ह्रास होता है ।

गत वर्ष 65 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वृद्धि की घोषणा से चीनी मिलों को एक अरब 30 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होने की बात कही गई । मिल मालिकों को आमदनी तो हो गई, लेकिन किसानों को कोई सुविधायें नहीं मिलीं । किसान आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा और गत वर्ष चीनी का उत्पादन कम हुआ मगर मिल मालिकों को मुनाफा हुआ । चीनी मिल संघ के सूत्रों के अनुसार पिछले साल मिल मालिकों को एक अरब का मुनाफा हुआ, जबकि उत्पादन 38 लाख टन ही हुआ । 1978-79 में 59 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि इस अवधि में 95 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था । फिर भी किसानों का तकरीबन 84 करोड़ रुपया उनके मिल मालिकों को बाकी रह गया था । हमारी सरकार बनने के बाद कुछ पेमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी हैं । इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, लेकिन विपक्ष से जो बातें कही गई हैं वे बातें सही नहीं हैं । आज वे किसानों के मसीहा बनते हैं, वे भूल गए हैं कि खेतों में किसानों का गन्ना जला दिया गया था । आलू को कोल्ड स्टोरेज सड़ा दिया गया

था । उस समय आपका ज्ञानचक्षु नहीं खुला था और अब मन्त्री महोदय मिलों के आधुनिकीकरण का बिल लाए हैं तो इस तरह की बातें की जा रही हैं ।

मिलों का आधुनिकीकरण होगा, एक्सपेंशन होगा, पुनर्वास होगा, गन्ने के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी । अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो किसान का विकासों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी ? यह बहुत ही अच्छा और उत्तम बिल है जो किसानों के लाभ के लिए लाया गया है । मेरा यह अनुरोध होगा कि चीनी उद्योग स्टेगनेंट न हो, इसको आप देखें । आपकी मशीनरी कैसे काम करती है इस पर भी आप नजर रखें । सरकार का मंशा बहुत अच्छा है । किसान को वह आर्थिक लाभ पहुँचाना चाहती है । मिलों का आधुनिकीकरण हो, यह वह चाहती है । लेकिन यह होगा कैसे ? पिछली बार भी कुछ स्टेप्स लिए गए थे । कुछ मुनाफा हुआ था । लेकिन उस मुनाफे से मिलों का आधुनिकीकरण नहीं हो सका । जब हम लोग उत्तर बिहार में जाते हैं तो देखते हैं कि मिलें खाली पड़ी हुई हैं । चारों तरफ से मिलों पर ताले लगे हुए हैं । मिलों में उत्पादन नहीं हो रहा है । इस बिल का हम समर्थन तो करते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि जो बड़ी राशि इकट्ठी हो उससे मिलों का उद्धार होना चाहिये और किसानों को शत प्रतिशत नहीं तो अधिकांश में हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए । हमारे मन्त्री महोदय किसान हैं । किसानों के प्रति उनके दिल में दर्द है । किसानों की मदद हो, उनको आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, यह अपेक्षा हम उनसे करते हैं ।

*श्री एस० मुरूगैथन (तिरुपत्तूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित किए गए दो विधेयकों पर मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से अपने कुछ सुझाव देता हूं । चीनी उपकर विधेयक और चीनी विकास निधि विधेयक इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं कि यह मेरी समझ से बाहर है कि दो विधेयकों की आवश्यकता क्या थी । ये दो विधिक प्रस्ताव एक विधेयक में भी दिए जा सकते थे ।

चीनी उपकर विधेयक सरकार को प्रति क्विंण्टल 10 रुपये उपकर लगाने का अधिकारी बनाता है ? परन्तु माननीय मन्त्री इस समय केवल 5 रुपये प्रति क्विंटल लेवी का प्रस्ताव कर रहे हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीनी का मूल्य 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ जाएगा । सामान्य जन को मूंड़ने के बजाय, जिनके लिए चीनी एक आवश्यक वस्तु है, माननीय मन्त्री शीरे के प्रति टन पर 200 रुपये लेवी या शुल्क का उपकर लगा सकते थे । सम्पन्न व्यक्ति शीरे के उपभोक्ता हैं और वे इस अतिरिक्त शुल्क का भार सह सकते हैं क्योंकि इस समय वे प्रति टन शीरे का मूल्य 6[illegible] रुपये दे रहे हैं—1000 किलोग्राम के लिए केवल 60 रुपये । वे इससे अल्कोहल बनाते हैं जो ऊंचे भाव पर बेची जाती हैं । मुझे आश्चर्य है कि यह मन्त्री जी के ध्यान में क्यों नहीं रहा । वे सामान्य जन को प्रति किलोग्राम चीनी पर 10 पैसे देने को मजबूर करने के बजाय 200 रुपये प्रति टन शीरे पर शुल्क लगाकर अधिक धन कमा सकते थे ।

प्रति क्विंटल पर 5 रुपये का उपकर लगाकर माननीय मन्त्री एक वर्ष में 35 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित करने की आशा करते हैं । यदि वह 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर

*तमिल में दिए गए मूलभाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

लगाएं तो यह धनराशि, 100 करोड़ रुपये नहीं तो, 70 करोड़ रुपये से तो अधिक होगी ही। परन्तु 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि एकत्रित करने की सम्भाव्यता का क्षेत्र, 200 रुपये प्रति टन शीरे पर कर लगाना है। इसे शीरा उपभोक्ता महसूस भी नहीं करेंगे। चीनी का मूल्य भी 10 पैसे प्रति किलोग्राम नहीं बढ़ेगा। मैं माननीय कृषि मन्त्री से इस विषय में उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

चीनी मिलों में मशीनें 25 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं और संयंत्र अपनी सामान्य अवधि से अधिक पुराने हो गये हैं। इसीलिए चीनी का उत्पादन कम हो गया है। यदि उनका आधुनिकीकरण किया जाता है, तो चीनी का उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे चीनी के मूल्य स्वत: ही कम हो जाएंगे। गैर-सरकारी चीनी फैक्टरी मालिक और सहकारी चीनी फैक्टरी भारी मुनाफा जमा कर रहे हैं। अपने स्रोतों से और बिना किसी बाहरी सहायता से मशीनों का आधुनिकीकरण करना उनके लिए कठिन नहीं होगा। अन्ततोगत्वा, यदि उन्हें आधुनिक बना दिया जाता है तो वे अधिक चीनी का उत्पादन कर सकेंगे। सरकार को मिलमालिकों को, उनके पास उपलब्ध संसाधनों से और एक निश्चित अवधि में, संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण करने के आदेश देने चाहिए। इस शर्त का भी, कि यदि इस अवधि में वे उनका आधुनिकीकरण नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, उन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा।

यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो यह धन गन्ना उत्पादकों में वितरित किया जा सकता है, जो कई कारणों से आपत्तिग्रस्त हैं चाहे प्राकृतिक कारण से हों या चीनी मिल मालिकों द्वारा देय राशि का भुगतान न करने से हों। देश में अनेक गन्ना उत्पादन केन्द्र हैं जो अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश अनुसंधान के परिणाम गन्ना उत्पादकों तक नहीं पहुंच रहे हैं। यदि अनुसंधान के लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित कर दिया जाता है तो गन्ना उत्पादक यह देखेंगे कि प्रति हेक्टर प्रति गन्ने का कुल उत्पादन बढ़ जाएगा और परिणामत: चीनी का उत्पादन भी बढ़ जाएगा।

1977-78 में गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टर 5712 किलोग्राम था, जो तीन वर्षों अर्थात 1980-81 में 5811 किलोग्राम तक बढ़ गया है। आप मुझसे सहमत होंगे कि इतना अनुसंधान होने के बाद यह वृद्धि नगण्य है। फिर यदि आप गन्ने का कुल उत्पादन देखें तो आप हैरान होंगे कि क्या सरकार के आंकड़े सही हैं। 1977-78 में गन्ने का कुल उत्पादन 17.96 मिलियन टन था, 1980-81 में गन्ने का उत्पादन केवल 15.40 मिलियन टन था। इसके क्या कारण हैं ? जब प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ गया है तो गन्ने का एक वर्ष में उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। इसके बजाय यह घटा ही है। यह एक दूसरी बात को सिद्ध करता है। गन्ना उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है क्योंकि वे धन के बिना असहाय हैं।

तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों को केवल 157 रुपये प्रति टन मिलते हैं। दो माह पूर्व, हम माननीय मन्त्री से मिले थे और तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों पर हो रहे अन्याय से उन्हें अवगत कराया था। हमने मांग की कि उत्तर में गन्ना उत्पादकों को जो मूल्य दिए जा रहे हैं, वही मूल्य दक्षिण में भी दिए जाने चाहिए, यद्यपि हम समझते हैं कि मंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिए हैं और जो दक्षिण के अधिकारियों को भेज दिए गए हैं, फिर भी वहां पर गन्ना उत्पादकों

को केवल 170 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 180 रुपये प्रति टन मिल रहे हैं। महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि यह हमारी उचित मांग है कि तमिलनाडु के गन्ना उत्पादों को 240 रुपये प्रति टन मिलना चाहिए, जैसा कि उत्तर के किसानों को मिल रहा है। माननीय कृषि मन्त्री को जो स्वयं कृषक हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दक्षिण के गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय हो।

मैं यह सुझाव दूंगा कि चूंकि खांडसारी मिलें लघु क्षेत्र में हैं इसलिए उन्हें कर से छूट मिलनी चाहिए। उन्हें आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि चीनी मिलों और गन्ना उत्पादकों को धन वितरण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया जा रहा है। यदि केवल एक केन्द्रीय समिति है तो मुझे आशंका है कि सारा धन एक विशेष क्षेत्र में एक या दो राज्यों को दिया जा सकता है। मैं सुझाव देता हूँ कि चार क्षेत्रीय समितियां होनी चाहिए ताकि धनराशि सभी चारों क्षेत्रों को बिना किसी भेद-भाव के वितरित की जा सके। ऐसी समितियों में चीनी मिल मालिकों के गन्ना उत्पादकों के और श्रमिकों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। केवल तभी यह धनराशि सहायता पाने की अधिकारी मिलों को दी जा सकेगी। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह दोहराऊंगा कि तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह बहुत छोटा बिल है लेकिन इंडस्ट्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी यह तो आर्गनाइज्ड इंडस्ट्री है, लेकिन अभी माननीय रंगा जी ने जो कहा वह सही है कि गुड़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अभी गुड़ के लिए जो गन्ना खरीदा जाता है उसका दाम 10 रु० क्विंटल है। इसलिए गुड़ खरीदना और ऐक्सपोर्ट करना यह मैं जरूरी मानता हूं। चीनी की रुग्ण मिल की मदद के लिए आपकी सरकार 26 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। ऐसी 69 मिलें हैं। मेरा सुझाव यह है कि जिनको 26 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने दिया है, उसका हिसाब लगाकर, अगर उनसे कुछ पैसा बचता है तो वह माडर्नाइजेशन और रिहैब्लीटेशन के लिए खर्च करना जरूरी है।

मुझे याद पड़ता है कि जिन मिलों को घाटा भी नहीं है, उनको भी पुरानी मिल होने के कारण, उसकी कैपेसिटी साढ़े 12 सौ टन के नीचे होने के कारण, घाटा न होते हुए भी 26 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिल रहा है। मेरा सुझाव यह है कि जो 69 मिलें हैं, जिनका उत्पादन हर साल, गए 3 साल में बराबर 1 लाख टन से ज्यादा हो, उसको इसका फायदा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो बड़ी मिलें हैं, वह लाख डेढ़ लाख, 2 लाख टन का क्रेशिंग पूरा बनाती हैं, उनको फायदा देने से इससे कोई फायदा नहीं है।

सरकार ने सिक मिलों की जो डैफीनिशन लोक-सभा में एक उत्तर में दी है, मैं उसमें थोड़ा सा सुधार चाहता हूं। अगर कोई पूअर मैनेजमैंट है, इन-एडीक्वेट फंडज भी हैं, लेवर ट्रबल भी है, लेकिन मिसयूज आफ फंडज जिन्होंने किया है, उनको भी इसमें नहीं रखना चाहिए ; क्योंकि पूअर मैनेजमैंट का मायना मिस मैनेजमैंट, मिसयूज आफ फंड्ज भी होता है। उनको वहां से निकाल

देना चाहिए । क्योंकि जिन्होंने एप्रोप्रियेशन करके रुपया दूसरे कपड़ा मिलों में लगाया है, इस बात को नजर में रखते हुए इन मिलों को यह फायदा जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा ।

अब हिन्दुस्तान की 325 चीनी मिलों में 42 मिलें पब्लिक सैक्टर में हैं और 158 को-आपरेटिव सैक्टर में हैं और 128 प्राइवेट सैक्टर में हैं । यह जो अभी 26 रुपये क्विंटल का नफा मिल रहा है, वह दो को-आपरेटिव को छोड़ कर बाकी प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर को मिल रहा है । मेरा सुझाव यह है कि जब इस पैसे का बंटवारा हो, तो पब्लिक सैक्टर को प्रधानता, प्राथमिकता देना जरूरी है और सरकार ने जो मिल टेक-ओवर किए हैं उनको सहायता देने के अलावा जो बचे, वह किसानों की को-आपरेटिव चीनी मिल बना दें । क्योंकि जो चीनी मिलें ढंग से चली नहीं होंगी, उनको घाटा होगा और उनको यह देने से फायदा होगा ।

आप जो रूल्स बनायेंगे, उनमें काफी सुधार होगा, लेकिन चीनी मिलों की मशीनरी के संशोधन के लिए पैसा देना जरूरी है ताकि उसमें संशोधन हो । वाटर पोल्यूशन देहात में बहुत भारी खड़ा है । इसके वाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वगास से प्रेमर बनता है, मोलासेस निकलता है । इसलिए वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए पैसा देना चाहिए ।

अभी तक जो बातें कही गईं कि चीनी के दाम बहुत बढ़े जब 39 लाख टन चीनी पैदा हुई थी । इसका शुगर इंडस्ट्री इन्क्वारी कमीशन ने भी जिक्र किया है कि कम-से-कम 10 साल की चीनी लेवी के लिए और गन्ने की पालिसी हो । जब किसान को अच्छा दाम मिलता है, तो गन्ना बोता है, जब उसे कम दाम मिलता है तो गन्ने की बोई कम होती है । गन्ने के किसान को क्या दाम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह गन्ने की पैदावार पर होता है । गन्ने के दाम ज्यादा देने के कारण कोई मिल सिक हो जाये तो उसकी मदद करना जरूरी है । लेकिन गन्ने के दाम देने के बिना चीनी मिल सिक हो जाती है तो उसका कारण देखना जरूरी है । इतना ही नहीं, केन डैवलपमैंट के लिए, ट्यूबवैल के लिए, ओपन बैल के लिए, दूसरे सिंचाई के साधन के लिए मार्केटिंग लिंक रोड गन्ना ले जाने के लिए हैल्प होनी चाहिए । जैसे महाराष्ट्र में को-आपरेटिव चीनी मिल चल रही है, एवरेज देखने में आया है कि जितना गन्ना पैदा होता है, अभी देश के अन्दर उसका 35 प्रतिशत खाली गन्ना चीनी के लिए आता है, बाकी गुड़ के लिए जाता है । महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना चीनी गन्ने के लिए आता है क्योंकि किसान को वहां को-आपरेटिव से दाम भी अच्छा मिलता है । वहां स्पेशल वैलफेयर एक्टीविटीज भी होती हैं, हस्पताल बनते हैं, कालेज, स्कूल चलते हैं, वाई प्रोडक्टस डिस्टलरी वगैरह से पेपर भी बनता है । मेरे ख्याल में उसमें कोई खास बात नहीं है । इस बिल के उद्देश्यों में जिक्र किया गया है कि कई फैक्टरियां 25 साल पहले स्थापित की गई थीं । मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करना जरूरी है । देश में और दुनिया में शूगर इंडस्ट्री में नई टेकनालोजी आ रही है । जो फैक्टरियां नई टेक्नालोजी को अपनाना चाहें, उन्हें भी सहायता देनी चाहिए । इस बिल के उद्देश्यों में 1250 टन की क्रशिंग कैपेसिटी से नीचे वाली फैक्टरियों का जिक्र किया गया है । मैं इसमें भी थोड़ा संशोधन करना जरूरी समझता हूं । को-आपरेटिव चीनी मिलों को आर्थिक हानि हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कनज्यूमर पर टैक्स लगाएं और उसका पूरा फायदा प्राईवेट सैक्टर उठा ले । पुरानी मिलें ज्यादातर उत्तरी हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ आंध्र प्रदेश में भी हैं । इस बात का ध्यान रखना जरूरी है ।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन फैक्टरियों का परफार्मेन्स ठीक नहीं, उनके लिए पैसा देने से पहले उन्हें टेक-ओवर कर लिया जाए और उन्हें को-आपरेटिव सैक्टर में रखा जाए।

चीनी के दाम थोड़े से गिर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अगले साल गन्ने के दाम कम नहीं होने देगी और चीनी के दाम इस तरह से तय करेगी कि किसान को गन्ने के दाम ठीक मिलें। रुग्ण मिलें किसानों को गन्ने का ठीक दाम नहीं दे पातीं। लेकिन महाराष्ट्र में को-आपरेटिव चीनी मिलें और निजी चीनी मिलें एक ही दाम देती हैं, अलग अलग नहीं। सारे देश में यही व्यवस्था चलनी चाहिए।

इस फंड में हर साल 35 करोड़ रुपया आयेगा। यह पग उठाने के लिए मैं कृषि मंत्री को बधाई देता हूं। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज भी इस प्रिंसिपल को फालो करें, तो अच्छा होगा। देश की जनता और सरकार पर बोझ बढ़ाने के बजाए इंडस्ट्री को खुद ही ठीक तरह से चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए।

कई चीनी मिलें, खास तौर से को-आपरेटिव चीनी मिलें, 20-पायंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सोशल वैलफेयर का काम कर रही हैं। कृषि मंत्री ने कानपुर में बयान दिया था कि वह निजी मिलों की सोशल एकाउंटेबिलिटी को देखने के बाद उन्हें एक्सपेंशन की इजाजत देंगे। इस फंड में से पैसा देते वक्त इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है।

कुछ शूगर मैगनेट्स कहते हैं, कुछ भी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीनी मिलें किसानों को सही दाम देती हैं और किसानों के हितों का ध्यान रखती हैं तथा जो चीनी मिलें किसानों को एक्सप्लाट करती हैं, उन दोनों को अलग-अलग श्रेणी में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी चीनी मिलें किसानों के हितों का ख्याल रखती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर की चीनी मिलों को इस बारे में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वे निजी मिलों की अपेक्षा किसानों का ज्यादा ध्यान रखती हैं। जब ज्यादा गन्ना होता है, तो निजी मिल कम दाम देती हैं और जब गन्ना कम होता है, तो दूसरों के साथ काम्पीटीशन करके ज्यादा दाम देती हैं और कहती हैं कि उन्हें घाटा हुआ है। अगर केन प्राइसिज में स्टैबिलिटी होगी, तो रुग्ण मिलों का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

मैं चाहता हूं कि चीनी मिलों को रिसर्च, वाटर पालूशन को रोकने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी पैसा दिया जाए। मैंने इस सम्बन्ध में एमेंडमेंट्स भी दी हैं।

मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीनी उपकर विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में रुग्ण मिलों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। एन० टी० सी० का एक्सपीरियंस बताता है कि जब रुग्ण दिखाई देने वाली मिलों को एन० टी० सी०

राहत देती है या अपने हाथ में लेती है, तो जहां सरकार पर बोझ बढ़ता है, वहां मिल-मालिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि श्री पाटिल ने कहा है, मिल मालिकान चीनी मिलों में से पैसा निकालकर, और कभी-कभी मशीनरी वगैरह भी निकालकर, अपनी दूसरी मिलों में लगा कर लाभ उठाने का काम करते हैं। मिल को बीमार दिखाकर सरकार से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कहा गया है जो प्रोड्यूस होगा, उस पर सरकार कर लगाएगी, जो कि 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा। इस प्रकार की बात सामने रखी गई है। यह भी कहा गया है कि इस प्रकार जो राशि इकट्ठी होगी, उससे उन रुग्ण मिलों, जो कि रुग्ण होंगी, सहायता दी जाएगी। इस संबंध में मापदंड क्या होगा कि कौन सी मिल रुग्ण है, और कौन सी मिल रुग्ण नहीं है। जैसी कि परम्परा चल रही है कि मिल से ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल कर उससे लाभ करते हैं, बाद में उसको रुग्ण दिखाकर सरकार को देते हैं। जैसा कि प्रावधान भी किया जा रहा है, उसके कारण मालिकान की यह कोशिश होगी कि किसी मिल को बीमार दिखाकर सरकार से ज्यादा सहयोग प्राप्त कर सकें। पिछले तीन-चार वर्षों का हिसाब देखा जाए, और उससे नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है तो ठीक है, यदि कोई मिल-मालिक कहे कि यह मिल एक साल से घाटे में जा रही है और मालिकान उस मिल को बीमार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह मिल घाटे में जा रही है, केवल इस कारण ही हम उसको रुग्ण घोषित कर दें, बीमार घोषित कर दें और सरकार का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, तो यह मेरी दृष्टि में अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार ज्यादा भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। सरकार की घोषणाओं के बावजूद भी हम देखते हैं कि मंहगाई बढ़ रही है। बजट के पहले और बजट के बाद में भी बराबर कीमतें बढ़ रही है। अभी थोड़े समय पहले वनस्पति की कीमत बढ़ाई गई। यहीं पार्लियामेंट में जो भी मिलता था, वह पहले 32 रु० किलो था, फिर 35 रु० किलो हुआ, 37 रु० किलो हुआ और अब 40 रु० किलो हो गया है। सरकार द्वारा बराबर घोषणायें की जाती हैं लेकिन फिर भी कीमतें नीचे नहीं जा रही हैं। मैं तो कहता हूं कि यह उत्पाद कर लगाकर उपभोक्ता पर बहुत बड़ा मार डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार बड़ी-बड़ी मिलों को सहायता दी जा रही है। इससे वास्तव में कोई हित नहीं होने वाला है। सरकार का उद्देश्य यह है कि इन बड़े-बड़े मिल-मालिकों को हर प्रकार से सहायता प्रदान करके स्वंय के हित का साधन बना सकें। अभी पिछले समय में 95 पैं० बढ़ाकर अरबों-रुपयों का लाभ इन मित्र-मालिकों को पहुंचाया और उसमें हिस्सा बटाया। मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि सरकार की नीयत यह है कि प्रोड्यूस पर उत्पाद कर लगाकर उपभोक्ता पर भार डालें और मिल-मालिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुचायें, ताकि मिल-मालिक हमारे पक्ष में रहें और उनसे पैसा प्राप्त होता रहे। मुझे तो इसी प्रकार की भावना दिखाई देती है। मेरा तो आग्रह है कि जहां वास्तव में उत्पादन गिरा है, उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दी जानी चाहिए, उनको सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। मैं तो यहां तक कहना चाहते हूं कि मिलें उत्पादन का दो-तिहाई हिस्सा भी नहीं पेर पायेंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि अगले साल किसान गन्ना पैदा करना कम कर देंगे। इसलिए मिल मालिकों को आदेश होना चाहिए कि जो किसान गन्ना पैदा करने वाले हैं, उनका एक-एक गन्ना उनसे लेकर पेरने पर दबाव होना चाहिए। यदि न पेर सकें तो उन पर पैनल्टी डाली जानी चाहिए। इस बिल के माध्यम से जो यह कर लगाया जा रहा है, उससे देश की प्रत्येक जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कम से कम यह काश्तकार जो अपना खून-पसीना एक करके खेती करता है, सरकार उसकी किसी प्रकार से

सहायता नहीं कर पाती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम सरकार इस प्रकार से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उन काश्तकार को दिया जाना चाहिए इससे जो भ्रष्टाचार पनपने की बात है, जो मिल-मालिक फैक्ट्रीज में गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, अनुचित रूप से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वह भी समाप्त होगी तथा उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बिल पेश हुए हैं—"शुगर सेस बिल और शुगर डवेलपमेन्ट फण्ड बिल"—जिनके द्वारा 35 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा···

श्री बाला साहब विखे पाटिल : हर साल ।

श्री मूलचन्द डागा : 35 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और उसके लिए 35 लाख रुपया खर्च करेंगे—यह एक बहुत बड़ी बात है । इस बिल को आपके ला-डिपार्टमेंट ने बनाया है, शायद आपने इसको देखा नहीं है ? इसमें क्या है—कि जितनी एक्जीक्यूटिव एजेन्सीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे सारी पावर्स को एक्ससाईज करेंगे । आपने हर जगह इसमें यह प्रावीजन किया है—प्रत्येक बात—"ऐसी होगी जो विहित किया जाए ।"

आप इसकी क्लाजेज को देखिए :

"4 (2) वह रीति जिसमें इस धारा के अधीन कोई उधार या अनुदान दिया जाएगा और वे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन ऐसा उधार या अनुदान दिए जाएंगे, ऐसी होंगी तो विहित की जाएं ।"

राव बीरेन्द्र सिंह : आप नियमों को पढ़िए ।

श्री मूलचन्द डागा : नियम कहां हैं ? हम सारी शक्तियां नौकरशाहों को नहीं देना चाहते हैं ।

जो सब्जेक्ट हमारे अधिकार का है, जो प्रोसीजरल मेथेड है वह हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर कह रहे हैं :

"5. धारा 4 के अधीन उधार या अनुदान के लिए प्रत्येक आवेदन समिति को ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए ।"

यह भी "ऐसी होगी जो विहित किया जाए ।" मैं आगे उद्धृत करता हूं :

"6. (1) धारा 5 के अधीन प्राप्त आवेदनों के शीघ्र विचारक और निपटारे को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और इस अधिनियम के प्रशासन के अनुक्रम में उद्भूत किसी समस्या के विचारण के लिए केन्द्रीय सरकार उस सरकार के अधिकारियों की एक समिति गठित कर सकेगी ।

(2) समिति की संरचना और समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।"

पुनः खण्ड 8 कहता है "ऐसी होगा जो विहित की जाए ।"

यहां जितने सेक्शन्स दिए गए हैं, सबमें लिखा है—"एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ।" मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं । यह सोचने की बात है कि आप 35 करोड़ रुपये इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो किन मिलों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कैसी मिलों को रिहैबिलिटेट करेंगे, उन मिल्ज की डेफिनीशन क्या होता—यह सब आपने कुछ नहीं दिया है बस इतना लिख दिया है—

यह अधिकारियों की समिति पर पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा ।

कौन से आफीसर्ज ? आई० ए० एस० आफीसर्ज होंगे, टैकनीशियन्ज होंगे, शुगर के एक्सपर्ट होंगे, कौन होंगे ? नहीं । यह अधिकारियों की समिति होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि ये सब बातें स्वयं अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएं ।

श्री मूलचन्द डागा : केवल प्रक्रियात्मक मामलों को ही प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए । नीति विषयक मामलों का निर्धारिण स्वयं अधिनियम में किया जाना चाहिए । विधान मंडल ये सभी शक्तियां नौकरशाहों को नहीं देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री भी जनसेवक हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : चूंकि आप पीठासीन हैं । मैं सभी प्रावधानों को पढ़ रहा हूं । आप भलीभांति समझ सकते हैं । यह क्या है ? "निर्णय का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ..." फिर, "धारा 4 के अधीन उधार या अनुदान के लिए प्रत्येक आवेदन समिति को ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए ?" वह समिति कौनसी है ? "समिति का अर्थ है धारा 6 के अधीन गठित समिति, वह समिति कौनसी है ?" धारा 5 के अधीन प्राप्त आवेदनों के शीघ्र विचार और निपटारे को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और इस अधिनियम के प्रशासन के अनुक्रम में उद्भूत किसी समस्या के विचारण के लिए केन्द्रीय सरकार उस सरकार के अधिकारियों की एक समिति गठित करेगी ।" किस तरह के अधिकारी ? और वे अधिकारी कौन होंगे ? और वे अधिकारी किस बात का निर्णय करेंगे ? वे क्या निर्णय करेंगे ?

आप जो भी कानून बनाते हैं या जब कोई बिल पार्लियामेंट में लाते हैं, तो उसको पार्लियामेंट में रखने के बाद यह चाहते है कि सारी पावर इन लोगों को दे दें । ...(व्यवधान)...

राव बीरेन्द्र सिंह : कैसे आफीसर्स होने चाहिए, यह बतलाइए ?

श्री मूलचन्द डागा : आपका एग्रीकल्चर का एरिया बहुत लम्बा चौड़ा है । आपको हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमना है और आलू और प्याज को देखना है । बिल से आपको क्या मतलब है ? यह तो ला डिपार्टमेंट बनाता है, यह मुसीबत आप क्यों मोल लें । यह आपका सब्जेक्ट नहीं है ।

अब आप कृपया चीनी उपकर विधेयक के खंड 5 और चीनी विकास निधि विधेयक के खंड 8 देखिए । इन दोनों खंडों में क्या लिखा है ? मैं चीनी उपकर विधेयक 1981 का खंड 5 पढ़ रहा हूं :

"केन्द्रीय सरकार किसी चीनी कारखाने के अधिभोगी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे सांख्यिकीय और अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।"

अब 'चीनी विकास निधि विधेयक 1981' को पढ़ता हूं :

"केन्द्रीय सरकार किसी चीनी कारखाने के किसी अधिभोगी से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, भेजने की अपेक्षा कर सकेगी।"

इनमें कहीं अर्धविराम अथवा पूर्ण विराम में कोई अन्तर नहीं है। ये दो बातें क्यों हैं ? मेरी समझ में यह अभी तक नहीं आया है। पहले मंत्री महोदय मुझे बतलाएं क्योंकि उन्होंने बहुत से कानून जल्दी-जल्दी पास करा दिये हैं कि लेवी शूगर प्राइस इक्वेलाइजेशन फंड जो पहले बनाया गया था और उसमें जो फंड इकट्ठा हुआ था, उसका क्या हुआ ? यह आप अपना उत्तर देते समय बतलाएं। 1976 के अन्दर यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था और पारित किया गया था।

यह 6 फरवरी, 1976 को पारित किया गया था।

इस फंड के अन्दर जो करोड़ों रुपया है, उसका क्या हुआ ?

उस धन को कहां खर्च किया गया है ?

उस रुपये को आपने कहां पर उपयोग किया और वह फंड कहां पर है और उसकी रिपोर्ट क्या कभी सदन में पेश हुई है ? हमको यह मालूम होना चाहिए कि वह रकम है कहां और उसमें जो रुपया बच गया था, उसका परपज यह था कि उसको किसी काम में लाया जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह काम में लाया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : वह काम में लाया जा रहा है, तो हमको मालूम होना चाहिए।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : कोर्ट में केस चल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, ठीक है।

उस फंड का क्या हुआ है। वह फंड इकट्ठा किया गया और कोर्ट ने यह निर्णय किया कि यह रुपया जो जमा किया गया है, वह ठीक है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि फंड बनाकर जो रुपया जमा कर लिया, वह रुपया कहां है। ···(व्यवधान)··· मैं यह कह रहा था कि शूगर प्राइस इक्वेलाइजेशन फंड एक्ट के अन्तर्गत जो रुपया जमा हुआ, उसका पता नहीं कि वह कहां है। अब आपने यह रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस रुपये का हिसाब कौन रखेगा ? और हिसाब-किताब कौन पेश करेगा ? अगर आप किसी बिल के मुताबिक कोई रुपया जमा करते हैं तो हमें तो अपना हिसाब पेश कीजिए। (व्यवधान) सदन के मेज पर कब रखा जाएगा ? देअर इज नो क्लाज इन दिस। इसीलिए मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है :

"चीनी विकास निधि तथा लाभग्राहियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा नामित किये गये किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी जाएगी।"

मैंने कहा है कि अगर आपको ऐसा करना है तो उसकी रिपोर्ट तो सदन में रखिए। जो रुपया आप देना चाहते हैं वह किस तरह से देंगे ? यह जो आप इंडस्ट्रियल एक्ट में किसी इंडस्ट्री को टेकओवर करते हैं तो उसके बारे में आप आब्जेक्टिव लिखते हैं। वह कौन-सा उद्योग है ? चीनी उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निधि का प्रयोग किया जाएगा।

हिन्दुस्तान में शूगर के जो बेरन्स हैं उन्होंने पोलिटिक्स को गन्दा किया हुआ है, शूगर वालों ने राजनीतिज्ञों को खराब कर दिया है। आप कहते हैं कि 35 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा और यह सालों-साल इकट्ठा होता रहेगा। यह कितने करोड़ रुपया हो जाएगा। वह कहां जाएगा, किसको जाएगा कौन-सी फैक्ट्री को मोबेलाइज करने को दिया जाएगा ? वह रुपया जो आप मंजूर करेंगे, वह किस आधार पर करेंगे, किसको करेंगे ? हमारे बिजनेस-मेन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स बड़ी तरकीब जानते हैं कि कैसे सरकार से कम ब्याज पर रुपया लिया जाए। यह जो 35 करोड़ रुपये का भार जनता पर हो जाएगा तो इससे मैं समझता हूं कि शक्कर मंहगी होगी।

आपने शूगरकेन काश्त करने वाले काश्तकारों के लिए भी कानून बनाया है। जो कानून बनाया गया है उस कानून के अन्तर्गत अभी तक कोई रकम वसुल नहीं हो रही है। उसके लिए जो आपने आरडिनेंस निकाला है वह कानून द्वारा सपोर्टिड नहीं है। ये जितना आप कानून बना रहे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था—गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1978—

"यदि कोई चीनी निर्माता या उसका एजेन्ट खरीदे गये गन्ने के लिए सुपुर्दशी की तारीख से 14 दिन के भीतर भुगतान नहीं करेगा तो वह 14 दिन से अधिक ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत-प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर ब्याज देगा। यदि विलम्बित भुगतान पर ब्याज की अदायगी गन्ना उत्पादक सोसाइटी को की जायेंगी तो सोसाइटी सम्बन्धित गन्ना उत्पादकों को सोसाइटी के नियमानुसार प्रशासनिक प्रभार, यदि कोई हों, की कटौती करने के पश्चात ब्याज की राशि दे देगी।"

आप मुझे यह बता दीजिए कि कितने आदमियों से आपने ब्याज वसूल किया है और बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को वह दिलवा दिया है ? अभी उनका करोड़ों रुपया बकाया है। ब्याज तो अलग, उनका मूल पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने यह कानून बना दिया कि शूगर लेवी वसूल की जाएगी। बहुत अच्छा है, कर लीजिए। करने के बाद क्या होगा ?

इस बिल का मतलब है कि आप सारे पावर्स अपनी एक्जीक्युटिव एजेन्सीज को डेलीगेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट को अपनी पालिसी, नीति निर्धारित करनी चाहिए लेकिन आपने पालिसी मेटर्स भी ब्यौरोक्रेट्स के हाथों में दे दिए हैं।

मुझे इन बातों को पढ़ते हुए आश्चर्य होता है। अगर यह बिल पारित हो गया तो पार्लियामेंट के अधिकारों पर ब्यूरोक्रेट्स का एन्क्रोचमेंट होगा। ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट पर हावी हो

रही है और उसका यह तरीका है कि संसद पर नौकरशाही कैसे हावी हो सकती है। इसलिए इन सब बातों पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए। इसमें कुछ पता नहीं चलता है, कौन देने वाला है, क्या पालिसी मैटर है, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसी कमेटी होगी, कैसे रिकवरी होगी, कुछ भी नहीं बताया गया है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान डागा, वे पूछ रहे हैं कि आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैंने दो बातें कहीं है···

उपाध्यक्ष महोदय : वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो यह टीका-टिप्पणी की है। इसके साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इस टीका-टिप्पणी के साथ वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमान परुलेकर : उनका समर्थन सशर्त है। अब श्री शमन्ना बोलेंगे।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यद्यपि ये दोनों विधेयक छोटे हैं। लेकिन इनका महत्व इस कारण से अधिक है कि ये दोनों देशों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग से संबंधित हैं। इसीलिए, इनके क्रियान्वयन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

विधेयक के उद्देश्यों पर किसी को आपत्ति नहीं है। मशीनें पुरानी हो गई हैं। आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि चीनी उद्योग के विकास पर बल दिया जाना चाहिये।

लेकिन यहां मुझे यह आपत्ति है कि विधेयक को जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक को पिछले दिसम्बर में प्रस्तुत किया गया था तथा इन 2-3 महीनों के अन्तराल में मन्त्री महोदय को इस उद्योग में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था तथा चीनी उद्योग के सभी पहलुओं पर ध्यान दिये जाने के लिये कोई कदम उठाना चाहिये था। ऐसा नहीं किया गया है और यह विधेयक, जिसमें आरम्भ में ही इतनी कमियां हैं, यदि इतनी शीघ्रता से पारित कर दिया जायेगा, तो यह जनता अथवा उद्योग के लिये लाभप्रद नहीं होगा।

विधेयक में बहुत त्रुटियां हैं। उदाहरणत: समिति के गठन को लीजिये। समिति का गठन अधिकारियों के एक दल से किया जायेगा। अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकता है तथा उनके अन्य भी बहुत से कर्त्तव्य हैं, तथा अंशकालिक सदस्य के रूप में वह यह कार्य करने में पर्याप्त

दिलचस्पी नहीं ले पायेंगे । अतः सरकार को समिति का गठन करने के तरीके के बारे में सोचना चाहिये था ।

इसके अतिरिक्त, वसूली पर निगरानी रखने के बारे में भी पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है और भुगतान होने पर इसका कैसे उपयोग किया जायेगा, इसके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है । एक उद्देश्य विकास और अनुसंधान आदि करना है । किसी तरह से उसकी व्यवस्था की जानी है और इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना विधेयक को प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः इतनी शीघ्रता से बिल पारित करके विधेयक के उद्देश्यों से प्राप्त करना उचित नहीं होगा । यही कारण है कि मैंने एक संशोधन दिया है कि विधेयक पर जनमन प्राप्त करने के लिए इसे परिचालित किया जाये । लेकिन, जो भी हो, विधेयक हमारे सामने रखा गया है और मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं ।

प्रथमतः विधेयक व्यापक नहीं है । इस विधेयक में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है । दो बातें स्पष्ट हैं । सर्वप्रथम उपकर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे अधिकारियों की मुझबूझ पर उपयोग करने के लिये अलग रख दिया जाता है ।

इसमें एक कमी यह है कि उद्योग पूरे देश में स्थापित हैं । केन्द्रीय समिति दिल्ली में बैठकर काम नहीं कर पाएगी क्योंकि हजारों कारखाने देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं । आप केन्द्रीय समिति से इसकी व्यवस्था करने की आशा कैसे रख सकते हैं ? मुझे इसमें सन्देह है ? मैं एक बात के बारे में निश्चित नहीं हूं । इससे केवल यही होगा, जिनका कुछ प्रभाव है अथवा जिन्हें कुछ राजनैतिक सहारा मिला हुआ है । वही इससे लाभ उठा पायेंगे लेकिन जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, उनके लिए इससे लाभ उठाना बहुत कठिन होगा ।

महोदय, जब धन ऋण या आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है, तो यह जानकारी नहीं होती कि इसका उपयोग किस तरह से किया जायेगा । मन्त्री महोदय ने, विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी । यदि उसमें वृद्धि होती भी है, तो वह एक सीमा तक होगी । तीन वर्ष पहले हमें चीनी 225 रु० प्रति क्विंटल मिलती थी । अब यह हमें 325 रु० प्रति क्विंटल मिलेगी । उन्होंने बहुत जल्दी चीनी का मूल्य 5 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिया है और संभवतः कुछ समय बाद यह 10 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ जायेगा । निश्चय ही, चीनी पर भाड़ा और खाद की कीमतें बढ़ गई हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि एक, दो वर्ष में ही यह मूल्य दुगुना हो जायेगा और यह तीन वर्ष पहले के मूल्य से भी अधिक होगा । उपकर से सरकार को 35 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । क्या यह पर्याप्त होगा । मैं यह चाहता हूं कि उस समय तक जब तक कि उद्योगों में स्थिरता नहीं आ जाती, सरकार को उन उद्योगों द्वारा एकत्र किये गये धन के बराबर अनुदान भी देना चाहिए । आखिर, जो धन एकत्र किया जाता है वह भारत की संचित निधि में ही जमा होगा । जब वह संचित निधि में मिल जायेगा, तो वह बहुत अधिक हो जायेगा । मुझे यह जानकारी नहीं है कि कितना धन जमा किया जा रहा है अथवा खर्च किया जा रहा है । अतः, यदि उस धन को अलग ही रखा जाए तो उचित होगा । इस जमा किये गए धन को भारत की संचित निधि में जमा करने की बजाय, इस उपकर के लिये अलग हिसाब रखना ही उचित है । महोदय, मैंने बहुत सी उपकर निधियों का कार्य देखा है । जो उपकर इकट्ठा किया जाता है, उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये कर दिया जाता है । सरकार इस पर विशेष

रूप से ध्यान नहीं देती कि किस तरह से इसे खर्च किया जा रहा है। यदि धन संचित निधि में रखा जाता है तो वह बजट में सम्मिलित हो जाता है। अतः मेरा यह सुझाव है कि यह देखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए कि इस उद्देश्य के लिये नियुक्त समिति के सभापति अथवा सचिव द्वारा अलग हिसाब रखा जाता है।

महोदय, पहले चीनी का प्रयोग धनवान लोग ही करते थे जबकि गरीब लोग गुड़ का प्रयोग करते थे। आजकल अधिकतर लोग काफी, चाय अथवा पीपरमेंट तैयार करने के लिए चीनी का ही प्रयोग करते हैं। इसी कारण से आम आदमी के लिए ही कठिनाई है। अतः मन्त्री महोदय को यह ध्यान रखना चाहिए कि चीनी के मूल्य में वृद्धि न हो। हम देखते हैं कि जहां तक चीनी का संबंध है इसके मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विधेयक में कुछ संशोधन किए हैं। सदन का समय व्यर्थ किए बिना मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रथमतः जैसा कि कहा जा चुका है, सरकार को बराबर अनुदान देना चाहिए। इस उपकर से इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार को 35 करोड़ राजस्व की आय होगी। अतः मैं यह कहूंगा कि यह बहुत आवश्यक है कि सरकार को भी कम से कम उस समय तक बराबर अनुदान देना चाहिए जब तक कि वे अपनी मशीनरी को व्यवस्थित कर सकें। मैंने इस आशय के संशोधन सभा पटल पर रख दिये हैं कि कोष के लिए प्राप्त सारे धन को सभापति तथा सचिव द्वारा संचालित पृथम लेखे में रखा जाना चाहिए। जैसा कि होता है, एकत्र किया जाने वाला धन भारत की संचित निधि में जायेगा। इस तरह धन का उपयोग करने में काफी देरी हो सकती है। अतः यदि इस उद्देश्य के लिए अलग हिसाब-किताब रखा जाए तो उचित होगा। विधेयक में कहीं भी यह नहीं बनाया गया है कि एकत्र किया गया और संचित निधि में जमा किया हुआ धन कैसे खर्च किया जाएगा। अपने अन्य संशोधन से मैंने यह सुझाव दिया है कि इस प्रयोजनार्थ समिति नियुक्त की जानी चाहिये कि जिसे यथास्थिति कारखाने अथवा इकाई को दिये गये ऋण अथवा अनुदान के उपयोग पर निगरानी रखने की शक्तियां प्राप्त हों।

महोदय, मेरा अगला संशोधन समिति की सदस्यता के बारे में है। समिति में कुछ अधिकारी होंगे तथा ये अधिकारी अंशकालिक अधिकारी होंगे। महोदय, वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। अतः मैंने यह सुझाव दिया है कि समिति में पांच से अधिक सरकारी अधिकारी नहीं होने चाहिए तथा इसमें तीन संसद सदस्य—एक राज्य सभा से, दो लोक-सभा से होने चाहिए। मैंने आगे यह सुझाव दिया है कि इस समिति में सभी हितों अर्थात् उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा कारखाने के मालिकों के प्रतिनिधि होने चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि समिति व्यापक होनी चाहिए तथा समिति में सभी हितों के प्रतिनिधि होने चाहियें। क्योंकि जब केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई काम किया जाता है तब सभी कुछ सरकार की मर्जी और रुचि के अनुसार किया जाता है। महोदय, इन कारणों से ही, मैंने कहा है कि विधेयक अपूर्ण है। यह व्यापक नहीं है तथा इसमें सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैंने जनमत जानने के लिए ही विधेयक को परिचालित करने का सुझाव दिया है। जनमत जानने के बाद एक व्यापक विधेयक सदन में लाया जा सकता है।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम डिप्टी स्पीकार साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। पहली बात यह है कि हमारे मोहतरम वजीर एक अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुख्य मन्त्री रह चुके हैं और हमारे साथ 1971 से हैं, हम इनकी क्षमता जानते हैं। आपके दो बिल हैं---एक शुगर सेस बिल और दूसरा शुगर डेवलपमेंट फंड बिल। डागा साहब ने कुछ अच्छी मूल बातें उठायी हैं, उन बातों के मुताल्लिक मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको जो शिकायत है वह कैसे दूर होगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : करेंगे दूर।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं जानता हूं कि आप मैन आफ ऐक्शन हैं। सवाल यह है कि उनकी शंका दूर हो। पार्लियामेंट पूरे मुल्क का जामिन है और मुनाफिज है और सुप्रीम है। इसलिए ऐसी बात न हो कि पार्लियामेंट अन्डरमाइन हो जाये। इसकी इजाजत न पार्लियामेंट देगी और न मंत्री जी आप ही देंगे।

सवाल पैदा होता है कि आप देखेंगे कि 1-10-55 तक दो कोआपरेटिव शुगर मिलें थीं, और जब तरक्की हुई तो 153 कोआपरेटिव शुगर मिलें हो गयीं। उसके खिलाफ प्राइवेट सैक्टर में भी कुछ मिलें हैं, और नतीजा यह है कि जो आपने क्रशिंग का एक मुद्दा बनाया है कि 1,250 टन केन क्रशिंग पर डे होना चाहिए, उससे जो कम होगा उसको अनइकोनामिक करार देंगे। यह सही बात है। तो कोआपरेटिव बढ़े उसमें हमारा विश्वास है। कोआपरेटिव शुगर मिल्स की मशीनरी को कैसे डेवलप किया जाये, कैसे फाइनेंस किया जाये, कैसे किसानों की मदद हो, गन्ने की पैदावार बढ़े इस पर आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए। और फंड्स जो कलेक्ट होंगे उसको मिल के मोडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाये, किसानों को सही दाम समय पर दिया जाये और वर्कर्स को दिया जाये, इन बातों पर आप गौर करें।

हमारे साथी कुछ बात कह रहे थे, यह उनकी शंका है कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। चीनी का मामला बहुत संगीन है। अगर कहीं इन्सान के बदन में शुगर हो जाये तो गड़बड़ हो जाती है, और कहीं दूसरी जगह शुगर हो जाये तो उसमें भी मामला गड़बड़ है। शुगर का मसला इंसान की जिन्दगी के लगाव के साथ है। छोटे-से छोटे गांव के किसान, मजदूर और एक बड़े से बड़े आदमी को भी शुगर की जरूरत है, लेकिन मैजोरिटी आफ पापूलेशन गांव में गरीब लोगों की है, इसलिए उसकी कीमत में बढ़ोत्तरी न हो, यह बात आपको निश्चित करनी चाहिए और इसका आपको आश्वासन देना चाहिए। शुगर के मामले में पिछले 2-3 और 4 सालों में बड़ी-बड़ी बातें उठी हैं, बड़े आन्दोलन हुए हैं।

एक बात साथ-साथ कह दूं कि शुगर के आन्दोलन का इल्जाम हमारे ऊपर रखा जाता है। मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूं, वह इसलिए कि आपको भी मालूम है, सारे देश को मालूम है, बुद्धिजीवियों को मालूम है, भले ही गांव वालों को मालूम न हो, वेस्टर्न यू० पी० में हजारों एकड़ जमीन में जो गन्ना लगा था, उसको जलाकर, पकाकर खाक करके शुगर का शार्टेज मार्किट में कर दिया गया था। इसमें कोई दो राय मैं नहीं मानता हूं, आप जानते हैं। उसका इलजाम हमारी पार्टी पर हमारी सरकार पर 1980 के बाद थोपा जाता है।

(व्यवधान)

यह बिजली की लाइट तो है नहीं कि बटन दबाइये और बिजली जल गई। किसी बात का इकनामिक इफैक्ट 2,3 साल के बाद पड़ता है। किया आपने, उसका इफैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। हम उससे निपट भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारी नीति भी है, हम लोगों के लिए वचनबद्ध हैं, हमारी पार्टी लोगों को राहत पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है, भले ही आप करें या न करें।

किसान को सही ढंग से पैसा मिले···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण अत्यन्त मधुर है, यह मधुर से मधुर है। अपने भाषण को छोटा रखें। कृपया अब सब समाप्त करें।

श्री जमीलुर्रहमान : धन्यवाद। मैं अभी समाप्त करता हूं। किसान को सही ढंग से पैसा मिल जाये, जो शुगर फैक्टरी में मजदूरी करते हैं, उनको सही ढंग से उचित पैसा मिल जाये और वक्त पर मिल जाये, सबसे बड़ी बात यह है। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए।

शुगर की इंडस्ट्री खास तौर से महाराष्ट्र में सदर्न साइड, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। मैं आंध्र और महाराष्ट्र सभी को मिलाकर यह कहता हूं। यह इंडस्ट्री बड़ी मेजर इन्डस्ट्री है। जहां तक मुझे इल्म है, आपने सिर्फ एक ही रिसर्च इन्स्टीट्यूट इसके लिए कानपुर में बनाई हैं। मेरी गुजारिश है कि आप कम-से-कम दक्षिण में, आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र में भी रिसर्च इन्स्टीट्यूट बनाइये जिससे पूरी तरह इसकी डैवलपमेंट हो सके। कर्नाटक में भी बढ़ाईये, तमिलनाडु को में एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं। बिहार में तो बननी ही चाहिए, उसकी वजह यह है कि नार्थ बिहार में शुगर मिल बहुत हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में एक शुगर मिल बनमनखी में है। मैं वजीर साहब का ध्यान इस पर खींचना चाहता हूं, वह बीमार होकर खत्म हो गई थी परन्तु बड़ी मुश्किल से हमारे मुख्य मन्त्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने उसको मदद पहुंचाकर चालू कराया है। लेकिन उस स्टेट में रिसोर्सेज कम हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस मिल को बढ़ायें ताकि पूर्णिया के किसानों को और उसके साथ लगते हुए सहरसा जिले के किसानों और मजदूरों को राहत मिले, मुल्क की पैदावार बढ़े मुल्क की इकनामी मजबूत हो।

एक बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा, अब चीनी का वितरण···

(व्यवधान)

मैं मुहतरिम वजीर साहब का ध्यान एक और अहम मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। चीनी को एफ० सी० आई० के जरिये बंटवाया जाता है। यह डिस्ट्रिब्यूशन चैनल इतना गड़बड़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने पिछले साल भी लिखा था और इस साल भी लिखा है कि एफ० सी० आई० में बहुत गड़बड़ियां और करप्शन हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वजीर साहब मेहरबानी फरमाकर एफ० सी० आई० को टाइट करेंगे; उसके काम को गौर से देखें और गड़बड़ियों को पकड़ें, तो आईंदा कोई गड़बड़ी न हो। उसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वह एक ऐसा डिस्ट्रिब्यूशन चैनल है, जहां से गांवों को चीजें पहुंचती हैं।

हमारी पार्टी, हमारी नेता और हम सब लोग इस बात के जामिन हैं कि लोगों को राहत मिले और चीजों के दामों में कमी हो। हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आज जरूरत इस

बात यह है कि अपने मुल्क की चीनी की पैदावार को बढ़ाया जाये और विदेशी मुद्रा खर्च करके चीनी के इम्पोर्ट को बन्द किया जाये। हालांकि मेरे पास इस बारे में फिगर्ज हैं, लेकिन उन्हें देने का टाइम नहीं है। मैं मोटी बात यह कहना चाहता हूं कि अगले सालों में हमारे मुल्क में चीनी की बहुत पैदावार होने वाली है। सिक्स्थ फाइव-यीअर प्लान में शूगर पर बड़ा जोर दिया गया है। शूगर की पैदावार को बढ़ाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहिये, ताकि दूसरे मुल्कों से चीनी मंगाने पर हमारी विदेशी मुद्रा खर्च न हो। चीनी के इम्पोर्ट को बन्द करना चाहिये।

इस कानून के तहत सरकार 35 करोड़ रुपये सालाना कलेक्ट करेगी। यह एक अच्छा खासा फंड होगा। उसे खर्च करने के इन्तजाम में पीपल्ज इनवाल्वमेंट भी होना चाहिए। मैं डागा साहब से इस बारे में मुत्तिफिक हूं कि इस काम को सिर्फ अफसरों पर न छोड़ दिया जाए।

इन अलफाज के साथ मैं दोनों बिलों की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश चीनी मिलों के विकास एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर कोई दो राय नहीं हैं। उस विकास के लिए किसी उपकर की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, चीनी पर उपकर लगाने वाले वर्तमान विधेयक से मिलों को लाभ नहीं होगा। उद्देश्य और कारण बताने वाले वक्तव्य में बताया गया है :

"वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक यूनिट के कुप्रशासन और समन्वय की बाबत गहराई से विश्लेषण किया जाये और अन्य स्कीमों के अधीन समुचित अध्युपायों के द्वारा वित्तीय सहायता की पूर्ति की जाये जिससे यूनिट को अपना पुनरुद्धार करने का अवसर मिल सके और कुछ अवधि के बाद इस सहायता को बंद किया जा सके और यूनिट अपने स्वयं के प्रयासों पर चलता रहे।"

श्रीमान, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों में ग्रान्टी दी गई है कि जब तक कोई मिल इस स्थिति में नहीं है कि वह आत्मनिर्भर हो सके तबतक उसे वित्तीय सहायता दी जायेगी, और उस हालत में जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मिल रिकार्ड में यह नहीं दिखायेगी कि वह आत्म-निर्भर हो गई है अथवा उसका पुनर्वास हो गया है। वे सदा यही दिखाएंगी कि वे घाटे में चल रही हैं ताकि उन्हें सहायता मिलती रहे।

उपकर के बारे में हमें खेद है कि जब सरकार बदली थी तब भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया। जनता पार्टी के नाम से उक्त सरकार 1977 में सत्ता में आई। परन्तु उस सरकार ने भी गन्ने का मूल्य घटाया और चीनी का मूल्य बढ़ाया। गन्ने का मूल्य दो रुपए प्रति क्विंटल घटाया गया तथा चीनी के मूल्य को 2.15 से बढ़ाकर 2.30 किया गया तथा बाद में उसे नियंत्रित कर दिया गया। इस प्रकार मिल मालिकों को लाभ पहुँचा। वर्तमान सरकार ने जनता से चीनी के मूल्य घटाने का वायदा किया था। प्रधान मंत्री ने स्वयं अपने चुनाव अभियान में जनता पार्टी पर चीनी के ऊंचे मूल्यों के लिए आरोप लगाया। परन्तु उसके बाद चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई, ये स्थिर नहीं रहे, अपितु बहुत ऊंचे चढ़ गये। इस वर्ष फिर सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को पुनः दो रुपए घटा दिया है, परन्तु चीनी के मूल्य नहीं घटाया गया; वास्तव में ये बढ़े हैं।

वर्तमान सरकार ने तथा पूर्ववर्ती जनता सरकार ने यह बात भली प्रकार सिद्ध कर दी कि उनके स्वामी देश के मतदाता नहीं हैं न ही गन्ना उत्पादक हैं अपितु निजी मिल मालिक हैं। वही इनके स्वामी हैं तथा उन्हीं के हितों में तथा उन्हीं के निदेश पर सरकारों ने कार्य किया है। मैं इन दो सरकारों के सम्बन्ध में उनकी चीनी नीति को लेकर किसानों के अनुभव की बात कहता हूं।

मेरे 17 नवम्बर, 1980 के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय राव बीरेन्द्र सिंह ने सभा को बताया कि उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों ने 31-5-80 को गन्ने के मूल्य के रूप में 8.95 करोड़ रुपए देने थे तथा बिहार की फैक्टरियों ने 3.46 करोड़ रुपए किसानों को देने थे। तब से यह प्रयत्न हो रहे हैं कि गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि की अदायगी की जाये। उत्तर प्रदेश में 10 मिलों को तथा बिहार में 3 मिलों को बकाया राशि की अदायगी के लिए नोटिस जारी किये गये थे। मैं फिर कहता हूं कि सरकार की नीति में भारी कमी है तथा इससे मिल मालकों विशेषत: निजी मिल मालकों को लाभ पहुंचता है।

फिर 7 जुलाई, 1980 को मंत्री महोदय राव बीरेन्द्र सिंह ने सभा में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया :

"मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब फैक्टरियों ने गन्ना उत्पादकों को अधिक राशि बकाया के रूप में देनी होती है, सरकार फैक्टरियों को अधिकार में ले लेती है और उस समय हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह हो जाता है कि अधिकार में लिए जाने के बाद बकाया राशि की अदायगी की जाये। मिलों का प्रबन्ध अस्थायी तौर पर हाथ में लिया जाता है। बिहार में हमने किसी भी मिल को अधिकार में नहीं लिया।"

जब बकाया राशि बहुत बढ़ी होती है तब मिल को सरकार अधिकार में ले लेती है, बकाया की अदायगी करके मिलें निजी मालिकों को सौंप दी जाती हैं। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार पूंजीपतियों के लिए अच्छे प्रबन्धक के रूप में कार्य करता है, जो कि उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के हितों के स्थान पर अपने ही हितों में इनके मालिक बने हुए हैं। मैं सरकार की नीति की बात कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय को उद्धृत कर रहा हूं मेरा आशय व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं है अपितु वर्तमान सरकार से है।

इस संदर्भ में मैं जानता हूं तथा आप भी जानते हैं कि बिहार में जो मिलें अधिकार में ली गईं उनपर भारी राशि बकाया थी। उनका कुछ हद तक पुनर्वास हो गया है तथा बकाया राशि का भुगतान कुछ हद तक सरकार द्वारा कर दिया गया है। नि:सन्देह यह कार्य जनता के व्यय पर किया गया क्योंकि अंतत: धन जनता की जेब से जाता है।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : और मैं समझता हूं कि 70-75 वर्ष पुरानी मशीनरी उसी हालत में चल रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : यही बात है। जैसा कि मैंने बताया, बकाया राशि की अदायगी सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने के बाद की गई। मशीनरी के हिस्से तक भी चोरी हो गये। समस्तीपुर का मामला अत्यन्त गम्भीर था।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार की पूरी नीति का उद्देश्य निजी मालिकों अथवा पूंजीपतियों की मुनाफे की भूख को पूरा करना है। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक का उद्देश्य भी वही है। अभी हाल ही में 31 अगस्त, 1981 के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया :

"इस समय खुली बिक्री की चीनी पर 94 रुपए प्रति क्विंटल का उत्पादन शुल्क है। अखिल भारतीय औसत के आधार पर लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क लगभग 3, रु० प्रति क्विंटल है। अखिल भारतीय औसत के आधार पर प्रोत्साहन योजना के अधीन जारी की गई चीनी के लिए लगभग 56 रुपए है।"

अत: खुली बिक्री की तथा लेवी चीनी में 560 रुपए प्रति टन का अंतर है। अत: उन्हें खुली चीनी की बिक्री पर 56 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलता है। खुली चीनी की बिक्री की नीति चोर बाजारी को वैध बनाना है। यह व्यवहारिक रूप से इस ढंग से किया जा रहा है। खुली बिक्री, खुला बाजार वास्तव में चोर बाजारी है। ऐसी स्थिति में लेवी चीनी के लिए 56 रुपए प्रति क्विंटल अथवा 560 रुपए प्रति टन की छूट है।

इसके पीछे उद्देश्य क्या है ? मैं मंत्री महोदय के लिखित उत्तर को पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"इस योजना के अधीन पात्र फैक्टरियों को छूट दी जाती हैं क्योंकि संयंत्र और मशीनरी के मूल्यों में भारी वृद्धि से ये फैक्टरियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं, तथा आवश्यकतानुसार नई फैक्टरियों का निर्माण तथा पुरानी फैक्टरियों का विस्तार कार्य क्रियान्वित नहीं हो सका।"

इसलिए विस्तार अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क में 56 रुपए प्रति क्विंटल छूट दी जाती है। यही उत्तर पहले दिया गया था। और 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिये जाने का प्रस्ताव है। मेरा कहना है कि मिलों के आधुनिकीकरण की शीघ्र आवश्यकता है तथा बहुत सी मिलों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। परन्तु उसका इलाज चीनी के मूल्य बढ़ाने द्वारा नहीं हो सकता अपितु सहकारी क्षेत्र के अलावा पूरी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सम्भव है।

मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये हैं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये, परन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि वे पूंजीपति जो चीनी मिलों के मालिक हैं, वे हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली से भी अधिक शक्तिशाली हैं जिसके अन्तर्गत विधान सभाओं ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। वे सबसे बड़े इन दो राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली हैं जिनकी विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये थे। इस मामले में सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष में कोई मतभेद नहीं था।

ऐसी स्थिति में हम जानते है कि कैसे भट्टी में कोयले के स्थान पर 'खोई' को जलाया जा रहा है। आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता हैं तथा मशीनरी के बदले जाने की

आवश्यकता है ताकि 'खोई' का बढ़िया किस्म के कागज बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं किया जा रहा। अतः समाधान मिलों के राष्ट्रीयकरण में हैं न कि चीनी का मूल्य बढ़ाने में। यह उद्देश्य गन्ने के मूल्यों तथा उपभोक्ता चीनी के मूल्यों में समानता बनाये रखने से प्राप्त किया जा सकता है। इस समानता को बनाये रखने तथा इसे वैज्ञानिक रूप से दृढ़ता से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

अतः बहुत पहले यह निर्णय लिया गया था कि चीनी के तथा गन्ने के मूल्य में एक अनुपात होना चाहिए। अब इसकी कोई बात नहीं करता। मंत्री महोदय ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि ऐसा कोई अनुपात होना चाहिए। मैं समझता हूं कि चीनी उपकर विधेयक को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। मैं सभा से इसे अस्वीकृत करने का आग्रह करता हूं।

विकास के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। परन्तु विकास का अभाव है, धन की कमी के कारण नहीं अपितु इसलिए कि मिलों का लाभ अन्यत्र ले जाया गया है तथा उसे गैर-उत्पादक धन का रूप दे दिया गया है। यह मामला धन की कमी का नहीं है, आधुनिकीकरण का कार्य पीछे रह गया है। ऐसी स्थिति में मैं सभा से इस विधेयक के अस्वीकार करने का आग्रह करता हूं। हमने यह भी देखा है कि मंत्री महोदय ने, जब उन्होंने अध्यक्ष महोदय से विशेष अनुमति मांगी थी, इस बारे में जोर दिया कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये नियमों में ढील दी जाये। मंत्री ने नियमों में ढील देने का अनुरोध इसलिये किया कि विधेयक के अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना था। इसके बात उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया और अब एक सप्ताह से अधिक समय बाद इस पर चर्चा हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर अतिशीघ्र ध्यान दिया जाये। नियमों में ढील इस कारण मांगी गयी और ली गयी कि उस समय वह इतना महत्वपूर्ण था। मैं फिर कहता हूं कि यह इतने अविलम्बनीय महत्व का नहीं है। लेकिन यदि मंत्री समझते हैं कि यह बहुत आवश्यक है तो उन्हें हमारे इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये कि विधेयक को जनमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जाये अथवा इसे संयुक्त समिति को सौंपा जायें जो कारखानों के विकास, पुरानी मशीनरी को बदलने अथवा उनके आधुनिकीकरण तथा सर्वांगीण विकास सम्बन्धी समूचे मामले पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि कम से कम भूमि में गन्ने की पैदावार से अधिकाधिक चीनी का उत्पादन हो सके ताकि हम न केवल आत्मनिर्भर बनें, न केवल हम चीनी का भण्डार बनायें, न केवल हम हमेशा के लिये आयात बंद करें, बल्कि हम हमेशा चीनी का निर्यात करने में भी सक्षम हो सकें। यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक विश्वसनीय साधन बन सकता है। यह सम्भव है और वांछनीय भी है। इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। वैसा किया जाये। लेकिन मैं साफ से कहूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये और इसे जल्दबाजी में पास न किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं उपकर विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, माननीय कृषि मंत्री की जो भावना शूगर-केन ग्रोअर्स के प्रति और शूगर इंडस्ट्री के डैवलपमैंट के लिए है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : ये एक गलत मामले का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ये जोर से नहीं बोल सकते ।

सभापति महोदय : निश्चय ही यह एक अच्छा मामला है। आप जरा आगे आकर बोलिए और जोर से बोलिये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ये मंत्री से डरते हैं ।

श्री हरीश रावत : आप किसानों के नेता हैं और इस देश की इस बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की भलाई के लिए जितने अच्छे कदम पिछले दो सालों के अन्दर राव साहब ने उठाए हैं, उसके लिये निःसन्देह शूगर इंडस्ट्री और हम सब उनके कृतज्ञ हैं ।

यह बिल जो मंत्री-जी यहां पर लाये हैं, यह उचित तो है लेकिन हमारी जो शूगर इंडस्ट्री है, उसके लिये आज जरूरत इस बात की है कि हम एक पालिसी बनाएं शूगरकेन डेवलपमेंट से लेकर उसके क्रशिंग तक, उसके मार्केटिंग तक। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगें, मैं समझता हूं कि इस तरीके से पंच वर्क करके, इस तरीके से एडहाक एरेंजमेंट करके हम एक अस्थायी हल तो निकाल सकते हैं, कुछ अस्थायी तौर पर राहत दे सकते हैं लेकिन जो स्थायी राहत देने की बात है, जिसके लिये माननीय राव साहब के मन में निश्चित रूप से तड़प होगी, वह पूरी नहीं हो सकती है ।

सभापति महोदय : 'तड़प' की बात आपको मालूम है ।

श्री हरीश रावत : निश्चित तौर पर। दिल की बात दिल ही समझ सकता है और उनके और हमारे दिल के बीच में कोई दूरी नहीं है और है भी तो चेयरमेन साहब, दोनों के दिलों को मिलाने में आपकी मदद ले लेंगे ।

मैं राव साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रुग्ण इंडस्ट्री को, इस बीमार इंडस्ट्री को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिकांश चीनी मिलें रुग्ण हैं और उनकी मदद के नाम पर आप उनको बहुत ज्यादा पैसा भी देते हैं। कभी वे डरा-धमकाकर पैसा लेते हैं कि हम मिलों को बन्द कर देंगे और कभी गन्ना पैदा करने वाला किसान सर पर खड़ा होता है। इस तरह से आप कभी किसानों के दबाव में और कभी उनके दबाव में ऐसी चीनी मिलों की बहुदा मदद कर देते हैं और ऐसी चीनी मिलें भी देश में हैं, जिनको जिस मकसद के लिए पैसा दिया जाता है, वह जिस मकसद के लिये पैसा लेती हैं, उसमें उस पैसे को उपयोग में नहीं लाती हैं और किसानों की जो कठिनाइयां हैं, किसानों की जो शिकायतें हैं, वे अपनी जगह पर बनी रहती हैं और उन की ठीक समय पर पैसा नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट की जो शिकायत है, वह भी अपनी जगह पर बनी रहती है और माड्रेनाइजेशन के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, उस पर वह पैसा खर्च नहीं किया जाता है ।

यह जो बिल है, इसमें जो रिहैबीलीटेशन और डैवलपमेंट की बात कही गई है, माड्रेनालजेशन की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि माड्रेनाइजेशन के नाम पर जो पैसा दिया जायेगा, उसको रिहैबीलीटेशन के नाम पर वे लोग खर्च कर देंगे ।

हमारा जो रिहैबीलीटेशन का स्कोप है वह ज्यादा विस्तृत है। माडरेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक एम है। माडरेनाइजेशन के लिए कितना पैसा खर्च होगा, रिहैबीलीटेशन करने के नाम पर कितना पैसा खर्च होगा और रिसर्च और डैवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च होगा, मैं समझता हूं कि इन अलग-अलग पदों के लिए बिल में स्पेसिफाई किया जाना चाहिए।

यह जो बिल नं० 157 का सी है, उसमें आपने शूगर फैक्ट्री का अर्थ बताया है। यह जो बिल नं० 156 का पैरा चार है, एप्लीकेशन आफ फण्ड्स में जो बात कही है :

"किसी चीनी कारखाने को पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के लिये ऋण कीव्यवस्था करना अथवा जिस क्षेत्र में चीनी कारखाना न हो वहां के किसी एकक अथवा किसी योजना के अन्तर्गत उपक्रम में गन्ने के विकास के लिये ऋण की व्यवस्था करना"

इन दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी है। मैं समझता हूं कि यह जो 156 का पैरा चार है, यह अस्पष्ट है। उसके बहुत सारे अर्थ लगाये जा सकते हैं। इससे इसके स्कोप के डाइवर्ट होने की गुंजाइश हो जाती है। कृपा करके इसको आप देख लें।

जैसा हमारे और साथियों ने भी कहा कि पार्लियामेंट और देश की अधिकांश पोलिटिकल पार्टीज बराबर इस बात को कहती रही हैं कि शूगर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। हमारी पार्टी भी एक से अधिक बार इस बात को कह चुकी है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह इंडस्ट्री बीमार है, जिस तरीके से इस इंडस्ट्री के मालिकान द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है जिस तरह से सरकार के टैक्स की चोरी की जा रही है, उसमें यह समय की मांग है, वक्त की आवश्यकता है कि हम इस इंडस्ट्री का नेशनेलाइजेशन करें, राष्ट्रीकरण करें इसको पब्लिक सेक्टर में लाएं ताकि इसका जो लाभ है वह आम आदमी को मिल सके।

इस समय जितनी आपकी प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, उनके मालिकान से चीनी का हिसाब तो आप ले लेते हैं लेकिन उनका जो शीरा है, उसकी बिक्री की कोई एकाउंटेबिलटी नहीं है, उस पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। मालिकान उसकी बिक्री को इनकम में नहीं दिखाते हैं और उससे हुई इनकम को अन्यत्र खर्च करते हैं। आपको जो बेलेंस शीट दिखाते हैं उसमें वे उसे नहीं दिखाते और यह दिखाते हैं कि चीनी मिल नुकसान में जा रही है। उस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। दूसरी तरफ किसान की कठिनाई बराबर बनी रहती है।

इन चीनी मिलों से पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं भी पैदा होती हैं। जितनी चीनी मिलें नदियों के किनारे पर हैं उनके वेस्ट मेटीरियल के आऊटलेट्स नदियों में हैं। उन पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। वे आपके विभागों से मैनेज करके इसको करते रहते हैं इस पर भी आपका स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल होना चाहिए। जगह जगह जो क्रेसर लगे हैं वे भी वातावरण को दूषित करते हैं। कहां गन्ने को रखेंगे, कैसे गन्ने की पिराई करेंगे, कैसे उसके कचरे को जलायेंगे, उसके विषय में आपके कोई नियम नहीं हैं। इस तरफ भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय जो चीनी मिलें हैं, उनमें गन्ना नहीं पिल पा रहा है। गन्ना खड़ा है और आप बराबर आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आशंका है कि आखिर तक भी वह

गन्ना सारा पिल पायेगा या नहीं । चीनी-मिलों को इस विषय में निश्चित निर्देश जाने चाहिएं कि हर महीने इतने गन्ने की वे पिराई करें और ठीक से करें । इसमें भी आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रांत है । उसकी गन्ना उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी है । जितनी उसकी गन्ना उत्पादन की क्षमता है, उसके हिसाब से आप आने वाले पांच सालों के लिए चीनी मिलों के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए । चाहे ये मिलें कोआपरेटिव सैक्टर में डवलप कीजिए चाहे पब्लिक सैक्टर में डवलप कीजिए । लाइसेंस दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे निवेदन किया है, उनको स्वीकार कीजिए और चीनी मिलों की स्थापना कराइए, ताकि उत्तर प्रदेश जो चीनी उत्पादन का बहुत बडा क्षेत्र है, उसका उपयोग हो सके । इससे राष्ट्र को भी लाभ होगा । इन शब्दों के साथ मैं आपकी भावना का समर्थन करते हुए इन बिलों का समर्थन करता हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय सभापति जी, ये जो बिल पेश किए गए हैं, 'चीनी उपकर विधेयक" और "चीनी विकास कोश विधेयक" अगर इनके लिए यह कहा जाए कि चीनी कारखाना मालिकों को सुरक्षा के लिए और उनके पोषण के लिए ये विधेयक हैं और उन्हीं के नाम से इन विधेयकों को रखा जा जाता तो अच्छा होता ।

गन्ना उत्पादक के हित में जो कुछ आज होना चाहिए, वह न हो करके चीनी मिल मालिकों और बीमार कारखानों को संरक्षण दिया जा रहा है । कारखाने बीमार क्यों हैं, इसके बारे में अभी रावत जी ने बताया है । किस तरह से चोरी से चीनी दूसरे कारखानों में चली जाती है, किस तरह से किसानों का गन्ना चोरी करते हैं, केन्द्रों पर किस तरह से गन्ना तोला जाता है और जो फैक्ट्रियां को-आपरेटिव आधार पर चल रही हैं या सरकारी प्रशासन में चल रही हैं किस तरह से प्राइवेट गन्ना क्रशरों से मिल करके आज भी 10-11 रु० क्विंटल के भाव पर गन्ना बिकवा रहे हैं बदायूं और बरेली में आज भी क्रशर मालिक 10-11 रु० प्रति क्विंटल गन्ना खरीद रहे हैं । आज भी हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं । श्री मोहन सिंह राठौर जो कि किसान जिला यूनियन के नेता हैं, उनके साथ बहुत से लोग वहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं । हाकिम सिंह और बाबू सिंह आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं ।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्रा) : हकीम होकर भी सत्याग्रह कर रहे हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जैसे आपकी फर्जी सरकार चल रही है वैसे ही वे फर्जी हाकिम हैं ।

सभापति महोदय : मैं बताना चाहता हूं कि आज किसानों को गन्ने में बहुत कम लाभ हो रहा है । 2-3 रु० तो रवन्ना और चुंगी में चले जाते हैं । डीजल इतना महंगा हो गया है, जिससे ढुलाई का खर्च भी बढ़ गया है । यह सब मिलाकर अगर 10 रु० प्रति क्विंटल गन्ना लिया जाता है तो किसान को केवल 5 रु० प्रति क्विंटल मिलता है । यह उसका उत्पादन खर्च भी नहीं है । इस पर भी सरकार कहती है कि हम असहाय हैं कुछ नहीं कर सकते । हम प्राइवेट क्रशर मालिकों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते । जब अधिकारियों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते । वहां के शेखपुर सहकारी किसान चीनी मिल के जो प्रशासक हैं वे प्राइवेट क्रशर

मालिकों से मिले हुए हैं और पूरी कैपेसिटी से क्रसिंग नहीं होता है। चार साल पहले मिल बनी थी, मशीनें पुरानी नहीं हुई हैं, लेकिन हालत यह है कि जितनी मशीनें खरीदी गई थीं, सभी खराब हैं उनको समय पर ठीक नहीं करवाया गया और किसान का गन्ना क्रशर पर जा रहा है केन्द्रों पर गन्ने की तोल कम की जाती है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कहा जाता है कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही हैं। घाटे में कैसे चलती हैं। लाखों का घाटा जा रहा है और उसके लिए आपका प्रशासन जिम्मेदार है। फैक्ट्री को उठाकर बंद कर दिया है और कम कैपेसिटी पर चला रहे हैं। फैक्ट्री का घाटा कैसे होता है। शीरा बेचा जाता है कुछ हजार लीटर और गेट से निकलता है कई लाख लीटर। मिलों के मैनेजमेंट अपने रिश्तेदारों को सस्ते में दे देते हैं और दूसरों को जो सही भाव पर लेना चाहते हैं नहीं देते हैं। अपने ठेकेदारों को घर पर ही बुलाकर देते हैं और दूसरे जो ज्यादा पैसा आफर करते हैं उनको नहीं देते हैं। आपकी सरकार सुनती नहीं है आप सुनते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि किसान की पहले आप सुरक्षा की व्यवस्था करें जो बेचारा गन्ना पैदा करता है। आपने तो उसके हाथ में खोई ही दे रखी है। किसान को गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए चालीस रुपया प्रति क्विंटल लेकिन आप उतना भी नहीं देते हैं जितना आप दे रहे हैं। उतना तो उसको मिल जाना चाहिए और उतना तो उसको दिलाने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। क्रय केन्द्रों पर आपके अधिकारी तेरह रुपये क्विंटल के हिसाब से लेते हैं और जो नहीं देना चाहता है उनकी चार चार दिन तक लाइन लगवाई जाती है और उनको खड़े रखा जाता है। बैलगाड़ी खुले आकाश में खड़ी रहे, बैल खुले आकाश में खड़े रहे, ओला, बरसात पानी में खड़े रहे, उनका चार चार दिन तक गन्ना नहीं तोला जाता है। उनको कहा जाता है कि तेरह रुपये में तोलना हो तोल दो वर्ना लाइन में खड़े रहो फर्जी पर्चियां बना कर उनको दे दी जाती हैं और ऊंची कीमत ले ली जाती है। किसान को तेरह रुपये ही देते हैं। किसानों ने जिलाधीश को कहा कि हम पकड़वाते हैं लेकिन जिलाधीश कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बदायूं, बरेली इत्यादि में जाकर आप देख लें क्या धांधलियां हो रही हैं। आप में साहस नहीं है कि इसकी आप उच्च स्तरीय जांच करवा सकें। वहां के अधिकारियों से ही आप कराते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई वाली यह बात होती है। वे सारी बातों को छिपाकर रख लेते हैं। मैं मांग करता हूं कि सही मूल्य किसान को दिलाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कारखानों को गन्ना किसान को आप दे देवें और वह चला लेगा। सारी मिलों का राष्ट्रीकरण कर दें, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। गन्ने को आज राजनीति में घसीटा जाता है। देश की राजनीति गन्ने के बल पर चलाने की कोशिश की जाती है। माननीय डागा जी ने कहा कि राजनीति का उस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। यह ठीक बात है। गन्ना मिल मालिकों को डराया जाएगा, उनसे पैसा वसूल किया जाएगा तो किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

आप फंड बना रहे हैं। इससे एक नई परम्परा पड़ जाएगी। जो कारखाने सही काम कर रहे हैं, ठीक तरह से चल रहे हैं वे भी कहेंगे कि पैसा लेना है, लिहाजा कारखाने को बीमार करो। अब तक तो फर्जी बीमारी के सर्टीफिकेट बना करते थे अब ये कारखाने भी यही काम करने लगेंगे। ये नुकसान दिखाना शुरू कर देंगे। इस वास्ते मैं मांग करता हूं कि चीनी उद्योग का आप राष्ट्रीय-

करण करें। साथ ही ऐसी शक्तिशाली कमेटी बनाएं जो जगह जगह जाकर जांच पड़ताल कर सके जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। गन्ना खड़ा है फिर इसको क्यों नही पेरा जा रहा है, इसकी जांच कर सके। किसान कहां उस गन्ने को ले जायेगा ? उसे दूसरी फसल बोनी है। ट्रांसपोर्ट और तुलाई आदि में धांधली की जाती है। ऐसा काम आप करें ताकि किसान का हित हो सके, गन्ना किसान बच सके, उसका हित हो सकें।

आप रुग्ण मिलों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान ज्यादा रुग्ण है। सही मूल्य की बात कौन कहे ? उसको तो मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता है। यही हालत रही तो उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान बहुत जल्दी आन्दोलन तोड़ देगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे। बेचारे किसान का गन्ने का पैसा पांच-पांच साल से बकाया पड़ा हुआ है, वह उसको मिल नहीं रहा है। यह कहा जाता है कि हम हिसाब बना रहे हैं। वह पैसा कहां चला गया है। यह ठीक नहीं है। उनको बकाया राशि का भुगतान होना चाहिए।

गन्ना किसान जो इतना पैसा टैक्सों का देता है और इतना ज्यादा आपको उससे लाभ होता है और जहां अच्छी गन्ने की फसल होती है वहां उन गन्ना किसानों के लिए ट्यूबवैल्ज, नल. कूप बनाने में वरीयता दी जानी चाहिए। आज उसकी खुली लूट हो रही है। जब टेंडर होता है जब पर्चियां पड़ती हैं तो उसमें भी बहुत धांधली होती है। ट्रक वालों की, ट्राली वालों की पड़ जाती है और बैलगाड़ी वालों को नहीं पड़ती हैं। बैलगाड़ी वालों को कहा जाता है कि आज तुलाई नहीं होगी। कल भी नहीं होगी। जब वे कारण पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि कम पेर रहे हैं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : ठोस सुझाव दें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जो हालत चल रही है उससे ज्यादा दुखदायी स्थिति किसान की और कोई नहीं हो सकती है। आपको चाहिए कि जो तोलने की मशीनें हैं उनकी आप फौरन जांच करवाएं। जो इंजीनियर वगैरह आपके लगे हुए हैं, उन पर आप खास तौर से नजर रखें। नब्बे प्रतिशत तोल की मशीनों में गड़बड़ी है और किसानों की जेब काटी जाती है। क्रशर मालिकों के ऊपर आप कीमत तय करें। अभी मनमाने ढंग से वह कम पैसा देते हैं। क्या आपने प्राइवेट क्रशर्स मालिकों पेरकाई पाबन्दी लगायी है ताकि किसानों का शोषण न कर सकें ? किसानों का गन्ना 10 या 12 रु० क्विंटल खरीद सकें ? जहां जहां किसानों की शिकायतें चल रही हैं, चाहे सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि तुरन्त सरकार की ओर से उनकी जांच की जाये और जहां लाखों रुपये की धांधली है, जैसे शेखूपुर शुगर मिल्स, वहां सी० बी० आई० से आप जांच कराकर संबंधित लोगों को दंडित करें। इतना ही कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, यह प्रशंसनीय है।

सभापति महोदय : आपने 4 बजकर 20 मिनट पर शुरू किया।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : ये कहते हैं कि मुझे 4 बजकर 20 मिनट पर समाप्त करना है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मैंने कहा है कि आपने 4 बजकर 20 मिनट पर शुरू किया है।

श्री चित्त बसु : मैंने 4 बजकर 20 मिनट पर शुरू किया लेकिन मैं '420' नहीं हूं।

विधेयक के 4 उद्देश्य हैं। ये हैं : उद्देश्य चीनी कारखानों को पुनः ठीक स्थिति में लाना। उन्हें आधुनिक बनाना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और गन्ने के विकास को प्रोत्साहन देना। जहां तक इन चार उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस सभा में इस बारे में किसी भी सदस्य की कोई और राय नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री चित्त बसु : लेकिन प्रश्न यह है : क्या इस विधेयक में इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु किसी साधन की व्यवस्था की गयी है ? यदि उस प्रश्न को पूछा जाये तो मुझे खेद है कि, यद्यपि हम एक 'मीठे' विषय अर्थात चीनी पर विचार कर रहे हैं, मेरा उत्तर कड़वा ही होगा, केवल शब्दों में ही नहीं विषय-वस्तु में भी। मैं विषय पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इन सब बातों की मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी है—कि चीनी उद्योग के संकटग्रस्त होने का बुनियादी कारण क्या है।

चीनी उद्योग देश के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। यह कृषि पर आधारित उद्योग है और हमारे देश के लोग चाहते हैं कि यह उद्योग और अधिक समृद्ध हो। इसकी समृद्धि के साथ देश के किसानों तथा समाज के अन्य वर्गों की समृद्धि जुड़ी है। कुल मिलाकर बात यह है और मैं पूरे जोर के साथ कहता हूं कि मन्त्री महोदय ने इस बुनियादी तथ्य को छिपाया है, जिसके कारण उद्योग संकटग्रस्त हुआ तथा चीनी कारखानों के मालिकों ने अपने कुप्रबन्ध द्वारा कदाचार किये हैं। कोई चीनी कारखाना संकटग्रस्त तो हो जाता है लेकिन उसका मालिक कभी भी गरीब नहीं बनता। कारखाना जितना अधिक संकटग्रस्त होगा उतनी ही अधिक सम्पत्ति मालिक बटोरेगा। यह बात परस्पर विरोधी है। इसका कारण यह है कि उन्होंने चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण में तथा नई प्रौद्योगिकी लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है। इसके विपरीत उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कमाये गये गैरकानूनी धन को उद्योग के अन्य क्षेत्रों में लगाया है। इसे हमारी आर्थिक शब्दावली में 'पूंजी का बहना'···कहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : और इसे वे एश्वर्य पर खर्च करते हैं।

श्री चित्त बसु : ···और ऐशो-आराम पर खर्च द्वारा बरबाद करते हैं और कार्य-कार्य··· प्रो० रंगा, आप अनुभवी हैं, आप जानते हैं—चुनावों के लिये आपके दल को बहुत बड़े दान के रूप में भी पैसा देते है।

वास्तव में, चीनी उद्योग उन उद्योगों में से एक उद्योग है जिसमें काला धन बनता है। यह उद्योग न केवल चीनी बनाता है, बल्कि काला धन भी बनाता है। काला धन पैदा होने के साथ भ्रष्टाचार पैदा होता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार पैदा होने से अधिकारी वर्ग में हमारे सामाजिक जीवन के सामने एक अभूतपूर्व भ्रष्टाचार पनपता है। **(व्यवधान)**

आप मुझे इन सब बातों के कहने के लिये उत्तेजित न करें।

बुनियादी समस्या यह है कि आप पूंजी के इस बहाव को कैसे रोक सकते हैं ? आप चीनी कारखानों के मालिकों के कदाचारों तथा कुप्रबन्धों को कैसे रोक सकते हैं ?

मैं आधुनिकीकरण चाहता हूं। हर व्यक्ति इसे चाहता है। आधुनिकीकरण द्वारा हम देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके द्वारा हम उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी दे सकते हैं। इसके द्वारा हम निर्यात में भी वृद्धि कर सकते हैं और निर्यात में वृद्धि से हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अतः यह प्रश्न केवल कुछ उपकर लगाने का ही नहीं है, पैसा इकट्ठा करने का नहीं है और पैसा बांटने का नहीं है। प्रत्येक प्रश्न हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने सामने देश के व्यापक आर्थिक हित को रखते हैं तो मेरा आपसे तथा विशेषकर कांग्रेस (आई) के सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे इस बात का समर्थन करें कि राष्ट्रीयकरण ही इसका एकमात्र रास्ता है। मैं केवल···

सभापति महोदय : मैं आशा कर रहा था कि आप आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर बोलेंगे। बेशक आप खोई से कागज बना सकते हैं और शीरे से अलकोहल बना सकते हैं। गुंडुराव समिति में इन सब बातों का उल्लेख है।

श्री चित्त बसु : दूसरी ओर विधेयक में चीनी कारखानों के मालिकों को किसी न किसी बहाने से अधिक पैसा कमाने के लिये और अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जबकि आवश्यकता इस बात का ध्यान रखने की है कि आधुनिकीकरण का व्यय सरकार के तत्वाधान में ही हो। सरकार कारखानों के मालिकों को अधिक देना चाहती है ताकि वे अधिक देना चाहती है ताकि ये अधिक काला धन कमा सकें और कुप्रबन्ध कर सकें।

गन्ने का विकास एक पहलू है। गन्ने के विकास के साथ उत्पादकों का भाग्य भी जुड़ा है। उत्पादकों का भाग्य क्या है ? उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। कई बार मैंने इसका जिक्र किया है और अब इसके लिये मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

सरकार द्वारा लिया गया निर्णय परस्पर विरोधी है। एक निर्णय कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित कानूनी मूल्य है। फिर कृषि मंत्री आकर कहते हैं—"मूल्य सलाह के अनुसार होने चाहिए, जिसकी सलाह प्रधान मंत्री ने दी हो।"

अतः किसानों के लिए एक मूल्य वह है जिसे कृषि मूल्य आयोग निश्चित करता है। एक दूसरा मूल्य वह है जिसे सलाह के अनुसार निश्चित किया जाता है, जिसकी सलाह प्रधान मंत्री ने दी हो। सलाह वाले मूल्य की श्रेणी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 21.50 रुपये, और बिहार को 20 रुपये मिलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शायद यह 20 रुपये अथवा 21 रुपये के करीब है। यह क्या मजाक है : आप 13 रुपये कृषि मूल्य आयोग के अनुसार निश्चित करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार दी गई सलाह के अनुसार मूल्य निश्चित करें। वह सलाह वाला मूल्य एक स्रोत की सलाह के अनुसार नहीं होता।

महोदय, सुझाए गए मूल्य बहुपक्षी हैं और इसलिए किसानों को यह जानकारी नहीं है कि वास्तव में उनके भाग्य में क्या बंधा है। अतः सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वैधानिक मूल्यों और सुझाए गए मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। मूल्य एक प्रकार के होने चाहिए जो हमारे देश के उत्पादकों के लिए लाभकारी और उचित हों। अन्य कोई मूल्य नहीं होने चाहिए। ये मूल्य किसानों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें ये कीमतें मिलें।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप कारखानों को सहायता प्रदान करना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : गन्ने के उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, वह इससे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि इस वर्ष 1981-82 में गन्ने का 1800 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। मेरे कुछ मित्रों ने मेरे विचार से श्री रावत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जहां मैं हाल ही में गया था, किसान अपने गन्ने के उत्पादन को नहीं बेच सके। अतः अब फालतू उत्पादन हो गया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हू कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कई चीनी मिलों ने पिराई बन्द कर दी है ? कई भागों मे उन्होंने पिराई बन्द कर दी है या बन्द करने वाली हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री चित्त बसु : ठीक है। यदि उन्होंने बन्द नहीं की है तो यह और भी अच्छी बात है। परन्तु वे जल्दी ही पिराई बन्द करने वाले हैं। आप उन्हें बताइये, मार्गदर्शन कीजिए और निर्देश दीजिए कि पिराई खतम होने से पहले वे सारे गन्ने का उपयोग करें। परन्तु यदि आप उन्हें आश्वासन दें तो···।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप चिन्ता न करें।

श्री चित्त बसु : ठीक है। खड़े होकर कहिए। और कृपया यह भी कहिए कि क्या आप पिराई का काम जारी रखने के लिए उन्हें कुछ और रियायतें देने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : निस्सन्देह।

श्री चित्त बसु : अब भेद खुल गया है। जहां आप यह प्रस्ताव करते हैं कि पिराई जारी रहेगी और मिलें गन्ना लेती रहेंगी, वहीं आप यह भी कहते हैं कि उन्हें और अधिक राहत या रियायतें मिलती रहनी चाहिए। महोदय चीनी मिल मालिकों को एक ओर रियायत दी जा रही है। अतः उससे मूल्य में और वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं के कष्ट और बढ़ेंगे। वह उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप चाहते हैं कि वे बन्द कर दें ?

श्री चित्त बसु : मैं तो यह अवश्य चाहता हूं कि वे पिराई जारी रखें और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले। मैं यह भी चाहता हूं कि चीनी मिल मालिकों को अतिरिक्त लाभ न मिले क्योंकि वे कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। यह उद्योग है। यह उनकी कृपा नहीं है हम उनकी

दया पर जिन्दा नहीं हैं। आप उनकी दया पर हो सकते हैं। परन्तु हम विपक्ष वाले उनकी दया पर नहीं हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्योंकि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है।

श्री चित बसु : अन्तिम मुद्दा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अब सरकार कहती है, चीनी का बहुत उत्पादन हुआ है।

(व्यवधान)

मौजूदा वर्ष में गन्ने का कुल उत्पादन 67 से 68 लाख टन के आसपास हुआ है। पिछले वर्ष का शेष 9.94 टन या 10 लाख टन बचा हुआ था। आज देश में चीनी की कुल उपलब्ध मात्रा 76.94 या 77 लाख टन हुई है। उपभोग की मात्रा लगभग 57 लाख टन है। शेष 20 लाख टन फालतू है। इतनी अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध होने के बावजूद चीनी मूल्य नीचे क्यों नहीं आते ? क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि सरकार को लेवी चीनी की मात्रा बढ़ाने का नीति निर्णय लेना चाहिए ताकि मूल्यों में कमी लाई जा सके। जहां देश में लगभग 20 लाख टन का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और अब हमारे पास आवश्यकता से अधिक मात्रा है, सरकार को बफर स्टाक रखने पर विचार कर रही है। मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं। बफर स्टाक बनाने का क्या तरीका है ? किस कीमत पर बनाया जाएगा ? वे कैसे खरीद करेंगे ? क्या सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी कि क्या वह 6 लाख टन का बफर स्टाक बनाना चाहते हैं। खरीदने का क्या तरीका है ? इसका मूल्य क्या होगा और वह किस मूल्य पर उपभोक्ता को बेचेंगे ? अन्तिम मुद्दे पर आते हुए···

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अन्तिम मुद्दा रसपूर्ण होना चाहिए। हम चीनी पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री चित बसु : यह बहुत ही रसपूर्ण मुद्दा है। बहुत ही मीठा, परन्तु उन्हें कड़वा लगेगा। मैं इसे बहुत ही मीठा बनाना चाहता हूं परन्तु उन्हें यह कड़वा लगेगा क्योंकि यह सच है।

अब सरकार चीनी का निर्यात करना चाहती है। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन भारत को विशेष कोटा देने के लिए तैयार हो गया है। यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय—मेरे माननीय मित्र वाणिज्य मन्त्री यहां मौजूद हैं—ने चीनी निर्यात की संभावनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया है। वे अस्थायी तौर पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस वर्ष की 6 लाख टन चीनी का विदेशों को निर्यात किया जा सकता है। चीनी निर्यात किस मूल्य पर किया जाएगा ? इस समय चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 3300 से 3400 रुपए प्रति टन है जबकि देश में 5100 रुपये प्रतिटन है। वाणिज्य मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक टन चीनी का निर्यात करने से 1700 रुपए आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। यह बात मिठासपूर्ण है या कड़वी ? इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ। देश से 6 लाख टन चीनी का निर्यात करने से हमें आर्थिक सहायता के रूप में कुल 85 करोड़ रुपए की हानि होगी। यह गणना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई है। मेरे विचार में यह मिठासपूर्ण नहीं है। यह बहुत ही कड़वी बात है क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं को देश में हमारे द्वारा उत्पादित, हमारे देश के किसानों द्वारा अपने खून और पसीने से पैदा की गई चीनी के लिए अधिक कीमत देनी पड़ती है। और हम अब 1700 रुपए प्रतिटन पर आर्थिक सहायता देकर इसका निर्यात करने जा रहे हैं। अतः यह मीठी बात न होकर कड़वी बात है।

मुझे आशा है कि सरकार इस बात को समझेगी। कि वह जिस नीति का पालन करने जा रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी नीति है। उनकी नीति यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि चीनी मिलों का समुचित रूप से पुनर्वास किया जाए और प्रभावी आधुनिकीकरण किया जाए। उन्हें गन्ने के विकास पर अधिक खर्च करके और किसानों के विशाल समुदाय को सन्तुष्ट करके गन्ने उत्पादकों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। केवल इसी से सरकार बच सकती है अन्यथा गिर जाएगी।

माननीय चेयरमैन साहब, बहुत से साथियों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, इस विधायक के ऊपर।

एक माननीय सदस्य : विधेयक के ऊपर।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं हिन्दी नहीं बोल सकता हूँ, आज पहली बार हिन्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता आपसे सीख लूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत से साथियों ने हमारी जानिब से बहस में हिस्सा लिया, वे माननीय मेम्बर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक शुगर-इण्डस्ट्री से है, वे खुद फार्मर्स हैं, जैसे प्रो० रंगा, विखे पाटिल साहब, हमारी बहन श्रीमती कृष्णा साही, जमीलुर्रहमान साहब, हरीश रावत जी—इन सब साहबान ने जो बातें कहीं वे इनके अनुभव की हैं। अब जहां तक डागा साहब का ताल्लुक है—वह वकील हैं, तनकी निकालना उनका रात-दिन का काम है। वह कोई भी मुकद्दमा हो उसमें कुछ न कुछ ईशूज ढूंढ लेते हैं। डागा साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनकी आशंका को दूर कर दूंगा, उनको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है···

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अक्सर होती है।

एक माननीय सदस्य : बहुत सीधे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कब कह रहा हूं कि सीधे-सादे नहीं हैं। देखने में बड़े भोले-भाले हैं। बहुत से मेम्बर्स ने उधर से भी अपनी राय जाहिर की है। चित्त बसु साहब ने तो अपना मुंह आप ही कड़वा कर लिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सुधीर गिरि साहब सबसे पहले बोले थे, प्रो० अजीत मेहता साहब, मुरगैयन साहब बोले, कश्यप साहब बोले, बहुत से लोगों ने अपोजीशन से हिस्सा लिया लेकिन उन सबसे एक बात यह निकली कि हमारा मकसद बहुत अच्छा है। लेकिन उन सबने एक शंका जाहिर की कि उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पायेंगे···

श्री चित्त बसु : करना भी नहीं चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : चुनाव घोषणा बहुत स्पष्ट है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें इनकी तसल्ली नहीं है, इतमिनान नहीं है, इनको शक है कि हम पूरा नहीं कर पायेंगे। असल में वे सरकार की काबलियत को अपने से नापते हैं। जो मकसद हमने अपने सामने रखा है, हम जानते हैं उसको कैसे पूरा करना है। आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर हमारा ध्यान है, ये सारी बातें पहले से हमारी निगाह में आ चुकी हैं और आज जो खदशात और

खतरे आपने बताये हैं हम उनसे बे-वेहरा नहीं हैं, उनके इलाज भी हमारे पास हैं। जिस चीज को लेकर आज हम आपके सामने आये हैं, उसकी जरूरत थी यह तो आपने माना है। शुगर इण्डस्ट्री हमारे देश की बहुत अहम इण्डस्ट्री है। किसानों का भविष्य और खुशहाली इसके ऊपर निर्भर हैं —यह भी सबको मालूम है और इस वक्त सबसे बड़ी एग्रो-इण्डस्ट्री अगर देश की गिनी जाये तो पहले नम्बर पर शुगर इण्डस्ट्री है, उसके बाद टैक्सटाइल का नम्बर आता है, बाकी इण्डस्ट्रीज में किसान का इतना माल नहीं खपता है। नैशनेलाइजेशन की बात की जाती है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जिनको ख्वाब में भी वही नजर आता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपकी पार्टी वाले भी यह चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अपनी पार्टी वालों को हम समझायेंगे, तो वे समझ जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार विधान सभा और उत्तर प्रदेश के विधान सभा ने एक मत से प्रस्ताव पास किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीयकरण के लिए प्रस्ताव पास किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इसको मानता हूं। हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं। श्री चन्द्रजीत यादव को याद होगा कि वे पहले किस पार्टी में थे।

श्री चन्द्रजीत यादव : कांग्रेस पार्टी का रेजोलूशन हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी पार्टी के अन्दर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इसको चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं बार-बार बता चुका हूं कि जहां तक शूगर इण्डस्ट्री का ताल्लुक है, यह करीब-करीब ऐसा ही है जैसे नेशनेलाइज हो गई हो। 56 फीसदी शूगर आज को आपरेटिव शूगर फैक्टरियों में पैदा होती है। आयन्दा के लिए हमने तय किया है कि हम इनको तरजीह देंगे। कोआपरेटिव शूगर मिल्स को लाइसेन्स के बारे में तरजीह दी जाएगी। साथ ही आज भी 50 पर सेन्ट से ज्यादा ऐसी कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज हैं, जिनके एक्सपेंशन के लिए हमने प्रोवाइड किया है, शूगर इंडस्ट्री के लिए अभी हमने गुंजाइश रखी है लेकिन उसमें भी जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हमने यह तय किया है कि अगर रूरल डेवलपमेंट में कोई प्राइवेट इण्डस्ट्री शूगर की, खास दिलचस्पी नहीं लेती है, तो हम उसके एक्सपेंशन को जल्दी से मजूर नहीं करेंगे क्योंकि हम यह चाहते हैं कि गांवों का नक्शा बदले। शूगर इण्डस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ-साथ गांवों में सड़कें बनें और गांवों के अन्दर भी और सहूलियतें मुहय्या हों और किसानों को अच्छे भाव मिलें। इससे उनकी हालत अपने आप बेहतर होगी। वहां पर एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स खुलेंगी, अस्पताल खुलेंगे। बहुत सी शूगर फैक्टरीज ने तो यह शुरू भी कर दिया है और खास तौर पर कोआपरेटिव सेक्टर में शूगर फैक्टरीज ने यह किया है। मैंने महाराष्ट्र में जाकर देखा और श्री विखे पाटिल के साथ मैं गया और मैंने देखा कि वहां पर उन्होंने कालेज खोले हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं और दूसरे ऐसे काम किये हैं। इसी तरीके से हम प्राइवेट इण्डस्ट्री से भी उम्मीद कर सकते हैं।

इसके अलावा जो इण्डस्ट्री बीमार होती है, जो मिल सिक होता है, उसको सरकार ने अपने हाथ में लेने के लिए कानून बना रखे हैं। इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत भी हम उनको ले सकते हैं और हमारा शूगर इण्डस्ट्री टेक-ओवर आफ मैनेजमेंट एक्ट भी है, जिसके तहत हमने 8 फैक्टरियां ली हुई हैं। यह भी आप जानते हैं कि तीन साल की अवधि उनको अपने हाथ में रखने के लिए रखी है लेकिन तीन साल पूरा होने के बाद हमने उनको वापस नहीं किया। हमने तीन साल की मियाद और बढ़ा दी है। अब यह पालिसी करीब-करीब वैसी ही है जैसी आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इण्डस्ट्री को खुली छूट न दी जाए। आप मांग करते है कि क्रशिंग देर तक होनी चाहिए और कोई गन्ना खेतों में बाकी न रहे। उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फैक्टरीज को चलवा सकते हैं। आप लोगों ने मालूम नहीं कहां से इत्तिला हासिल कर ली कि बहुत सी फैक्टरीज बन्द हो गई हैं। चित्त बसु साहब ने इस बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल इस वक्त 200 कुछ फैक्टरीज चल रही थीं। 323 के करीब उनकी तादाद थी। मेरी इत्तिला के मुताबिक 323 में से कोई 315 फैक्टरीज अभी चल रही हैं और धड़ाधड़ गन्ना पेरा जा रहा है लेकिन गन्ना मई के आखीर तक या जून के कुछ अर्से में अगर कुछ गन्ना पेरना पड़ा, तो उस वक्त तक कुछ गन्ना सूख सकता है और रिकवरी कम हो जाएगी। उसके लिए हमें फैक्टरीज को कुछ इन्सेंटिव देना पड़ता है और इसके लिए हम सोच रहे हैं। क्रशिंग के लिए इन्सेंटिव देने की बात कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी यह किया था और हमारी इस नीति की वजह से यह हुआ है कि 38 लाख टन की पैदावार जहां आपने छोड़ी थी, आज हम 70 लाख टन तक ले जाने में कामयाब हुए हैं और यह हमारी शूगर पालिसी की वजह से हुआ है।

श्री भगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब प्रोडक्शन कम था, तो लोगों को चीनी सस्ते दामों में मिली।

राव बीरेन्द्र सिंह : तभी पटरा कर दिया था आपकी सरकार ने। हमारी पालिसी को बदल दिया था और चीनी का डी-कन्ट्रोल कर दिया था लेकिन फिर वापस आ गये थे वहीं पर, जो हमने किया था। उस चीज को क्यों अपनाया, यह सारी चीज समझ से ताल्लुक रखती है। बैलेंस पालिसी को भी रखना पड़ता है और बैलेंस दिमाग को भी रखना पड़ता है।...(व्यवधान)...खाली बात करने से काम नहीं बनता। हमने करके दिखाया है।

चेयरमैन साहब, एक एतराज यह भी किया गया कि दो बिल क्यों लाए ? एक बिल तो मनी बिल है पैसा वसूल करने के लिए और दूसरा बिल है, उसको खर्च करने के लिए, एप्रोप्रियेशन के लिए और स्पीकर साहब की इस बारे में रूलिंग है इस हाऊस के अन्दर, और इस तरह के बिल अलग-अलग लाने चाहिए। स्पीकर साहब की रूलिंग का एहतराम करते हुए सरकार ये बिल अलग-अलग लायी है। अब हम आपका एतराज कैसे मान लें ? जब हाउस में यह रूलिंग दी जा चुकी है तो फिर हम कैसे एक बिल लाते ? वरना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

कुछ सवाल डागा साहब ने खड़े कर दिये कि इस पर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका कंट्रोल कम किया जा रहा है, अफसर पालिसी बनायेंगे और चलायेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने यह बात कहां से निकाल ली। मैं डागा साहब को बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में पालिसी सरकार की चलती है, पालिसी हम बनायेंगे, पालिसी बिल में नहीं हुआ

करती है । यह डेमोक्रेसी का तरीका है कि पालिसी पोलिटिशियंस तय करते हैं । पालिसी सरकार की होती है और अफसर उसे चलाते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : पालिसी संसद बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट सरकार करती है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पालिसी गाईड लाइंस बिल में नहीं लायी जाती हैं । सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जो रूल बनाये उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करे । वे पेश होंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह सारा ब्यौरा विधेयक में नहीं दे सकते । ब्यौरा नियमों में दिया जाएगा जो सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर आप चाहें तो उन रूल्स में तब्दीली कर सकते हैं । पार्लियामेंट चाहे तो रूल्स तब्दीली कर सकती है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सभा की एक समिति है ।

श्री मूलचन्द डागा : नियमों को अवश्य ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : विधेयक में इसका प्रावधान है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात आपने कही कि अकाउन्टेंट जनरल द्वारा आडिट होना चाहिए और पार्लियामेंट के सामने हिसाब आना चाहिए । जब यह पैसा सरकार वसूल कर रही है तो वह कंसोलिडेटिड फण्ड में जाएगा और जो भी पैसा कंसोलिडेटिड फण्ड से एप्रोप्रियेट किया जाता है उसके लिए पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ती है । जिस तरह से और पैसे के एप्रोप्रियेशन के लिए फाइनेंस बिल में व्यवस्था की जाती है उसी तरह से इसकी भी व्यवस्था होगी । सरकार के और रुपये का जैसे हिसाब-किताब होता है, वैसे ही इस रुपये का भी होगा । जैसे पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और हिसाब-किताब को देखती है, वैसे ही इसको भी देखेगी । फिर यह कैसे समझ लिया गया कि पार्लियामेंट को बताया ही नहीं जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जब से आपने बातें कहीं हैं तब से मैं सोच ही रहा हूं ।

मैं सारे आनरेबल मैम्बर्स की अलग-अलग बातों का जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि काफी वक्त पहले ही ले लिया गया है । लेकिन जो मोटी-मोटी बातें कही गयी हैं, उनमें बहुत-सी बातें तो कामन हैं । कुछ हमारे आनरेबल मेम्बर समझे नहीं हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा । कुछ समझते हैं ।

सभापति महोदय : कुछ ऐसे भी हैं जो समझ कर भी नहीं समझते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी चित्त बसु साहब कह रहे थे कि शुगर टेस्टलेस है, उसमें कोई सुगन्ध नहीं है । अब जिनकी सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति जाती रहे तो उसके साथ तो मेरी हमदर्दी है ।

श्री चित्तबसु : मैं यह कह रहा था कि सप्लाई की गई चीनी स्वादरहित, गन्धरहित, और नकली है ।

सभापति महोदय : परन्तु मजाक तो मीठा है ।

श्री चित्त बसु : चीनी सामान्यत: मीठी होती है । परन्तु कठिनाई तो यह है कि सप्लाई की गई चीनी कड़वी है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ आनरेबल मेम्बर्स ने कहा कि यह पैसा जो वसूल किया जाए उसका पूरा का पूरा फायदा शुगरकेन ग्रोअर्स को पहुंचना चाहिए, मिलों में काम करने वाले वर्कर्स को पहुंचना चाहिए । जो एरियर्स बकाया है उनके भुगतान पर खर्च होना चाहिए, वर्कर्स को तनख्वाहें वक्त पर मिलें, इस पर खर्च होना चाहिए, शूगरकेन की रिसर्च और डवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए । मशीनरी अच्छी लगायी जाए और जो शूगर से दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं । उनको भी पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च किया जाए । ये सारी बातें हमने अपने आब्जेक्ट्स में रखी हैं । जब तक सुगर फैक्ट्री अच्छी नहीं चलेगी, उनका प्रोफिट ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक ज्यादा केन क्रेश नहीं हो सकता, क्रेशिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो सकती । कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज होगी तो किसान को फायदा पहुंचेगा । फैक्ट्री का हिसाब-किताब अच्छा होगा तो किसान को फायदा पहुंचेगा, उसको ज्यादा कीमत दी जा सकेगी । सिक मिल किसान को ज्यादा पैसा नहीं दे सकती ।

ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं । इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता । अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा, फार्मर को फायदा पहुंचेगा । जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप सुगर केन की कीमत ज्यादा मिलेगी । इस तरह से इन बातों पर आपको शक नहीं करना चाहिए ।

कुछ सम्माननीय सदस्यों ने शक जाहिर किया है कि जो पैसा सरकार वसूल करेगी, जरूरी नहीं है कि इस पैसे को इसी परपज के लिए खर्च किया जाए । बिल के अन्दर साफ तौर पर यह रखा गया है, यह इशारा है इस बिल के अन्दर कि जो पैसा कंसालिडेटेड फण्ड में जाएगा । उसके एप्रोप्रिएशन की इजाजत पार्लियामेंट देगी और इसके बाद इसे खर्च किया जाएगा । इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए कि यह पैसा उसी काम के लिए खर्च किया जाएगा, जिस काम के लिए जमा किया जा रहा है । इसके अन्दर कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बात की खास एहतियात रखी जाएगी । दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, उनके कानूनों में क्या है, इससे अन्दाजा न लगाएं । बिल आपके सामने है आप गौर से इसको पढ़े तो आपको तसल्ली हो जाएगी ।

एरियर्स बहुत बढ़ रहे हैं । जब डिसकशन हुआ तो सुगर पालिसी की सारी बातें हाउस में कही गई और आनरेबल मेंबर्स का हक था । कुछ बातें हमको पता लगीं, जिनकी हम जांच करेंगे । कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी सफाई हम कर सकते हैं । जिस वक्त सुगर सीजन शुरू हुआ तो आपको जानकर खुशी होगी कि एरियर्स सिर्फ एक फीसदी बाकी था । इतना कम एरियर्स कभी नहीं रहा । अब सीजन चल रहा है, सुगर केन काफी क्रेश हो रहा है और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब के

मुताबिक उनको फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस से एसिसटेंस मिलती है वह इतनी काफी नहीं है कि साथ-साथ निपटारा किया जा सके। इसके बारे में हमने पिछली बार भी जिक्र किया था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी बात है। हम विचार कर रहे हैं कि बैंकों से उनको और ज्यादा पैसा दिया जा सके ताकि वे साथ-साथ एरियर्स दे सकें। इस तरह से हमारी कोशिश है कि एरियर्स न बढ़ने दिया जाए। जो मिलें एरियर साफ नहीं करता हैं, उनके लिए हमारे पास तरीका मोजूद है। आपने खुद बताया है कि नोटिस दे दिए हैं गये। अगर वे मिलें भुगतान नहीं करती हैं तो उनको टेकओवर किया जाता है। आपने बार-बार शक जाहिर किया है कि इससे पूंजीपति की सहायता होती है, एरियर्स का भुगतान हो जाता है और मिल फिर उनको वापिस दे दी जाती है। कहां हमने वापिस की हैं। अभी तो 3 साल के लिए फिर रख ली हैं और यह भी कह दिया है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यह न समझे कि अगर मिल बीमार हो जाएगी तो सरकार उसको तन्दरुस्त करके फिर जल्दी से वापिस कर देगी। सरकार मेहनत करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसकी नर्सिंग करेगी तो सरकार उसको अपने पास ही रखना चाहेगी। जल्दी से उनके हाथ में वापिस नहीं देना चाहेगी। तो यही तरीका है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप उनका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : नेशनलाइजेशन की पालिसी के बारे में बार-बार इस हाउस में बताया जा चुका है कि हम दोनों चीजों को साथ-साथ रखना चाहते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में भी कहा।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

प्राइवेट सैक्टर को हम बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते हैं। अगर हम सी० पी० एम० की पालिसी के ऊपर चलने लगें तो आपकी पार्टी और हमारी पार्टी में क्या फर्क हुआ ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहुत है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम इसको रखना चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सच है कि आपकी नीति निजी क्षेत्र की कुशलता का उपयोग करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता मे वृद्धि करने की है परन्तु जहां निजी क्षेत्र अपनी कार्य-कुशलता में सुधार लाने में असफल रहा है और जहां आपको इनके रुग्ण होने के कारण अपने हाथ में लेने जा रहे हैं तो आप उन्हें वापस क्यों करते हैं ? आप उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत सी इन्डट्रीज का नेशनलाइजेशन दिन-ब-दिन होता है। आपको यह भी मालूम है। शुगर में ही नहीं दूसरी इन्डस्ट्रीज में भी यह होता है। काफी मिलों को हम ले चुके हैं। सिक मिलों का हमने नेशनलाइजेशन किया है। जहां तह शुगर मिल्ज का नेशनलाइजेशन करने की बात चली है। कुछ का कर लिया गया। सारी इन्डस्ट्री का नेशनलाइजेशन इकट्ठा हम नहीं कर रहे हैं। इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जहां जरूरत होगी और

पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, वहां मिलों का नेशनलाइजेशन कर लिया जाएगा। जहां ठीक काम चल रहा है, फार्मर्ज की मदद हो रही है, इन्डस्ट्री बढ़ रही है वहां हम इन्डस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे मन्त्री महोदय समझने से इन्कार कर रहे हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं जिन रुग्ण उद्योगों का आप वित्तपोषण कर रहे है, उनका आप राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ?

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि खंडसारी के ऊपर भी सैस होना चाहिये। मैं मुख्तसिर में इतना ही कह सकता हूं कि यह स्टेट सैक्टर में आती है। खंडसारी के डिवेलेपमेंट के लिए सैस लगाया जाए या और कोई इकदामात किए जाएं यह स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दखल देना नहीं चाहती है।

यहां यह भी कहा गया है कि गुड़ और खंडसारी वाले गन्ने की कम कीमत दे रहे हैं। इसका हमें एहसास है। पिछली बार भी हाउस में बात हुई थी। स्पीकर साहब ने भी कुछ आब्जैजवेशंज किए थे। मैंने माना था कि गुड़ की कीमत भी ज्यादा नहीं गिरने दी जानी चाहिये। इसके लिए भी हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ गुड़ का एक्सपोर्ट भी किया जाए अगर हो सके तो दूसरी तरीके भी हम सोचेंगे। गुड़ ऐसी चीज है जिसको हम रख नहीं सकते हैं गोदामों में ज्यादा अर्से तक। इसलिए हम स्टेट एजेन्सी को, सरकार की एजेन्सी को इसकी खरीद में डाल रहे है···

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपने अच्छी बात कही है कि गुड़ की कीमत हम गिरने नहीं देंगे और एक्सपोर्ट की बात भी हम सोच रहे हैं। लेकिन आज की हालत को आप देखें। गुड़ दो रुपया किलो इस वक्त किसान का बिक रहा है और यह उसके लिए घाटे का सौदा है। मैं यह जानना चाहता हू कि इस वक्त आप क्या करने जा रहे हैं ?

बुलन्दशहर के कुछ लोग मिले थे। वहां सल्फर प्लांट्स हैं। वे इस वक्त चौदह रुपये क्विंटल गन्ना खरीद रहे हैं। शाहजहांपुर में साढ़े दस रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : गुड़ और खंडसारी बनाने वाले कीमत ज्यादा दें यह चीज के ऊपर भी मुनहसिर है कि मिलें क्या कीमत दे रही हैं। अगर मिलें गन्ने की कीमत अच्छी दें तो गुड़ और खंडसारी वालों को भी देनी पड़ेगी। एग्रिकल्चर मिनिस्टरी की सिफारिशें कामर्स मनिस्टरी के पास पहुंच गई हैं कि गुड़ कुछ एक्सपोर्ट होना चाहिये। उस पर वह फैसला लेगी जल्दी। गुड़ एक्सपोर्ट हो सके, जितना मुनासिब है एक्सपोर्ट कराना वह हो सके यह कामर्स मिनिस्टरी करेगी। मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं पाटिल जी और वह सुन रहे हैं और हम अपनी सिफारिशें उनके पास भेज चुके हैं।

इनवेलाइजेशन फंड की बात भी डागा जी ने की है और कहा है कि इसका क्या हुआ ? यह भी उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी। वह इस तरह का फंड नहीं था जैसा कि हम सैस के

जरिये बनाना चाह रहे हैं। कोर्ट का आर्डर हो, इंटेरिम आर्डर कोर्ट का हो तो सरकार को लेवी शूगर फैक्टरी से लेकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा पैसा फैक्ट्रीज को देना पड़ता है। और जब सरकार ने कीमत ज्यादा दे दी फैक्ट्रीज को अदालतों के हुक्म से उसके बाद आखिरी फैसले में कीमत कम हो गई तो जो सरकार का पैसा फैक्ट्रीज के पास चला गया उसको वापस वसूल किया जाता है और उसका एक फंड बनाकर रखा जाता है। वह ईक्वलाइजेशन फंड है। उसको इस्तेमाल करते हैं इस जगह जगह, देश के हर हिस्से में एक कीमत जो रखी गई है शुगर की पहले 3.50 थी अब 3.60 पैसे है तो कहीं ट्रांसपोर्ट कास्ट का है और कहीं ज्यादा है, वह भारत सरकार देती है, उसमें से कुछ देती है। नहीं पैसा है तो स्टेट्स को अपने आप बोझ उठाना पड़ता है। उसके लिये सोच रहे हैं कि क्या किया जाय। तो इक्वलाइजेशन फंड सरकार का पैसा था जो फैक्ट्रीज ने ज्यादा ले लिया और जब उसके बाद कीमत मुकर्रर हुई फाइनली तो वह पैसा उनसे वसूल किया जाता है। तो वह कोई सैस नहीं है, बल्कि सरकार का पैसा है जो फैक्ट्रीज के पास चला गया। अभी कोर्ट्स में बहुत से केसेज चल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा था कि कितना फंड इकट्ठा हुआ है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अब तक 16 करोड़ इकट्ठा हुआ। लेकिन उस पर फाइनल तो हुक्म होना है कोर्ट का। उसमें कितना हमें देना पड़ता है, कितना वापस आता है, और उसमें भी बहुत-सी सेक्यारिटीज दी हुई हैं जहां कहीं मान गयी अदालतें। हमने यह किया, कि भारत सरकार के बौंड के ऊपर, श्योरिटी के ऊपर यह चीनी उठा लेने दी जाय, नगद न देना पड़े। लेकिन जब कोर्ट से फैसला हो जायेगा तो नगद देना पड़ेगा, अगर हमें देना पड़ा तो।

आडिट और पार्लियामेंट की पावर्स की बात मैं कर चुका हूं। बीच में एफ० सी० आई०को कुछ दोस्त ले आये कि उसका काम बड़ा खराब है, डिस्ट्रिब्यूशन ठीक ठीक है। मैं कई बार कह चुका हूं एफ० सी० आई० का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप मिलों से चीनी उठायें और तकसीम करायें वह तो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। कुछ प्रान्तों के अन्दर एफ० सी० आई० मिलों से चीनी लेकर स्टेट तक पहुंचाती है, उससे आगे स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम होता है। तो उसमें एफ० सी० आई० वहां आ गई ? वह तो अगर डिस्ट्रिब्यूशन में कोई खराबी है तो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की खराबी है। एफ० सी० आई० पर हर तरह का इल्जाम लाद देना इन्साफ की बात नहीं है। तो यह चन्द मोटी-मोटी बातें थीं।

कुछ दोस्तों ने रीजनल कमेटी बनाने की बात कर दी। एक साहब तो यहां तक चले गये कि चूंकि एक कमेटी है इस वास्ते एक ही प्रान्त को सारा पैसा दे देगी। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हमें 29 प्रान्तों में यह पैसा इस्तेमाल करना हो तो 29 कमेटियां चाहिएं। तो यह बात समझ में नहीं आती।

श्री चित्त बसु : जोन के आधार पर, चार जोन हैं इसलिये 4 कमेटियां बना दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसके लिये जरूरी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है। अगर महाराष्ट्र वाले यह कहें कि जितना सैस हमसे वसूल होता है वह सिर्फ

महाराष्ट्र में खर्च हो तो क्या वह देश हित में होगा ? आप कह रहे हैं कि ज्यादा मिल्स यू० पी० और महाराष्ट्र के अन्दर हैं। जहां ज्यादा मिल्स हैं वहां यह फंड इस्तेमाल होगा। सारी इंडस्ट्री देश की एक है। किसी प्रान्त से ज्यादा पैसा आयेगा तो जरूरी नहीं है कि वहीं खर्च किया जाय। यह बात मुझे मन्जूर नहीं है।

श्री हरीश रावत : और मिलें लगाने की बात मैंने की थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : यू० पी० में और मिलें लगाने की बात आपने की। आपको मालूम है कि पहले लाइसेंसेज रुके हुए थे। शुगर इंडस्ट्री में जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है हमें उम्मीद है कि उस कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल कम से कम इस साल होगा। इंस्टाल्ड कैपेसिटी के मुताबिक शुगर प्रोडक्शन होगी। लेकिन इसके बावजूद हमने वह रोक हटा दी। पिछले साल से हमने नये शुगर लाइसेंस देने शुरू कर दिये, काफी लाइसेंसेज हमने महाराष्ट्र में दिये, यू० पी० में भी 5 नये लाइसेंस दिये हैं। कुछ और दरख्वास्तें भी पेंडिंग हैं जो कि लाइसेंस कमेटी के सामने हैं। और कितने क्लीयर हो सकते हैं, उनका हमने तरीका बना रखा है कि शुगर केन कहां कितनी मिलती है। कोई दूसरी फैक्टरी सिक न हो जाये, सबके लिये काफी शुगर केन एवेलेबल हो, उनके लिये इलाका बटा हुआ हो, जोन डिमार्केटेड हो। इन सारी चीजों को देखकर लाइसेंस दिये जाते हैं। ऐसे अंधाधुंध देने से बात बनती नहीं है कि हर आदमी अपने हल्के में पहले लाइसेंस मांग ले और फिर कहे कि शुगर की डैवलपमेंट हो जायेगी। लाइसेंसेज हम शुगर फैक्टरीज के लिये लिबरली दे रहे हैं, यह पालिसी इस सरकार ने आते ही बना ली थी। उसके मुताबिक कैपसिटी बढ़ाई जा रही है और छठी प्लान के अन्दर हम काफी शुगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो और कीमतें भी ठीक हों सबका मुंह भी मीठा होता रहे।

अगर और कोई प्वाइन्ट्स ऐसे रह गये हों, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया हूं···

एक माननीय सदस्य : एक्सपोर्ट का बताइये।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक्सपोर्ट्स के लिये मैंने अर्ज किया है।

एक माननीय सदस्य : वाटर पोल्यूशन।

राव बीरेन्द्र सिंह : जितनी पोल्यूशन की बात है, एफ्लुएंट्स की बात है, और चीजें हैं, वह सब चीजें रिसर्च डैवलपमेंट के अन्दर आ जाती हैं, कोई बाहर नहीं है। सिंचाई की बात हो, शुगर डैवलपमैंट में सब बातें आती हैं। उसके लिये सब चीजों को देखकर सोचकर रूल बनायेंगे। यह खतरा नहीं होना चाहिए कि यह आफिसर्स की कमेटी है, यह आर्बिट्रेरीली काम करेगी। वाईलाज होंगे, पालिसी होगी, रूल्स फेम किये जायेंगे और वह पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। पार्लियामेंट को अख्तयार होगा कि चाहे तो उन रूल्स में तब्दीली कर दे। अब फिर आपको शक किस चीज का है ? कोई चीज फिक्टीशियसली नहीं होगी। सारी चीजें आपके सामने होंगी।

मैं माफी चाहता हूं कि सारी बातों का जवाब नहीं दे पाया···

एक माननीय सदस्य : एक्सपोर्ट के बारे में कहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक्सपोर्ट के लिए आपने बात की कि नुकसान बहुत होगा। अब जो इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट है, हिन्दुस्तान उसका मेम्बर है और यह कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री भी रहा

है। पिछले सालों में हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सके, कोटा नहीं भेज सके, इसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ रही थी कि शायद वह इजाजत न दें। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने शायद मान लिया है कि पिछला जितना कोटा भारतवर्ष का रह गया था वह एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाए। अगर अब इंटरनेशनल प्राइस नीचे गिर गई हैं तो सरकार को नुकसान भी उठाना होगा, लेकिन सोचने की यह बात है कि क्या हम इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट छोड़ दें, बाहर आ जाएं ? कल अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरे देशों में कहां एक्सपोर्ट कर पाएंगे शुगर को ?- इसलिए इन सारी चीजों को देश के हित में सोचना पड़ता है।

फारेन एक्सचेंज की भी बात है, हमेशा के लिए हम एक्सपोर्ट के फील्ड में रहें, इसकी भी बात है। इसमें ही हित इंडस्ट्री का है, किसानों का है, शुगर केन ग्रोअर्स का है। अब आपकी तसल्ली हो गई ?

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद) : जैसे मैंने अपने यहां के विषय में बात की कि खंडसारी और गुड़ के लिये अब सस्ता गन्ना जा रहा है क्योंकि मिलों ने कई जगह पर कह दिया कि हम गन्ना नहीं पेरेंगे। इसलिये सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि सारे का सारा गन्ना मिल पेरेंगे, यह तो कम-से-कम किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : जो मिल वक्त से पहले बन्द होती हैं, उनको हम कानून में पकड़ लेते हैं, उनको टेक-ओवर करने के लिये हमारे पास अख्तयार हैं। वह एक कसूर है, जो नहीं होने देंगे। वक्त के बाद तक चलने वाली मिलों को हम इन्सेंटिव देने की बात कर रहे हैं। यही तरीका है, जिससे हम सारा गन्ना पेरने की सोचते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारा गन्ना इस तरह पेरा जायेगा ताकि किसान आगे गन्ने की पैदावार बढ़ाते रहें और सबको फायदा हो।

इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा हाउस से, कि इस बिल को जो मांग की है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दो, मेरा कहना है कि पब्लिक ओपोनियन तो सारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने दे दी। सलेक्ट कमेटी में भेज दो, वह बात भी नहीं बनती। जितनी दिलचस्पी यहां ली है, उससे ज्यादा दिलचस्पी कौनसी कमेटी ले पायेगी ? इसको सारे हाउस ने कंसीडर किया है, अब इसको आराम के साथ पास कर दिया जाये।

सभापति महोदय : अब हम प्रस्ताव पर संशोधनों पर विचार करेंगे। दो संशोधन हैं। मैं अब संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ। (4)

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा प्रस्ताव पर रखे गए संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ। (5)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी पर उपकर अधिरोपित करने और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये

"(ग) "रुग्ण मिल" से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है, जो पुराना है और जिसकी क्षमता अलाभप्रद है और जिसका प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।" (6)

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में केवल 25 वर्ष पहले स्थापित फैक्ट्रियों का उल्लेख किया गया है। क्या सरकार अन्य रुग्ण मिलों को भी सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यही मेरी चिन्ता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने बताया है कि इसमें कोई बार नहीं है। यह फंड सबके लिए है। चाहे कोई फैक्टरी 25 साल पुरानी हो और चाहे उसके बाद की हो, वे सब निगाह में रखी जाएंगी। कोआपरेटिव हो या प्राइवेट इंडस्ट्री, यह फंड सबके लिए इस्तेमाल होगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : यह काफी है।

सभापति महोदय : मैं अब श्री बाला साहिब विखे पाटिल के संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ। (6)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,

"1981" के स्थान पर

"1982" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"1981" के स्थान पर

"1982" प्रतिस्थापित किया जाये । (2)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : अब अधिनियम सूत्र सम्बन्धी संशोधन को लिया जाएगा ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"बत्तीसवें" के स्थान पर

"तैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं एक-दो बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । यों तो मंत्री जी ने कहा कि हमारे जैसे कुछ बिगड़ैल दिमाग के लोग ही राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसमें आपका नाम नहीं था ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं । उसको समझिए । हमारे जैसे विचार वाले । मैं समझता हूं कि जहां आपने पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और कु-प्रशासन, जितनी भी बातों की चर्चा की—इन तमाम बातों का समाधान आप अपने हाथ में लेकर ही कर सकते हैं । यानि, बिना राष्ट्रीयकरण के आप पेबन्दबाजी करते जाइए । एक जगह पेबन्द लगाइए तो दूसरी जगह से कपड़ा फट जाएगा । इन सब बातों का एक इलाज है, राम-बाण की तरह, अपने कब्जे में ले लें, उसका राष्ट्रीयकरण कर लें और तब ही आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।

दूसरी बात, सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि···

श्री मूलचन्द डागा : शास्त्री जी, सरकारीकरण हो जाएगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : डागा जी, राष्ट्रीयकरण का जो मतलब मैं समझता हूं, वही मैं बोल रहा हूं । यदि आप सरकारीकरण समझते हैं, तो समझिए । आप तो वकील हैं, जैसा राव साहब ने कहा कि आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं ।

आपने कहा है कि उपकर का उपभोक्ता पर केवल थोड़ा-सा ही प्रभाव होगा । तो आपने यह मान लिया कि प्रभाव पड़ेगा । हम लोग भी यही कह रहे हैं । अभी तो आप पांच रुपया उपकर बढ़ा रहे हैं, बाद में दस रुपया करेंगे । इसके नाम पर कारखाने को ठीक रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो, देश को लाभ हो, उससे चीनी की कीमत जरूर बढ़ेगी । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने थोड़ा सा अन्दाज लगाया है कि कितनी कीमत बढ़ेगी ? क्योंकि आपको याद होगा, पिछले साल जब बजट आया था तो मन्त्री जी ने कहा था कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या नहीं के बराबर पड़ेगा । लेकिन अब कितनी महंगाई बढ़ गई है, यह आप जानते हैं । अगर आप बताने की स्थिति में हैं, तो यह बतलाइए, ताकि चीनी खरीदने वाले को यह समझ में आए और पहले से वह अपनी जेब को ठीक-ठाक रखे कि कितना उनको देना पड़ेगा ?

तीसरी और आखिरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको कारखानेदारों के लिए बड़ी पीड़ा है, कारखाने जरूर अच्छी तरह से चलें, लेकिन आपको उपभोक्ता के प्रति पीड़ा नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके दिल में पीड़ा किसानों के प्रति नहीं है । अगर आपके दिल में कोई तकलीफ है, पीड़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसा बिल लाइए, जिससे कि किसानों को कुछ राहत मिले ।

उपकर लगा कर किसानों को लाभकारी मूल्य दिला सकें, ऐसा बिल लाइये, हम लोग उस में पूरा समर्थन करेंगे । इस तरह की बात इस बिल में नहीं है, किसान बेचारा सबसे ज्यादा मारा जा रहा है । उसकी खोज-खबर लेने वाला लगता है इस सरकार में कोई नहीं है । यदि हैं, तो आपके जो लोग राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते हैं उनको बुद्धि वाला व्यक्ति मानता हूं और जो लोग राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं, मैं उनको ठीक उल्टा मानता हूं···

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद) : क्या उल्टा मानते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : आप समझ जाइये, निर्बुद्धि या कुछ भी समझ लीजिये । मैं बिहार की असेम्बली को बुद्धिमान समझता हूं, उत्तर प्रदेश की असेम्बली को बुद्धिमान समझता हूं । उन्होंने सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद वह मांग की थी । उपकर लगाने से किसको फायदा होगा ? किसानों के बारे में भी कुछ सोचियेगा या नहीं, या यों ही कहते रहियेगा कि हम किसानों के धुरन्धर समर्थक हैं, उनके लिये बीस सूत्री कार्यक्रम बना दिया है । मैं चाहूंगा कि इन बातों की सफाई कीजिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस उपकर लगाने के विधेयक का विरोध करता हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी की पहली आशंका तो मैं इस तरह से दूर करना चाहता हूं कि इस सैस के लगाने से एक किलोग्राम पर 5 पैसे का फर्क पड़ता है और अब जिस दाम पर चीनी मिल रही है उसमें हमने यह शामिल कर लिया है, इसका शुमार कर लिया है और आपको पता भी नहीं लगा है । इसलिये इसका कोई असर नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो आगे लगने वाला है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको खबर ही नहीं लगी, वह तो हिसाब में पहले ही आ चुका है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आगे देखना है कि आता है या नहीं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक किसानों की हमदर्दी की बात शास्त्री जी ने कही, इस सरकार से ज्यादा किसानों की हमदर्द शास्त्री जी की पार्टी नहीं हो सकती है । आप तो किसानों की सारी जमीन का सरकारीकरण कर लेंगे···

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे कार्यक्रम में आपने शायद यही पढ़ा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उस सूरत में किसान बेचारा कहां जाएगा । इसलिये किसान की भलाई के लिये ही ये सारी चीजें सरकार सोच रही है, इससे किसानों का ही लाभ होगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

मत पक्ष में

मत विभाजन संख्या : 1 17.36 बजे

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अराकल, श्री जेवियर
अरुणाचलम, श्री एम०
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे० सी०
भोले, श्री आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
वीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
देव, श्री सन्तोष मोहन
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह
हाकम सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कुन्हम्बु, श्री के०
*लारेंस, श्री एम० एम०
महाबीर प्रसाद, श्री
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
नायकर, श्री डी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नेहरू, श्री अरूण कुमार
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री जगन्नाथ
राठौर, श्री उत्तम
रावत, श्री हरीश
साही, श्रीमती कृष्णा
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
साठे, श्री वसन्त
*शमन्ना, श्री टी० आर०

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाडीवेल, श्री एस०
सारेन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह
स्वामीनाथन, श्री आर० बी०
तारिक अनवर, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर श्री शिव कुमार सिंह
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
याजदानी, डा० गोलम
जैल सिंह, श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

भीम सिंह, श्री
दंडवते, प्रो० मधु
गिरि, श्री सुधीर
जगपाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
झा०, श्री भोगेन्द्र
मण्डल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजीत कुमार
मुखर्जी, श्री समर
नेगी, श्री टी० एस०
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूपचन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
राही, श्री राम लाल
राजदा, श्री रतनसिंह
राकेश, श्री आर० एन०
राय, श्री ए० के०
शाक्य, श्री दया राम
शास्त्री, श्री रामावतार
सूरजभान, श्री
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रीत लाल प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
जायनल अबेदिन, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है ।

पक्ष में : 83, **विपक्ष में** : 25,

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : सर्वश्री मानिक राव होदिया माक्रित, राजीव गांधी, और एन० कुदन्तई रामलिंगम ।

विपक्ष में : डा० सरदीश राय, श्री एम० एच० लारेंस और श्री टी० आर० शमन्ना ।

सभापति महोदय : अब हम चीनी विकास निधि विधेयक को लेंगे, जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा विचार किये जाने के प्रस्ताव में पेश किए गए संशोधन संख्या 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी उद्योग के विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्त-पोषण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड-2

संशोधन किया गया।

"पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

'1981' के स्थान पर '1982' प्रतिस्थापित किया जाए।" (37)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-3

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री टी० आर० शमन्मा (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"(4) सरकार चीनी विकास निधि को समान अनुदान देगी।" (6)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(4) निधि के लिए प्राप्त हुई समस्त धनराशि अलग खाते में रखी जायेगी जिसका संचालन सभापति और सचिव द्वारा किया जायेगा।" (27)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 और 12,—

"संसद द्वारा विधि सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात्" **का लोप किया जाय।** (14)

ये शब्द "संसद द्वारा विधि द्वारा सम्बद्ध विनियोग किए जाने के पश्चात्" की बिलकुल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि अब हमने चीनी उपकर विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक की धारा 4 में कहा गया है :

"धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद शुल्क के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे।"

और चीनी विकास निधि विधेयक की धारा 2 के अनुसार :

"चीनी उपकर अधिनियम 1981 के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत उत्पाद शुल्क के आगमों के बराबर रकम, जिसमें से संग्रहण की लागत, जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, घटा दी जाएगी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी धन के साथ, संसद द्वारा विधि द्वारा समयक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, निधि में जमा की जाएगी।

इन दोनों धाराओं के अन्तर्गत उपकर के रूप में जमा की गई राशि भारत की संचित निधि में जाएगी। और उस राशि को प्राप्त करने के लिए मन्त्री महोदय को विधेयक पारित कराने के लिए संसद में आना होगा। मेरे विचार से, इससे बचा जा सकता था।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार इसे आवश्यक समझती है। हमें इस राशि के विनियोग के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में आना ही चाहिए। अत: इसलिए हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—

"1981" **के स्थान पर** "1982" **प्रतिस्थापित किया जाए।**" (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्मा के संशोधन संख्या 6 और 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सभा से अपना संशोधन संख्या 14 वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 निधि का उपयोजन

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 में,—

"ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें चीनी कारखाना स्थित है" के स्थान पर

"सिंचाई की सुविधाओं, सिंचाई और जल निस्सारक उप नहरों, सड़कों और पुलियों के निर्माण सहित किसी क्षेत्र में जिसमें चीनी कारखाना स्थित है" अन्त:स्थापित किया जाए । (23)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,—

"विकास" के पश्चात् "और चीनी प्रौद्योगिकी को, अपशिष्ट के उपयोग सहित अद्यतन करने" अन्त:स्थापित किया जाये । (24)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति के 22 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये ।

"(खख) ऐसे चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना, जिन्होंने अपने लाभ की राशि अन्य उद्योगों में लगा दी है या कुप्रबन्ध के कारण संकटग्रस्त हैं ।" (25)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :—

"परन्तु उन कारखानों को कोई ऋण नहीं दिया जायेगा, जो अपने लाभ की राशि अन्य उद्योगों में लगाने या कुप्रबन्ध के कारण संकटग्रस्त हैं ।" (26)

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(3) समिति को कारखाने या यूनिट को, यथास्थिति, दिये गये ऋण या अनुदान के उपयोग पर निगरानी रखने की शक्ति प्राप्त होगी ।" (28)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 23 से 26 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन सं० 28 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 8—समिति

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु इस प्रकार गठित समिति में चीनी उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ।" (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33,—

"सरकार के अधिकारियों" के स्थान पर "सरकार के पांच से अनधिक अधिकारियों और संसद के तीन सदस्यों, लोक सभा के दो और राज्य सभा का एक" प्रतिस्थापित किया जाये—(2)

सभापति महोदय : अब मैं श्री शमन्ना द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 7 और 29 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7 : अधिनियम के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 39 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए :

"7 (2) चीनी विकास निधि और उनसे लाभान्वितों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी, जिसका प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखा जाएगा ।" (15)

खण्ड 8 में कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार किसी चीनी कारखाने के किसी अधिभोगी से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, भेजने की अपेक्षा कर सकेगी।"

इस विधेयक में इसे केवल सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना चाहता है। मैं कहता हूं कि इसकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए क्योंकि धन समेकित निधि से निकाला जा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है। हम इसे स्वीकार नहीं करते।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4, :

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय : अधिनियमन सूत्र में एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, :

"बत्तीसवें" के स्थान पर

"तैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(राव बीरेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक लेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह तो एक बहुत ही सामान्य विधेयक है। संसद के 1948 के अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। अध्यक्ष को मिलाकर, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है, बोर्ड के 36 सदस्य हैं।

अब जो संशोधन हम करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान अधिनियम में अध्यक्ष की सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं किया गया है : अतः हम जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन करना चाहते हैं वह यह है कि अध्यक्ष जिसका कि सेवाकाल तीन वर्ष का रखा गया है उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रावधान अधिनियम में होना चाहिए। इसमें (वर्तमान अधिनियम) अध्यक्ष के त्यागपत्र देने की स्थिति से भी निपटने का प्रावधान नहीं किया

गया है। अतः हम अध्यक्ष के त्यागपत्र की प्रक्रिया का प्रावधान करने वाले विशिष्ट उपबन्ध बनाना चाहते हैं।

हम जिस एक और अन्य उपबन्ध को संशोधित करना चाहते हैं वह अधिनियम की उस धारा 13 से सम्बद्ध है जो कि संसद के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा अनुमोदित सूत्र के समान है। अतः जहां तक इस संशोशन का सम्बन्ध है, सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि यह विधेयक मामूली सा है, मेरे विचार से मेरे मित्रों को इसको पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमें इस उद्देश्यार्थ सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मेरा एक संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को उस पर 31 मार्च, 1982 तक इस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।

सभापति महोदय : अब प्रो० रूप चन्दपाल बोल सकते हैं।

प्रो० रूप चन्दपाल (हुगली) : महोदय, 1948 के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। यह एक मामूली-सा, संशोधन सभा के सामने आया है। संशोधन का समर्थन करते हुए मैं स्वयं रेशम बोर्ड के ही कार्यकलाप के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, रेशम उद्योग हमारे देश में एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो कि श्रम प्रधान और ग्रामीण प्रधान है। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज लोग इस उद्योग को पूर्णतया नष्ट करना चाहते थे और आप सबको ढ़ाका के उन बुनकरों की कहानी का भी पता है जो कि उन दिनों अपनी मल-मल बुना करते थे। ब्रिटेन के लोगों के हित में उनकी उंगलियां काट दी ग. जो कि हमारे देश में अपनी-अपनी मण्डी खोलना चाहते थे। महोदय, हमारे देश के लाखों स्त्री और पुरुष कामगार इस उद्योग में लगे हुए हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों के लाखों परिवार इसमें लगे हुए हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश में ही, ग्यारह लाख परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। इस उद्योग में, अकेले वाराणसी में ही एक लाख कामगार में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य बहुत से राज्यों में लाखों कामगार इस उद्योग में लगे हैं। परन्तु इस उद्योग के विकास के संवर्द्धन के नाम पर यह बोर्ड अपने कार्यकाल के 36 वर्षों के बाद भी, इन कामगारों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। उन्हें तो न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित किया जा रहा है। बच्चों और स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। जिनके हाथों में शक्ति हैं, वे उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं।

जैसा कि आप इतिहास में पाते हैं, कभी परम्परागत ख्यातिप्राप्त भारतीय रेशम की बाजारों में बड़ी मांग थी।

स्वतन्त्रता के बाद इस उद्योग का विकास करने के प्रयास किये गये । परन्तु कामगारों के हितों का ध्यान रखे बिना, इस उद्योग का कभी कायाकल्प नहीं हो सकता है । 36 सदस्यों के बोर्ड में, अधिकांश सदस्य राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं । वे सरकारी अधिकारी हैं । उसमें मजदूरों का केवल एक प्रतिनिधि है । वहां उसकी कुछ चलती ही नहीं है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड लम्बे समय से कार्य करता चला आ रहा है । हमने निर्यात की स्थिति में तो सुधार किया है । हाल ही में, विश्व बैंक ने हमें मैसूर में एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र दिया है । विश्व बैंक की सहायता से अन्य राज्यों में भी परियोजनाएं चल रही हैं । यद्यपि निर्यात में सुधार हुआ है, फिर भी हम पाते हैं कि किस्म नियन्त्रण में कुछ कमी के कारण अन्य देशों के मुकाबले हम विश्व बाजार में पिछड़ रहे हैं । चीन और रेशम के अन्य परम्परागत उत्पादक देशों की यूरोप में मंडी थी । वहां पर आयातित रेशम का 94% रेशम चीन का होता है । भारतीय रेशम, जिसकी अपनी अलग ही किस्म है, अपनी ख्याति है, आगे नहीं आ सका है । भारतीय रेशम को आधुनिक रूप नहीं दिया गया है । क्यों ? एकाधिकारी घराने टेक्सटाइल उद्योग पर नियन्त्रण रखते हैं । सरकार उन एकाधिकारी घरानों की सेवा कर रही है । बहुविध रेशे और कृत्रिम धागे के इस युग में, रेशम उद्योग का शोषण किया जा रहा है । ये पैसे वाले लोग भारी मात्र में कच्चे रेशम को खरीद लेते हैं । उत्पादकों को उनकी देय उचित राशि से वंचित किया जा रहा है । उन्हें उत्पादन का न्यूनतम मूल्य भी नहीं दिया जाता है । धनी लोगों द्वारा खरीददारी कर लिए जाने के बाद, चूंकि वे बाजार को नियन्त्रण में रख रहे हैं, उन्हें निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । वे बहुत ही कम कीमत पर खरीददारी करके उन उत्पादकों का शोषण करते हैं । वे उन्हें देय उचित मूल्य से वंचित रखते हैं । स्त्री-पुरुषों को अपनी जीविका कमाने के लिए प्रति-दिन 10, 12, 15 घन्टे काम करना पड़ता है । परन्तु पैसे वाले लोग काफी धन कमा रहे हैं । बेईमान व्यापारियों और ऐसे लोगों के कारण, जो कि लाभ के पीछे हैं, इस उद्योग को हानि पहुंच रही है ।

इसमें परिवर्तन लाने का प्रस्ताव किया गया है । मुझे इस पर आपत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है । मैं तो यही कहूंगा कि मजदूरों को उनको देय उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है । उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है । यदि कोई आदमी पसन्द का नहीं है, और यदि वह अच्छा काम भी कर रहा है तो भी उसे हटा दिया जाता है । यह ध्यान में रखना होगा कि केवल इस संशोधन को करके भी रेशम उद्योग में सुधार नहीं किया जा सकता है । इस देश के लाखों ही लोगों का भाग्य इस उद्योग से बंधा है । उन लोगों की दशा को सुधारा जा रहा है और स्वयं उद्योग में भी सुधार लाया जा सकता है और यह केवल तभी होगा जब उचित परिप्रेक्ष्य में यथोचित सावधानी बरती जाये न कि कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देने से या ऐसे किसी व्यक्ति को अच्छा पद प्रदान करने से जिसको आप और कहीं न बिठा सकें यहां अध्यक्ष बनाकर बिठा देने से ही हो सकता है । जब अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो आपको यह देखना चाहिये कि जो व्यक्ति नियुक्त किया जाये वह सत्यनिष्ठा वाला, चरित्रबल वाला तथा दक्षता प्राप्त व्यक्ति हो और जिसका अच्छा अनुभव हो और जो इस उद्योग का पुनरोद्धार और इसका संवर्धन करने योग्य हो। मुझे दुख है कि योग्यतम व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, योग्यतम व्यक्तियों को त्यागपत्र देने के

लिए मजबूर किया जाता है और सेवानिवृत्ति से पूर्व ही उनसे सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा जाता है। ऐसे मामले हैं जो कि बहुत से क्षेत्रों में हो रहे हैं, यहां तक कि सरकार द्वारा नियन्त्रित उपक्रमों में भी हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि इस उद्योग को तभी पुनर्जीवित किया जा सकता है, यदि इस श्रम प्रधान और ग्राम्य-प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए और यदि सही सहकारिताओं को भलीभाँति पोषित और प्रोत्साहित किया जाये। वास्तविक, कामगारों और कर्मचारियों के सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए न कि महाराष्ट्र-चीनी—एकाधिकारी—घरानों तथा अन्य धनी लोगों के सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रेशम के उत्पादन में लगे वास्तविक कर्मचारियों के सहकारी संगठनों को ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

मैसूर और कर्नाटक में रेशम उद्योग को आधुनिक बनाने की विश्व-बैंक की एक बड़ी परियोजना है। वह निर्माणाधीन है। (व्यवधान) इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब कभी भी विभिन्न नये क्षेत्रों में रेशम उद्योग और रेशम के कीड़ों को पालने में सुधार की सम्भावना हो तो वहां यह किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिफारिश करता हूं कि उन क्षेत्रों को, विशेषकर, असम में, जहां के श्री संतोष मोहन देव रहने वाले हैं और जो रेशम के कीड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विकसित किया जाना चाहिए। इसका विकास उद्योग की ओर समुचित ध्यान न देने और उसका पोषण न किये जाने के कारण नहीं हो पाया। मैं यह कहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस विषय पर अनेक प्रकार से विचार विमर्श हो रहा है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इस उद्योगों की ओर उचित ध्यान दिया जाये और उस क्षेत्र के लोगों में जो उपेक्षा की भावना है उसे समाप्त किया जाये। क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि मूल अधिनियम 1948 में कहा गया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का उद्देश्य न केवल रेशम उद्योग का विकास करना है अपितु विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योगों का विकास करना भी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां कच्चा रेशम उद्योग, कताई उद्योग एवं कई अन्य उद्योग हैं जो अवशिष्ट माल तैयार करते हैं। अत: इसके कई अन्य उद्देश्य भी हैं। रेशम का विपणन न केवल बाहर अथवा निर्यात ही होना चाहिए किन्तु अन्तरिक रूप से ही किया जाना चाहिए। रेशम का आन्तरिक भण्डारण पहलू भी काफी महत्वपूर्ण पहलू है। हमने देखा है कि सरकार इस दिशा में प्रगति कर रही है। मैं इसका एक दृष्ट्रान्त देता हूं। हाल ही में भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार ने मिलकर एक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें लोगों ने सामान खरीदने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। लोगों को इसमें रुचि है, किन्तु बिचौलिये और बेईमान व्यापारी बाजार सम्भावनाओं को नष्ट कर देते हैं और यदि बाजार की कोई सम्भावना होती भी है तो ये लोग उन आम लोगों की कीमत पर इसका अपने हित और अपने ही लाभ के लिए प्रयोग करते हैं जो कांचीपुरम या असम या मुर्शिदाबाद या देश के किसी अन्य भाग में इस उद्योग में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० रूप चन्दपाल : मैं समाप्त कर रहा हूं।

भारत ने अपनी मलमल, कांचीपुरम के रेशम, बनारसी साड़ियों आदि से विश्व बाजार में अपनी महान कला एवं क्षमता की छाप जगा ली थी। हमें आशा है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस उद्योग में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए भारत की उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करूंगा और अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में आगे रहकर भविष्य में महान सफलता हासिल करेगा। यही हमारी आशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल मध्याह्न पूर्व ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प० **तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 5 मार्च 1982/14 फाल्गुन, 1903 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-153